दशम माला, खंड 39, अंक 16

बुधवार, 26 अप्रैल, 1995
6 वैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

दिनांक 26-4-95 के लोक सभा वाद-विवाद
§हिन्दी संस्करण§ का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची, 164	नीचे से 3, 14	के	में
29	37	§ग§ और §छ§	§ग§ और §घ§
49	नीचे से 7	"में" का लोप किया जाए	
95	नीचे से 4	शहरबुद्दीन	शहाबुद्दीन
97	23	श्री कृष्णा	श्रीमती कृष्णा
100	पंक्ति 12 के नीचे "विवरण ।" जोड़ा जाए ।		
135	35	460	3460
148	21	§!§	§ङ•§
176	7	श्री पी•सी•चाको	श्री पी•सी•चाक्को

विषय सूची

दशम माला, खंड 39, तेरहवां सत्र, 1995 / 1917 (शक)
अंक 17, बुधवार, 26 अप्रैल, 1995 / 6 वैशाख, 1917 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1-19
* तारांकित प्रश्न संख्या : 321, 322 और 324	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
* तारांकित प्रश्न संख्या : 322 और 325-340	19-36
अतारांकित प्रश्न संख्या 3332-3469	36-149
सभा पटल पर रखे गए पत्र	153-155
राज्य सभा से संदेश	155-156
प्राक्कलन समिति	156
पचासवां और इक्यावनवां प्रतिवेदन— **प्रस्तुत**	
लोक लेखा समिति	156
अठानवेवां और निन्यानवेवां प्रतिवेदन— **प्रस्तुत**	
सरकारी उपक्रमों-संबंधी समिति	156
इकतालीसवां प्रतिवेदन— **प्रस्तुत**	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण-संबंधी समिति	156-157
अध्ययन दौरे के प्रतिवेदन— **प्रस्तुत**	
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	157
सोलहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन— **प्रस्तुत**	
रेल-संबंधी स्थायी समिति	157
तेरहवां और चौदहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश— **प्रस्तुत**	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	157-158
अठारहवां प्रतिवेदन-**सभापटल पर रखा गया**	
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	
चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन-**सभापटल पर रखा गया**	158
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	158-163
27 अप्रैल, 1995 को पूरे देश में समाचार पत्रों के प्रस्तावित बन्द के कारण उत्पन्न स्थिति	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	158, 160-161
श्री पी. चिदम्बरम	158-160, 162-163
श्री लोकनाथ चौधरी	161-162
नियम 377 के अधीन मामले	163-167
(एक) अनिवासी भारतीयों द्वारा विशेषकर हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जा रहे उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	163-164
(दो) खेल विद्यालयों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता	
श्री मोहन लाल झिकराम	164

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम

(तीन) महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली और चन्द्रपुर जिलों में बेहतर दूर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री शांताराम पोतदुखे 164-165

(चार) स्वतंत्रता आन्दोलन के शहीदों की याद में स्मारक सिक्के जारी करने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह 165

(पांच) बिहार के जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक संख्या में रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोलने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 165

(छ:) हथकरधा कामगारों के हिंतो की, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, रक्षा करने की आवश्यकता

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु 165-166

(सात) तमिलनाडु में एस. आई. पी. ओ. टी. औद्योगिक परिसर, कुडडालोर में प्रदूषण से हो रही क्षति का आकलन करने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता

श्री पी. पी. कालियापेरूमल 166

(आठ) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में घाघरा नदी द्वारा किए जा रहे भूमि क्षरण को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए केन्द्रीय दल द्वारा सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी 166-167

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 167-212

श्री कृष्ण दत्त सुल्तान पुरी 167-169

श्री सोमनाथ चटर्जी 169-177

श्रीमती सरोज दुबे 178-186

श्री इन्द्रजीत गुप्त 186-192

श्री चन्द्रजीत यादव 192-200

प्रो. के. वी. थामस 200-205

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी 205-210

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन 210-212

लोक सभा

बुधवार, 26 अप्रैल, 1995 / 6 वैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा

+
***321. श्री राम बदन :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सी. आई. आई. प्रेजीडेंट फार पी. एस. यू. डिसइन्वेस्टमेंन्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हो रहे घाटे के कारणों का पता लगाया है और सरकारी क्षेत्र के ऐसे कितने उपक्रम हैं, जिन्हें या तो घाटा हो रहा है या जिनमें कार्यशील पूंजी की भारी कमी है ;

(ग) सरकारी क्षेत्र के घाटे में चल रहे उपक्रम के कारण देश को कुल कितना घाटा हो रहा है;

(घ) क्या सरकार इन उपक्रमों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराकर इन्हें अर्थक्षम बनाने अथवा इनकी अधिकांश साम्य पूंजी की बिक्री करके इन्हे गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने हेतु कोई योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

[हिन्दी]

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी,हां।

(ख) से (च). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) से (च). वर्ष 1993-94 के दौरान 240 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम चालू हालत में थे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन में सुधार हुआ है। वर्ष 1992-93 के दौरान सकल बिक्री 1,47,266 करोड़ रुपए में से 10,926 करोड रुपए वृद्धि हो गई, निवल लाभ 3271 करोड़ रुपए में 1164 करोड रुपए की वृद्धि हो गई और उत्पादन करने वाले उपक्रमों के जमा मूल्य में 38,509 करोड़ रुपए से 2,957 करोड रुपए की और वृद्धि हो गई, निर्यात अर्जन 10,338 करोड़ रुपए से 1,598 करोड़ और बढ़ गया और विदेशी मुद्रा भण्डार में 22,449 करोड़ रुपए से 539 करोड़ रुपये और जमा किए गए।

वर्ष 1993-94 के दौरान कार्यरत 240 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से 120 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों नें 9,722 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था और 117 सरकारी उपक्रमों में 5,287 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। प्रत्येक उपक्रम के घाटे के कारण अलग-अलग थे। तथापि घाटे के कुछ सामान्य कारण पुरानी तथा अविकसित मशीनरी, पुरानी प्रोद्योगिकी, फालतू जनशक्ति, कार्यपूंजी की कमी बाजार सम्बन्धी समस्याएं, रुग्ण उद्यमों को चलाना आदि थे।

सरकार जहां भी सम्भव हो सके घाटा पूरा करने के सम्बन्ध में पुनरुद्धार योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न कर रही है। 53 रुग्ण औद्योगिक सरकारी उपक्रम औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) को दे दिए गए हैं। बी आई एफ आर ने प्रत्येक पंजीकरण सरकारी उपक्रम के लिए कार्य संचालन अभिकरण की नियुक्ति की है। कार्य संचालन अभिकरण पुनरुद्धार योजना तैयार करते समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य पूंजी की जरुरत को ध्यान में रखेंगे।

बजट गत सहायता उद्यमों की आवश्यकताओं के साथ-साथ उनकी जीवन क्षमता और धन राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चयनित आधार पर प्रदान की जाती है। सामान्य बजट में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जिसमें बीमार सरकारी उपक्रम भी शामिल हैं गैर योजनासंगत सहायता के प्रावधान किए जाते हैं। वर्ष 1995-96 के बजट में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए गैर योजना गत ऋण के रुप में 438.46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

संसाधन जुटाने, जनसहभागिता प्रोत्साहित करने और अधिकाधिक उत्तरदायित्व को बढावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में सामान्य शेयरों का विनिवेश किया गया है। अधिकांश शेयरों की बिक्री द्वारा क्षेत्र का कोई भी रुग्ण उपक्रम निजी क्षेत्र को नहीं सौंपा गया है।

श्री राम बदन : अध्यक्ष महोदय, सरकार डिस-इनवैस्टमैंट से प्राप्त राशि का उपयोग सही ढ़ंग से नही करती और सराकरी क्षेत्र के उपक्रम से जो राशि प्राप्त होती है, उससे सरकार अपना घाटा पूरा करती है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस राशि का, जो प्राप्त होती है, उपयोग आधुनिकीकरण के लिए करेगी ?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह न सिर्फ प्राफिट मेकिंग पी. एस. यूस. को बल्कि सभी पी. एस. यूस. को सहयोग दे। बजटरी सपोर्ट के माध्यम से सरकार पी. एस. यूस. को और विशेषकर सिक यूनिटस को सहयोग नही दे रही है। यदि डिस-इनवैस्टमैंट से राशि प्राप्त होती है और उससे संबंधित प्राफिट पी. एस. यूस. में लगाया जाएगा तो सरकार अन्य पी. एस. यूस. को सहयोग नही दे पाएगी, सिक यूनिटस के रिवाइवल प्लांटस के लिए राशि उपलब्ध करवाने की बात तो दूर की होगी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि सरकार की रिसपौनसीबिलिटी सभी पी. एस. यूस. के लिए एक सी है। चूंकि प्राफिट मेकिंग पी. एस. यूस. अपने इन्टरनल रिसोर्सेस या कैपिटल मार्केट से राशि प्राप्त कर अपनी योजनाओ का कार्यान्वयन कर सकते है, इसलिए अन्य सिक यूनिटस को सरकार के सहयोग की विशेष आवश्यकता है। बैंको के द्वारा भी रुग्ण पी. एस. यूस. के रिवाइवल प्लांटस के लिए राशि उपलब्ध कराने मे शिथिलता बरती जाती है। इसलिए सरकार उसके लिए भी प्रयत्न करती है। इसलिए मिला-जुलाकर डिस-इनवैस्टमैंट के लिए जो भी राशि प्राप्त होती है, वह सरकारी खाते मे जाती है और बजट के माध्यम से सभी पी. एस. यूस. के लिए इस्तेमाल की जाती है।

श्री राम बदन : अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि विभिन्न रुग्ण उपक्रमों को पुन: जीवित करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, घाटे में चल रहे पी. एस. यूस. के लिए रिवाइवल स्कीम तैयार करने का हर संभव प्रयास कर रही है। 53 सिक यूनिटस बी.आई.एफ.आर. के समक्ष है और बी.आई.एफ.आर. के द्वारा औपरेटिंग एजैंसी नियुक्त की गई है। और आपरेटिंग एजेंसीज के

द्वारा रिवाइवल पैकेज तैयार किया जाता है। अन्य सिक पी. एस. यूस. के लिए अलग-अलग प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है, रिवाइवल पैकेज उनके द्वारा भी तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा कि बजट में भी इसके लिए हम प्रोविजन करते है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि बहुत लैंदी प्रोसेस है, तो लैंदी प्रोसेस होना तो स्वाभाविक है। इसमे थोडी देर लगती है; ऐसी बात नही है कि यथास्थिति बनी हुई है। इसमें सरकार के द्वारा चेष्टा की जा रही है कि कम से कम विलम्ब हो। रुकावटों को दूर करने के लिए भी प्रयास किये गये है। इसमें एक विस्तृत रिवाइवल पैकेज तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सभी सम्बन्धित जो पक्ष होते है, उनसे विचार विर्मश किया जाता है और फाइनेंसियल इंसटीट्यूशंस से भी कन्सलटेशन होता है और सरकार को राशि की उपलब्धता के लिए कुछ फर्म कमिटमेंटस करने होते है। इसमे कुछ समय लगना तो स्वाभाविक ही है।

श्री गुमान मल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी उपक्रमों में इस समय 64,000 करोड़ रुपये पेड अप कैपीटल के नाते लगाये हुए हैं। इसी के तुलनात्मक जो प्राइवेट पब्लिक कम्पनीज है, इनमे 40,000 करोड़ रुपये पेड अप कैपीटल के रुप में है। जो सरकारी उपक्रम हैं, उनके कम्पैरीजन में जितने भी प्राइवेट एण्टरप्राइजेज है, उनमें सेल्स पेड अप कैपीटल की 110 परसेण्ट तक होती है, कैपेसिटी यूटीलाइजेशन 100 परसेण्ट होता है और मुनाफा 30 परसेण्ट से 80 परसेण्ट तक होता है। जबकि हमारे पी.एस.यूज. में, सरकारी उपक्रम में रिटर्न केवल दो परसेण्ट तक होता है। मैं यह जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि इन सरकारी उपक्रमों में से 117 उपक्रम हैं, जिनमें 1993-94 में 5287 करोड़ का नुकसान हुआ हैं, जबकि 1991-92 में यह नुकसान 4113 करोड़ रुपये ही था ? राष्ट्रीय इस्पात निगम में, विशेष तौर से 573.66 करोड़ का नुकसान सबसे ज्यादा 1993-94 में हुआ हैं। पिछले साल में जो मुलाजिम, श्रमिक या कामगार नौकर रहते थे, उनकी संख्या गिरकर अब 20.69 लाख हो गई है। मेरा सहभाग यह है कि इस नुकसान को देखते हुए....

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बड़ा हो रहा है।

श्री गुमान मल लोढा : सरकार इन सारे नुकसान वाले सरकारी उपक्रमों को वहां के कामगार, मजदूरों को सौंपने के लिए और उनका मैनेजमेंट चलाने के लिए और वहां जो ज्यादा नुकसान हो रहा है, वहां की जमीन को बेचकर उनका वापस रीवैल्यूएशन कराने के लिए प्रयास करेगी?

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी, ऐसा प्रश्न नही पूछना चाहिए। उत्तर नही आयेगा तो फिर आप बोलेंगे कि उत्तर नही दिया है।

श्री गुमान मल लोढा : मैं कन्क्लूड कर देता हूं। क्या इतने भयंकर नुकसान को देखते हुए सरकार जिस प्रकार से जयपुर में जयपुर मैटल कम्पनी को मजदूरों को सरकार ने दिया था और मजदूरों ने उसको अपने आप चलाया, उसी प्रकार से यह 117 जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं, उनको श्रमिकों को, मजदूरों को कोआपरेटिव बनाकर इन उपक्रमों को चलाने के लिए सरकार निर्णय करेगी और उनको देगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनके लम्बे प्रश्न का अंतिम भाग महत्वपूर्ण भाग है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, जितना प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, उससे मैंने इतना ही निष्कर्ष निकाला है कि इनका कहना यह है कि पब्लिक सैक्टर यूनिट्स में लास ही लास हुआ है। इण्डीविजुअल पब्लिक सैक्टर की बात यह कर रहे है, उसके लिए तो यह अलग प्रश्न करेंगे, लेकिन जनरल पब्लिक सैक्टर यूनिट्स में मेरा कहना यह है कि परफोरमेंस में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं उसके उलट बात कह रही हूं। 1992-93 की अपेक्षा 1994-95 में जो हमारी परफोरमेंस हुई है, उसमें कुल मिलाकर सभी पी.एस.यूज. में लाभ हुआ है।

श्री गुमान मल लोढा : आप सभी का कह रही हैं, जबकि मैंने 117 का पूछा है।

श्रीमती कृष्णा साही : आपने पूछा हैं, मैं भी आपको आंकड़े दे रही हूं न, आप उत्तर तो सुन लें। मेरा यह कहना है कि ग्रास सेल्स, जो 1992-93 में 1,87,266 थी, वह 1993-94 में 1,98,192 हो गई हैं।

हमारा नैट प्रॉफिट बढ़ा है, ग्रास सेल बढ़ा है, वैल्यू ऐडिशन बढ़ा है और एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ा है। कंट्रीब्यूशन टू दी ऐक्सचेकर बढ़ा है और ऐक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ा है। अगर आप चाहते है तो मैं इनके आंकड़े भी दे सकती हूं। कुल मिलाकर पब्लिक सैक्टर की परफॉरमैंस 1993-94 में अच्छी रही है। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि वैल्यू ऐडिशन 1992-93 में 38509 करोड़ रुपये था, उन्हे मैं बताना चाहूंगी कि वह अभी 41466 है। नैट प्रॉफिट 3271 था। वह अब बढ़ कर 4435 हो गया है। कंट्रीब्यूशन टू दी ऐक्सचैकर 22449 से बढ़ कर 27988 हुआ है। इसको टोटलिटी में देखा जाये तो सारी वस्तु स्थिति सामने आ जाती है। मै एक-एक की बात नही कर रही हूं। रुग्ण इकाइयों को बी.आई.एफ.आर. में रैफर किया गया है। जो इकाइयां रिवाइवल योग्य है, उन पर हम विचार करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उस सम्बन्ध में वह जानना चाहते है कि क्या आप मजदूरों को देंगे ?

श्रीमती कृष्णा साही : वर्कर्स का प्रस्ताव आयेगा तो सरकार उसको मानेगी क्यों कि जो त्रिपक्षीय समिति बनी है, उसमें वर्कर्स और मैनेजमैंट होती है। उसमें जो सुझाव आते हैं, उसके ऊपर सरकार ध्यान देती हैं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि : सरकारी उपक्रम केवल लाभ कमाने के लिये स्थापित नही किये गये। उन्हे स्थापित करने के पीछे सरकार की समाज के प्रति वचनबद्धता थी। इसलिये, सरकार को इन उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिये सभी सम्भव उपाय करने होते हैं। लेकिन बी.आई.एफ.आर. के खिलाफ बड़े पैमाने पर शिकायतें हैं। इस पृष्ठभूमि में, क्या सरकार सरकारी उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिये श्रमिक संघो की मदद लेगी ताकि इन्हे अर्थक्षम बनाने के लिए अच्छे सुझाव दे सकें।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, बी.आई.एफ.आर. की बैठकें होती हैं। उनमें यूनियन आती हैं। कभी-कभी यूनियन के नाते एम.पीज भी उसमें रिप्रेजेंट करते है और अपनी बातें रखते हैं। उसमें आप उनके सुझाव सामने रख सकते हैं।

[अनुवाद]

सरकार इन इकाइयों को रिवाइटलाइज करने का हर सम्भव उपाय कर रही है।

[अनुवाद]

डा. कार्तिकेशवर पात्र : महोदय, यह देखने में आया है कि कुछ सरकारी उपक्रम उस इक्विटी का निवेश नही पाते जो उन्हे सरकार से मिलती है और यह सारी इक्विटी ऋण या ऋण का ब्याज चुकाने में लगा

दी जाती है। अत: क्या सरकार पिछले दस वर्षों में वसूल किये जाने वाले ऋणों को माफ करने पर विचार कर रही है ताकि सरकारी उपक्रम मजबूत हो सकें और वे 'न-लाभ न-हानि' आधार पर चलाये जा सकें ?

श्रीमती कृष्णा साही : महोदय, मैं उनकी बात नही समझ सकी।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी.नरसिंह राव) : व्यापक आधार पर तो यह संभव नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष इकाई या उद्योग की बात करें, तो कुछ विचार हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे : अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब के आखिरी वाक्य में यह कहा गया है कि अधिकांश शेयरों की बिक्री के द्वारा सरकारी क्षेत्र का कोई भी रुग्ण उपक्रम निजी क्षेत्र को नही सौंपा गया है। क्या यह आपकी नीति है या आगे इस तरह की रुग्ण इकाइयों के विषय में अलग नीति अपनाकर रुग्ण उद्योगों को चलाने की कोशिश की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय: इसके बारे में पहले बता दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह वस्तुस्थिति है जो स्पष्ट कर दी गई है। यह अपरिवर्तनशील नीति नही है पर जो भी हो जो हुआ है वह बता दिया गया है। हमें उम्मीद है इसे गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपने की जरुरत नही पड़ेगी। हम इसके लिये कोई रास्ता निकाल लेंगे। परन्तु हमारी सदैव यही नीति रहेगी, ऐसी बात भी नही है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : कुछ रुग्ण सरकारी इकाईयों में पुनरुद्धार योजना या तो बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकार कर ली गई है या होने वाली है। अब हम देखते है कि सरकार एक प्रवर्तक के रुप में अर्थात् श्रीमती कृष्णा साही के रूप में पुनरुद्धार की योजना प्रस्तुत करनी है। तब सरकार भारतीय रिंर्जव बैंक के रुप में सरकारी क्षेत्र के बैंको को निदेश देती है कि वे सरकारी गारंटी के अभाव में इस योजना को अस्वीकार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप "निदेष देती है" शब्दों का प्रयोग करना चाहेंगी ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, तीसरे रूप अर्थात डा. मनमोहन सिंह के रूप में वित मंत्रालय रुग्ण सरकारी इकाईयों को बैंक गारंटी देने से इन्कार करता है।

[हिन्दी]

महोदय, मेरा सवाल यह है, इसकी आसानी कैसे होगी ? क्या प्राइम मिनिस्टर जी इन सब अवतारों को इकट्ठा करके इसको आसान करेंगे और क्या सिक पब्लिक सैक्टर यूनिट्स को बैंक गारन्टी मिलेगी ?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : श्रीमन, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्रत्येक अवतार का एक उद्देश्य था, नही तो दस अवतारों की आवश्यकता नहीं होती। एक मानव का था, एक आधा मानव का था और एक मछली का था। इसलिए .... **(व्यवधान)** सुनिए, मैं कुछ गम्भीर बात भी कह रहा हूं। जब यह कहा जाता हैं, सरकार एक अवतार में कुछ करती है और भारतीय रिजर्व बैंक अवतार में कुछ और करती हैं, तो इन दोनो को इकट्ठा जोड़कर एक दूसरे को आइडेंटिकल मानना गलत है। हर एक अवतार का अपना कर्त्तव्य होता है। उनका जॉब चार्य होता है, उसके हिसाब से उसे काम करना पड़ता है। इसलिये सबको इकट्ठा करके एक ही अवतार होगा या अवतार ही नही होगा, खाली विष्णु भगवान होंगे, यह सही बात नहीं है।

[अनुवाद]

महोदय, ये सभी संस्थायें अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रही है और ये कर्त्तवय सरकार के कर्त्तवयों जैसे नहीं है। इसलिये उन्हें अपने दायरे में काम करना होता हैं। यही हो रहा है और यह होना भी चाहियें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं जानना चाहती हूं कि क्या रुग्ण सरकारी उपक्रमों को बैंक गारंटी दी जायेगी .....

अध्यक्ष महोदय : यह आपका अवतार भिन्न है। मैं इसकी इजाजत नही देता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 322 श्री महेश कनोडिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृप्या अब बैठ जाइयें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का तो जवाब नही मिला । ...... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : बहुत से सरकारी उपक्रमों में मजदूरों को उनकी मजदूरी नही मिल रही है। ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह अवतार आपका ठीक नही है, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप बैठेंगे या नहीं? हर बात की हद होती है। आप पहले बैठ जाइये।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 323, श्री एस. एन. वेकारिया

श्री बसुदेव आचार्य : इस पर अलग से बहस होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये आप नोटिस दीजिये। ऐसे मत चिल्लाइये। यदि आप वास्तव में मजदूरों का भला चाहते हैं, तो नियमों का पालन कीजिये। कृप्या बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में हर समय शून्य काल मत समझिये। अब आप बैठ जाइये।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चर्चा चाहते है तो उसके लिये नोटिस दीजिये। आप अल्पकालीन चर्चा के लिये नोटिस दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप इस पर ध्यानाकर्षण की अनुमति दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नोटिस देना चाहते है तो आपको इसकी अनुमति है। आप इस तरह नहीं पूछ सकते।

(व्यवधान)*

श्री तरित वरण तोपदार : आप अध्यक्ष-पीठ से ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ! इसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको समझना चाहिये कि दूसरे सदस्य भी चर्चा चाहते हैं।

जनसंख्या नियंत्रण

***323. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश रखने संबंधी अनुसंधान कार्यों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) क्या यह अनुसंधान कार्य विभिन्न संस्थाओं में किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(घ) क्या सरकार का विचार जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर अनुसंधान करने हेतु कोई दीर्घकालीन नीति बनाने का है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) सातवीं योजना में 48.44 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। आठवीं योजना में प्रदान किए गए 60.40 करोड़ रुपये में से 19.50 करोड़ रुपये 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान खर्च किए गए है।

(ख) जी, हां।

(ग) (i) एक नई साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली सेंटक्रोमन विकसित की गई है।

(ii) पुरुष नसबंदी की गैर-शल्य चिकित्सीय पद्धति क्लिनिकल परीक्षण के चरण-II में हैं।

(iii) एक नई स्पर्मिसाइडल क्रीम कॉनसैप क्लिनिकल परीक्षण के चरण-III में हैं।

(iv) आयुर्वेदिक औषध "पिप्पल्यादि योग" का चरण-II परीक्षण किया जाना हैं।

(घ) से (च) राष्ट्रीय मानव प्रजनन अनुसंधान समिति गर्भ निरोधन तथा परिवार कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वयन कर रही है तथा राष्ट्रीय हित के प्राथमिकता, वाले क्षेत्रों मे अनुसंधान का निर्देशन कर रही है।

[हिन्दी]

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी गंभीर समस्या है और इनको रोकने के लिए सरकार ने जो कार्यक्रम रखे है और इनके लिए जो राशि तय की है वह मेरे ख्याल से बहुत कम है। जिस तरह से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कौन-कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं और उनके जो परिणाम हैं, क्या सरकार उससे संतुष्ट है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि मेरी जानकारी में जितने-जितने कार्यक्रम हर जिले में हो रहे हैं वहां मैंने देखा हैं कई जगहों पर जो परिवार नियोजन के लिए जाते हैं, कार्यक्रम रखते है तो वही आदमी दूसरी बार दूसरे कैंप में जाते हैं और इसमें काफी भ्रष्टाचार होता हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम जितने सही ढ़ंग से होना चाहिए वह नही होता है। क्या सरकार के पास यह जानकारी है जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है और परिवार नियोजन के कार्यक्रम में इतनी बड़ी जालसाजी होती है, इस बारे में मैं सरकार से जानना चाहता हूं ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, माननीय सदस्य ने जनसंख्या की समस्या से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य कलापों के बारे में यह प्रश्न पूछा है वह जानना चाहते हैं कि सरकार क्या अनुसंधान कर रही है।

महोदय, देश में कई केन्द्र हैं। सरकार ने उन्हे अपनी-अपनी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान करने के लिये कुछ विशिष्ट विषय दिये हैं। हमारे यहां भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद हैं, केन्द्रीय औषधी अनुसंधान संस्थान हैं और जनसंख्या अनुसंधान हैं। ऐलोपैथी और आयुर्वेद में परिवार नियोजन के कुछ नये तरीके हैं। हमारे तरीको पर अनुसंधान चल रहा हैं। परीक्षण विभिन्न चरणों में हैं। यदि सदस्य और जानकारी चाहें, तो मैं उन्हें अनुसंधान सम्बन्धी जो कार्यवाही हमने की हैं, उसका ब्यौरा दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद पद्धति से योगा का प्रयोग जो सरकार करने जा रही है उसका क्या परिणाम हुआ? इस प्रयोग के बाद क्या सरकार दस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, पीप्पल्यादि योग पर केन्दीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद अनुसंधान कर रहा है। अनुसंधान का पहला चरण पूरा हो गया हैं। अनुसंधान अभी पूरा नही हुआ हैं। अनुसंधान पूरा होने पर ही हम परिवार नियोजन में इस तरीके के इस्तेमाल के बारे में निर्णय ले सकेंगे।

श्री डी. वेंकटेश्वर राव : अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या नियंत्रण हेतु समय-समय पर अपनाये जाने वाले तरीकों के सम्बन्ध में यह आशंका है

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि जनसंख्या पर रोक लगाने के लिये जो प्रोत्साहन या लाभ दिये जा रहे है वे समाज के कुछ ही लोगो को दिये जा रहे हैं। ये लाभ ग्रामीण जनता को नही मिल रहे हैं और कुछ नौकरीपेशा सफेदपोश ही ये लाभ उठा रहे हैं।

क्या सरकार ये लाभ ग्रामीण लोगों तक भी पहुंचाने पर विचार करेगी? क्या सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रमों को न अपनाने वाले लोगों को दण्डित करने के सम्बन्ध में भी विचार करेगी?

श्री पवन सिंह घाटोवार : ये प्रोत्साहन और लाभ आदि शहरो और गावों के आधार पर नही दिये जाते। जो सरकारी तथा अन्य कर्मचारी नसबंदी कराते हैं उन्हें कुछ सुविधायें या लाभ दिये जाते हैं। बाकी सुविधायें सभी के लिये हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वैच्छिक हैं। जनसंख्या नियंत्रण के महत्व के बारे में जनता में जागरुकता पैदा करने के लिये हम सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम पर अधिक बल दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश रखने के संबंध में सातवीं और आठवीं योजना में भारत सरकार ने अब तक 67.94 लाख रुपया खर्च किया है अर्थात 68 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने के बाद भी वही ढाक के तीन पात रहे। वही आयुर्वेद अनुसंधानशालाओं ने केवल मात्र 2 लाख रुपया खर्च करके पीप्पल्यादि योग का सफलीभूत प्रयोग किया हैं। जिसके परिणाम 85 प्रतिशत रहे हैं। लेकिन उसको सरकार आज टाल रही है। पहली स्टेज में परिणाम आ गये फिर उसको लागू क्यों नही किया जा रहा हैं? केन्द्र सरकार उसको नाममात्र की धनराशि क्यो दे रही हैं?

आपने यह भी घोषणा की थी कि अलग से विभाग का निर्माण करेंगे और अलग से मंत्री भी बनेगा, यह कब तक हो जायेगा? आयुर्वेद की उपेक्षा कब तक चलेगी?

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी.नरसिंह राव) : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक चिकित्सा अनुसंधान का सम्बन्ध है, मानव स्वास्थ्य अथवा जीवन से सम्बन्धित किसी भी कार्यक्रम के लिये समय-सीमा निर्धारित नही की जा सकती। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विलम्ब न हो। फिर भी, कुछ कठिनाईयां आ जाती हैं। कुछ जोखिम तो रहता ही है, भले ही वह एक प्रतिशत हो। बाद में हमारी संसद और लोग सरकार से पूछेंगे कि 'आपने यह जोखिम क्यों उठाया' तो इस जोखिम वाले पहलू पर विचार करना होता हैं।

पचासी प्रतिशत सफलता शत-प्रतिशत सफलता नहीं है। यदि यह तीसरे चरण में हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इसने दो चरण पूरे कर लिये हैं। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें अनावश्यक अथवा परिहार्य विलम्ब नही होगा। विभाग बन गया है। इसके मंत्री हैं परन्तु विभाग फिलहाल स्वायत्तशासी विभाग के रूप में कार्य कर रहा हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : आपके कार्यकाल में बन जायेगा।

श्री पी.वी.नरसिंह राव : मेरा कार्यकाल कितना होता है, क्या पता अगले छः साल में।

[अनुवाद]

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : महोदय, इस देश में जनसंख्या की समस्या सबसे अधिक गम्भीर है परन्तु सरकार के कार्यो से ऐसा लगता है कि वह इस समस्या को गम्भीरता से नहीं ले रही है।

क्या सरकार विदेशों से गर्भ निरोधक उपकरणों और दवाओं, वह भी दोषपूर्ण उपकरणों और दवाओं का आयात करके हमारे अनुसंधानकर्ताओं का अपमान नही कर रही हैं। क्या यह सच नही है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये बड़े पैमाने पर आयात किये गये गर्भ निरोधक उपकरणों और दवाओं को भारतीय सांविधिक परीक्षण प्राधिकरण द्वारा दोषपूर्ण पाया गया है और मंत्रालय ने देश की सर्वोच्च प्रयोगशाला की अवहेलना करके एक अमरीकी प्रयोगशाला पर विश्वास करने का निर्णय लिया है तो इस प्रकार क्या आप हमारे वैज्ञानिकों अथवा अनुसंधानकर्ताओं का निरादर नही कर रहे हैं?

श्री पवन सिंह घाटोवार : हम अपनी ओर से अपने वैज्ञानिकों को, चाहे वे ऐलोपैथिक पद्धति में काम कर रहे हैं या होम्योपैथिक अथवा आयुर्वेदिक पद्धति में, पूरा प्रोत्साहन और समर्थन दे रहे हैं। हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संगठनों से हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये कुछ वस्तुएं मिलती हैं। हम इन वस्तुओं की अपनी प्रयोगशाला में जांच करते हैं और उसके बाद उनको अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रयोग में लाते हैं। यह सच नही है कि हम अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम में किसी घटिया वस्तु को प्रयोग में लाते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : परिवार कल्याण का मुद्दा विस्फोटक स्तर पर आ चुका हैं। लेकिन इसकी ओर हमारी जागरुकता का ध्यान केवल महिलाओं की जिम्मेदारी निभाने तक ही सीमित रह गया हैं। हमारे पास सरकारी आंकड़े है, जिनमें दिखाया गया है कि पुरुष नसबंदी 0.15 प्रतिशत है और महिलाओं की नसबंदी 4.32 प्रतिशत है। हमारे यहां जितने भी देशी या विदेशी उपकरण आते हैं उनका उपयोग महिलाओं को ही करना पड़ता हैं। नारप्लांट में खराबी हो या ओरल कंट्रासेप्टिव खाकर मारक बीमारियों से मर जाती हों या जीवित रहते हुए उनमें पर्मनेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। बच्चे पैदा करने से लेकर बच्चे पोसने तक की जिम्मेदारी उन पर होती हैं।

अभी जनसंख्या वर्ष के समय जो जनसंख्या दिवस मनाया गया, उसमें जो जो जागृत करने के कार्यक्रम हुये है, उसके अर्न्तगत कवि सम्मेलन हुये और जो नाटक हुये .....

अध्यक्ष महोदय : कविता के माध्यम से पापुलेशन कंट्रोल होना मुश्किल हो जायेगा।

श्रीमती गिरिजा देवी : इनमे हमेशा यह दिखाया गया है कि सारी जिम्मेदारी केवल महिलाओं की है और वही ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती है जिससे समाज में संख्या बढ़ रही हैं। यहां जो आंकड़े दिये गये है और जवाब आया है, एक वर्ष पहले भी मैंने इसके पूर्व मंत्री से यह पूछा था कि क्या पुरुषो के लिये किसी कंट्रासैप्टिव या ऐसी दवा या गर्भ निरोधक पर विचार किया जा रहा है या नही तो आश्वासन मिला था कि 6 माह के बाद यह हो जायेगा लेकिन आज के जवाब में केवल महिलाओं के लिये ही दवा खाने का उल्लेख कर रहे हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि नसबंदी या गर्भपात गिराने के महिलाओ के ही पिछले चार साल के आंकड़े हैं लेकिन आप लोग पुरुषो की जिम्मेदारी बांटकर उसके लिये कोई कार्यक्रम लागू करने पर विचार कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, मैं उनके माध्यम से यह पूछकर आपकी मदद करना चाहता हूं कि कृपा आप जनसंख्या नियंत्रण के लिये अनुसंधान केवल पुरुषों पर ही करेंगे, महिलाओं पर नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यहां यह देखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण किस वर्ग में करना है, कहां यह सम्भव है मंत्री जी को इसी बात का उत्तर देना है ...... (व्यवधान)

श्री पी.वी. नरसिंह राव : माननीय महिला सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है। शुरु में लगभग 25 या 30 वर्ष पहले हमनें पुरुषों की नसबन्दी की थी। विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ अब नलबन्दी भी सम्भव हो गई और अब लगता है की महिलाओं की नलबन्दी अधिक हो रही है और पुरुषों की नसबन्दी कम हो रही है। सही स्थिति मुझे मालूम नही हैं। यह एक सामाजिक प्रश्न हैं। यह चिकित्सकों का प्रश्न नही हैं। वास्तव में नलबन्दी नसबन्दी की अपेक्षा बहुत कठिन हैं। नसबन्दी बहुत आसान हैं। अब तो जैसा मेरे सहयोगियों ने मुझे बताया, आपरेशन भी जरुरी नहीं हैं। बस एक नस में इंजेक्शन लगाकर ही यह हर सम्भव हो जाता है। परन्तु महोदय, स्वास्थ्य मंत्री के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नही हैं। ये तो हम सभी को मिलकर सोचना होगा क्योंकि महिलाओं को तो नलबन्दी में अधिक तकलीफ होती हैं। अत:, उन्हें इस तकलीफ से कैसे बचाया जाये, यह एक सामाजिक प्रश्न हैं। इस पर समूचे सदन को विचार करना होगा। इसमें लोगो को शिक्षित करना होगा। पिछड़ेपन के कारण सारी बात महिलाओं पर छोड़ दी जाती है, जो कि ठीक नही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : अध्यक्ष महोदय, फैमली वलफेयर और ओवर पापुलेशन की प्राब्लम बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ गयी हैं। मैं महाराष्ट्र में सन् 1972 में हैल्थ मिनिस्टर थी तब इस विषय पर काम किया था। उस समय आयुर्वेदिक रिसर्च चल रही थी, 22 साल के बाद उसकी क्या प्रोग्रेस हुई, उसके बारे में मालूम नही। मैं इन सब बातों से ऊपर यह कहना चाहती हूं कि इसके लिये एक पालिटिकली विल का होना जरुरी हैं। हर पार्टी मानती है कि ओवर पापुलेशन हमारी एक बहुत बड़ी प्राब्लम हैं। क्यो न इसके लिये एक नेशनल पालिसी बनायी जाये और सारी पार्टियां बीजेपी, सीपीएम, जनता दल और कांग्रेस इसमें मिल बैठ कर विचार करें। प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग बुलाकर उन सब पार्टियों के साथ एक नेशनल पालिसी तय करें। इसमें एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिये चाहे इसका कुछ भी असर हो तथा इलेक्शन्स के समय मतदाताओं के परिणामों के बारे में भी विचार न हो। क्या सरकार इस तरह की कोई पालिसी बनाये जाने पर विचार करेगी?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि यह हो गया हैं। लगभग ढाई साल पहले राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उप-समिति का गठन किया गया, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। एक वर्ष बाद उन्होंने एक शानदार रिपोर्ट तैयार की हैं। यदि हम रिपोर्ट के अनुसार कार्य करें जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समस्या काफी हद तक सुलझ जायेगी। रिपोर्ट सरकार के पास हैं। हम इस रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे है कि इस रिपोर्ट के अनुसरण में क्या कदम उठाये जा सकते हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : जब रिपोर्ट पिछले एक साल से हमारे पास है तो उस पर कार्यवाही करने से हमें कौन रोक रहा हैं?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैंने यही कहा हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : यह एक शानदार रिपोर्ट है और एक साल से आपके पास है। हम इसे कार्यान्वित क्यो नहीं कर रहे। महिला सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, उन पर आप अमल क्यों नहीं करते। आप सभी नेताओं की एक बैठक तुरन्त बुलाइयें।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : बैठक बुलाने में मुझे कोई आपत्ति नही हैं। मैं सभा को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह काम एक मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक समिति कर रही हैं। इस समिति में चार-पांच और मुख्यमंत्री भी हैं। वह रिपोर्ट अब सरकार के पास हैं। हम उस पर विचार कर रहें हैं। यदि आप चाहें तो मैं रिपोर्ट के निष्कर्ष सभा-पटल पर रख सकता हूं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, यह बहुत अच्छी बात हैं।

श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम परिवार नियोजन को सरकार की एक नीति के रुप में अपनाया था, तथापि लगभग 5000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी हम जनसंख्या नियंत्रण के अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि परिवार नियोजन अपनाने और जनसंख्या-वृद्धि का लोगों के रहन-सहन पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानने तथा चीन, इन्डोनेशिया और अन्य देशों की सफलता के संदर्भ में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता के बारे में बच्चों में, जो कि इस देश के भावी नागरिक हैं, जागरुकता पैदा करने तथा इस कार्यक्रम को स्कूलों की पाठ्यचर्चा में एक विषय के रुप में शामिल करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप बच्चो के स्तर पर जानना चाहते हैं?

श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे : इसमें कोई खराबी नही हैं। आपके बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। 10-15 वर्ष पहले वे ऐसे नही थे। हमें लोगो में जागरुकता पैदा करनी हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : यह सच है कि साक्षरता का विशेषकर महिलाओं में, बहुत महत्व है और जिस राज्य में महिलाओं में साक्षरता अधिक हैं, वहां परिवार नियोजन सफल भी हैं। इसलिये, हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि यह केवल स्वास्थ्य की ही समस्या नहीं हैं, बल्कि यह एक सामाजिक समस्या भी हैं जिसमें महिलाओं में साक्षरता, सामान्य जागरुकता इत्यादि बातें भी शामिल हैं। समिति की रिपार्ट में कुछ सुझाव हैं। उसमें सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होने राष्ट्रीय विकास परिषद की उपसमिति में सुझाव दिये हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, इसी विषय पर मेरा प्रश्न संख्या 330 हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे प्रश्न पर आइये।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : उसमें सरकार कहती है कि —

[अनुवाद]

'नो स्केलनाल कनाल' नसबन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिये एक नई योजना तैयार की गई हैं।

[हिन्दी]

अब प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसी योजना हम बनाने का विचार कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि ऐसी योजना बनाई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी योजना बनाई है और क्या सरकार उसकी जानकारी सदन को देगी?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया हैं कि वह देंगे।

[अनुवाद]

डा. आर. मल्लू : अध्यक्ष महोदय, नवीनतम आंकड़ो के अनुसार, परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम आये वाले लोंगो की अपेक्षा अधिक आय वाले लोंगो में अधिक होती हैं। नसबन्दी और नलबन्दी के लिए कुछ लाभ या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं जो लगभग 10 या 15 वर्ष पहले निर्धारित किये गये थे। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय का इस कल्याण योजना को राज्यों में भी क्रियान्वित कराने का विचार है जिससे कि वहां के कम आय वाले लोग भी परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यो का लाभ उठा सकें? क्या नसबन्दी और नलबन्दी के लिये दिये जाने वाले प्रोत्साहनों में वृद्धि करने का भी कोई प्रस्ताव हैं?

अध्यक्ष महोदय : संक्षेप में, क्या आप कुछ और प्रोत्साहन देना चाहते हैं?

श्री पवन सिंह घाटोवार :इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही हैं।

डा. वसंत पवार : अध्यक्ष महोदय, छोटे परिवार के सिद्धांत को लागू करने के लिये संविधान में संशोधन करने का एक प्रस्ताव था।

अध्यक्ष महोदय : कहां था?

डा. वसंत पवार : यह स्थायी समिति के पास था और उस समिति ने इसके बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी हैं। उसमें एक प्रस्ताव हैं कि यदि किसी व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे होंगे, तो उसे ग्राम पंचायत, विधान सभा अथवा संसद के चुनाव लड़ने की अनुमति नही होगी।

श्री इन्द्र जीत : क्या यह पिछली तारीख से लागू होगा।

डॉ. वसंत पवार: नहीं, यह पिछली तारीख से नही, आगे की किसी तारीख से लागू होना था।

मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ, क्या सरकार उसे लागू करेगी और क्या दूसरे सदन ने भी इसी सिद्धांत की सिफारिश की हैं?

श्री पवन सिंह घाटोवार : दूसरे सदन में इस आशय का विधेयक पुरः स्थापित किया गया था और जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा, एक स्थायी समिति ने उस विधेयक पर विचार किया हैं। स्थायी समिति की रिपोर्ट आ गई हैं। सरकार उस पर विचार करेगी?

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि अब तक जनसंख्या नियंत्रण के लिये बाहरी उपाय तो बहुत किए गए लेकिन उनमें जितनी सफलता हासिल होनी चाहिए वह नहीं हो पायी। हमारे यहां पर प्राचीन ग्रन्थों के अंदर ब्रहमचर्य पर जोर दिया गया है। क्योंकि "जैसी होगी दृष्टि वैसी करेंगे सृष्टि, जैसा होगा विचार वैसा बनेगा आचार"। कहा गया है कि "संयमः खलु जीवनम्", अर्थात् संयम ही जीवन हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वह स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जनता में चेतना जागृत करने का प्रयास करेगी?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : लोंगो को अविवाहित रहने के लिये प्रोत्साहित करने का अभी कोई प्रस्ताव नही हैं, परन्तु माननीय सदस्य की यह एक नेक सलाह है जो हम सभी के लिये अनुकरणीय है।

श्री इन्द्र जीत : कई देशों में कर और वित्तीय प्रोत्साहन परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने की दिशा में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। विदेशों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार उन लोगो को अधिक कर-प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी जिनके केवल दो बच्चे हैं और उन्हें और भी ज्यादा जिनका केवल एक बच्चा है और उससे भी ज्यादा उनको जो ब्रहमचारी रहना पसन्द करते हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : ब्रहमचारी तो अलग हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : यह सच है कि जो कर दे रहे हैं वे परिवार नियोजन के अधिक पक्ष में हैं। जो लोग ग्रामीण भारत में रह रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी निरक्षर और गरीब है जो ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करती हैं। परिवार नियोजन के कार्यक्रम टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित किये जाते है लेकिन उनके पास टेलीविजन भी नहीं हैं और दीवारों पर लिखी इबारत को वे पढ़ नही सकते और जो गांवो के गरीब लोग हैं, जिनके पास जमीन जायदाद बांटने को नहीं है तो उनकी मानसिकता यह है कि ज्यादा बच्चे भी हो जायेंगे तो हमारे परिवार पर क्या फर्क पड़ने वाला है। उनका विचार है कि भगवान ने जब चौंच दी है तो दाना भी देगा, दो हाथ लेकर आये है तो काम भी मिलेगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो गरीब वर्ग है, बिना पढ़े-लिखे लोग है उनकी मानसिकता बदलने के लिए और उनमें परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार क्या कार्य करेगी?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : सरकार पंचायत स्तर से ऊंचे स्तर तक देश में जनमत बदलने में सक्षम नेताओं का समर्थन प्राप्त करने की सोच रही हैं और मैं सभी राजनीतिक नेताओं से अपील करुंगा कि वे जब सार्वजनिक रुप से अन्य कार्यक्रमों के बारे में बातचीत करें तो वे परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये भी कुछ-न-कुछ कहें।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : क्या हमें इस समय दो बच्चों के सिद्धान्त को लागू करने के बारे में नही सोचना चाहिये? जब माननीय प्रधान मंत्री स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि यह सम्भव नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिये हमें एक ही बच्चे के सिद्धान्त को अपनाना चाहिये जो हमारे पुराणों के अनुसार जो सभी धर्मों के लिये उपयुक्त हैं, ठीक भी हैं। इसलिये क्या सरकार एक ही बच्चे के सिद्धान्त के बारे में विचार करेगी जो कि वर्तमान परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण हैं। समूचे देश के लिये बस यही एक नारा होना चाहिये।

श्री पवन सिंह घाटोवार : यह एक बहुत अच्छा सुझाव है परन्तु इसे स्वीकार करने से पहले हमें लोगो को समझाना होगा क्योंकि हमारे समाज में लड़के को प्राथमिकता दी जाती हैं। पहले यह धारणा बदलनी होगी। परन्तु यह एक अच्छा सुझाव हैं।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, जनसंख्या नियंत्रण के तरीके गांवो की अपेक्षा शहरों में अधिक लोकप्रिय हैं। इस पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में 48 करोड़ रुपये खर्च किये गये और आठवीं योजना में 50 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है। जनसंख्या नियंत्रण के इन सभी तरीकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार क्या कदम उठायेगी? जनसंख्या के आधार पर, 53 पैसे प्रति व्यक्ति व्यय होंगे ...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी सदस्य के पास एक लिखित उत्तर भेज

सकते हैं।

डा. मुमताज अंसारी : सरकार उन्नत देशों की तुलना में इस काम में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठा रही है? क्या सरकार जनसंख्या-नियंत्रण के इन सभी तरीकों को ग्रामीण क्षेत्रों में लोक प्रिय बनाने के लिये कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता है और उनसे सम्पर्क करने के साधन भी कम हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह स्पष्ट प्रश्न है?

डॉ. मुमताज अंसारी : यह मेरा प्रश्न है महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी इन बातों पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, हमनें यहां जो आंकड़े दिये हैं, वे अनुसंधान कार्य से सम्बन्धित हैं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, यदि हम व्यय और आबंटन को देखें तो हम सारे देश में जनसंख्या नियंत्रण पर प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये से कम खर्च कर रहे हैं जबकि आठवीं योजना में 60.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 1992-93 और 1993-94 में हमने अब तक केवल 19.50 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। क्या सरकार और अधिक धन की व्यवस्था करने पर विचार करेगी क्योंकि एक और तो आपका विकास है और दूसरी ओर आपका जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम है। इसलिये, बजट में और अधिक धन का प्रावधान किया जाना चाहिये। क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हम इस पर विचार करेंगे। परन्तु इस प्रश्न-उत्तर में एक बात रह गई है। हमारे विशेषज्ञों के अनुसार, परिवार नियोजन कार्यक्रम, जो देश में 30-35 वर्ष पहले शुरु किया गया था, देश में ग्यारह करोड़ से अधिक बच्चों के जन्म को रोकने में सफल हुआ है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि कुछ नही हुआ है और सभी असफल रहा है। मेरे विचार में यह बात सभा की कार्यवाही में अवश्य शामिल होनी चाहिये ताकि रिकार्ड सही रहे।

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : अध्यक्ष महोदय, परिवार कल्याण योजना 1959 से चल रही है। परन्तु मेरे विचार में यह योजना असफल रही है क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या तो बढ़ रही है। गावों में आदिवासी लोग इस योजना से डरते हैं क्योंकि वे जड़ी-बूटी का इस्तेमाल करते हैं।

[हिन्दी]

जड़ी-बूटी या जड़मूल जिसे कहते है, हमारे रुरल एरिया में लोग उसे काम मे लाते हैं। उसके प्रयोग से आदमी अच्छा भी रहता है, ताकतवर हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कभी उसे एक्सैप्ट नही करती, उसकी तरफ ध्यान नही देती। जो जड़ीबूटी हमारे रुरल एरिया में चलती हैं, उस पर सरकार को रिसर्च करनी चाहिये, उसे डैवलप करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, वह बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : यदि सरकार उस क्षेत्र में अनुसंधान करे तो उन्हे ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी लोग मिलेंगे। तो क्या सरकार जड़ीबूटी में भी अनुसंधान करेगी?

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा प्रश्न हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा, हम बहुत से बच्चों के जन्म को रोकनें में सफल हुए हैं और हमारी जनसंख्या में जन्म-दर कम हुई है। ऐसी बात नहीं है कि यह योजना सफल नही हुई है। भारतीय पद्धति, जिसमें आदिवासी जड़ीबूटियां भी शामिल हैं, के अनुसंधान के लिये हमने कुछ जड़ीबूटियां एकत्र की हैं और हम अपनी अनुसंधान योजना में इसे बढ़ावा दे रहे हैं।

विज्ञान और प्रोद्योगिकी से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करना

***324. श्री बालिन कुली** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रोद्योगिकी से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह योजना कब से लागू है;

(ग) इस योजना के अस्तित्व में आने के बाद से योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(घ) इस योजना के अंतर्गत कितना कार्य हुआ और 1993-94 और 1994-95 के दौरान नार्थ-इस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड टैक्निकल कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, गुवाहाटी, असम को कितनी धनराशि दी गयी; और

(ङ) एन इ आई टी सी ओ द्वारा आयोजित कार्यक्रमों सहित अब तक इस अनुदान राशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु उर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विज्ञान और प्रोद्यौगिकी के प्रयोग के माध्यम से विभिन्न व्यवसायो में पोषण रोजगार सृजन की क्षमता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रोद्यौगिकी विभाग ने "विज्ञान और प्रोद्यौगिकी के माध्यम से व्यापक रोजगार सृजन (मेगसेट)" नामक शीर्षक से एक पायलेट योजना प्रारम्भ की।

(ख) यह स्कीम वित्त वर्ष 1990-91 में प्रारम्भ की।

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत दी गयी वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(घ) 1993-94 में, द नार्थ-इस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड टैक्निकल कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड एन इ आई टी सी ओ गुवाहाटी ने विभिन्न ट्रेडों में 730 लोगों को प्रशिक्षित किया जिनमें से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक 604 व्यक्तियों को रोजगार (स्वयं रोजगार अथवा दैनिक रोजगार) उपलब्ध कराया गया। 1994-95 में, उनके द्वारा 800 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से अब तक 430 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकने की रिपोर्ट मिली है। निटको को वर्ष 1993-94 और 1994-95 में क्रमानुसार 19.05 लाख रुपये तथा 23.52 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

(ङ) निटको द्वारा प्रस्तुत व्यय के ब्योरे यह दर्शाते है कि उनको विभिन्न व्यवसायों जैसे बुनकर, पशु पालन, दस्तकारी तथा बहु उद्देश्यीय मैकेनिक्स में प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु दी गयी राशि का उन्होंने पूरा उपयोग कर लिया है।

अनुबंध

वर्षवार/राज्य वार किया गया कोष संवितरण

मेगसेट (लाख रुपये में)

सं	राज्य/ संघ शासित प्रदेश	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश			5.69	11.33	8.32
2.	असम *	9.50	3.62	8.00	19.05	19.07
3.	बिहार	26.86	10.73	10.11	20.18	12.94
4.	चंडीगढ़	2.26	2.00	3.20	6.55	
5.	दिल्ली	7.36	5.86	1.35	4.01	4.40
6.	गोआ				5.60	2.00
7.	गुजरात			2.25	54.95	6.95
8.	हरियाणा	2.82	0.74	1.70	2.13	6.67
9.	हिमाचल प्रदेश	6.52	2.46	2.55	5.55	6.45
10.	जम्मू एंड कश्मीर	2.15	0.80	1.30	3.43	3.00
11.	कर्नाटक	16.31		1.20	6.10	5.05
12.	केरल	0.92		3.00	4.76	4.97
13.	मध्य प्रदेश	2.71	2.00	3.84	26.00	26.35
14.	महाराष्ट्र	98.43	9.10	107.54	54.95	27.75
15.	मणिपुर #			2.00	4.20	4.64
16.	उड़ीसा	6.76	0.75	1.64	2.74	
17.	पंजाब	1.00	1.25	0.80	7.20	14.80
18.	राजस्थान	27.59	36.68	0.49	33.01	7.70
19.	तमिलनाडु	18.39	49.60	1.25	22.18	43.83
20.	त्रिपुरा	0.68	0.17	6.00	4.20	2.75
21.	उत्तर प्रदेश	18.30	1.30	3.06	2.50	27.28
22.	पश्चिम बंगाल@	10.02	6.06	18.49	14.10	26.87
		258.58	133.12	185.46	314.76	216.80

* स्वीकृत की गई कुल राशि जिसमें आसाम के अतिरिक्त मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश में कार्यक्रमों हेतु दी गई राशि भी शामिल है।

\# स्वीकृत की गई कुल राशि जिसमें मणिपुर के अतिरिक्त नागालैंड, मिजोरम तथा त्रिपुरा के कार्यक्रमों हेतु दी गई राशि भी शामिल है।

@ स्वीकृति की गई कुल राशि जिसमें पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त सिक्किम तथा अंडमान निकोबार द्वीपो के कार्यक्रमों हेतु दी गई राशि भी शामिल है।

श्री बालिन कुली : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस योजना को चला रही है परन्तु असम में नौकरी की तालाश करने वाले लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। नौजवानों को इसका लाभ मिले, इस उद्देश्य से मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि :

(क) असम में विज्ञान और प्रोद्यौगिकी से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने सम्बन्धी योजना के अंतर्गत क्या-क्या और कहां-कहां व्यवसाय कार्यक्रम चलाये जा रहे है;

(ख) इस योजना के लाभार्थियों में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की प्रतिशतता क्या हैं और;

(ग) क्या सरकार को प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण देने की पद्धति आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है, यदि हां, तो प्रशिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : हमें प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है। परन्तु हम प्रशिक्षण कार्यक्रम की गैर-सरकारी और अन्य संगठनो के माध्यम से लगातार समीक्षा करते रहते हैं। हम प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षार्थियों की पूरी सहायता करते हैं और यह भी देखते है कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार मिलता भी है या नही और आम तौर पर हमें उत्साहवर्धक रिपोर्ट ही मिलती है।

श्री बालिन कुली : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस कार्यक्रम के लिये 'नार्थ-इस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड टैक्निकल कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन, गुवाहाटी को दी गई धनराशि का अधिकांशतः दुरुपयोग हुआ है;

(ख) क्या इसकी कोई जांच की गई, और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : महोदय, मैंने बता दिया है कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इसलिये जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं प्रश्न और उत्तर दोनो को सुनकर कुछ भ्रम में पड़ गया हूं। वास्तव में विश्व में तो स्थिति यह है कि

विज्ञान और प्रोद्यौगिकी के विकास के कारण प्रोद्यौगिकी क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है। अमरीका और पश्चिमी यूरोप में तथा विश्व में सभी जगह रोजगार के अवसर कम हुए है। लेकिन यहां हम यह सुझाव दे रहे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहते हैं। मैं नही जानता कि क्या यह हमारे लोंगो के साथ एक क्रूर मजाक किया जा रहा हैं क्योंकि लगता है कि हम 2.5 करोड़ या 3 करोड़ रुपये खर्च करके रोजगार के 430 अवसर ही पैदा कर रहे हएँ। यह कार्यक्रम आखिर है क्या? मैं इसे नही समझ पा रहा हूं। क्या माननीय मंत्री इसे स्पष्ट करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : आप विज्ञान के माध्यम से रोजगार के अवसर कैसे बढ़ायेंगे?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : महोदय, जैसा मैने बताया, पूरे देश में इसे कार्यांवित करने के लिये 93 एजेंसियां हैं और हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ायेंगे तथा स्थानीय लोंगो का छोटे व्यवसायों के लिये बिजली के बारे में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य कृषि-उद्योग आधारित उद्योगों के बारे में मार्गदर्शन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषरूप से उत्तरांचल क्षेत्र के पर्वतीय भाग में रहता हूं। वहां पर बड़ी मात्रा में प्रशिक्षित लोग हैं, लेकिन उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध नही हैं। मै माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां पर कितने प्रशिक्षित लोग हैं और कितने लोंगो को रोजगार दे दिया गया है और क्या पर्वतीय क्षेत्र के लिये अलग कोई योजना प्रशिक्षित लोंगो को रोजगार देने के लिए बनाई जा रही है ताकि उनको वही रोजगार देने के लिए इस प्रकार की इकाईयां लगाई जा सकें?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह पर्वतीय क्षेत्र की जो योजना है यह जनरल है, लेकिन माननीय सदस्य ने जनरल से पर्टीकुलर सवाल पूछा है। मैं बताना चाहता हूं कि टोटल 60 हजार है और जो जाब मिले हैं वे 74 प्रतिशत मिल चुके हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

औद्योगिक सुधार

***322. श्री महेश कनोडिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) सरकार द्वारा जून, 1991 से औद्योगिक क्षेत्र में क्या-क्या प्रमुख आर्थिक/वित्तीय सुधार किए गए हैं;

(ख) इन सुधारों से औद्योगिक उत्पादन में और विकास दर में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में हाल में हुए विकास की दर से संतुष्ट है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार का किस प्रकार अधिकतम विकास दर प्राप्त करने के लिए विकास दर में और वृद्धि करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) द्वारा जून, 1991 से प्रोद्यौगिकी क्षत्र में शुरू किये गये प्रमुख आर्थिक/वित्तीय सुधारक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्लिखित शामिल हैं:-

16 मदों की एक छोटी सूची को छोड़कर सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना।

सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों मे कटौती करना।

औद्योगिक स्थापना स्थल संबंधी प्रतिबंध बड़े शहरों तक सीमित रखना।

विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी के सुधार आगमन से संबंधित प्रावाधानों को प्रर्याप्त रूप से उदार बनाना।

चरणबद्ध उत्पादन कार्यक्रमों को समाप्त करना, नकारात्मक सूची में शामिल मदों की एक छोटी सूची को छोड़कर कच्चे माल, कम्पोनेन्टों, मध्यवर्ती सामानों, पूंजीगत सामान आदि का बिना किसी प्रतिबंध के आयात करने की अनुमति देने के लिए आयात-निर्यात नीति में उपाय किए गए।

चालू खाते में रूपये को परिवर्तनीय बनाना। वित्तीय क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण की पद्धति को त्याग कर बाजार के अनुशासन की पद्धति अपनाना, खासतौर पर कानूनी भुगतान अनुपात, नकद रिर्जव अनुपात को कम करना और बैंकों की मूल ऋण दर पर नियंत्रणों में ढील देना।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई. आई.पी.) के अनुसार औद्योगिक उत्पादन की समग्र विकार दर 1991-92 में 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 1992-93 में 2.3 प्रतिशत हो गई और 1993-94 में यह और बढ़ कर 4.1 प्रतिशत हो गयी। अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 8.3 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त हुई है।

(ग) जी, हां अगस्त, 1991 से मार्च, 1995 की अवधि के दौरान कुल 18,778 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किये गये और 2002 आशय पत्र जारी किए गये जिनमें कुल 4,28966 करोड़ रूपये के निवेश और 39 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के प्रत्यक्ष अवसर उत्पन्न होने की आशा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये गए उपायों में अन्य बातो के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

उद्योगों, के स्थापना स्थल संबंधी छितराव के जरिए संतुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने हेतु आधारभूत सुविधाएं देने के लिए विकास केन्द्र योजना चलाना। पहाड़ी, दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए परिवहन राज सहायता योजना चलाना।

प्रौद्योगिकी समझौतों का स्वतः अनुमोदन

सरकार द्वारा यूनिडो के साथ मिलकर इण्डिया इन्टेकमार्ट का आयोजन करके सम्भावित विदेशी निवेश को और भारतीय निवेशकों के साथ संयुक्त सहयोगों को बढ़वा देना।

औद्योगिक संवर्धन के लिए राज्य सरकारों का उद्योग संघों के साथ निरन्तर सम्पर्क रखना।

औद्योगिक निवेश के वित्तीयन के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ निरन्तर सम्पर्क रखना।

क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्र

***325. श्री अर्जुन सिंह यादव :**

श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोगों में फैल रही एड्स तथा अन्य बीमारियों का पता लगाने के लिए प्रत्येक राज्य में इस समय कितने-कितने क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के कार्यकरण संबंधी प्रगति की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत आंकड़े क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा): (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्रों का विवरण संलग्न हैं।

(ख) और (ग). क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्रों के कार्य की राज्य एड्स सैल तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा भी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। इन केन्द्रों को अपेक्षित स्टाफ,उपस्कर तथा अन्य सामग्री प्रदान की गई है। फरवरी, 1995 तक कुल 4774263 रक्त यूनिटों की जांच की गई थी तथा 9521 को एलिसा पोजिटव पाया गया था।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्रिय रक्त जांच केन्द्र
1.	आंध्र प्रदेश	12
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	3
4.	बिहार	9
5.	गोवा	2
6.	गुजरात	6
7.	हरियाणा	4
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू व कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	9
11.	केरल	5
12.	मध्य प्रदेश	9
13.	महाराष्ट्र	17
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	1
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	4
19.	पंजाब	3
20.	राजस्थान	5
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	13
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	13
25.	पश्चिम बंगाल	10
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
27.	चंडीगढ़	1
28.	दिल्ली	9
29.	पांडिचेरी	1
		150

पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पादन

***326. श्री बलराज पासी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के विभिन्न भागों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए विदेशों से पवन-चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पादन की तकनीकी जानकारी प्राप्त करके विद्युत उत्पादन करने संबंधी योजनाएं तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त तकनीकी जानकारी हासिल करने के लिए शुल्क के रूप में करोड़ो डालर का भुगतान किया है;

(ग) ऐसी स्थापित हो चुकी/की जा रही पवन-चक्कियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति तथा प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

आपरंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). अनुमानों से पता चलता है कि देशों में 20,000 मेवा. पवन उत्पादन क्षमता स्थापित करने की संभाव्यता है। अक्षय ऊर्जा के इस स्रोत का दोहन करने की दृष्टि से सरकार द्वारा प्रदर्शन परियोजनाएं शुरू की गई हैं और इस सैक्टर में निजी उद्यमियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए राजकोषीय और अन्य प्रोत्साहन दिए गए हैं जब कि सरकार द्वारा कुछ प्रदर्शन परियोनाएं विदेशी वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के साथ, किसी प्रकार की तकनीकी शुल्क दिए बिना, शुरू किए गये थे, इस समय पवन परियोजनाएं अधिकांशतया निजी सैक्टर द्वारा स्थापित की जा रही है। देश में पवन विद्युत उपकरण विनिर्माता एकक विख्यात विदेशी कम्पनियों के साथ तकनीकी सहायता/सहयोग अनुबंध किए हुए हैं जैसा कि सरकार की नीति/नियमों के अन्तर्गत अनुदेश है।

(ग) और (घ). देश में लगभग 350 मेवा. पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है जिसमें 44 मेवा. प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत और 306 मेवा. निजी सैक्टर द्वारा स्थापित है। इन परियोजनाओं से ग्रिडों को बिजली के लगभग 500 मिलयिन यूनिट दिए जा चुके हैं। चालू वर्ष के दौरान लगभग 300 मेवा. की अन्य क्षमता स्थापित करने की आशा है। स्थापित क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पवन बिजली क्षमता का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	प्रदर्शन परियोजना (मेवा.)	निजी क्षेत्र परियोजना (मेवा.)	योग (मेवा.)
1.	तमिलनाडु	19.355	255.355	274.710
2.	गुजरात	16.345	48.170	64.515
3.	आंध्र प्रदेश	3.050	2.925	5.975
4.	कर्नाटक	0.550	—	0.550
5.	महाराष्ट्र	2.600	--	2.600
6.	मध्य प्रदेश	0.520	--	0.590
7.	उड़ीसा	1.100	—	1.100
8.	अन्य	0.465	—	0.465
	योग	44.055	306.450	350.505

[अनुवाद]

ट्यूबल-रिंग्स

*327. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका की काबोट मेडिकल कार्पोरेशन से राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए 20 लाख जोड़े ट्यूबल-रिंग्स का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो आयातित ट्यूबल-रिंग्स की कुल लागत कितनी है;

(ग) क्या आयातित ट्यूबल-रिंग्स की केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला में जांच की गई थी तथा उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त नहीं पाया गया;

(घ) यदि हां, तो इन्हें स्वीकार किए जाने के क्या कारण है; और

(ङ) इन ट्यूबल-रिंग्स को वापस लौटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा): (क) अमेरिका की काबोट मेडिकल कार्पोरेशन से आयातित 10 लाख जोड़े ट्यूबल-रिंग्स सिटेक प्रयोगशाला में जांच हेतु रखे हुए हैं।

(ख) जांच किए जाने वाले इन ट्यूबल-रिंग्स की पोतपर्यन्त निःशुल्क कुल लागत 8,75,000 अमरीकी डालर है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). भारत सरकार ने इन ट्यूबल रिंग्स को अब तक स्वीकार नहीं किया है। भारत सरकार तथा प्रदायक के बीच तय की गई शर्तों के अनुसार आपसी सम्मत की गई प्रयोगशाला में इन ट्यूबल-रिंग्स की फिर से जांच होनी है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र

*328. **श्री फूलचंद वर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में नवीनतम प्रोद्योगिकी को उन्नत करने के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई गई है;

(ख) इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ग) इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अन्य एशियाई विकासशील देशों की तुलना में देश की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) सरकार को अनुसंधान तथा विकास की योजनाओं में वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाएं अपने ही संगठन में चलाई जाने वाली परियोजनाएं और साथ ही शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं और उद्योगो मे कार्यान्वित की जाने वाली प्रयोजित परियोजनाएं शामिल हैं। इन कार्यकलापो के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान 58.48 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

समानान्तर संसाधन जैसे कुछ क्षेत्रों में देश कई विकासशील एशियाई देशो से आगे है। अनुसंधान तथा विकास के लिए निजी क्षेत्र को कई प्रोत्साहन और सहायक उपाय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र सहित इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में अनुसंधान तथा विकास को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने हाल ही में एक नई योजना तैयार की है।

[अनुवाद]

टेक्नोलॉजी पार्क

* 329. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेक्नोलॉजिकल पार्कों, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्कों की स्थापना हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं;

(ख) क्या राज्यों में कतिपय निर्दिष्ट स्थानों पर उक्त पार्कों में से किसी पार्क की स्थापना हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है या मंजूरी दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या और पार्कों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग). किसी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रोद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रोद्योगिकी पार्क (एसटीपी) की स्थापना केन्द्र सरकार, राज्य सरकार,

सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा उनके किसी मिले जुले रूप द्वारा की जा सकती है। भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अपनी दिनांक 14 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना संख्या 42 (एन-8)92-97 के जरिए ईएसटीपी योजना तथा 22 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 33 (आर ई)/92-97 के जरिए एसटीपी योजना को अधिसूचित किया है। भारत सरकार उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अपनी दिनांक 22 फरवरी, 1993 की अधिसूचना एस.ओ. संख्या 177 (डी) के जरिए नियुक्त अंतर मंत्रालयी स्थाई समिति (आईएमएससी) ईएचटीपी तथा एसटीपी योजनाओं के अंतर्गत इकाइयां स्थापित करने के आवेदन-पत्रों पर विचार करती है। विदेशी पूंजीनिवेश के सभी मामले विदेशी पूंजीनिवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) तथा अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने अपनी ओर से किसी ईएचटीपी की स्थापना नहीं की है तथा ऐसा कोई प्रस्ताव इसके विचाराधीन नहीं है।

2. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने पुणे, बंगलोर, भुवनेश्वर, हैदराबाद नोएडा, गांधीनगर तथा तिरूवनन्तपुरम में सात सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के लिए स्थापना-स्थलों के बारे में निर्णय सॉफ्टवेयर कम्पनियों की उपस्थिति अथवा सॉफ्टवेयर उद्योग की बहुलता अथवा सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास की संभावना पर विचार करते हुए और साथ ही वित्तीय क्षमता हासिल करने में केन्द्र की योग्यता को भी ध्यान में रखते हुए किया है।

3. इसके अतिरिक्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमकर्ता पार्क (एसटीईपी) स्थापित करने की एक योजना शुरू की है। एसटीईपी को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकार तथा मेजबान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से सहायता दी जाती है।

(घ) ईएचटीपी तथा एसटीपी इकाइयों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

नलबन्दी

*330. **श्री राम नाईक:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को नलबन्दी करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अधिक संख्या में पुरुषों को नसबन्दी के लिए प्रेरित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में महिलाओं और पुरुषों द्वारा कराए गए परिवार नियोजन संबंधी आपरेशनों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस अनुपात को बराबर लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) सरकार लिंग भेदभाव के बिना प्रजननता विनियमित करने को प्रोत्साहित करती है।

(ख) (i) चीरफाड़ अथवा टांके लगाए बिना नो स्केलपैल वास्कटामी की एक साधारण विधि को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ii) पुरुष शुक्राणु ले जानी वाली नालिका में इन्जेक्शन लगाकर पुरूष बन्ध्यकरण की एक नई शल्य चिकित्सीय विधि पर परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) पुरुष और महिला बन्ध्यकरण के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार है:-

	पुरुष	महिला
1991-92	174201	3915838
1992-93	15096	4135922
1993-94	150507	4320890

(घ) (i) बन्ध्यकरण के उपलब्धि के कुल अनुमानित स्तरों में से राज्यों को 1995-96 से पुरुष नसबंदी के 10 प्रतिशत लक्ष्य दिए गए हैं। नई विधियों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है और पुरुष सहभागिता बढ़ाने के लिए अनुसंधान कार्य तेज किया जा रहा है।

(ii) नो स्कालपैल वास्क्टॉमी को लोकप्रिय बनाने की एक नई योजना तैयार की गई है।

ग्रामीण पेयजल

*331. **डॉ. असीम बाला :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्रामीण पेयजल शुद्धिकरण कार्यक्रम की क्या योजना है और क्या सरकार की भूमिगत जल में से अवांछित खनिज और इसी प्रकार के अन्य पदार्थों को हटाने की कोई योजना भी है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च हुई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य देश के उन गांवों/बस्तियों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना है जो अत्यधिक खारेपन, लौह, फलोराइड, संखिया अथवा अन्य विषैले पदार्थों जैसे रासायनिक संदूषण से प्रभावित हैं। गुणवत्ता संबंधी इन समस्याओं को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत उप-मिशनों की मार्फत दूर किया जाता है। ये उप-मिशन गिनीकृमि उन्मूलन करने, फलोरोसिस पर नियंत्रण करने, खारेपन पर नियंत्रण पाने तथा संखिया दूर करने, से संबंधित हैं। जहां-कहीं जीवाणु जन्य संदूषण पाया जाता है, उसे परम्परागत उपचार प्रक्रियाओं की मार्फत दूर किया जाता है।

जल गुणवत्ता के महत्व और उपयुक्त उपचारी उपयों, हेतु इसकी सतत निगरानी की आवश्यता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार, जिला स्तर पर जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं, चल प्रयोगशालाओं और जल जांच किटो को लगाने के लिए सहायता मुहैया कराती है।

गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त उप मिशनों के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि
1992-93	8.15
1993-94	75.13
1994-95	100.92

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयां

*332. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत ऐसी वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में ऐसी औद्योगिक इकाइयों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई और जिन इकाइयों को यह सहायता दी गई उनकी राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य की क्या-क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान, राज्य-वार ऐसी कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). अपारंपरिक ऊर्जा प्राणालियों/युक्तियों की स्थापना के लिए कई योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत आर्थिक राज सहायता, उदार शर्तों पर ऋण के रुप में राजकोषीय प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तथापि ऐसी कोई विशेष योजना नहीं है जिसके अंतर्गत अपारंपरिक ऊर्जा के उपयोग के लिए औद्योगिक यूनिटों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भूतपूर्व सैनिकों की मांगें

*333. **श्री एन. डेनिस:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व सैनिक अपनी मांगों विशेषकर "एक रैंक एक पेंशन" संबंधी मांग, जो पिछले कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन है, के बारे में आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई निर्णय लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध मे अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). 'एक रैंक पेंशन' प्रदान किए जाने के लिए भूतपूर्व सैनिक और उनके संगठन सरकार को अभ्यावेदन देते रहे हैं। इस मुद्दे पर चौथे वेतन आयोग, विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों और सरकार द्वारा पहले ही विचार किया गया है। सरकार ने इस मांग को मंजूर करना व्यवहार्य नहीं पाया है। तथापि 1.1.1986 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए रक्षा सेवाओं के पेंशनरों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को कम करने के लिए 1.1.1992 से उनकी पेंशन में एक बार तदर्थ आधार पर अनुग्रह राशि की वृद्धि किए जाने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना से लगभग 8.03 लाख रक्षा सेवा पेंशनर लाभान्वित होंगे और इस पर सरकार के राजकोष से लगभग 140 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय होगा।

2. भूतपूर्व सैनिकों की अन्य मुख्य मांगें नीचे दिए अनुसार है:-

2.1. **द्वितीय विश्वयुद्ध के वयोवृद्ध सैनिकों को पेंशन देना:-**

द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिकों ने बहुत कम अवधि की सेवा की थी। चूंकि, उन्होंने कम से कम 15 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी नहीं की थी इसलिए उन्हें किसी प्रकार की पेंशन दिया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, उन्हें सेवा से मुक्त करते समय सभी स्वीकार्य लाभों का भुगतान कर दिया गया था।

2.2 **पुनर्नियोजित पेंशनरों की पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान:-**

इस मामले पर रक्षा पेंशनरों द्वारा दायर की गई विभिन्न याचिकाओं/अपीलों पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने पहले ही विचार किया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने ने दिनांक 8 दिसंबर, 1994 के निर्णय में यह उल्लेख किया है कि पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों के मामले में पेंशन पर महंगाई राहत न देना कानून की दृष्टि से अनुमत होगा क्योंकि पुनर्नियुक्त होने पर उन्हें जो वेतन दिया जायेगा उसमें मूल्यों में वृद्धि होने के कारण रुपये की कीमत में जो गिरावट आती है, उसके अनुसार वेतन पर महंगाई राहत देने से उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है, जबकि जिन व्यक्तियों को दुबारा रोजगार नहीं मिलता उनके मामले में ऐसा नहीं होता। इसलिए इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं है।

2.3 **भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाए रखना:-**

मंडल आयोग की रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय के सरकारी नौकरियों में आरक्षण की 50 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले निर्णय के बाद भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध कराए गए आरक्षण को जारी रखे जाने के बारे में कुछ भ्रांति बनी हुई है। इस विषय पर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने विचार-विमर्श किया तथा उन्होंने स्पष्ट किया है कि भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण का प्रतिशत वही रहेगा जो इस समय विद्यमान है। अत: पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में मंडल आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित किए जाने से भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को कम नहीं किया जाएगा।

2.4 **पुनर्नियोजित रक्षा पेंशन-भोगियों को पेंशन में एक बार की वृद्धि प्रदान करना:-**

1.1.1986 से पहले सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र सेना पेंशन भोगियों को इस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी पेंशन में एक बार की वृद्धि मंजूर की गई है कि वे कम आयु में सेवानिवृत्त हो गए थे और वे सिविल सेवाओं में अपने साथियों से बहुत पहले सेवानिवृत्त हो गये थे। चूंकि यह शर्त उन सशस्त्र सेना पेंशन भोगियों के मामलों में पूरी नहीं होती है जो सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद सरकारी सेवाओं या सर्वाजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार प्राप्त कर लेते हैं और सिविल में सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख तक सेवा में बने रहते हैं, इसलिए उन्हें पेंशन में एक बार की वृद्धि नहीं दी गई है, हालांकि ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को वर्गीकृत मान पर एक बार की वृद्धि मंजूर की गई है जिनकी पुनर्नियोजित सेवा 10 वर्ष से कम है।

टॉफी के पैक्टों पर सांविधिक चेतावनी

*334. **श्री तारा सिंह :**

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन डेन्टल एसोसिएशन ने सरकार से सभी टॉफी निर्माताओं को टॉफी के पैकेटों पर सांविधिक चेतावनी दिए जाने संबंधी निर्देश जारी करने को अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विकसित देशों में च्युइंगम और टॉफी पैकेटों पर ऐसी चेतावनी जी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) टॉफी के पैकेटों पर सांविधिक चेतावनी देने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). किसी विकसित देश में च्युइगंम और टॉफी पैकेटों पर सांविधिक चेतावनी दिए जाने के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का बंद होना

***335. श्री राम टहल चौधरी :**

श्री छेदी पासवान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची कुछ समय से रुग्ण है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कारपोरेशन को अर्थक्षम बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(ङ) यह धनराशि कब तक जारी की जायेगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची (एचईसी) एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी होने के कारण, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) (अधिनियम एस आई सीए) के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को संदर्भित की गई है।

(ख) एच.ई.सी. की रुग्णता के कारणों में उच्च उपरिलागतें, अधिक जनशक्ति, अधिक ब्याज भार, कम उत्पादकता, कार्यशील पूंजी की कमी, पुराने संयंत्र और मशीनें, अप्रचलित प्रौद्योगिकी इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (छ) एच.ई.सी. द्वारा प्रस्तुत एक टर्न अराउंड योजना की एक विशेषज्ञ द्वारा जांच की गई थी जिसकी रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है। इस योजना में केंन्द्र सरकार, बिहार सरकार और बैंकों से सहायता की परिकल्पना की गई है। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है; प्रस्तावों में 216.21 करोड़ रुपये की नगद सहायता और 580.90 करोड़ रुपये की सहायतायुक्त वित्तीय पुनर्संरचना शामिल है।

(ङ) निधियां जारी करने का प्रश्न, बी.आई.एफ.आर. द्वारा, जो कि एक न्यायिक प्राधिकरण है, टर्न अराऊंड योजना को अनुमोदित कर दिये जाने के बाद ही उठेगा।

गोबर गैस संयंत्र

***336. श्री चन्द्रेश पटेल :**

श्री येल्लैया नंदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गोबर गैस का प्रचार करने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने गोबर गैस संयंत्र लगाए गए तथा इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार कितने संयंत्र स्थापित किए जाने का विचार है तथा इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी?

अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) और (ख). केन्द्रीय सैक्टर योजना के अधीन राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों और ऐजेंसियो को बायोगैस, (गोबर गैस) संयंत्रों की स्थापना जिसमें प्रचार और लोकप्रियता शामिल है, के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1992-93 से 1994-95 तक कुल 213.32 करोड़ रुपये दिए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1992-93 से 1994-95 (फरवरी, 95) तक कुल लगभग 5.67 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण-I दी गई है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1995-96 के लिए 47 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान सहित 1.60 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1995-96 के लिए अनन्तिम लक्ष्यों सहित राज्यवार सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है। राज्य सरकारों एवं एजेंसियों को वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों, अनुमादित मान-दण्डों के अनुसार विगत वर्षों का लेखा-जोखा आदि प्रस्तुत करने के आधार पर धनराशि दी जाती है।

विवरण-I

राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के अधीन विगत 3 वर्ष के दौरान अर्थात 1992-93 से 1994-95 (फरवरी, 95 तक) राज्यवार तथा ऐंजेंसीवार स्थापित बायोगैस संयंत्रों की संख्या और दी गई राशि

क्रम सं.	राज्य/संघ शामिल क्षेत्र/ एजेंसी	स्थापित बायोगैस संयंत्र (संख्या)	दी गई राशि (करोड़ रुपये)
1.	आंध्र प्रदेश	48,600	17.61
2.	अरूणाचल प्रदेश	48	0.01
3.	असम	2,442	1.13
4.	बिहार	6,838	1.14
5.	गोवा	352	0.13
6.	गुजरात	98,840	37.97
7.	हरियाणा	5,070	1.51
8.	हिमाचल प्रदेश	6,918	3.47

क्रम सं.	राज्य/संघ शामिल क्षेत्र/ एजेंसी	स्थापित बायोगैस संयंत्र (संख्या)	दी गई राशि (करोड़ रुपये)
9.	जम्मु और कश्मीर	103	0.04
10.	कर्नाटक	63,066	21.10
11.	केरल	7,012	2.28
12.	मध्य प्रदेश	31,383	12.03
13.	महाराष्ट्र	61,644	27.04
14.	मणिपुर	345	0.13
15.	मेघालय	110	0.08
16.	मिजोरम	320	0.23
17.	नागालैंड	120	0.07
18.	उड़ीसा	36,196	12.11
19.	पंजाब	7,771	2.07
20.	राजस्थान	11,432	4.32
21.	सिक्कम	568	0.12
22.	तमिलनाडु	25,373	7.71
23.	त्रिपुरा	108	0.05
24.	उत्तर प्रदेश	30,375	9.80
25.	पश्चिम बंगाल	20,553	5.05
26.	चंडीगढ़	5	0.01
27.	दिल्ली	9	0.01
28.	पांडिचेरी	40	0.02
29.	केवी आई सी, बंबई	96,865	41.19
30.	एनडीडीबी, आनन्द	723	0.46
31.	अन्य	3,590	4.44
	कुलः	5,66,819	213.32

टिप्पणी: दी गई राशि में पिछले वर्षों के दावों के निपटान की राशि शामिल है।

विवरण-II

राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1995-96 के लिए स्थापित किए जाने वाले बायोगैस संयंत्रों का अनन्तिम लक्ष्य

क्र सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/ एजेंसी	संयंत्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	15,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	25
3.	असम	500
4.	बिहार	2,000
5.	गोवा	100
6.	गुजरात	20,000
7.	हरियाणा	1,500
8.	हिमाचल प्रदेश	1,000
9.	जम्मू और कश्मीर	50
10.	कर्नाटक	25,000
11.	केरल	1,200
12.	मध्य प्रदेश	15,000
13.	महाराष्ट्र	10,000
14.	मणिपुर	100
15.	मेघालय	100
16.	मिजोरम	100
17.	नागालैंड	100
18.	उड़ीसा	11,000
19.	पंजाब	3,000
20.	राजस्थान	3,000
21.	सिक्किम	150
22.	तमिलनाडु	7,000
23.	त्रिपुरा	50
24.	उत्तर प्रदेश	10,000
25.	पश्चिम बंगाल	6,000
26.	अंडमान और निकोबार	5
27.	चंडीगढ़	5
28.	दादर एवं नगर हवेली	3
29.	दिल्ली	7
30.	पांडीचेरी	5
31.	केवीआईसी, बंबई	25,000
32.	एनडीडीबी, आनन्द	500
33.	अन्य	2,500
	कुल	1,60,000

नारियल जटा उद्योग

***337. डॉ. पी. वल्लल पेरूमान:**

श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से वित्तीय

सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्योग के विकास हेतु विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ङ) देश में राज्यवार उस समय कितने और कौन-कौन से प्रशिक्षण केन्द्र मौजूद हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम):(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, हां। सरकार की नीति कयर उद्योग के विकास के लिए कयर का उत्पादन करने वाले राज्यों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना है।

(घ) इस समय 7 प्रशिक्षण केन्द्र हैं। शेष कयर उत्पादक राज्यों में और ज्यादा प्रशिक्षिण केन्द्र स्थापित किए जायेंगे जो इन राज्यों की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। प्रशिक्षण केन्द्र संबंधित राज्य सरकारों की मदद से कयर बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे हैं।

(ङ) देश में इस समय सात प्राशिक्षण केन्द्र मौजूद हैं, इनके राज्यवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

(1) राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण और डिजाइन केन्द्र, कालाबूर, केरल राज्य।

(2) क्षेत्रीय कयर प्रशिक्षण और विकास केन्द्र आरसीकेरे (क्षेत्रीय कयर प्रशिक्षण और विकास केन्द्र), कर्नाटक राज्य।

(3) क्षेत्रीय कयर प्रशिक्षण और विकास केन्द्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा राज्य।

(4) क्षेत्रीय कयर प्रशिक्षण और विकास केन्द्र, राजामुन्द्री, आंध्रप्रदेश।

(5) प्रदर्शनी और उत्पादन केन्द्र, नरसापुर, आंध्र प्रदेश।

(6) क्षेत्रीय कयर प्रशिक्षण और विकास केन्द्र, तंजावुर, तमिलनाडु।

(7) प्रदर्शन और विस्तार केन्द्र, नलबाड़ी, असम।

[हिन्दी]

फाइलेरिया से पीड़ित रोगी

***338. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार:**

डॉ. लाल बहादुर रावल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में फाइलेरिया से पीड़ित रोगियों की संख्या कितनी हैं;

(ख) फाइलेरिया के उन्मूलन हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल कितनी सहायता जारी की गई है;

(ग) सरकार द्वारा इन रोगियों की उपचार सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, और;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष फाइलेरिया से पीड़ित रोगियों की संख्या में कितनी कमी हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख), वर्ष 1994 के दौरान फाइलेरिया रोगियों की संख्या तथा वर्ष 1994-95 के दौरान विमुक्त की गई केन्द्रीय सहायता के बारे में राज्यवार सूचना संलग्न विवरणों-I और II में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 13 राज्यों तथा चार संघ राज्य क्षेत्रों में चल रहा है। रोगियों को उपचार प्रदान करने तथा रोग के संचरण को रोकने के लिए 206 नियंत्रण यूनिटें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानिकमारी क्षेत्रों में पहले से ही कार्य कर रही है।

(घ) वर्ष 1992-1993 और 1994 के दौरान पता लगाए गए फाइलेरिया के रोगियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	फाइलेरिया रोगियों की संख्या
1992	90754
1993	83596
1994	83211 (अनन्तिम)

विवरण I

वर्ष 1994 के दौरान फाइलेरिया के स्थानिकमारी वाले राज्यों में फाइलेरिया रोगियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	जांचे गये	रोगियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	245451	15745
2.	असम	40255	105
3.	बिहार	618345	9385
4.	गोवा	58563	265
5.	गुजरात	40875	285
6.	कर्नाटक	124865	3201
7.	केरल	106745	1687
8.	मध्य प्रदेश	95867	2845
9.	महाराष्ट्र	894567	19865
10.	उड़ीसा	31876	3978
11.	तमिलनाडु	1668502	15012
12.	उत्तर प्रदेश	324578	9879
13.	पश्चिम बंगाल	8276	287
14.	पांडिचेरी	7845	185
15.	अंडमान और निकोबार	17854	165
16.	दमन और दीव	40100	242
17.	लक्षद्वीप	—	—
	कुल	4324564	83211

विवरण-II

वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्रों के नाम	1994-1995 (लाख रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	40.13
2.	असम	1.96
3.	बिहार	27.04
4.	गुजरात	32.88
5.	गोवा	2.35
6.	कर्नाटक	26.95
7.	केरल	11.87
8.	मध्य प्रदेश	12.27
9.	महाराष्ट्र	53.42
10.	उड़ीसा	32.38
11.	तमिलनाडु	32.54
12.	उत्तर प्रदेश	48.29
13.	पश्चिम बंगाल	17.84
14.	पांडिचेरी	3.63
15.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.84
16.	दमन और दीव	0.82
17.	लक्षद्वीप	0.57
	कुल	346.78

आधुनिक भूकम्पीय प्रयोगशाला

***339. डॉ. साक्षी जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से विभिन्न राज्यों में भूकम्प की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भूकम्पीय प्रयोगशाला खोलने और इनके चलते फिरते एकक शुरू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वर्तमान नेटवर्क के अतिरिक्त, हाल ही में महाराष्ट्र में लातूर तथा उड़ीसा में भुवनेश्वर में आधुनिक भूकम्पीय वेधशालाएं स्थापित की गई है। निकट भविष्य में बिहार में साहिबगंज तथा पश्चिम बंगाल में सिलिगुडी में भी इसी प्रकार की वेधशालाएं स्थापित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में और वेधशालाएं स्थापित करने की योजना है। बार-बार भूकम्प आने की सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में चलती फिरती वेधशाला तंत्रों के माध्यम से सूक्ष्म भूकम्पों का सर्वेक्षण किया गया है।

[अनुवाद]

कश्मीरी प्रवासी

***340. श्री मनोरंजन भक्त:**

श्री मोहन रावले:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीरी प्रवासियों के समक्ष पेश आ रही समस्याओं के बारे में सरकार ने कोई स्पष्ट नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आल इंडिया कश्मीरी माइग्रेन्ट फोरम के कार्यकर्त्ताओं ने हाल ही में दिल्ली में एक प्रदर्शन किया था और सरकार को एक ज्ञापन दिया था;

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या है; और

(ङ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख). सरकार की नीति कश्मीरी प्रवासियों का स्थायी पुनर्वास कश्मीर से बाहर करने की नहीं है, आशा है कि जैसे ही उनकी वापसी के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा, वे घाटी में लौट जाएंगे। इसी बीच, उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को, जिनमें ये प्रवासी पंजीकृत हैं, प्रचलित प्रतिमानों/नियमों के अनुसार सभी संभव निर्वाह सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि इन प्रवासियों की कठिनाईयों को कम से कम किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते हैं।

जम्मू-कश्मीर में पुनर्वास हेतु परमिट देने संबंधी विधेयक, 1980

3332. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुछेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के पास जम्मू-कश्मीर में पुनर्वास हेतु परमिट देने (अथवा राज्य में स्थाई वापसी हेतु) संबंधी विधेयक, 1980 भेजा गया था।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय में यह मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां,

(ख) से (घ). चूंकि, यदि कानून बनाया जाता है तो, अन्य बातों के

साथ-साथ, उसकी संवैधानिक वैधता और उसके संभावित अवांछित परिणामों के बारे में गंभीर आशंकाएं थीं, तथा ऐसी सभी आशंकाओं को हटा देना आवश्यक समझा गया था, इसलिए, राष्ट्रपति ने कानून, नामत: 'क्या विधेयक अथवा उसका उपबंध, यदि बनाया जाता है, तो संवैधानिक रूप से वैध होगा?' के प्रश्न पर विचार करने और उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए उसे माननीय उच्चतम न्यायालय के पास भेज दिया था। मामला उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष लम्बित है।

चावल की सप्लाई

3333. श्री उद्धव बर्मन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में जोरहाट और शिवसागर जिलों के चाय बागानों में गत वर्ष अखाद्य चावल की सप्लाई किए जाने के कारण बड़ी संख्या में मौते हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु होने का समाचार है;

(ग) क्या इस घटना को जांच कराने हेतु कोई जांच बैठाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ). असम सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

चमड़ा विकास निधि

3334. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान चर्मशोधशालाओं के आधुनिकीकरण तथा प्रदूषण से निपटने के लिए उद्योग को सहायता देने के लिए चमड़ा विकास निधि की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या विशेषज्ञ समिति ने चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए/इसके आधुनिकीकरण के लिए एक मुश्त उपायों का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने में राज्यवार अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) चालू वर्ष के लिए उपलब्ध की गई केन्द्रीय धनराशि क्या है और 31 मार्च, 1995 तक किए जा चुके अनुमानित नये पूंजी निवेश की राशि तथा विचाराधीन प्रस्ताव क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ). भारत में चमड़ा उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझाने संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ इस उद्योग की सहायता करने के लिए एक आधुनिकीकरण कोष की स्थापना करने की सिफारिश की है ताकि प्रौद्योगिकी उन्नयन, पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया नियंत्रण और ऑटोमेशन, ईष्टतम ऊर्जा और सामग्री प्राप्त की जा सके एवं तकनीकी गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान तथा विकास किया जा सके। चमड़ा विकास कोष के सृजन प्रस्ताव को चमड़ा और चमड़ा वस्तु उद्योग परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। चमड़ा निर्यात परिषद को वित्तीयन के तरीकों का पता लगाने का कार्य सौंपा गया था। फलस्वरूप, परिषद ने तैयार चमड़े पर 5 प्रतिशत निर्यात शुल्क को विकास शुल्क में तबदील करके चमड़ा उद्योग कोष का सृजन करने हेतु सरकार को प्रस्ताव किया है। उक्त शुल्क का उपयोग चर्मशोधन उद्योग की आकस्मिक जरूरतों के लिए किया जायेगा। तद्नुसार, सरकार ने चालू केन्द्रीय बजट में तैयार चमड़े पर 5 प्रतिशत निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया है। और साथ-साथ एक सार्वजनिक सूचना सं. 67-एक्सपोर्ट (पीएन) दिनांक 16.03.95 जारी की है ताकि जहाज तक निशुल्क 5 प्रतिशत की दर से उपर्युक्त शुल्क एकत्र किया जा सके जिससे चमड़ा उद्योग विकास कोष निकाय का गठन किया जा सके। चूंकि यह योजना हाल ही में शुरू की गई है, अत: चर्म-शोधन उद्योग को विशिष्ट उद्देश्य के लिए सहायता वितरण कार्य अभी प्रारंभ किया जाना है।

जम्मू और कश्मीर का भ्रमण करने वाले पर्यटक

3335. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान कितने विदेशी पर्यटको ने जम्मू और कश्मीर की यात्रा की ;

(ख) क्या पर्यटकों के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह प्रबंध भविष्य में भी बना रहेगा ; और

(घ) 1994 के दौरान कितने तीर्थयात्रियों ने वैष्णों देवी और अमरनाथ के पवित्र स्थलों की यात्रा की?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) 19,622.

(ख) और (ग). विभिन्न स्थानों पर आने वाले पर्यटकों को आवश्यक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है और आवश्यकतानुसार यह भविष्य में भी जारी रहेगा।

(घ) वर्ष 1994 में 37,05945 तीर्थ यात्रियों ने वैष्णों तथा 37,000 तीर्थ यात्रियों ने अमरनाथ गुफा की यात्रा की।

पवन के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन

3336. श्री जितेंद्र नाथ दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्रों ने पवन के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां तो, इस क्षेत्र में उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ग) ऐसे गैर-सरकारी क्षेत्रों को सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के कार्य में निजी क्षेत्र की काफी सहभागिता रही है। अब तक देश में कुछ 350 मेवा. पवन विद्युत क्षमता स्थापित कर ली गई है, जिसमें निजी क्षेत्र द्वारा 306 मेवा. क्षमता शामिल है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत बढ़ा हुआ ह्रास सीमा शुल्क के छूट/रियायत, उत्पाद शुल्क से राहत और पांच वर्ष का कर अवकाश जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं। कई राज्यों/राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा बिक्री कर प्रोत्साहन, पूंजीगत आर्थिक राज

सहायता और उत्पादित विद्युत की खरीद-वापसी, वीलिंग, बैंकिंग एवं तीसरे पक्ष को बिक्री के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आबंटन

3337. डॉ. लाल बहादुर रावल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 और आठवीं पचंवर्षीय योजना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के लिए कुल कितना आबंटन किया गया;

(ख) इसमें उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा है;

(ग) इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में आरम्भ की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त राज्य के लिए इस क्षेत्र में स्वीकृत विदेशी पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). योजना आयोग राज्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट उप क्षेत्रवार आबंटन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार का परिव्यय नीचे दिए अनुसार है :-

अवधि	परिव्यय
1995-96	147 करोड़ रुपए
आठवीं योजना	588 करोड़ रुपए*

*इसके अतिरिक्त वर्ष, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लिए अन्य परियोजनाओं के लिए 163.68 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए।

इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में इस केन्द्रीय परिव्यय का राज्यवार कोई विशिष्ट आबंटन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इस केन्द्रीय सरकार के परिव्यय से, अपनी विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के स्रोतों से, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर आबंटन करता है, जिसका निर्धारण विभिन्न विशेषज्ञ परिषदों तथा समितियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की परियोजनाएं तथा कार्यक्रम विशिष्ट प्रौद्योगिकी अथवा जनशक्ति के विकास के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करने वाले या प्रायोजित परियोजनाओं की प्रकृति के होते हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की सहायता से चल रही विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान केपेसिटरो, फोटोवोल्टेइक मॉड्यूलों का विनिर्माण करने और सॉफ्टवेयर का विकास करने के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां स्थापित करने के लिए विदेशी पूंजीनिवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा पांच प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें 4.45 करोड़ रुपये (अनुमानित) का प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश शामिल है।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (डीओई) से सहायता प्राप्त कार्यक्रम/परियोजनाओं की सूची

1. इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, गोरखपुर

2. इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, लखनऊ

3. इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, कानपुर

4. सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नोएडा

5. भीमताल स्थित हिल्ट्रोन तथा लखनऊ स्थित अपट्रॉन में इलेक्ट्रो-चिकित्सकीय तथा अनुरक्षण केन्द्र (ईएमएम)

6. कैंसर की विकिरण चिकित्सा के लिए एक कम्प्यूटरीकृत त्रि-आयामी उपचार योजना प्रणाली का विकास, संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), पुणे

7. आरडीएसओ, लखनऊ में विद्युत इंजनों के लिए माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित थाइरिस्टर चालन प्रणाली का विकास।

8. आरडीएसओ, लखनऊ में रेवले अनुप्रयोगों के लिए माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित यंत्रीकरण प्रणाली का विकास

9. निम्नलिखित स्थानों पर विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास परियोजना (जनशक्ति खण्ड):

— इंजीनियरी तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

— हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

— इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, गोरखपुर

10. इलेक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटर में जनशक्ति विकास कार्यक्रम

11. निम्नलिखित स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन इकाइयां स्थापित करके ग्रामीण जनता के लिए रोजगार सृजन का कार्यक्रम:

— मेसर्स उत्तर प्रदेश हिल इलक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड (हिलट्रॉन), लखनऊ

— मेसर्स उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लिमिटेड, लखनऊ

— मेसर्स तिरुपति इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, लखनऊ

12. हाथरस, लखनऊ तथा टिहरी गढ़वाल में विवेक दर्पण परियोजना (ग्रामीण विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिकी माध्यमों का प्रयोग)

13. अपट्रॉन, लखनऊ में सामग्री विकास पर परियोजना।

14. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में मशीन में पठन योग्य रूप में भारतीय भाषाओं के मूल पाठ का विकास

15. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में अग्रेंजी से हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए मशीनी सहायता (चरण-II)

16. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में भाषा अध्यापकों के प्राकृतिक भाषा संसाधन (एनएलपी) अध्यापक पशिक्षण कार्यक्रम

17. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में कम्प्यूटर साधित ज्ञानार्जन तथा अध्यापन के लिए स्रोत केन्द्र

18. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में संस्कृत शास्त्र में सूचना संसाधन के ढांचे का अन्वेषण

19. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में स्पष्ट अक्षरों में हस्त लिखित देवनागरी पाठ की कम्प्यूटर द्वारा पहचान

20. अपट्रॉन, लखनऊ में माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित अंकीय

लॉगर प्रणाली

21. एइआरएफ, नोएडा में अंकीय टीवी के लिए एसिकों (एफपीजीए मॉडल) का प्रणाली डिजाइन तथा विकास

22. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में उच्च वोल्टाता के ट्रॉजिस्टरों के लिए जंक्शन निरसीकरण तथा ग्लास निष्क्रियकरण का अध्ययन

23. अपट्रॉन, लखनऊ में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक केपेसिटरो के लिए इलेक्ट्रॉलाइट्स का विकास

24. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में माइक्रोविगलरों तथा कॉम्पैक्ट एप ए एल प्रणाली का विकास

25. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की में जटिल संरचनाओं के आरसीएस अनुमानन के लिए कुशल कम्प्यूटर कोड़ो का सृजन।

26. लखनऊ विश्वविद्यालय में विज्ञान लिष्णता (इलेक्ट्रॉनिकी) पाठ्यक्रम (दो वर्ष)।

27. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में यूरोफ्लोमीटर का डिजाइन और संविरचना।

[हिन्दी]

विमानों को किराये पर लेने हेतु भाड़ा

3338. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों पर भारतीय वायु सेना से विमान और हेलीकॉप्टर किराये पर लेने के कारण बकाया भाड़े का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने इस राज्य सरकारों से उक्त बकाया धनराशि की वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ग) इन प्रयासों के परिणामस्वरूप गत वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि वसूली गई; और

(घ) बकाया धनराशि की वसूली के लिए उठाए गए कदमों को ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) भारतीय वायुसेना के वायुयानों/ हेलीकॉप्टरों को किराए पर लेने के कारण 1.4.95 को विभिन्न राज्य सरकारों पर 8,07,86,888 रुपये भाड़े के रूप में बकाया है।

(ख) से (घ). वायुयानों को किराये पर लिए जाने से संबंधित बकाया राशि की वसूली करने के बारे में तेजी से कार्यवाही की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों सरकारों से 44,2806496 रुपये की राशि की वसूली की गई थी।

[अनुवाद]

क्षय रोगी

3339. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूष और महिला क्षय रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) 1994-95 के दौरान गुजरात में क्षय रोग के निवारण हेतु शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) क्षय रोग से लगभग 1.5 प्रतिशत लोग ग्रस्त हैं जिनमें से 1/3 रोगी महिलाऐं हैं।

(ख) केन्द्र सरकार गुजरात सहित पूरे देश में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्यों के बीच 50:50 खर्च वहन करने के आधार पर कार्यान्वित कर रही है। महसाना में पर्यवेक्षित अल्पावधि केमोथरेपी के आधार पर सोडा द्वारा वित्त पोषित प्रायोगिक परियोजना 1994-95 में जारी थी।

(ग) ऐसा कोई अनुरोध गुजरात सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इन्ट्रा कार्डियक डिवाइस

3340. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय रोगियों के लिए 'पेस मेकर' जैसा ही इन्ट्रा कार्डियक डिवाइस नामक एक नया उपकरण विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एक उपकरण की लागत कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा हृदय रोगियों को यह उपकरण उपयुक्त कीमत पर उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) इन्ट्रा-कार्डियक डिवाइस अमेरिका में विकसित किया गया है तथा अस्पतालों में इस्तेमाल के लिए इसका आयात तथा इसकी सप्लाई एक भारतीय कंपनी द्वारा की जा रही है।

(ख) 4.50 लाख रुपये से 5.00 लाख रुपये।

(ग) इस समय इंट्रा कार्डियक डिवाइस की कीमत कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

3341. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं;

(ख) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस सेवा की शुरूआत कब तक की जाएगी;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस योजना के संबंध में प्रगति सूचक रिपोर्ट मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर भारद्वाज) : (क) से (ग). अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना करने के संबंध में ग्यारवें विधि आयोग की 116वीं रिपोर्ट

अंतीर्वष्ट सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के प्रश्न पर पिछले दिन विभिन्न अवसरों पर विचार किया जा चुका है किंतु कोई अंतिम विनिश्चय नहीं किया जा सका है। ऑल इंडिया जजिज एसोशिएशन के मामले में, रिट याचिका सं. 1022/89 तारीख 13.11.91 और पुनार्विलोकन याचिका सं. 249/92 में तारीख 24.8.93 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए मामले पर पुनः कार्यवाही की गई है और सरकार इस बारे में ध्यान दे रही है।

(घ) और (ङ). उच्चतम न्यायालय ने तारीख 10.4.1995 के अपने आदेश द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित किये जाने के उद्देश्य को पूरा करने के संबंध में निदेशों के कार्यान्वयन के लिए तुरंत उपाय किये जाने का भारत संघ पर दबाव डाला है।

दिल का दौरा

3342. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय है कि ऐस्पिरिन की गोलियां खाने से दिल के दौरे को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(ग) इस चिकित्सा को लोकप्रिय बनाने के लए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). पिछले कुछेक वर्षों के दौरान हृदयरोग विज्ञान में किए गए परीक्षणों के आधार पर यह सूचित किया गया है कि प्रतिदिन 100-150 मि.ग्रा. एस्प्रिन के इस्तेमाल से दूसरी बार दिल के दौरे की घटनाओं में कमी होती है।

इसके बाद होने वाले दिन के दौरे से बचने के लिए निवारक उपायों के रूप में एस्प्रिन का इस्तेमाल पंजीकृत चिकित्सा व्यावसायियों की सलाह से किया जाना चाहिए।

संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलने वाले आटो मोबाइल इंजन

3343. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटर वाहन निर्माताओं से संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलने वाले इंजनों को उत्पादन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माताओं ने इन निर्देशों का पालन किया है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलने वाले इंजनों और सिर्फ डीजल से चलने वाले इंजनों के बीच कार्य दक्षता, बचत और प्रदूषण संबंधी कोई तुलना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो भारी वाहन, हल्की मोटर कारों, तिपहिया और दुपहिया वाहनों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). सरकार की नीति मोटर-गाड़ियों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सहित गैर-परम्परागत ईंधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने की रही है। पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक प्रायोगिक परियोजना के अधीन संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलाने के लिए कुछ बसों और कारों मे परिवर्तन किया गया है। गाड़ियों के चलाने के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग प्रायोगिक अवस्था में है। तथापि, सरकार ने संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलने वाले इंजनों का विनिर्माण करने के लिए निर्माताओं को कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किये हैं।

त्रिवेन्द्रम स्थिति भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन

3344. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम स्थित भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के निर्णय सहित अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के त्रिवेन्द्रम मे तीन केन्द्र/यूनिटें विद्यामान है, अर्थात् विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी. एस. एस. सी.) वालियामाला में द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र (एल.पी.एस.सी) और इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट (आई.आई. एस. यू.)। इसरो के विविध केन्द्रों के उपयुक्त संवर्धन और पुनः स्थापन का कार्य प्रमोचक राकेटों/उपग्रहों के विकास से संबंधित जरुरतों को पूरा करने के लिए एक जारी रहने वाली प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाता है। इस संबंध में आवश्यक धनराशि, जब कभी भी जरुरत होगी, उपलब्ध कराई जाएगी।

खादी ग्रामोद्योग आयोग

3345. **श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई ने वर्धा स्थित अपने क्षेत्रिय कार्यलय को बंद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार के उक्त विचार के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गये है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) (क) जी. हां।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सूचित किया है कि खादी और ग्रामोद्योग संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों के परिणामस्वरूप उसने खादी ग्रामोद्योग आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों की उपयोगिता की समीति करने के लिए एक समित का गठन किया है। समिति ने क्षेत्रीय कार्यालयों का उपयोगिता और इन पर किये गये खर्च का अध्ययन करने के पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय, वर्धा को बंद करने की सिफारिश की है। आयोग ने समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इस कार्यालय को 1.4.95 से बंद करने का निर्णय किया है।

(ग) जी. हां।

(घ) सरकार को प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन को खादी और

ग्रामोद्योग आयोग को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अब सूचित किया है कि वर्धा क्षेत्र के संस्थानों और वर्धा यूनिट की खादी आयोग कर्मचारी यूनियन से कुछ अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यह भी सूचित किया है कि इन सभी अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है और अपने पहले के निर्णय पर संशोधन न करने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा गैस चालित सब-स्टेशन

3346. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को हाल ही में स्वदेश में निर्मित पहला गैस चालित सब-स्टेशन का विकास करने में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेष बातें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या गैस चालित सब-स्टेशन संबंधी प्रौद्योगिकी से राज्य विद्युत बोर्डों की समस्याओं का आगामी काफी लम्बे अरसे तक समाधान करने में सहायता मिलेगी; और

(घ) पहला गैस चालित सब-स्टेशन का परीक्षण और निर्माण कब तक किया जाएगा और इसे कहां लगाया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने गैस चालित सब-स्टेशन नामक एक सुगठित वितरण सब-स्टेशन का विकास कार्य शुरू किया है। जबकि उच्च वोल्टता (145 के.वी.) वाले सब-स्टेशन के विकास कार्य प्रगति पर है, भेल ने 36 के.वी. 13.1 के.ए. के तीन चरण वाले गैस चालित सब-स्टेशन का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है।

इस सब-स्टेशन की विशषताएं इस प्रकार हैं:

1. इसमें सुरक्षित इंसुलेटिंग गैस (एस.एफ-6) प्रयुक्त होती है।

2. वायु चालित सब-स्टेशनों की तुलना में गैस चालित सब-स्टेशन बहुत कम धरातल क्षेत्र (केवल 14 प्रतिशत) घेरता है।

3. इस पर वातावरणीय परिवर्तनों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता और इसलिए यह रखरखाव संबंधी समस्याओं से अपेक्षाकृत मुक्त है।

भेल को आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से 12 गैस-चालित सब-स्टेशनों के लिए कार्यादेश प्राप्त हुए हैं। उपस्कर निर्माणाधीन है और इसे दो माह के भीतर सिकन्दराबाद में स्थापित कर दिए जाने की आशा है।

केलट्रोन की समस्याएं

3347. श्री पी.सी. थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स केल्ट्रोन से इस के सामने पेश आ रही समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(घ) क्या स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिकी एककों को उनके उत्पादों के क्षेत्र में मुक्त और उदार निवेश होने के कारण कठिनाई पेश आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इन एककों की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). उपादानों तथा अन्यथ उत्पादों के सीमा-शुल्क के बीच सतत् रूप से कम हो रहे अंतर के कारण मेसर्स केल्ट्रोल द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, उसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उदारीकृत शासन-प्रणाली के अंतर्गत शुल्क-दरों में कमी आ रही है, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क के अंतर में भी कमी आ रही है। उद्योग को इन परिवर्तन के साथ चलने के लिए सुधारात्मक उपाय करने होंगे।

(घ) और (ङ). इस संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने आमतौर पर सकारात्मक विकास दर्शाया है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का और अधिक विकास करने के लिए सरकार ने संलग्न विवरण में दिए गए अनुसार विभिन्न कदम उठाए हैं।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(i) नीतिगत उपाय करके जैसे कि स्थापना-स्थल संबंधी सीमाओं से छूट देना, चार विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर लाइसेंसिंग समाप्त करना, चरणबध्र विनिर्माण कार्य क्रम समाप्त करना तथा पूंजीनिवेश का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति (एमआरटीपी) अधिनियम में संशोधन करना।

(ii) आयातित पूंजीगत वस्तुएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए आयात-निर्यात नीति का उदारीकरण, मूल्य पर आधारित उन्नत लाइसेंसिंग योजना आदि।

(iii) वित्तीय एवं कर संबंधी नीति को विशेष रूप से शुल्क के ढांचे, निर्गमित कराधान आदि के क्षेत्र में तर्कसंगत बनाना।

(iv) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना शुरू करना जो ऐसे लघु सॉफ्टवेयर गृहों को मूल संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराती है जो निर्यात बाजार में प्रवेश करने के इच्छुक हैं। इस योजना के अंतर्गत निजी एसटीपी भी स्थापित किए जा सकते हैं जो बड़ी कम्पनियों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के आयात आदि के लिए उपलब्ध कराई गई शुल्क मुक्त सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किए जा सकते हैं।

(v) इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना (ईएचटीपी) शुरू करना जिसे विश्वव्यापी इलेक्ट्रॉनिकी सेक्कटर की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार किया गया है। इस से एक लचीली नीति का परिवेश उपलब्ध होगा, जिसमें काफी सरलता से व्यापार किया जा सकेगा और विशाल भारतीय घरेलू बाजार को व्यावसायिक क्षमता का लाभ प्राप्त होगा, जो देश में निर्यात उत्पादन के लिए प्रोत्साहनदायक होगा।

(vi) पूंजीनिवेश तथा प्रौद्योगिकी के लिए विदेशी सहयोग को प्रोत्साहन देना। इसमें उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत की विदेशी साम्यपूंजी तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन तथा ऐसे उद्योगों में भुगतानों को निश्चित उच्चतम सीमा सहित विदेशी प्रौद्योगिकी कारनामों के लिए स्वत: अनुमित शामिल है।

(vii) भारत में पूंजीनिवेश करने के लिए प्रवासी भारतीयों तथा मूलत: प्रवासी भारतीयों के स्वामित्वाधीन विदेशी कॉरपरेट निकायों को प्रोत्साहन देना। इसमें प्राथमिकता वाले उद्योगों में 100 % तक साम्यपूंजी

के लिए स्वतः अनुमोदन शामिल है।

(viii) भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं को गुणवत्ता में संवर्धन केलिए मानकीकरण, परीक्षण तथा गणुवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) कार्यक्रम नामक एक गुणवत्ता पूर्ण मूलसंरचनात्मक सुविधा कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

(ix) देश में तथा विदेशों में सेमिनारों, प्रदर्शनियों व्यापारियों प्रतिनिधि मंडल आदि में भाग लेना तथा उन्हें प्रायोजित करना।

(x) भारतीय सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सेवा सहयोग तथा शिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

(xi) सॉफ्टवेयर के निर्यात के प्रयोजन से उच्च गति डेटा संचार उपलब्ध कराने के लिए सेटक्राम सेवाएं (भारत) की स्थापना करना।

नथों का वितरण

3348. **श्री जॉर्ज फर्नान्डीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राजनैतिक दल ने एक निर्वाचन क्षेत्र में उस निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्येक महिला मतदाता को सोने की नथ देकर चुनाव जीतने के लिए 30 करोड़ रुपये खर्च किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले के तथ्यों की जांच की है और उस निर्वाचन क्षेत्र, उम्मीदवार और राजनैतिक दल का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज): (क) सरकार के पास, इस संबंध में, कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

परमाणु ऊर्जा

3349. **श्री चेतन पी. एस. चौहान**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-1993 और 1994 के दौरान परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) विभिन्न योजनाओं पर खर्च हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने के लिए सरकार की भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग मे राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) 1992-94 के दौरान, स्वदेशी तौर पर डिजायन किए गए और निर्मित नरोरा परमाणु बिजलीघर, के दूसरे यूनिट और ककरापार परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट का परिचालन वाणिज्यक स्तर पर करने (इस तरह स्थापित क्षमता 1720 मेगावाट तक बढ़ा दी गई) के अलावा जो अन्य कदम परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए उठाए गए उनमें 500 मेगावाट क्षमता वाले यूनिट का डिजायन तैयार करना और विकास कार्य करना; इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र स्थित फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर के कार्य में अच्छी प्रगति करना; प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की प्रौद्योगिकी विकसित करना; विद्युत रिएक्टरों के लिए उपयोगी प्रगत प्रौद्योगिकियां विकसित करना; कलपाक्कम में भुक्तशेष ईंधन-पुनर्ससाधन संयंत्र के निर्माण-कार्य में प्रगति होना; तारापुर स्थित आपशिष्ट पदार्थ अचलीकरण संयंत्र को परिचालन की स्थिति में लाना; ईंधन बंडलों के उत्पादन में वृद्धि करना और मिश्रित ऑक्साइड ईंधन बंडलों का संविरचन करना; तथा भारा पानी के उत्पादन में की गई वृद्धि आदि शामिल है।

(ख) परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर वर्ष 92-93 और 93-94 के दौरान हुआ व्यय तथा वर्ष 94-95 के दौरान प्रत्याशित व्यय दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया गया है;

क्षेत्र	वास्तविक 1992-93	वास्तविक 1993-94	प्रत्याशित 1994-95
अनुसंधान और विकास कार्य	84.09	100.21	149.13
उद्योग और खनिज	147.53	149.47	185.95
विद्युत	740.2	679.87	844.00
कुल	971.88	929.551	1179.08

(ग) भारत सम्पूर्ण नाभिकीय इंधन चक्र, जिसमें यूरेनियम का पूर्वेक्षण और खनन, ईंधन का संविरचन, रिएक्टरों का निर्माण, भारी पानी का उत्पादन और अपशिष्ट पदार्थ का प्रबन्धन शामिल है, में काफी ज्यादा आत्मनिर्भरता पहले ही प्राप्त कर चुका है। दाबित भारी रिएक्टरों के क्षेत्र में, परियोजना में स्वदेशी योगदान उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए 85% से 90% तक ले जाया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पद

3350. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितने प्रतिशत पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्ति कार्यरत हैं; और

(ख) बकाया पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) 1991 की जनगणना के आंकड़ों में केन्द्र सरकार के कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों द्वारा वास्तविक रुप से धारित पदों की प्रतिशतता का उल्लेख नहीं है।

(ख) पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के उद्देश्य वर्ष 1990/1991-92 तथा 1993-94 में विशेष भर्ती अभिमान चलाए गए। चालू वर्ष के दौरान भी । जून 1995 से विशेष भर्ती अभियान चलाया जायेगा।

यूरेनियम की तस्करी

3351. **श्री देवी बक्स सिंह** :

डॉ. रमेश चन्द तोमर :

श्री पकंज चौधरी :

श्री सुरेन्द पाल पाठक :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जयपुर में आतंकवादियों के ठिकानों से अकरीकी यूरेनियम का बैग मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में जॉच कराने का है कि आतंकवादियों को अमरीका निर्मित युरेनियम प्राप्त हो रहा है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में अमरीका के साथबातचीत की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में किसी अन्य देश के लिप्त होने के बारे में जांच करा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी. नहीं। राजस्थान सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में मॉडल टाऊन क्षेत्र में पुलिस और उग्रवादियों के बीच एक मुठभड़ हुई थी। उग्रवादियों के छिपने के स्थान की तलाशी लेने के दौरान, वहां से चमड़े की एक सीलबन्द थैली बरामद की गई जिस पर 'मेड इन यून एस ए' की मोहर लगी हुई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा उस थैली की समाग्री का विश्लेषण करने पर उसे 'रेजिन' पाया गया, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है न कि यूरेनियम।

(ख) से (च). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन (आर. जी. एन. डी. डब्ल्यू. एम.)

3352. श्रीमती शीला गौतम :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के किन-किन जिलों को भूमिगत जल के खारेपन के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन (आर.जी. डी. एन डब्ल्यू. एम.) के अंतर्गत पेय जल उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) भारत सरकार के पास केवल निम्नलिखित सूची के अनुसार (जिलावार नहीं) ही राज्यों/संघ शामिल क्षेत्रों के बारे में सूचना है जो भूमिगत जल लवणता में से प्रभावित है— (1) आंध्र प्रदेश (2) बिहार (3) गुजरात (4) हरियाणा (5) हिमाचल प्रदेश (6) कनार्टक (7) केरल (8) मणिपुर (9) उड़ीसा (10) पंजाब (11) राजस्थान (12) सिक्किम (13) तमिलनाडु (14) उत्तर प्रदेश (15) पश्चिम बंगाल (16) महाराष्ट्र (17) अंडमान व निकोबार (18) दिल्ली (19) लक्षद्वीप

(ख) जी. हां।

(ग) समस्या का समाधान के खारापन नियंत्रण पर उप-मिशन के अंतर्गत किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने वैकल्पिक जल स्रोतों की मार्फत स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने वाले 163 खारापान दूर करने के संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

सुरक्षा बलों की डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़

3353. श्री अमरपाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू के डोडा जिले में सुरक्षा बलों की हाल ही में दुर्दान्त आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस मुठभेड़ में कितने सैनिक और कितने आतंकवादी मारे गये;

(ग) आतंकवादियों के पास से जब्त किए गए हथियारों और महत्वपूर्ण सुरागों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में आतंकवाद का सफाया करने हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख). 1.1.1995 से 15.4.1995 तक की अवधि के दौरान डोडा जिले में उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी की 34 घटनाएं घटी। इन घटनाओं में, सुरक्षा बलों के 6 कार्मिक और 37 उग्रवादी मारे गये।

(ग) मारे गए उग्रवादियों से और गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों के बताने पर, निम्नलिखित हथियार एवं गोली बारूद, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बरामद किया गयाः

ए.के.राइफलें	24
ए.के.गोलियां	399
पिस्तौल/रिवाल्वर	5
पिस्तौल/रिवाल्वर की गोलियां	7
गोले/हथगोले	8
यू.एम.जी.	1
एल.एम.जी	1
विस्फोटक सामग्री	23 कि.ग्राम

(घ) उग्रवादियों की गतिविधियों पर काबू रखने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाए रखा जा रहा है, और सुरक्षा अभियानों के प्रभाव को सर्वोत्तम एवं अधिकतम बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल है— सलक्ष्य अभियान चला पाने के लिए आसूचना तंत्र को अधिक सुचारू बनाना, विभिन्न आपरेशन एजेंसियों के बीच निकट समन्वय सुनिश्चित करना, आतंकवादी विरोधी आपरेशनों में राज्य पुलिस की भागीदारी को बढ़ाना; आदमियों एवं हथियारों की घुसपैठ को रोकने/नियंत्रित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लगातार चौकसी बनाए रखना, नाजुक और दूर-दराज के इलाकों में सुरक्षा प्रबंधों और गश्त को मजबूत करना, और जानकारी के बेहतर प्रवाह हेतु जनता

का सहयोग प्राप्त करना तथा, सुरक्षा आपरेशनों में सिविलियनों की जान-माल को होने वाले नुकसान की गुंजाइश को न्यूनतम करने के सहवर्ती प्रयास करना।

[अनुवाद]

स्टाइपेंड में वृद्धि

3354. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर तथा एन.आई.ए.जयपुर के स्नातकोत्तर छात्रों ने अपना स्टाइपेंड बढ़ा कर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के स्टाइपेंड के बराबर करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है;

(ग) इन छात्रों की अन्य मांगे क्या है; और

(घ) सरकार ने उनकी सभी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) :(क) जी, हां

(ख) सरकार ने स्नाताकोत्तर शिक्षण और अनुस्थान, जामनगर तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर छात्रों का स्टाइपेंड 1.3.95 से गुजरात और राजस्थान राज्यों के आधुनिक चिकित्सा के स्नातकोत्तर छात्रों को दिए जा रहे स्टाइपेंड के बराबर करने का फैसला किया है।

(ग) और (घ). भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर छात्रों ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान संस्थानों में लागू रेजीडेंसी योजना प्रारंभ करने के लिए भी मांग की है।

तथापि, सरकार इन दो संस्थानों में रेजिडेंसी योजना की शुरूआत करने पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

अखबारी कागज का उत्पादन तथा आबंटन

3355. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) देश में अखबारी कागज का कितना उत्पादन हुआ तथा समाचार-पत्रों को आबंटित किये गये अखबारी कागज के मानदंड तथा इसकी दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में अखबारी कागज की आवयश्यकता का आकलन कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अखबारी कागज की कितनी मात्रा आयात की गई तथा समाचार-पत्रों को खुले बाजार में अखबारी कागज किस दर पर उपलब्ध कराया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार ने अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्लिखित उपाय किए हैं :-

(1) औद्योगिक लाईसेंस/आशय पत्रों के रुप में 6.50 लाख टन क्षमता की मंजूरी दी गई है।

(2) नई औद्योगिक नीति के प्राधीन खोई, कृषि अपशेषो तथा अन्य गैर-परम्परागत कच्ची सामग्रियों से बनी न्यूनतम 75% लुगदी पर आधारित अखबारी कागज एककों को औद्योगिक लाईसेंस की अनिवार्यता से छुट दे दी गई है बशर्ते कि वे स्थापना स्थल संबंधी नीति के अनुरूप हो।

(3) अखबारी कागज के निर्माणों के लिए काष्ठ लुगदी के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(4) अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

(5) ऐसी कागज मिलों को जो अखबारी कागज हेतु बी.आई.एस. मानकों के अनुरूप कागज का उत्पादन कर रही हैं। तथा यदि अखबारों द्वारा उनके कागज का प्रयोग किया जा रहा है और वे इसकी गुणवत्ता से संतुष्ट हो तो उन्हें अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-I में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। जिसमें उन्हें अखबारी कागज का निर्माण करने वाली मिलों के रूप में घोषित किया जायेगा।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी अखबारी कागज का उत्पादन निम्न प्रकर रहा है।

अवधि	उत्पादन (लाख टन में)
1992-93	3.12
1993-94	3.61
1994-95	3.80 (अनुमानित)

समाचार पत्र प्रचलित मूल्य पर किसी भी अखबारी कागज का निर्माण करने वाली मिल से अखबारी कागज खरीदने के लिए स्वंतत्र है। इस समय, विदेशी अखबारी कागज का मूल्य 24,175 रुपये प्रति मी. टन से 27,875 रु. प्रति मी. टन तक होता है।

अखबारी कागज का आयात जिसे पहले एस.टी.सी. के माध्यम से मार्गीकृत किया गया था अब 01.04.92 से विमार्गीकृत कर दिया गया है। इसके आयात पर तारीख 31.03.92 की सार्वजनिक सूचना स. आई.टी.सी. (पी.एन.)/92-97 के प्रावधान लागू होते हैं। इस अधिसूचना के अनुसार ऐसे अखबारी कागज एकक जिनकी 200 मी.टन से अधिक वार्षिक हकदारी है। भारत के समाचार पत्र पंजीकार (आर.एन.आई.) द्वारा यथा निर्धारित स्वदेशी रूप से निर्मित हर 2 मी.टन अखबारी कागज खरीद का एवज में एक मी. टन मानक अखबारी कागज का आयात कर सकते हैं। वे अखबारी कागज नियंत्रण आदेश 62 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किसी भी मिल से अखबारी कागज खरीद सकते हैं। जिन अखबारी कागज एककों की वार्षिक हकदारी 200 मी. टन से कम है वे आर.एन.आई. द्वारा जारी किये गए वार्षिक हकदारी प्रमाण पत्र के आधार पर मानक अखबारी कागज का आयात कर सकते हैं।

(ग) और (घ). मानक अखबारी कागज की अनुमानित मांग निम्नलिखित है :-

अवधि	मांग (लाख टन में)
1994-95	6.00
1995-96	6.30
1996-97	6.62

(ड.) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज का आयात निम्नप्रकार रहा है

अवधि	मात्रा (लाख टन)	मूल्य (रुपये करोड़ में)
1992-93	2.43	357.00
1993-93	3.11	460.65
1994-95 (01.04.94 से 31.01.1995)	2.33	375.43

समाचार पत्र भारत के समाचार पत्र पंजीकार द्वारा जारी किए गए वार्षिक हकदारी प्रमाणपत्र के अनुसार स्वयं सीधे ही अथवा स्वयं के किसी प्राधिकृत अखबारी कागज का कार्य करने वाले एजेन्ट के माध्यम से अखबारी कागज का आयात करने के लिए स्वंतत्र है।यह सूचित किया जाता है कि आयातित अखबारी कागज का मूल्य लगभग 1000 अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन है।

कर्मचारियों की पदोन्नति

3356. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्री राजेश कुमार :

डा. मुमताज अंसारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार एक वर्ष से अधिक से अपने अधिकतम वेतनमान में कार्य कर रहे कर्मचारियों को एक पदोन्नति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को शीघ्र लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) से (ग) समूह (ग) तथा समूह (घ) के ऐसे कर्मचारियों के बारे में, जिनकी ऐसे पदों पर सीधी भर्ती होती है और जो ऐसे पदों पर अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के एक वर्ष बाद भी, उनके लिए उपलब्ध सामान्य पदोन्नति क्रम/परम्परागत-क्रम में, नियमित आधार पर पदोन्नति नहीं पाते हैं अगले उच्च ग्रेड में स्वास्थाने पदोन्नति प्रदान करने के अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं। इस सुविधा को अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दुग्ध शर्करा का आयात

3357. **डा. परशुराम गंगवार :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध शर्करा का उपयोग होमियोपैथी दवाओं के उत्पादन में किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से दुग्ध शर्करा का आयात किया गया है और चालू वर्ष में प्रत्येक देश से कितने शर्करा का आयात किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार)

(क) जी, हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हालैण्ड से 5,23,500 कि.ग्रा. दुग्ध शर्करा का आयात किया गया है।

भारतीय भागीदारों द्वारा सहयोग/भागीदारी

3358. **श्री सत्यदेव सिंह**

श्री प्रभूदयाल कठेरिया :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय भागीदारों पर सहयोग/भागीदारी छोड़ने के लिए दबाव डाले जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यही हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) इस मंत्रालय को इस संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनियों के बीच सहयोग को दोनों सहयोगी पार्टियों के बीच होने वाले समझौते द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तदनुसार, सहयोग उद्यम को जारी रखने अथवा इसे समाप्त करने के बारे में निर्णय परस्पर सहमत शर्तों पर निर्भर करता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधों की पैकिंग

3359. **श्री मोहन रावले :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आन्त्रेतर निर्माता परिषद ने विभिन्न कम्पनियों द्वारा अन्त:शिरा तरल सहित दूषित जीवन रक्षक औषधों की सप्लाई पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सोसायटी ने संदूषण के कारण हुए अन्धेपन के अनेक मामलों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या औषधों की पैकिंग के लिए निम्न स्तर के प्लास्टिक डिब्बों और थैलियों का प्रयोग करना संदूषण का मुख्य कारण है; और

(च) यदि हां, तो जीवन रक्षक औषधों की पैकिंग के लिए

पोलिथीन के बने प्लास्टिक डिब्बों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी. हां।

(ख) भारतीय आन्त्रेतर निर्माता परिसंघ ने अभिवेदन किया है कि प्लास्टिक के कंटेनरों में आई.वी. फ्ल्युडों के विनिर्माण हेतु अनुमत्य विभिन्न कंपनियां दूषित उत्पादों की सप्लाई कर रही हैं।

(ग) और (घ). अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सोसायटी नई दिल्ली ने बताया है कि कुछ नेत्र चिकित्सकों को अपने मरीजों पर इरिसोल (एक नेत्र औषधि) का प्रयोग करने के पश्चात् आपरेशन बाद कुछ जटिलताओं का पता चला है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

3360. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री सत्यदेव सिंह :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किए जाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता सहित मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा;

(घ) क्या इस संबंध में किसी देश के साथ बातचीत चल रही है;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (च). सौर प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी पर आधारित 2400 मेवा. विद्युत उत्पादन क्षमता की स्थापना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कम्पनी से प्रारम्भिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस क्षमता को 25 वर्षों में तीन चरणों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। पहले चरण में 15 वर्षों में 150 मेवा की क्षमता का प्रस्ताव है। इस परियोजना को 'स्वयं बनाओ स्वयं चलाओ' आधार पर राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें विद्युत की बिक्री राज्य विद्युत बोर्ड को की जाएगी। इस कम्पनी ने राजस्थान राज्य सरकार, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से प्रारंभिक विचार-विमर्श किया है। इस कम्पनी से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हो जाने और उसकी जांच किए जाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इस मामले में निर्णय लिया जाएगा।

सड़कों का निर्माण

3361. **श्री हरिन पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और अन्य राज्यों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है; और

(ख) इस पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गुजरात व अन्य राज्यों के सड़कों की किलोमीटर में लम्बाई और उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्माण ग्रामीण सड़कें

निर्माता ग्रामीण सड़कें (कि. मी.) में

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्ध्र प्रदेश	6643.41	12315.93	6422.55	7456.93	11883.47	0.00	44722.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	363.52	225.12	551.00	544.00	38.00	13.00	1732.64
3.	असम	1420.41	2207.76	1657.83	2411.95	1401.47	1393.19	10492.65
4.	बिहार	17224.86	39866.00	7834.82	15483.80	14546.08	1907.25	96864.31
5.	गोआ	20.80	41.00	105.80	173.80	10.00	0.00	351.49
6.	गुजरात	6145.44	3905.11	3566.43	3297.72	3717.49	776.56	21548.75
7.	हरियाणा	159.80	44.21	480.58	154.02	273.41	81.92	1633.94
8.	हिमाचल प्रदेश	1272.00	0.00	397.60	511.93	577.60	6.00	2765.18
9.	जम्मू व कश्मीर	1582.00	1916.00	1678.00	1184.00	1160.00	639.00	8159.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	कर्नाटक	23134.00	9370.00	11730.00	9615.00	9511.00	1626.00	64986.00
11.	केरल	3552.28	2144.42	1873.38	1767.19	1587.14	386.61	11291.02
12.	मध्य प्रदेश	14507.07	5970.00	6441.30	7887.45	6691.09	4335.09	46032.00
13.	महाराष्ट्र	5038.00	2669.00	4517.00	5250.00	4654.00	625.60	22733.60
14.	मणिपुर	1644.75	2441.95	96.00	455.83	1588.00	144.00	6340.53
15.	मेघालय	17.50	70.00	62.50	351.78	399.00	26.00	926.78
16.	मिजोरम	149.70	1110.00	531.00	275.50	503.00	236.05	2905.25
17.	नागालैंड	228.52	156.53	132.41	208.11	182.35	0.00	907.92
18.	उड़ीसा	28181.09	31262.45	19704.75	16484.69	15923.49	2249.90	113806.37
19.	पंजाब	446.00	155.00	5.00	0.00	0.00	0.00	606.00
20.	राजस्थान	3366.00	2383.00	1490.75	1653.33	884.40	445.00	10222.49
21.	सिक्किम	0.00	525.00	747.69	646.15	720.00	111.25	2750.09
22.	तमिलनाडु	7244.00	2925.11	2639.55	2679.00	4430.92	713.17	20631.75
23.	त्रिपुरा	575.50	870.62	881.72	831.92	908.98	226.69	4295.43
24.	उत्तर प्रदेश	46196.30	16671.36	26763.00	26726.00	21864.00	216.00	138371.32
25.	पश्चिम बंगाल	10716.00	9222.00	11114.00	17100.00	13862.00	2443.00	64457.00
26.	अंडमान व निकोबार	124.87	0.12	24.14	13.00	48.55	0.00	210.68
27.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	42.64	84.51	40.95	33.60	33.50	10.00	245.20
29.	दमन व द्वीप	7.49	4.25	0.05	0.00	4.00	0.00	15.79
30.	दिल्ली	6.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
31.	लक्षद्वीप	4.77	4.73	0.00	0.00	1.50	0.00	10.70
32.	पांडिचरी	9.58	7.97	16.41	9.63	4.11	0.00	47.70
	कुल	180238.96	148912.26	111706.38	123196	117386.25	19533.27	699973.48

विवरण-II

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों पर खर्च

		खर्च (रुपए लाख में)						
क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2901.68	4536.66	3330.14	3678.20	4788.46	0.00	19235.14
2.	अरूणाचल प्रदेश	37.96	47.73	34.447	31.39	22.34	7.94	181.08
3.	असम	1855.82	19084.15	1861.17	1732.21	1344.30	1684.04	10462.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बिहार	3857.30	9069.12	1482.71	7715.08	10527.18	1290.48	33941.87
5.	गोआ	129.78	35.31	125.61	32.04	15.50	0.00	229.24
6.	गुजरात	2870.04	2342.09	2825.43	2300.04	1460.90	711.02	12509.92
7.	हरियाणा	217.57	728.48	1139.04	399.88	344.45	199.36	3228.78
8.	हिमाचल प्रदेश	171.46	357.96	89.68	98.38	87.11	2.30	806.89
9.	जम्मू व कश्मीर	164.43	425.58	429.78	162.73	187.93	408.03	1778.83
10.	कर्नाटक	2059.95	2105.96	1683.27	2082.07	2970.70	709.95	11611.20
11.	केरल	3935.67	3273.89	3202.49	2719.67	1467.20	601.86	15200.79
12.	मध्य प्रदेश	2169.15	1197.07	1536.52	2327.50	2671.78	1048.93	10950.95
13.	महाराष्ट्र	1964.82	400.35	2608.56	1348.12	1746.13	139.65	8707.63
14.	मणिपुर	131.97	182.53	6.91	25.40	40.88	5.02	392.71
15.	मेघालय	0.00	5.96	13.75	45.32	9.97	11.74	86.74
16.	मिजोरम	92.86	307.56	92.61	77.91	66.73	44.61	682.28
17.	नागालैंड	114.26	78.26	66.21	104.06	10.43	0.00	373.22
18.	उड़ीसा	3486.24	4494.43	3736.42	2857.35	6035.87	348.29	19008.80
19.	पंजाब	49.84	6.97	1.07	0.00	0.00	0.00	57.80
20.	राजस्थान	526.71	1452.64	661.69	1176.14	515.34	245.45	4577.97
21.	सिक्किम	0.00	52.00	105.45	105.67	43.40	15.07	321.60
22.	तमिलनाडु	4872.42	4054.79	3846.05	3966.22	4897.73	602.92	22240.13
23.	त्रिपुरा	9.50	82.26	73.95	89.29	106.27	31.17	392.44
24.	उत्तर प्रदेश	23740.98	8064.92	11895.89	20418.82	18578.44	199.39	82899.44
25.	पश्चिम बंगाल	2154.97	1801.59	3198.28	5098.28	1090.98	611.31	13952.41
26.	अंडमान व निकोबार द्वप समूह	23.60	0.00	13.21	1.52	13.72	0.00	52.05
27.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	28.78	22.46	33.63	28.26	8.82	2.72	124.67
29.	दमन व द्वीप	23.60	5.65	6.90	0.00	11.11	2.03	49.29
30.	दिल्ली	0.04	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
31.	पांडिचरी	10.30	1.99	1.55	4.36	8.18	2.99	29.37
	कुल	57624.33	47138.24	44137.79	58655.02	57342.98	8926.27	273824.63

चीनी प्रौद्योगिकी मिशन

3362. श्री अनन्त राव देशमुख : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित चीनी प्रौद्योगिकी मिशन ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मिशन द्वारा देश में चीनी की बार-बार कमी के संबंध में समाधान खोजने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). चीनी प्रौद्योगिकी मिशन का मुख्य उद्देश्य चीनी कारखानों में इस प्रौद्योगिकी को तेज और फोकस करते हुए उसका दर्जा बढ़ाना है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ चीनी उत्पादन में लागत सार्थकता, ऊर्जा की कम खपत और चीनी की क्वालिटी में सुधारों को प्राप्त किया जा सके। इस परियोजना की कुल अवधि 5 वर्ष है। चीनी प्रौद्योगिकी मिशन फोकस प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लाभों का प्रदर्शन करने के लिए लगभग 30 कारखानों और अनेक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को कवर करेगा। पिराई मौसम 1994-95 में दो प्रौद्योगिकियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करना संभव हुआ। ये दोनों नई प्रौद्योगिकियां चीनी बनाने में होने वाली चीनी के नुकसानों को कम करने के क्षेत्र में हैं और इन्हें दो अलग-अलग चीनी कारखानों में प्लांट स्केल पर प्रदर्शित किया गया है।

(ग) चीनी प्रौद्योगिकी मिशन का लक्ष्य चीनी उद्योग का प्रौद्योगिकीय उन्नयन करना है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि हो।

[हिन्दी]

कार्यालय के कार्य में हिन्दी का प्रयोग

3363. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की राजभाषा विभाग समिति ने कार्यालय संबंधी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सूची बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). जी, हां। हिन्दी, हिन्दी टाइप व हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण देने के लिए राजभाषा विभाग के निदेशानुसार रोस्टर बनाये गये हैं जिसके अनुसार राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अधीन चलाये जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने के लिए कर्मचारियों को समय-समय पर नामित किया जाता है।

प्रशिक्षण की प्रगति की समीक्षा विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में की जाती है।

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय की सर्किट पीठ

3364. श्री चित्त बसु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बीच केन्द्र सरकार से कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की एक सर्किट पीठ स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने अनुरोध के संबंध में क्या कारण दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल सरकार ने 1984 में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को यह अभ्यावेदन किया था कि उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ कलकत्ता से स्थापित की जानी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करें।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध मे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार

3365. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारों से सार्वजनिक जीवन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए निर्देश दिए हैं जैसा कि 30 मार्च, 1995 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में सार्वजनिक जीवन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए गये हैं या उठाए जायेंगे?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार को इस विषय पर उच्चतम न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। 'कॉमन कॉज', एक पंजीकृत समिति ने उच्चतम न्यायालय में लोकहित में एक मुकदमा रिट याचिका (सी) सं. 26/1995, दायर किया है जिसके लिए संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा साथ ही राज्य सरकारों तथा अन्य प्रतिवादियों को भी प्रत्युत्तर दायर करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। यह मामला न्यायाधीन है।

प्रौद्योगिकी उद्यान

3366. श्री अन्ना जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया में सफलतापूर्वक चलायी गयी प्रौद्योगिकी उद्यान संबंधी योजना का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारत में ऐसी ही कोई योजना कार्यान्वित करने का इरादा है; और

(ग) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विदेशों तथा भारत के विभिन्न माडलों का परीक्षण करने के बाद देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को स्थापित करने के लिए एक योजना आरंभ की। अब तक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में 12 विज्ञान और औद्योगिकी उद्यमी पार्क (स्टेट्स) अनुमोदित किये हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, अखिल भारतीय वित्त संस्थानों, राज्य सरकारों तथा मेजबान संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से सहायता दी जाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क नवोन्मेष तथा उद्यमवृत्ति विकास के लिए बुनियादी तथा तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, साफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क (एस टी पी एस) और इलैक्ट्रानिक्स हार्डवेयर टैक्नोलॉजी पार्कों की (ई एच टी पी एस) स्कीमों को इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के तत्वावधान में चलाया जा रहा है।

जनसंख्या वृद्धि दर

3367. श्री सी.पी. मुडला गिरिप्पा :

श्री वी. कृष्णा राव :

श्री के. जी. शिवप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक सूचना तथा नीति विश्लेषण विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज के अनुसार विश्व जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन कारणों से प्रजनन पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा भारत में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). जी. हां। संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन 'विश्व जनसंख्या प्रोस्पेक्ट्स द 1992 रिवीजन' के अनुसार विश्व जनसंख्या दर मध्यम परिवर्ती अनुमानों के अनुसार वर्ष 1955-1990 में 1.7 प्रति वार्षिक से घटकर 2020-2025 तक 1.0 प्रतिशत वार्षिक हो जाएगी।

(ग) सामाजिक रीतियां तथा विश्वास, पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा, महिला साक्षरता, शिशु मृत्युदर तथा परिवार का आर्थिक स्तर इत्यादि जैसे अनेक घटक हैं, जिनसे प्रजननता प्रभावित होती है।

(घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एक कार्ययोजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके मुख्य घटकों में सेवाओं को गुणवत्ता में सुधार लाना तथा उन्हें दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाना, युवा आयु के दम्पतियों में बच्चों के जन्मों में अन्तर रखने के तरीकों का संवर्धन, 90 पिछड़े जिलों पर उनके जनांकिकीय पैरामीटरों में सुधार करने हेतु विशेष ध्यान देना, सामुदायिक भागीदारी का संवर्धन करने तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या का संवर्धन करने हेतु उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु स्वैच्छिक तथा गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना शामिल है।

जन्म दर

3368. श्री रतिलाल वर्मा :

श्री रामपूजन पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में जन्म दर कितनी-कितनी थी;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राप्ति हेतु जन्म दर का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन प्रणाली के अनुसार वर्ष 1991, 1992 तथा 1993 की जन्म दरों के राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग). 26 प्रति हजार आबादी।

(घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके मुख्य घटकों में सेवाओं की गुणवंत्ता में सुधार लाना तथा उन्हें दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाना, युवा आयु के दम्पतियों में बच्चों के जन्मों में अन्तर रखने के तरीकों का संवर्धन, 90 पिछड़े जिलों पर उनके जनांकिकीय पैरामीटरों में सुधार करने के हेतु विशेष ध्यान देना, सामुदायिक भागीदारी का संवर्धन करने तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या का संवर्धन करने हेतु उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु स्वैच्छिक तथा गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना शामिल है।

विवरण

1991, 1992 तथा 1993 वर्षों की जन्म-दर (प्रति हजार आबादी) का राज्यवार नमूना पंजीयन प्रणाली अनुमान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	जन्म दर		
		1991	1992	1993
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	26.0	24.5	24.3
2.	असम	30.9	30.8	29.5
3.	बिहार	30.7	32.2	32.0
4.	गुजरात	27.5	28.1	28.0
5.	हरियाणा	33.1	32.0	30.9
6.	हिमाचल प्रदेश	28.5	28.1	26.7
7.	जम्मू व कश्मीर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
8.	कर्नाटक	26.9	26.3	25.5
9.	केरल	18.3	17.7	17.4
10.	मध्य प्रदेश	35.8	34.9	34.9

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	26.2	25.3	25.2
12.	उड़ीसा	28.8	27.8	27.2
13.	पंजाब	27.7	27.1	21.3
14.	राजस्थान	35.0	34.9	35.1
15.	तमिलनाडु	20.8	20.7	19.5
16.	उत्तर प्रदेश	35.7	36.3	36.2
17.	पश्चिम बंगाल	27.0	24.8	25.7
18.	अरूणाचल प्रदेश	30.9	26.6	28.0
19.	गोआ	16.8	14.7	14.7
20.	मणिपुर	20.1	19.5	20.5
21.	मेघालय	32.4	29.8	28.5
22.	नागालैंड	18.5	19.2	20.0
23.	सिक्किम	22.5	22.0	24.3
24.	त्रिपुरा	24.4	23.1	23.3
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.0	20.0	21.6
26.	चंडीगढ़	13.9	15.6	18.5
27.	दादर व नगर हवेली	31.1	37.8	33.6
28.	दिल्ली	24.7	26.0	22.7
29.	दमन व द्वीप	27.9	24.8	25.3
30.	लक्षद्वीप	27.1	25.0	25.7
31.	मिजोरम	अनुपब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
32.	पांडिचेरी	19.2	19.8	11.5
	भारत	29.5	29.2	28.7

स्रोत : नमूना पंजीयन प्रद्धति, भारत के महापंजीयक।

[हिन्दी]

जम्मू कश्मीर में चुनाव

3369. **श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री अन्ना जोशी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्थिति अनुकूल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य में चुनाव कराने से पहले इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से परामर्श करेगी; और

(घ) राज्य में कब तक चुनाव कराये जायेंगे?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ). सरकार का उद्देश्य जम्मू व कश्मीर राज्य में, शीघ्रातिशीघ्र लोकतांत्रिक और लोक प्रतिनिधित्व वाली सरकार की बहाली सुनिश्चित करने का है। स्थिति की लगातार और गहराई से समीक्षा की जा रही है और उस पर निरन्तर नजर रखी जा रही है और इस उद्देश्य की प्राप्ति और अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने तथा बंदूक का भय कम करने के लिए आतंकवादियों के खिलाफ निरन्तर और लक्ष्यबद्ध अभियान चलाना; राज्य में विकास तथा आर्थिक गतिविधियों की गति को तेज करने का प्रयास करना, सिविल प्रशासन को पुनः सक्रिय बनाना और इसके मनोबल की पुनः बहाली के लिए कार्रवाई करना, जनता का सहयोग लेकर प्रशासन में उनके विश्वास को पुनः बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाना, राज्य में राजनैतिक तत्वों को पुनः सक्रिय करना और लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करने के अलावा निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को रिहा करने जैसे कदम शामिल हैं। इसके साथ-साथ, चुनावों के संबंध में प्रक्रियात्मक पहलुओं, जिसमें चुनाव क्षेत्रों का परिसीमांकन करना तथा मतदाता सूचियों की पुनरीक्षा करना शामिल है, भी किया गया है। विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ भी सकार विचार-विमर्श कर रही है।

इन सभी उपायों का स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता रहा है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सम्पूर्ण वातावरण तथा राज्य में चुनाव कराने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। तथापि, राज्य में चुनाव कब कराए जायेंगे, इसके लिए कोई निश्चित तिथि बताना व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

[अनुवाद]

नई चीनी मिलें

3370. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में पांच चीनी मिलों और चार चीनी मिलों के विस्तार संबंधी प्रस्तावों को खाद्य विभाग ने स्वीकृति दे दी है और उन्हें उद्योग मंत्रालय की स्वीकृति के लिए भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रस्तावों को उद्योग मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं। खाद्य मंत्रालय ने इस विषय पर की गई पहली की अपनी सिफारिशों को वापस ले लिया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

नवीकरण योग्य ऊर्जा संस्थान

3371. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नवीकरण योग्य ऊर्जा संस्थान बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसकी प्रमुख बातें क्या हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने पहले ही हरियाणा के गुड़गांव जिले के ग्वालपहाड़ी स्थान पर एक सौर ऊर्जा केन्द्र की स्थापना की है। इस केन्द्र द्वारा सौर तापीय और सौर प्रकाश वोल्टीय उत्पादों, प्रणालियों के विकास और मानकों एवं विशिष्टियों का विकास कार्य किया जाता है और यह सौर प्रौद्योगिकियों से सम्बद्ध सूचना और प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। इस केन्द्र की सेवाओं का उपयोग उद्योग, उपयोगकर्ता एजेन्सियों और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यह केन्द्र सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जी-15 देशों के बीच सहयोग का समन्वयन कर रहा है और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यकलापों में भी भाग लेता है। इस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भूमि सुधारों संबंधी कानून

3372. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बनाए गए भूमि सुधारों संबंधी कानून सफल नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार के भूमि सुधारों हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल: (क) और (ख). यह कहना उचित नहीं है कि भूमि सुधार कानून लाभकारी सिद्ध नहीं हुए हैं। इस क्षेत्र में काफी प्रगति की गई है जिसकी निम्नलिखित तथ्यों से पुष्टि होती है :

(1) पूर्व-मध्यस्थ हितों के उन्मूलन के लिए इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 20 मिलियन खेतिहर राज्यों के सीधे सम्पर्क में लाए थे। 15 मिलियन एकड़ की अनुमानित बेकार, परती भूमि तथा भूमि की अन्य श्रेणियों को राज्यों में निहित किया गया है।

(2) काश्तकारी सुधारों से मालिकाना अधिकारों को प्रदान करने अथवा लगभग 153.53 लाख एकड़ की भूमि से सम्बन्धित 112.92 लाख खेतीहरों को बेदखली से सुरक्षा दी गई है।

(3) हद बंदी कार्यक्रम के अंतर्गत 73.43 लाख एकड़ भूमि को फालतू भूमि घोषित किया गया है जिसमें से अधिकतर कमजोर वर्गों के 49.57 लाख लाभार्थियों को 51.09 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है।

(4) अधिकतर राज्यों ने या तो अनिवार्य या एच्छिक आधार पर जोतों की चकबंदी के लिए कानून बनाए हैं जिससे 1556.12 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी हुई है।

(5) भूमि सुधार एक बहुमुखी कार्यक्रम है। राज्यों ने विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त की है।

(ग) भूमि राज्यों का विषय है, इसलिए भूमि सुधारों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार केवल समन्वयी तथा सलाहकार की भूमिका अदा करती है। तथापि, भारत सरकार, राज्यों में भूमि सुधारों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करती है। बीस सूत्री कार्यक्रम के बिन्दु संख्या (5)क के अंतर्गत अधिकतम सीमा से फालतु भूमि के वितरण के लिए भारत सरकार वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित करती है। पिछले वर्ष 1994-95 के लिए निर्धारित लक्ष्य 563850 एकड़ थे। सूचित उपलब्धियां 33042 एकड़ (दिसम्बर, 1994) हैं।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

3373. श्री प्रवीण डेका :

श्री पीटर जी. मरबनिआंग :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए सम्भावनाओं का आकलन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार): (क) और (ख). देश में मुख्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों और प्रौद्योगिकियों की अनुमानित संभाव्यता नीचे दी गई है :

अक्षय ऊर्जा स्रोत	संभाव्यता
पवन ऊर्जा	20,000 मेवा.
लघु पन बिजली	10,000 मेवा.
बायोमास सह-उत्पादन	3,500 मेवा.
बायोगैस संयंत्र	120 लाख
उन्नत चूल्हा	1200 लाख

इस संभावना का ठीक-ठीक राज्यवार अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों की संचयी वास्तविक उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

संचित वास्तविक उपलब्धियां एक नजर में

क्रम सं.	कार्यक्रम	यूनिट	आरंभ से मार्च, 95 तक
1	2	3	4
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	लाख संख्या	21.11
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	सं.	1231
3.	उन्नत चूल्हा	लाख सं.	189.32

1	2	3	4
4.	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	ब्लाक	552
5.	सौलर थर्मल प्रणाली	वर्गमीटर क्षेत्र	3,03,487
6.	सौर कुकर	सं.	3,66,642
7.	सौर प्रकाशवोल्टीय		
क.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत यूनिट	के डब्लू यू पी	575.86
ख.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनी/टी.वी. और सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	954
ग.	प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणाली	संख्या	24,968
घ.	प्रकाशवोल्टीय लालटेन	संख्या	28,470
ङ.	प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी	संख्या	32,444
च.	प्रकाशवोल्टीय पम्प और प्रकाशवोल्टीय सिंचाई पंप	संख्या	1,373
8.	पवन पम्प	संख्या	3,289
9.	पवन बैटरी चार्जर	संख्या	145
10.	पवन फार्म	मेवा.	350
11.	मिनी-माइक्रो हाइड्रो	मेवा.	138.67
12.	ऊर्जाग्राम-परियोजना	संख्या	306
13.	बायोमास आधारित बिजली सह-उत्पादन	मेवा.	16
14.	बायोमास कम्बस्टन आधारित विद्युत	मेवा.	10
15.	बायोमास स्टैंडलोन गैसीफायर	मेवा.	20
16.	शहरी और औद्योगिक ऊर्जा परियोजना	संख्या	4
17.	बैटरी चालित वाहन	संख्या	194
18.	एल्कोहल चालित वाहन	संख्या	148

आंकड़े अद्यतन

मतदाता सूची

3374. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरूदास कामत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कुछ राज्यों की मतदाता सूचियों में विदेशी नागरिकों के नाम सम्मिलत होने के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ व्यक्तियों/एजेंसियों को विदेशी विस्थापितों को मतदाता पहचान पत्र देने में लिप्त पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है। अतः निर्वाचक-नामावलियों में विदेशी राष्ट्रिकों के नाम सम्मिलित किए जाने से संबंधित शिकायतों का केन्द्रीय सरकार को किया जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह ऐसी शिकायतों पर कोई कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार शिकायतों का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उक्रेन के साथ अन्तरिक्ष अनुसंधान परियोजनाएं

3375. **श्री के. प्रधानी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उक्रेन के साथ कुछ संयुक्त अन्तरिक्ष अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समझौता कब से प्रभावी हो जाएगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और उक्रेन के बीच एक सामान्य करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की जाने वाली विशिष्ट सहयोगी परियोजनाओं पर दोनों पक्षों द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

(ग) यह सामान्य करार सितम्बर 16, 1994 को हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी हो गया है।

सौर तापीय विद्युत संयंत्र

3376. **श्री प्रेमचंद राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में गया में सौर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के संबंध में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से 230 मेवा के एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र के लिए संभाव्यता रिपोर्ट वर्ष 1989 में प्राप्त हुई। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने लाइन संकेन्द्रण सौर संग्राहक प्रौद्योगिकी पर आधारित इस परियोजना को गया शहर से लगभग 17 कि.मी. दूर फतेहपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव किया था।

(ग) सौर तापीय माध्यम से विद्युत का उत्पादन करना एक नई प्रौद्योगिकी है जो गहन पूंजी निवेश वाली है। तद्नुसार पहले आठवीं योजना के दौरान राजस्थान में एक अनुसंधान एवं विकास-सह-प्रदर्शन परियोजना को हाथ में लिए जाने की योजना है। इस प्रौद्योगिकी की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित हो जाने के पश्चात् बाद में अन्य परियोजनाओं को हाथ में लिया जा सकेगा।

वकीलों द्वारा हड़ताल

3377. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वकीलों की बार-बार की हड़ताल से पैदा होने वाली समस्याओं से निपटने और न्यायालयों के बन्द होने, जिस कारण मुकदमों की संख्या में काफी वृद्धि हो जाती है, को रोकने हेतु उचित दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए वकीलों और न्यायाधीशों की एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की इकाइयां

3378. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा कर्नाटक में सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की इकाइयां अलाभप्रद हैं तथा इन्हें आधुनिक बनाने तथा इनमें सुधार लाने के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अलाभप्रद इकाइयों को बेचने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी हां। मध्य प्रदेश में अकलतरा, मांढर और नयागांव नामक तीन इकाइयां और हरियाणा (चर्खी दादरी) तथा कर्नाटक (कुर्कुटा) में एक-एक इकाई अक्षम है और इनके आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता है।

(ग) और (घ). किसी भी अक्षम इकाई को बेचने का अंतिम निर्णय सरकार द्वारा अभी तक नहीं लिया गया है।

रेड क्रास सोसायटी में अनियमितताएं

3379. **श्री जगत बीर सिंह द्रोण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेड क्रास सोसायटी, कानपुर में व्याप्त अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

भारतीय ट्रेक्टर

3380. **श्रीमती शीला गौतम** :

श्री राजेश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुणवत्ता की दृष्टि से भारतीय ट्रेक्टर अन्य देशों में निर्मित ट्रेक्टरों की तुलना में काफी निम्न कोटि के हैं तथा सरकार को भारतीय ट्रेक्टर आयात करने वाले देशों से शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय ट्रैक्टरों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग

विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए गर्भनिरोधक

3381. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय महिलाओं के लिए नए गर्भनिरोधकों के संबंध में प्रायोगिक अध्ययन करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत इसे शुरू करने हेतु अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो यह अध्ययन कब तक शुरू किया जाएगा और इससे जनसंख्या पर कितना नियंत्रण होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अशोक पेपर मिल

3382. श्री उदय प्रताप सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में स्थित अशोक पेपर मिल बन्द पड़ा हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसे पुनः चालू करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक पुनः चालू किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, हां।

(ख) से (घ). अशोक पेपर मिल कामगार यूनियन ने अशोक पेपर मिल (बिहार यूनिट) को पुनः खोलने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्जीवन पैकेज प्रस्तुत किया था। उच्चतम न्यायालय के निदेश पर सरकार द्वारा पुनर्जीवन पैकेज की जांच की गई है और दिसम्बर 1994 में उच्चतम न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि मिल का निजीकरण करने के लिए प्रयास किये जाएं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मिल के निजीकरण के लिए हमारी सिफारिशों को मान लिया है और निदेश दिया है कि इस दिशा में उपयुक्त उपाय किए जाएं।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रिक्तियां

3383. डा. जी.एल. कनौजिया :

श्री मंजय लाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में **प्रथम से चतुर्थ श्रेणियों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और** अन्य पिछड़ा वर्ग के कई पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पदों को शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) संस्थान इन पदों को भरने का प्रयास कर रहा है।

विवरण

क्र.सं. पदों की श्रेणी	01.04.1995 की स्थिति के अनुसार रिक्त पदों की संख्या			
	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ी जातियां	कुल
1. समूह "क" (संकाय पद)	1	8	—	09
2. समूह "क" (गैर संकाय)	4	5	—	09
3. समूह "ख"	75	27	1	103
4. समूह "ग"	136	62	65	263
5. समूह "घ"	21	10	27	58

तेलसारी में वायु सेना बेस

3384. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के बालासोर जिले में चन्दनेश्वर के निकट तेलसारी में एक वायुसेना बेस स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर निर्माण-कार्य कब तक शुरू किया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, नहीं। इस समय उड़ीसा के बालासोर जिले में चन्दनेश्वर के निकट तेलसारी में वायुसेना बेस स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय दंड संहिता में संशोधन

3385. श्री मंजय लाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्रिटिश शासन के समय से चली आ रही

विद्यमान भारतीय दंड संहिता तथा अन्य कानूनों का पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुराने कानूनों में परिवर्तन तथा संशोधन करने के लिए कोई समिति स्थापित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). जी, हां। भारतीय दंड संहिता में अपेक्षित परिवर्तनों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय राज्य मंत्री (विधि और न्याय) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

वकीलों की हड़ताल पर सम्मेलन

3386. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वकीलों हेतु राष्ट्रव्यापी आचार संहिता तैयार करने के उद्देश्य से वकीलों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

3387. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों को वास्तविक विदेशी पूंजी निवेश प्रक्रिया में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार के अनुरोध पर अपनी नीतियों तथा कार्यप्रणाली की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 1993-94 के दौरान राज्यवार और औद्योगिक क्षेत्रवार स्थापित किए गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(च) 1994-95 के दौरान स्थापित किए गए उद्योगों तथा विचाराधीन औद्योगिक प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). विदेशी निवेश सहित औद्योगिक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के बीच परस्पर विचार-विमर्श एक सतत् प्रक्रिया है। अन्य बातों के साथ-साथ सिंगल विंडो अनुमोदन प्रणाली, उन्नत बुनियादी सुविधाओं/सेवाओं और अनुमति/कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर करने की जरूरत पर बल दिया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप नीति संबंधी घोषणाओं, सिंगल विंडो अनुमोदन प्रणालियों में संशोधन, निवेश प्रस्तावों की निगरानी के लिए आम मंच और विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय सुविधा समितियों का गठन किया गया है। सरलीकरण, नियमों, कार्यविधियों को युक्तियुक्त बनाने इत्यादि का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ङ) और (च) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान विदेशी निवेश के साथ-साथ उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में दिये गये हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान अनुमोदित विदेशी निवेश प्रस्तावों के उद्योग-क्षेत्रवार ब्यौरे विवरण-II में दिये गये हैं। विदेशी निवेश के साथ वास्तविक रूप से स्थापित किये गये उद्योगों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विदेशी निवेश के लिए प्रस्तावों को प्राप्त करना और इन पर विचार करना एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

विवरण-I

जनवरी, 1993 से दिसम्बर, 1994 तक की अवधि में सभी अनुभागों द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामलों की राज्यवार रिपोर्ट

राज्य	जनवरी, 93	दिसम्बर, 93	जनवरी,94	दिसम्बर, 94
	सं.	निवेश	सं.	निवेश
		(करोड़ रु.)		
महाराष्ट्र	110	1561.45	216	3744.71
प.बंगाल	20	75.6	45	2844.21
दिल्ली	74	856.66	102	1704.13
अन्य	214	3035.99	147	1302.01
गुजरात	35	618.88	52	1142.39
आन्ध्र प्रदेश	45	249.85	74	779.69

तमिलनाडु	87	704.01	102	638.98
पंजाब	6	3.44	21	495.90
मध्य प्रदेश	14	475.71	26	436.61
कर्नाटक	46	73.24	76	288.30
राजस्थान	24	81.40	35	253.61
हरियाणा	43	105.84	58	202.06
पाण्डिचेरी	3	0.58	9	111.22
उड़ीसा	11	756.31	5	57.28
उत्तर प्रदेश	20	76.43	45	52.51
गोवा	10	35.89	6	31.17
दादर और नगर हवेली	3	7.79	4	28.44
बिहार	2	50.38	5	20.59
केरल	7	24.05	14	11.39
हिमाचल प्रदेश	2	2.31	7	10.45
चण्डीगढ़	4	62.44	4	9.13
दमन और द्वीव	3	2.43	3	3.05
त्रिपुरा	—	—	1	0.68
अरूणाचल प्रदेश	—	—	1	0.56
असम	1	0.20	1	0.07
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0.90	3	0.06
	785	8861.80	1062	14187.19

विवरण-II

जनवरी, 93 से दिसम्बर, 94 तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग के मामलों के उद्योगवार ब्यौरे की सूची

क्रम सं.	उद्योग का नाम	(जन., 93 से दिस., 93)				(जन., 94 से दिस.,94)			
		योग	तक	वित्त	राशि (करोड़ रुपयों में)	योग	तक	वित्त	राशि
1.	धातुकर्मी उद्योग								
	लोह	42	23	19	2112.53	39	22	17	752.35
	अलौह	15	7	8	591.06	9	4	5	119.80
	विशेष मिश्रधातु	12	7	5	16.88	3	2	1	1.80
	विविध (अन्य मद) धातुकर्मी	1	0	1	0.06	16	12	4	43.45
	योग	70	37	33	2720.53	67	40	27	917.39

2.	ईंधन								
	बिजली	3	0	3	446.33	5	0	5	2506.18
	तेलशोध शाला	17	7	10	881.52	16	5	11	766.89
	अन्य (ईंधन)	15	8	7	12.69	11	0	11	545.98
	योग	35	[illegible]	20	1358.54	32	5	27	3809.05
3.	बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	10	4	6	53.83	11	7	4	3.47
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत के अलावा)	1	1	0	0.00	8	6	2	2.25
	विद्युत उपकरण								
5.	विद्युत उपकरण	157	94	63	193.81	206	127	79	422.29
	कम्प्यूटर साफ्टवेयर उद्योग	58	9	49	377.22	79	5	74	114.46
	इलेक्ट्रानिक्स	30	9	21	34.39	33	7	26	152.18
	अन्य (एस/डब्ल्यू.)	10	3	7	5.92	2	1	1	0.73
	योग	255	115	140	611.35	320	140	180	689.15
6.	दूरसंचार	17	12	5	46.98	16	10	6	19.54
7.	परिवहन उद्योग								
	आटोमोबाइल उद्योग	48	31	17	262.15	49	32	17	202.90
	वायुयान/समुद्री परिवहन	8	1	7	42.52	14	1	13	1002.96
	अन्य (परिवहन)	9	9	0	0.00	6	3	3	3.23
	योग	65	41	24	304.67	69	36	33	1209.09
8.	औद्योगिक मशीनरी	154	109	45	86.84	138	89	49	658.12
9.	मशीनी औजार	14	6	8	10.73	24	14	10	18.89
10.	कृषि मशीनरी	6	6	0	0.00	5	4	1	155.80
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	9	7	2	0.60	11	7	4	11.73
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	57	28	29	30.37	54	18	36	69.67
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	15	9	6	9.08	5	0	5	8.71
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	7	2	5	8.15	4	2	2	6.43
15.	औद्योगिक उपकरण	13	9	4	1.69	14	9	5	0.84
16.	वैज्ञानिक उपकरण	1	0	1	0.19	2	1	1	0.34
17.	उर्वरक	8	7	1	1.66	8	7	1	0.99
18.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	153	88	65	370.12	182	98	84	1448.69
19.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	3	1	2	10.73	2	1	1	2.00
20.	रंजक सामग्री	2	0	2	2.17	4	2	2	3.70
21.	औषध तथा भेषज	34	17	17	29.91	48	26	22	162.95
22.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित सहित)	62	21	41	78.76	84	18	66	974.21
23.	कागज तथा लुगदी कागज उत्पाद सहित	12	7	5	113.57	23	7	16	258.72
24.	चीनी	2	0	2	53.50	0	0	0	0.00
25.	फर्मेंटेशन उद्योग	12	1	11	172.45	8	4	4	23.50
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग								
	खाद्य उत्पाद	78	15	63	853.63	106	24	82	650.33
	मेराइन उत्पाद	29	7	22	28.55	24	5	19	34.27
	विविध खाद्य उत्पादन	1	0	1	6.80	0	0	0	0.00
	योग	108	22	86	888.98	130	29	101	684.60

27.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	4	0	4	10.70	8	0	8	11.88
28.	साबुन, कास्मेटिक								
	तथा टायलेट प्रिप्रेशन	5	2	3	0.47	11	3	8	25.83
29.	रबड़ की वस्तुएं	24	13	11	60.27	22	12	10	32.40
30.	चमड़ा तथा चमड़े का								
	सामान व परिष्कारक	25	10	15	16.44	34	4	30	25.25
31.	कांच	6	4	2	50.58	7	1	6	85.76
32.	सिरेमिक्स	34	10	24	28.58	26	9	17	202.21
33.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	8	6	2	26.70	10	1	9	335.49
34.	टिम्बर उत्पाद	1	0	1	0.11	0	0	0	0.00
35.	सुरक्षा उद्योग	1	1	0	0	1	1	10	0.00
36.	परामर्शदायी सेवाएं								
	डिजाईन तथा इंजीनियरी सेवाएं	7	1	6	0.91	25	5	20	14.51
	प्रबंध सेवाएं	7	4	3	3.31	9	2	7	1.02
	विपणन	3	0	3	0.10	4	0	4	1.08
	निर्माण	2	1	1	4.00	0	0	0	0.00
	अन्य (परामर्शी सेवाएं)	1	0	1	0.09	0	0	0	0.00
	योग	20	6	14	8.41	38	7	31	17.41
37.	सेवा क्षेत्र	14	0	14	387.68	40	0	40	653.07
	वित्तीय	33	0	33	346.08	56	1	55	469.13
	गैर वित्तीय सेवाएं	1	0	1	0.50	4	0	4	79.33
	बैंकिंग सेवाएं	2	0	2	1.07	1	0	1	10.20
	अन्य सेवाएं								
	योग	50	0	50	1135.33	101	1	100	1211.73
38.	होटल तथा पर्यटन								
	होटल तथा रेस्तरां	26	12	14	442.43	32	10	22	437.36
	पर्यटन	5	2	3	0.55	4	0	4	0.77
	योग	31	14	17	442.98	36	10	26	438.13
39.	ट्रेडिंग कम्पनी	30	0	30	25.67	38	0	38	34.53
40.	विविध उद्योग								
	बागवानी	4	2	2	6.45	13	5	8	5.21
	कृषि	15	7	8	7.24	10	5	5	
	पुष्पखेती	16	9	7	5.69	33	11	22	24.62
	अन्य (विविध उद्योग)	77	42	35	70.79	197	142	55	586.07
	योग	112	60	52	90.17	253	163	90	619.97
	कुल योग	1476	691	785	8861.80	1854	792	1068	14167.19

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा उपकरण

3388. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या प्रधान मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण घरों में अब तक प्रदान किए गए अपारंपरिक ऊर्जा उपकरणों का राज्यवार प्रतिशत कितना-कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी ग्रामीणघरों में ये उपकरण प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). सरकार ग्रामीण परिवारों को अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियां उपलब्ध कराने के लिए दो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों नामत: राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम और राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजन का कार्यान्वयन कर रही है। यह अनुमान लगाया गयी है कि लगभग 12 करोड़ उन्नत चूल्हों और लगभग 1.2 करोड़ परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की संभाव्ता है। अब तक सरकार की वित्तीय सहायता के साथ राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम और राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्रमश: 15.77% और 17.3% संभावित उपयोगकर्ताओं को शामिल किया गया है। शेष संभावित लाभार्थियों को चरणबद्ध रूप से शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। राज्यवार ब्यौरा विवरण I और II में दिया गया है।

अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियां उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही अन्य परियोजनव्ओं में सौर-प्रकाश वोल्टीय, सौर तापीय प्रणालियां, बायोगैस प्रणालियां और पवन पम्प शामिल हैं।

विवरण I

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना फरवरी, 1995 तक संभावित बायोगैस संयंत्रों का राज्यवार विस्तार

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल अनुमानित संभाव्यता	स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों की सं.	संभाव्यता का विस्तार %
1.	आंध्र प्रदेश	1065600	167597	15.7
2.	अरूणाचल प्रदेश	7500	137	1.8
3.	असम	307700	13652	4.4
4.	बिहार	939900	81040	8.6
5.	गोआ	8000	2361	29.5
6.	गुजरात	554000	24862	44.9
7.	हरियाणा	300000	27335	9.1
8.	हिमाचल प्रदेश	125600	34954	27.8
9.	जम्मू एवं कश्मीर	128500	1105	0.9
10.	कर्नाटक	680000	48178	21.8
11.	केरल	150500	41433	27.5
12.	मध्य प्रदेश	1491200	78934	5.3
13.	महाराष्ट्र	897000	548567	61.2
14.	मणिपुर	38700	865	2.2
15.	मेघालय	24000	329	1.4
16	मिजोरम	2200	1093	49.7
17.	नागालैंड	6700	244	3.6
18.	उड़ीसा	605500	102639	17.0
19.	पंजाब	411600	26951	6.5
20.	राजस्थान	915300	54033	5.9
21.	सिक्किम	7300	1359	18.6
22.	तमिलनाडु	615800	175239	28.5
23.	त्रिपुरा	28500	476	1.7
24.	उत्तर प्रदेश	2021000	248726	12.3
25.	पश्चिम बंगाल	695000	79084	11.4
26.	अंडमान व निकोबार	2200	109	5.0
27.	चण्डीगढ़	1400	87	6.2
28.	दादर व नागर हवेली	2000	159	4.8
29.	दमन व द्वीप	100	—	—
30.	दिल्ली	12900	630	4.9
31.	पांडिचरी	4300	530	12.3
32.	अन्य	—	2598	—
	कुल	12050000	2089226	17.3

विवरण II

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम

वर्ष 1994-95 तक उन्नत चूल्हों की संभाव्यता का राज्य वार विस्तार

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित संभाव्यता (संख्या लाख में)	फरवरी 1995 तक स्थापित किए गए चूल्हों की सं. (लाख)	संभाव्यता का विस्तार %
1.	आंध्र प्रदेश	97.08	15.17	15.62
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.50	0.24	15.83
3.	असम	36.00	2.40	6.66
4.	बिहार	123.83	8.51	6.87
5.	गुजरात	50.72	8.10	15.96
6.	गोवा	1.17	0.85	72.81
7.	हरियाणा	20.61	7.55	36.65
8.	हिमाचल प्रदेश	8.53	5.17	60.26
9.	जम्मू और कश्मीर	11.75	2.52	21.43
10.	कर्नाटक	60.76	8.97	14.75
11.	केरल	40.73	4.26	10.45
12.	मध्य प्रदेश	101.58	16.68	16.41
13.	महाराष्ट्र	96.50	13.04	13.52
14.	मणिपुर	2.64	0.47	17.80
15.	मेघालय	2.54	0.12	4.80
16.	मिजोरम	0.73	0.20	4.75
17.	नागालैंड	2.01	0.10	27.66
18.	उड़ीसा	54.55	8.44	15.47
19.	पंजाब	25.38	7.91	31.98
20.	राजस्थान	55.54	17.89	32.20
21.	सिक्किम	0.73	0.36	49.26
22.	तमिलनाडु	80.16	13.72	17.12
23.	त्रिपुरा	4.65	0.11	2.47
24.	उत्तर प्रदेश	187.45	24.09	12.85
25.	पश्चिम बंगाल	98.72	6.68	6.77
26.	अंडमान एवं निकोबार क्षेत्र समूह	0.40	0.24	60.96
27.	चंडीगढ़	0.66	0.16	00
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.25	0.09	35.97
29.	दमन और दीव	0.01	0.10	10.00
30.	दिल्ली	9.06	2.12	23.40
31.	लक्षदीप	0.10	0.04	42.66
32.	अन्य*		12.90	
	जोड़	1177.02 (अर्थात 1200)	189.34	15.7

*अन्य में शामिल हैं खादी ग्रानोद्योग आयोग, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा लगाए गए चूल्हे।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें

3389. डॉ. कृपासिन्धु भोई: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हर एक गांव को बरहमासी सड़कें उपलब्ध कराने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) उक्त उद्देश्यों को लागू करने के लिए अब तक किए गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और परिवाार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). आठवीं योजना (1992-1997) में 1000 और उस से ऊपर (1981 की जनगणना के आधार पर) की जनसंख्या वाले समस्त गांवों की सभी बारहमासी सड़कों के साथ जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

(ग) आठवीं योजना के लिए राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमके अंतर्गत सड़कों के लिए 3066.10 करोड़ रुपए की परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सड़को द्वारा गांवों को जोड़ा जाना राज्य का विषय है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए निधियां राज्य योजना/बजट में से मुहैया कराई जाती है। योजना आयोग, अन्य सड़क योजनाओं/परियोजनाओं में निधियों के अपवर्तन से बचने हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कें) के लिए निधियां निर्धारित करता है।

वाहनों का निपटारा

3390. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत नौ महीनों के दौरान और आज की तिथि तक केन्द्रीय वाहन डिपो द्वारा कितने वाहनों का निपटारा किया गया;

(ख) ये वाहन किस प्रकार के थे;

(ग) सरकार को उसस कितने राजस्वं का उपार्जन हुआ;

(घ) निपटारे के लिए वाहनों के चयन के क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ङ) क्या नीलामी के लिए केवल कुछ खास पार्टियों/नीलामी लेने वालों को बुलाया जाता है; और

(च) यदि हां, तो उन पार्टियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें निपटाए जाने योग्य वाहनों को लेने के लिए एक से अधिक बार बुलाया गया?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है

(घ) कोई भी रक्षा वाहन निपटाने के योग्य हो जाता है, यदि उसने उस श्रेणी के वाहनों के लिए निर्धारित किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली हो अथवा उसके लिए निर्धारित वर्षों तक उपयोग में लाई गई हो, जो भी पहले हो, अथवा किसी दुर्घटना का शिकार हो गई हो और उसे 'मितव्ययी मरम्मत से बाहर' घोषित कर दिया गया हो।

(ङ) और (च). निपटान, सार्वजनिक निविदा-सह-निलामी द्वारा किया जाता है जिसे समाचार माध्यमों द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है तथा नीलामी में बड़ी संख्या में पार्टियां भाग लेती हैं।

विवरण

1 जुलाई, 94 से आज तक सी बी डी दिल्ली कैंट द्वारा निपटान किए गए वाहनों की कुल संख्या

क्र.सं.	वाहनों का मेक और टाइप	मात्रा	प्राप्त की गई धनराशि
1.	मोटर साइकिल सोलो 350 सीसी	520	57,39,855
2.	कार 250 किग्रा 4 x 4जी रिकायलेस	429	1,40,71,208
3.	अम्बेस्डर कार	1	36,000
4.	कार 250 कि ग्रा. 4 x 4 निशान जोंगा	158	29,90,530
5.	ट्रक 1 टन निशान/एम्बुलेंस निशान	370	1,39,55,637
6.	ट्रेलर वेरिअस टाइप	248	11,12,476
7.	लॉरी 3 टन 4 x 4 जनरल सर्विस एस/मैन/वाटर टेंक	654	5,15,84,133
8.	लॉरी 10 टन ए/एल/हिप्पो	2	4,26,600
9.	ट्रैक्टर 5 टन कामेट	6	7,62,700
10.	बस 56 सीटर	2	2,52,600
11.	ट्रैक्टर 10 टन हिप्पो	1	2,36,600
12.	टैक्टर 3/4 टन लैंड रोवर	17	3,68,562
13.	ट्रैक्टर फेडरल 20 टन	1	1,27,786
14.	लॉरी 3 टन टाटा मर्सीडीज बेंज फायर फाइटिंग	1	1,51,200
15.	लॉरी 3.5 टन क्रेन	2	3,56,786
16.	ट्रैक्टर 1 टन फियटआर्टिलरी ट्रैक्टर	4	1,60,100
17.	लॉरी 3 टन 4 x 2 बेड फोर्ड फायर टेंडर	2	1,50,000
18.	ट्रेलर 80 टन	1	1,47,000
19.	लॉरी 3 टन टाटा मर्सीडीज बेंज टिपिंग	2	2,02,310
20.	लॉरी 6.5 टन लॉरी पेसेंजर ट्रक	21	22,13,772
21.	आर्मर्ड पर्सोनल केरियर/बी टी आर	63	66,88,000
22.	लॉरी 3 टन 4 x 2 सर्विस टाटा मर्सीडीज बेंज	2	2,13,034
23.	लॉरी 3 टन 4 x 4 जनरल सर्विस टाटा मर्सीडीज बेंज	9	9,83,628
24.	लॉरी 3 टन 4 x 4 लाइट रिकवरी टाटा मर्सीडीज बेंज	4	4,08,548
25.	ट्रैक्टर 3 टन 4 x 4 फियट आर्टिलरी ट्रैक्टर टाटा मर्सीडीज बेंज	2	2,39,628
		2522	10,35,78,793

[हिन्दी]

विश्व बैंक सहायता

3391. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु गत दो वर्षों के दौरान विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उक्त अवधि के दौरान प्राप्त धनराशि का पूर्ण उपयोग किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवनसिंह घाटोवार) : (क) और (ख). भारत द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार को राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार सहायता दी गई थी :

भारत जनसंख्या परियोजना

1993-94	18.83 करोड़ रू.
1994.95	6.46 करोड़ रु.

शिशु जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व परियोजना

1993.94	11.46 करोड़ रु.
1994-95	16.14 करोड़ रु.

(ग) और (घ). प्राप्त धन का राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूर्णतः सहयोग कर लिया गया है।

[अनुवाद]

रायल्टी की अदायगी

3392. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी कम्पनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों द्वारा रायल्टी की अदायगी की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). विदेशी निवेश नीति के विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर विचार किया जाता है। विदेशी कम्पनियों के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों द्वारा रायल्टी के भुगतान के संबंध में कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा रोजगार सृजन

3393. श्री बालिन कुली : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रोद्योगिकी द्वारा व्यापक रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अंतर्गत 'नीटको', गुवाहाटी के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वर्ष 1993 से वर्ष 1995 की अवधि के दौरान चुने गये व्यक्तियों की कार्यक्रमवार संख्या कितनी है;

(ख) इसके लिए चयन के क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ग) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लाभार्थियों की प्रतिशतता कितनी है;

(घ) क्या उद्यमियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने में गैर-सरकारी संगठनों की सेवायें भी ली गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रशिक्षण के लिए कितना शुल्क लिया जाता है; और

(च) प्रत्येक शिल्प (ट्रेड) के प्रशिक्षण की अवधि कितनी है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) भाग लेने वालों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

व्यवसाय/गतिविधियां	भाग लेने वालों की संख्या	
	1993-94	1994-95
बुनकर की तथा सिलाई/बुनाई	397	225
पशुपालन तथा मधुमक्खीपालन	142	25
कृषि आधारित व्यवसाय	45	100
दस्तकारी	46	30
बहुउद्देशीय मैकेनिक एवं अन्य नौकरियां	100	350

(ख) निर्धारित व्यवसायों के लिए रुचि, वैयक्तिक विशेषताओं एवं गुणों के आधार पर नीटको तथा सहभागी गैरसरकारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से स्थानीय युवाओं में से ही भाग लेने वालों का चयन किया गया था।

(ग) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लाभार्थियों का प्रतिशत 1993-94 में क्रमशः 40%, 20% तथा 56% एवं 1994-95 में क्रमशः 19%, 30% तथा 32% था।

(घ) जी हां।

(ङ) मैगसेट के तहत व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की सेवायें ली गई। योजना में भाग लेने वालों से किसी प्रकार की फीस लिये जाने की बात नहीं है।

(च) मैगसेट के तहत अलग-अलग व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण की अवधि इस प्रकार है :

(1)	कौशल प्रधान व्यवसाय तथा बहुउद्देशी मैकेनिक (एम सी एम)	2-3 महीने
(2)	दस्तकारी प्रधान कार्यक्रम	3 महीने
(3)	पशुपालन	1 महीना
(4)	कृषि आधारित व्यापार	2 महीने

सीबर्ड नेवल प्रोजेक्ट

3394. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कारवाड़ स्थित सीबर्ड नेवल प्रोजेक्ट को सरकार द्वारा शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस पर अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) इसे कब तक पूरा किया जायेगा;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने उपर्युक्त प्रोजेक्ट के लिए दी गई भूमि को वापस लेने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना के लिए मास्टर प्लान और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास कार्य और परिसम्पत्ति की सुरक्षा के उपाय संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

(ग) 31 मार्च, 1995 तक 43.28 करोड़ रुपये।

(घ) इस परियोजना के प्रथम चरण का कार्य 10 वर्ष में पूरा होने का अनुमान है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ). उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

एड्स नियंत्रण

3395. **श्री पीटर जी. मरबनिआंग** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय में अब तक एड्स के कितने रोगियों का पता चला है;

(ख) मेघालय में किन-किन अस्पतालों में एड्स परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा मेघालय सरकार को एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) मेघालय से अब तक 35 एच आई वी पाजिटिव रोगी सूचित किए गए हैं।

(ख) एच आई वी जांच सुविधाएं सिविल अस्पताल, शिलांग में स्थित निगरानी केन्द्र तथा रक्त बैंक पाश्चूर अस्पताल, शिलांग में स्थित जोनल रक्त जांच केन्द्र में उपलब्ध हैं।

(ग)

(1)	1993-94	21.97 लाख रुपये
(2)	1994-95	40.29 लाख रुपये

परमाणु ईंधन परिसर के ट्यूब संयंत्र

3396. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद ट्यूब-संयंत्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ट्यूब संयंत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). 2000 मीटरी टन प्रतिवर्ष स्टेनलैस स्टील की जोड़रहित ट्यूबों का निर्माण करने के लिए 1978 में नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में उत्पादन सुविधाएं स्थापित की गई थीं। 21,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष बेयरिंग स्टील ट्यूसूबों का निर्माण करने की सुविधाएं नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में 1981 में स्थापित की गई थीं।

(ग) नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र और इंडियन सीमलेस मशील टूल्स लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके अंतर्गत ये दोनों पक्ष ट्यूब संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए एक संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित करेंगे।

खादी ग्रामोद्योग आयोग

3397. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** :

श्री परमसराम भारद्वाज :

श्री देवी बक्स सिंह :

डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्व-रोजगार हेतु विकलांग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु खादी ग्रामोद्योग द्वारा एक योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से प्रत्येक राज्य में श्रेणी-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख). जी, नहीं। किन्तु, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने पर्वतीय, सीमावर्ती जनजाति एवं कमजोर वर्ग वाले क्षेत्रों के लिए उदार सहायता पैटर्न तैयार की है। संशोधित उदार सहायता पैटर्न के अनुसार, ऐसे अधिसूचित अंचलों/क्षेत्रों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधीन संस्थानों/समितियों/व्यक्तियों को 25% अनुदान और 75% ऋण के रूप में वित्त मुहैया किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में विशेष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लाभार्थ स्थापित संस्थानों को के.वी.आई.सी. की अनुमोदित सहायता पैटर्न के अनुसार 15% अनुदान और 85% ऋण मुहैया किया जाता है। वर्ष 1993-94 के दौरान कुल 53.28 लाख व्यक्तियों के रोजगार में से के.वी.आई.सी. के कुल रोजगार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हिस्सा करीब 31% है।

(ग) और (घ). जी नहीं। किन्तु, उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में के.वी.आई.सी. द्वारा शुरू किए जा रहे विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े तथा कमजोर आय वर्ग के लोगों के लाभार्थ अधिकाधिक रोजगार के अवसर दिये जा रहे हैं।

ऋण लाइसेंस योजना

3398. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण लाइसेंस योजना में निर्धारित की गई शर्तें क्या है,

(ख) यह किन-किन उद्योगों पर लागू होती है;

(ग) क्या वर्तमान उदारीकृत आर्थिक तथा औद्योगिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उपरोक्त योजना को बंद कर दिया है अथवा इसे बंद करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले

3399. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री खेलन राम जांगडे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस समय पृथक-पृथक कितने मामलों की जांच की जा रही है;

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन मामलों में किस-किस तिथि से जांच शुरू की थी;

(ग) कितने मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी तक पिछले दो वर्षों से अधिक समय से जांच की जा रही है; और

(घ) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा कितने मामले वापस ले लिए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में 28.2.95 की स्थिति के अनुसार कुल 237 मामलों की जांच की जा रही थी। इन मामलों का राज्य-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

राज्य	मामलों की संख्या
उत्तर प्रदेश	164
मध्य प्रदेश	73

(ख) तथा (ग). इन मामलों की जांच इनकी पंजीकरण संबंधी तारीख से की जा रही है। केवल 23 मामले (16 उत्तर प्रदेश राज्य में तथा 7 मध्य प्रदेश राज्य में) ऐसे हैं जो दो वर्ष से अधिक समय से जांचाधीन हैं। शेष मामले दो वर्ष से कम के समय से जांचाधीन हैं।

ये मामले कानून के संगत उपबंधों के अधीन पंजीकृत किए गए है तथा इन पर उनके निर्धारित सुस्थापित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

(घ) अभी तक उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा कोई भी मामला वापिस नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ब्लड बैंक

3400. श्री रामप्रसाद सिंह :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में संचालित ब्लड बैंक के पास वैध लाईसैंस नहीं है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने लाइसेंस को संबंधित अधिकारी से नवीकरण कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल रक्त बैंक के लाइसेस का नवीकरण कर दिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

बकाया राशि का भुगतान

3401. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के परिवार नियोजन कार्यक्रमों हेतु भारी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बकाया राशि की शीघ्र अदायगी हेतु क्या कदम उठाए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार को बकाया के रूप में 3218.52 लाख रु. की राशि देय है। तथापि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार तथा केन्द्रीय आंतरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा उनकी रिपोर्टों में उल्लेखित अनियमितताओं के आधार पर 4022.03 लाख रुपये की राशि को रोकना अपेक्षित है। इसलिए राज्य सरकार को तत्काल कोई भी राशि आडिट पैरों पर कार्रवाई किए जाने तक देय नहीं है।

अंटार्टिका अभियान

3402. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंटार्टिका के लिए अभी तक कितने अभियान भेजे गए हैं;

(ख) इन अभियानों पर कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ग) क्या अंटार्टिका के पारिस्थितिकी और मौसम संबंधी जानकारी हेतु भारत में कोई अध्ययन या अनुसंधान कार्यक्रम किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मौसम की भविष्यवाणी के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव का अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो अंटार्टिका में मौसम संबंधी परिवर्तनशील कारकों जैसे समुद्री हिम की मात्रा और भूतल के तापक्रम की निगरनी के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाएंगे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ्लोरो): (क) अब तक अंटार्टिका को 14 अभियान भेजे जा चुके हैं।

(ख) लगभग 125.10 करोड़ रुपये कुल व्यय किया गया है।

(ग) जी. हां।

(घ) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा के वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्टिका पारितंत्रों पर अनुसंधान किया गया है। इसमें सरोवरी, अलवर्ण-जल और समुद्री पर्यावरण पर अध्ययन शामिल हैं।

अंटार्कटिक जलवायु पर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अध्ययन किए जा रहे हैं। इसमें, अंटार्कटिक स्थित भारतीय केन्द्र मैत्री में एक स्थायी मौसम केन्द्र की स्थापना करना शामिल है। पृष्ठ तापमान, आद्रता, पवन गति, पवन-दिशा, यू.वी. विकिरण, भूमि और ओजोन की उर्ध्वाधर रूपरेखा जेसे प्राचनों का नियमित अभिलेखन और संप्रेषण किया जा रहा है।

(ङ) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा मिथेन जैसी ग्रीन हाऊस गैसों के सान्द्रर्ण और ओजोन का लगातार मापन किया जाता है। ग्रीन हाऊस प्रभाव में किसी प्रकार के परिवर्तन को समझने के लिए दीर्घकालिक आधार पर आंकड़ा संग्रह किया जाता है।

(च) दक्षिण गंगोत्री हिमानी प्रोर्थ के ध्रुवीय हिमाग्र के प्रबोधन द्वारा समुद्री-बर्फ की गतिकी का अध्ययन किया जा रहा है। यह अध्ययन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दशकीय पैमाने पर तापमान विभिन्नताओं के अध्ययन किए जा रहे हैं।

एच.ए.एल. के सर्विस सेंटरों का स्तर ऊंचा किया जाना

3403. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के सर्विस सेंटरों को अद्यतन करने के कदम उठाए हैं;

(ख) क्या यह कार्य भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग). हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास ऐसे सैन्य और सिविल वायुयानों की मरम्मत और ओवरहॉल के लिए काफी सुविधाएं हैं, जिनका आवश्यकतानुसार आधुनिकीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कम्पनी मिराज 2000 और मिग-27 एम वायुयानों तथा मिग-29 वायुयानों के इंजनों के लिए ओवरहॉल का काम भी कर रही है।

रूस से तकनीकी जानकारीलेकर मिग-27 एम वायुयानों और मिग-29 वायुयानों के इजनों के लिए सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।

छोटा नागपुर स्थित चांदमारी क्षेत्र

3404. **श्री सैयद शहरबुद्दीन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपर करेंगे कि :

(क) क्या सेना द्वारा छोटा नागपुर, बिहार को निशानेबाजी अभ्यास हेतु प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में स्थाई चांदमारी क्षेत्र की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव अभी भी विचाराधी न है;

(ग) यदि हां, तो संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस परियोजना के विरुद्ध स्थानीय विरोध की जानकारी है;

(ङ) प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में अनुमानित जनसंख्या एवं गांवों की संख्या कितनी है; और

(च) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी योजनाओं एवं इस पर होने वाले अनुमानित व्यय का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) बिहार में छोटा नागपुर स्थित नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज एक अधिसेचित फायरिंग रेंज है तथा सेना इस रेंज का इस्तेमाल 1956 से कर रही है और अक्बूतर 1993 में इसका अंतिम बार इस्तेमाल किया गया था। यह रेंज मई 2002 तक के लिए अधिसूचित है।

(ख) से (घ). समाघात क्षेत्र शिविर लगाने आदि के लिए कुछ भूमि का अधिग्रहण करने के वास्ते एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी किंतु स्थानीय लोगों के अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा बिहार सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् केन्द्र सरकार ने उक्त पायलट परियोजना को शुरू न करने का निर्णय किया है।

(ङ) तथा (च). प्रश्न नहीं उठते।

पवन ऊर्जा का उपयोग

3405. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी पवन ऊर्जा के उपयोग की क्या स्थिति है;

(ख) क्या इस संबंध में अधिष्ठानों का सही काम-काज और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी एजेंसी है;

(ग) क्या काम के लिए अनुपयुक्त हो गए अधिष्ठानों के संबंध में शिकायतें मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) अब तक देश में कुल 350 मेवा पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है।

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य मोडल एजेंसियों द्वारा इन परियोजनाओं के कार्य निष्पादन का प्रबोधन और उत्पादन संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

(ग) से (ङ). इस मंत्रालय को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण योग्य ऊर्जा नीति

3406. **श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्ववीकरण योग्य ऊर्जा पर एक व्यापक प्रारूप नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है;

(ग) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार गोवा में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों से प्राप्त प्रमुख प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वीकृत और अभी भी विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊजा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) गोवा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा पर किसी नीति का प्रारूप तैयार नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गोवा में आपरंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र

3407. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर में राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र का उद्घाटन किये गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के मुख्य कार्य, उद्देश्य और कार्यप्रणाली क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीकष्णा साही) : (क) जी, हां राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र का उद्घाटन 8 अक्बूतर, 1994 को किया गया था।

(ख) इस केन्द्र के उद्देश्य, कार्य तथा कार्य-प्रणाली संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उद्देश्य एवं कार्य :

राष्ट्रीय व्यापार सुचना केन्द्र के उद्देश्य मुख्य रूप से कंप्यूटरों का इस्तेमाल करने वाले व्यापार तथा व्यवसायों पर सूचना एकत्र करना, मिलान करना, भंडारण, प्रसंस्करण, विश्लेषण एवं प्रचार करना है। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, रा. व्या. सू. केन्द्र निम्नलिखित कार्य प्रणाली को अपनाती है :-

(क) निर्यात संवर्धन एवं आयात सुविधाओं के लिए व्यापार तथा वाणिजीय तथा राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर डाटा बेस का सृजन करना और डाटा बेस से सूचना का प्रचार करना।

(ख) रूचि लेने वाले देशों के बारे में सूचना एकत्र करना और इसका प्रचार करना तथा देशों और ग्राहकों की रूचि के बारे में प्रोफाइल तैयार करना।

(ग) व्यापार और वाणिज्य तथा इससे सम्बद्ध मामलों के बारे में सूचना एकत्र करने और इसका प्रचार करने के लिए निर्यात संवर्धन निकायों/निर्यात सहायक निकायों/नियंत्रणकारी निकायों से संपर्क स्थापित करना।

(घ) भारतीय व्यापारियों और निर्यातकों की रूचि के बारे में सूचना एकत्र करने और इसका प्रचार करने के लिए विदेशों में भारतीय शिष्टमंडलों और भारत में विदेशी शिष्टमंडलों के वाणिजियक खंडों के साथ संपर्क स्थापित करना।

(ङ) सभी प्रकार के विपणन संबंधी दक्षता और सम्बद्ध आंकड़ों के आधार पर सूचना बेस का सृजन करना जिसमें देश के भीतर और विदेश में निर्यातकारी/आयातकारी समुदाय की रुचि हो सकती है।

(च) अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य से सम्बद्ध सूचना को एकत्र करने और इसक प्रचार करने के लिए पद्धतियां तैयार करना।

(छ) व्यापार और वाणिज्य सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(ज) विभिन्न देशों के साथ व्यापार नीति, व्यापार नियंत्रण और व्यापार समझौतों के आधार पर डाटा बेस का रख-रखाव और विश्लेषण करना तथा देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर इसके प्रभाव की समीक्षा।

(झ) कंप्यूटर संचार नेटवर्क, एन. आई. सी. एन. ई टी सहित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन. आई. सी.) योजना आयोग की साम्रगी, जनशक्ति और सूचना संबंधी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना ताकि आंकड़े प्राप्त किये जा सकें, सूचना का प्रचार किया जा सके तथा परस्पर संपर्क कार्य किया जा सके।

(ञ) व्यापार और वाणिज्य से संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं और ब्रोशरों के लिए एक आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय परिसर का निर्माण करना।

(ट) मूल्य वर्धित सूचना सेवाओं और विश्लेषण के लिए भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई. टी. टी. ओ.) की सामग्री, जनशक्ति और सूचना संबंधी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना।

राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र के कार्य-कलाप

राष्ट्रीय व्यापर सूचना केन्द्र की सदस्यता सभी व्यक्तियों, सार्वजनिक/संयुक्त/निजी क्षेत्रों/निर्यात घरानों/व्यापारिक घरानों/स्टार ट्रेडिंग घरानों/निर्यात संवर्धन परिषदों, वाणिज्य और उद्योग मंडल, व्यापार संघों, राज्य निर्यात निगम इत्यादि के लिए खुली है। केन्द्र की आय के स्रोत सदस्यता शुल्क, व्यापार सूचना और परामर्शदायी सेवाओं की बिक्री हैं। केन्द्र उच्च स्तरीय कंप्यूटरीकरण का कार्य करता है ताकि विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने और इसका प्रचार करने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया की जा सके और कुशल प्रणाली का प्रयोग किया जा सके।

[हिन्दी]

एच.ए.एल., ओझर, नासिक की उपलब्धि

3408. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में एच. ए.एल, ओझर, नासिक की क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) इस कंपनी पर कितना वार्षिक व्यय हुआ;

(ग) क्या रूस ने इस कंपनी को कच्चे माल की आपूर्ति करनी बंद कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. का नासिक प्रभाग मार्च 1987 में मिग-21 श्रृखला के वायुयान का उत्पादन

कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद अब मिग-27 एम वायुयानों के निर्माण कार्य में लगा हुआ है। यह प्रभाग मिग-21 रूपांतरों को ओवरहॉल भी करता है। नासिक प्रभाग का पिछले तीन वर्षों का कार्य-निष्पादन इस प्रकार है:-

(करोड़ रूपये में)

	92-93	93-94	94-95 (अन्तिम)
1. विक्रय	293.43	190.91	425.08
2. उत्पादन का मूल्य	279.97	301.99	365.21

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. को सरकार से कोई सीधी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। कंपनी अपना व्यय विक्रय के माध्यम से वसूल करती है। पिछले तीन वर्षों में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. के नासिक प्रभाग द्वारा किया गया पूंजीगत और राजस्व व्यय नीचे दर्शाया जाता है:-

(करोड़ रूपये में)

		92-93	93-94	94-95 (अन्तिम)
1.	पूंजीगत	1.23	1.04	2.89
2.	राजस्व	243.65	294.35	352.30

(ग) और (घ). पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस से आने वाली सामग्री की पूर्ति प्रभावित हुई। तथापि, पिछले डेढ़ वर्ष में समान की आपूर्ति की स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ है।

विद्युत उत्पादन

3409. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री बलराज पासी :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में, कई संयंत्र लगाने तथा उपलब्ध अपारंपारिक संसाधनों से विद्युत पैदा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संसाधनों से विद्युत पैदा करने के लिए कुछ विदेशी कम्पनियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) इन प्रस्तावित संयंत्रों के जरिए विद्युत पैदा की जायेगी; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार और अन्य विदेशी कंपनियों द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विद्युत पैदा करने के लिए उपयोग किए जाने हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध की गयी है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि में मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). देश में मुख्ययता पवन, लघु पवन बिजली, बायोगैस स्रोतों पर आधारित लगभग 490 मेवा. विद्युत उत्पादन क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है। इसमें प्रदर्शन परियोजनाएं शामिल हैं जिनके लिए सरकार द्वारा सरकारी सैक्टर और निजी सैक्टर परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं। लगभग 290 मेवा. क्षमता विचाराधीन है। इसके आगे परियोजनाएं तकनीकी व्यवहार्यता, बजटीय साधन उपलब्ध होने और निजी विदेशों की सीमा पर निर्भर करेंगे। क्षमता का राज्यवार ब्यौरा जिसमें स्थापित और विचाराधीन क्षमता शामिल है विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ). संभाव्यता वाले राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के आधार पर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अनेक विदेशी कंपनियों ने रूचि दिखाई है। उनका संभाव्य भारतीय सहयोगियों और संबंधित राज्यों के साथ विचार विमर्श प्रगति पर है। तथापि, अभी तक ऐसी कोई परियोजनाएं स्थापित नहीं की गई हैं।

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय एवं विश्व बैंक/ग्लोबल इनवायरमेंट फेसिलिटी द्वारा कुल 117.56 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गए। राज्यवार ब्यौरा विवरण-;II में दिया गया है।

अपारंपरिक ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन की स्थापित की गई क्षमता और स्थापनाधीन क्षमता 31.3.95 तक

क्रम सं.	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेवा.)	स्थापनाधीन क्षमता (मेवा.)
1.	आंध्र प्रदेश	11.99	35.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	19.15	21.60
3.	असम	2.0	-
4.	बिहार	-	2.45
5.	गोवा	-	2.90
6.	गुजरात	66.50	4.94
7.	हरियाणा	0.20	0.10
8.	हिमाचल प्रदेश	9.17	11.30
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2.61	12.39
10.	कर्नाटक	5.25	32.64
11.	केरल	0.02	21.00
12.	मध्य प्रदेश	2.84	17.40
13.	महाराष्ट्र	9.18	10.70
14.	मणिपुर	4.10	3.50
15.	मेघालय	1.51	0.20
16.	मिजोरम	5.36	8.80
17.	नागालैंड	3.17	5.50
18.	उड़ीसा	2.36	9.92
19.	पंजाब	13.90	9.50
20.	राजस्थान	2.20	3.71
21.	सिक्किम	6.90	5.20
22.	तमिलनाडु	285.46	42.40
23.	त्रिपुरा	1.01	-
24.	उत्तर प्रदेश	26.43	22.95
25.	पश्चिम बंगाल	7.46	6.70
	कुल	488.59	290.8*

* इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में लगभग 2000 मेवा. की अनुमानित क्षमता, अंतिम रूप दिए जाने के विभिन्न चरणों में है।

विवरण-II

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय और विश्व बैंक/विश्व पर्यावरणीय सुविधाएं (जी.ई.एफ.) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार निधियों का प्रावधान

क्रम सं.	राज्य	प्रावधान
		(करोड़ रूपये में)
1	आंध्र प्रदेश	6.78
2.	अरूणाचल प्रदेश	11.82
3.	असम	0.01
4.	बिहार	0.03
5.	गुजरात	6.64
6.	हरियाणा	0.02
7.	हिमाचल प्रदेश	6.04
8.	जम्मू एवं कश्मीर	0.02
9.	कर्नाटक	5.16
10.	केरल	3.69
11.	मध्य प्रदेश	6.48
12.	महाराष्ट्र	4.74
13.	मणिपुर	0.15
14.	मेघालय	0.06
15.	मिजोरम	0.97
16.	नागालैंड	2.75
17.	उड़ीसा	0.25
18.	पंजाब	4.37
19.	पांडीचेरी	0.02
20.	राजस्थान	0.03
21.	सिक्किम	0.53
22.	तमिलनाडु	48.62
23.	उत्तर प्रदेश	7.46
24.	पश्चिम बंगाल	7.46
	कुल	117.56

परिवार कल्याण कार्यक्रम

3410 डॉ. रमेश चन्द तोमर :

श्री राम पूजन पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों को ग्राम स्तर तक ले जाने और ग्रामीण जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरु किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान जन्म दर को कम करने में कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याणा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) सरकार ने ग्रामीण जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल के वर्षों में विभिन्न परिवार कल्याण कार्यक्रम शुॅरू किए हैं जिनमें महिला स्वास्थ्य संघों का गठन, टी वी/ वी सी पी किराए पर लेना, जनमत नेताओं को सुगाही बनाना, नेहरू युवक केन्द्र में स्वास्थ्य जागरूकता यूनिटों का गठन आदि तथा जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों को इस्तेमाल करना शामिल है।

(ख) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर राज्यवार व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) अनुमान है कि 1991,1992 तथा 1993 वर्षों के दौरान जन्म दर प्रति हजार क्रमशः 29.5,29.2 तथा 28.7 रही है।

विवरण

1991-91 - 1993-94 तक परिवार कल्याणकार्य क्रम पर व्यय

लाख रु. में

	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7904.89	8240.82	10823.29
असम	2446.84	2101.17	2753.55
बिहार	5475.17	7588.74	8841.56
गुजरात	4936.35	5792.19	7548.31
हरियाणा	1922.49	2753.92	3457.31
हिमाचल प्रदेश	1915.60	1503.97	2392.62
जम्मू और कश्मीर	1130.79	1273.19	1484.05
कर्नाटक	4852.80	4719.78	5602.03
केरल	3563.89	3503.46	4359.53
मध्य प्रदेश	6759.99	7906.22	10575.04
मणिपुर	387.30	506.66	407.55
महाराष्ट्र	8712.62	9498.38	11495.64
मेघालय	203.39	256.84	304.53
नागालैंड	143.59	242.57	271.45
उड़ीसा	5216.72	3971.37	3321.07
पंजाब	2332.19	3774.17	4334.51
राजस्थान	5909.38	5907.37	6770.92
सिक्किम	148.82	198.01	276.11

1	2	3	4
तमिलनाडु	4438.68	7221.54	6045.01
त्रिपुरा	483.58	578.63	395.53
उत्तर प्रदेश	17164.08	17104.61	23754.49
पश्चिम बंगाल	7426.81	6660.90	7365.43
अरूणाचल प्रदेश	51.79	8661.11	86.28
गोआ	101.46	104.03	113.83
मिजोरम	104.62	174.74	182.07
कुल/(राज्य)	93733.84	101675.59	122961.71
पांडिचेरी	69.49	93.97	78.80
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	60.96	82.66	77.14
चंडीगढ़	60.31	116.36	122.62
दादरा व नागर हवेली	14.01	16.21	18.73
दमन व दीव	14.99	15.82	37.53
दिल्ली	499.66	540.57	816.55
लक्षद्वीप	1.99	6.98	5.67
कुल	718.41	872.57	1157.04
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	94452.25	102548.16	124118.75
केन्द्रीय क्षेत्र	6299.12	6491.84	7143.53
राज्यों को बकाया राशि का भुगतान किया गया		10000.00	21000.00
महायोग	100751.37	119040.001	52262.28

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची

3411. श्री राम बदन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची तथा पहचानपत्र तैयार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इन्हें कब तक तैयार कर दिया जाएगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश राज्य के मैदानी क्षेत्रों में जिलों की निर्वाचक नामावलिया, गहन संवीक्षा के पश्चात्, 9-3-1995 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है और शेष रह रहे पर्वतीय क्षेत्रों के 8 जिलों की बाबत अंतिम नामावालिया 18-5-95 को प्रकाशित की जानी है। फोटो पहचानपत्र तैयार करने की बावत कार्य चल रहा है और उसके मानसून आने से पूर्व पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में कानून व व्यवस्था

3412. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कब तक सामान्य स्थिति बहाल कर दी जाएगी?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) (क) और (ख). आतंकवादियों की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाए रखा जाता है और सुरक्षा अभियानों से अधिकतम लाभकारी प्रभाव प्राप्त हों, इसके लिए कदम उठाए गए हैं। इनमें लक्षित अभियानों की सक्षमता के लिए आसूचना तंत्र को और सुचारू बनाना, विभिन्न प्रचालनात्मक एजेंसियों के मध्य तालमेल बढ़ाना, आंतकवाद विरोधी अभियानों में राज्य पुलिस की भागीदारी को बढ़ाना, अदमियों तथा हथियारों की घुसपैठ को रोकने/उस पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा पर लगातार चौकसी रखना, सूचना के बेहतर आदन प्रदान के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना, तथा इसके साथ ही सुरक्षा अभियानों में सिविलियनों की जान और माल की क्षति का कम से कम करने के प्रयास करना आदि शामिल हैं,

(ग) कुछेक आंतकवादी गिरोहों तथा सीमा पार बैठे उनके आकाओं द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा के निराशोन्तम प्रयासों के बावजूद, उपर्युक्त प्रयासों ने कुल मिलाकर सुरक्षा स्थिति में सकारात्मक प्रभाव डाला है। हालात को सामान्य बनाने के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा करने के हर संभव प्रयास जारी रखे जायेंगे।

करेक्ट्रेस्टिक्स ऑफ साईंटिफिक पोटेंशियल इन एकेडिमिया

3413. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ साइंस टेक्नालाजी एण्ड डेवलपमेंट स्टीडीज ने 'करेक्ट्रेस्टिक्स ऑफ साईंटिफिक पोटेंशियल इन एकेडिमिया' शीर्षक से कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जायेंगे?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). सीएसआइआर की घटक यूनिट राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूर सहित 20 विश्वविद्यालयों के 1073 संकाय सदस्यों की राय के नमूना सर्वेक्षण पर आधारित करेक्ट्रेस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक पोटेंशियल इन एकेडिमिया विषयक अध्ययन किया है। इस अध्ययन से अध्यापन और अनुसंधान के लिए विशेषतौर पर शैक्षणिक व्यवसाय के

अनुसरण, विज्ञान में उच्च शिक्षा के वास्तविक और वांछित लक्ष्यों के अन्तराल, अनुसंधान की सुविधाओं और संसाधनों की पर्याप्तता, शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करने के उद्योग के हित और डॉक्टरल अनुसंधान की गुणवतता के लिए सामाजिक और सांस्थानिक पर्यावरण के कुछ पहलुओं का पता चलता है। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह निकला है कि आईआईटी, भारतीय विज्ञान संस्थान और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के संकाय-सदस्यों में अन्य संस्थानों के संकाय-सदस्यों की अपेक्षा इन पहलुओं का बोध अधिक है।

(ग) चूंकि रिपोर्ट का जांच-परिणाम सुझावात्मक प्रकृति का है अत: उनका सर्कुलेशन सभी संबंधित व्यक्तियों के बीच किया जा रहा है ताकि वैज्ञानिक उत्पादकता बढ़ाने के विचार से इस प्रणाली की कमियों का बेहतर ढंग से बोध हो सके।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश

3414. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मध्य प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु गत दो वर्षों के दौरान पूंजी निवेश हेतु कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) अभी तक स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). पिछले दो वर्षों अर्थात 1993 तथा 1994 के दौरान, सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मे कृषि आधारित उद्योगों को अधिष्ठापित करने के लिए 6 विदेशी निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत किए गये हैं। इन प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिय गए हैं।

(ग) परियोजनाओं का कार्यान्वियन परिपक्वत्ता अवधि पर निर्भर करता है जो एक परियोजना से दूसरी परियोजना के लिए भिन्न होता है।

विवरण

मध्य प्रदेश में जनवरी, 93 से दिसम्बर, 94 तक अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहयोग के मामलों की सूची

क्रम सं.	अनुमोदन सं./स्वीकृति तिथि (टाइप/एजेन्सी)	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	राशि %भागेदारी (लाख रू.)
1.	2.	3.	4.	5.
1.		साऊथ एशिया मशरूम लिमिटेड, 44, जोन -II एम. पी. नगर भोपाल - 462011 मध्य प्रदेश	माकोन एग्री लिमिटेड नार्थन इरीलैंड	70.00 (5.83%)
	मद का विवरण : व्हाइट बटन मशरूम की खेती और प्रसंस्करण स्थापना स्थल : रायसीन (मध्य प्रदेश)			
2.		विशाल एग्रीटेक इंडिया लिपि - टेड, 13 सीता बाग कालोनी, इन्दौर 452003 मध्य प्रदेश	माकोन एगी लिमिटेड नार्थ इरीलेंड इरीलेंड	74.25 (9.00%)
	मद का विवरण : व्हाइट बटन मशरूम की खेती और प्रंसस्करण स्थापना स्थल : इन्दौर (मध्य प्रदेश)			
3.		मध्य प्रदेश ग्लाइकेम लिमिटेड 12/8 न्यू पालेसिया इन्दौर - 452001	अप्रवासी भारतीय -	0.00 (0.00%)
	मद का विवरण: सोयाबीन सालवेंट एक्सट्रेटिड आयल स्थापना स्थल : नरसिंगपुर (मध्य प्रदेश)			
4.		रूचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड 214, तुलसीयानी चेम्बर्स नरीमन प्वाईंट, बम्बई - 452001	अप्रवासी भारतीय	0.00 (0.00%)
	मद का विवरण: सोया डी.- ऑयलड केक स्थापना स्थल : इन्दौर (मध्य प्रदेश)			
5.		अल्पाइन बायोटेक लिमिटेड 10/11 यशवन्त निवास इन्दौर - 452003, मध्य प्रदेश	दालसेम वालियाप बी.वी. एग्रो इंडस्ट्री, नीदरलेंड	53.46 (9.00%)
	मद का विवरण : बटन मशरुम स्थापना स्थल: देवास (मध्य प्रदेश)			
6.		करन मल्टीलेई फिल्म लिमिटेड बी.ओ. 59, जोन-II एम.पी. नगर, भोपाल मध्य प्रदेश	दालसेम वालियाप बी.वी. नीदरलेंड नदीरलेंड	74.25 (5.81%)
	मद का विवरण:तैयार बटन मशरूम अथवा सिरका बटन मशरूम स्थापना स्थल:भोपाल या एसीटिक एसिड द्वारा संरक्षित बटन मशरूम (मध्य प्रदेश)			

[अनुवाद]

चुनावों में भ्रष्टाचार के आरोप

3415. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों में धन बल, बाहुबल और अन्य भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित उक्त भ्रष्टाचार संबंधी वीडिओ टेप प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या आयोग को इस आशय की भी शिकायतें मिली हैं कि राज्यों में चुनाव के एक दिन पहले शराब की आपूर्ति की गई; और

(ङ) कितने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर भारद्वाज): (क) से (ङ). निवार्चन आयोग ने सूचित किया है कि उसे विभिन्न राज्य विधान सभाओं के लिए हाल ही में कराए गए साधारण निर्वाचनों में धन बल, बाहुबल के दुरूपयोग, शराब बांटे जाने और अन्य भ्रष्ट आचरणों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसने ऐसी सभी शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही की है जिसके अंतर्गत दोषी पदधारियों के विरुद्ध, जहां आवश्यक पाया गया, कार्रवाई करना भी है। आयोग ने यह भी बताया है कि उसे सभी राज्यों में, जहां निर्वाचन कराए गए थे निर्वाचन संबंधी गंभीर घटनाओं के संबंध में वीडियो कैसेट प्राप्त हुई है।

यूनानी और आयुर्वेदिक औषधियां

3416. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कार्यरत यूनानी और आयुर्वेदिक औषधालयों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार को गत वर्ष के दौरान इन औषधालयों द्वारा घटिया किस्म की दवाओं की सप्लाई के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इन औषधालयों द्वारा सप्लाई की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ.सी. सिल्वेरा): (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रीय प्रौयोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1993 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के उपयोग के पैटर्न पर एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन रिपोर्ट से पता चला है कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों द्वारा 89% बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। शेष बीमारियों के लिए अन्य चिकित्सा पद्धतियों अर्थात् होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, और यूनानी को अपनाया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के नये विभाग

3417. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों ने हाल ही में किए गए कुछ विभागों के विभाजन का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक विभाग के लिए सचिवों की नियुक्ति कर दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उच्च स्तर के नौकरशाहों के द्वारा विरोध किए जाने के कारण और नए विभागों के सृजन की इस नई नीति को समाप्त करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). प्रत्येक नये विभाग में सचिव के पद के लिए अंतरिम व्यवस्था की गई है।

(ङ) तथा (च). प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ऐसे किसी प्रतिरोध की सरकार को जानकारी नहीं है।

पीलिया

2318. डॉ. असीम बाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में पीलिया पुनः फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में इसके कितने मामले सामने आए हैं; और

(ग) पीलिया को फैलने से रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख). देश में वाइरल हैपेटाइटिस स्थानिक मारी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 1994 के दौरान 86,134 रोगी सूचित किए गए थे।

(ग) सरकार ने जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य में सुधार लाने, पेय जल की सप्लाई तथा स्वास्थ्य शिक्षा के प्रबंध पर जोर दिया है। राज्यों से रोग निगरानी में सुधार लाने एवं रोग नियंत्रण के लिए शुरू में चेतावनी, प्रणाली स्थापित करने हेतु कदम उठाने के लिए सुझाव

दिया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्र

3419. श्री पी. कुमारासामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 31 मार्च 1995 तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) 1994-95 के दौरान कितने-कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और परिवार कल्याण केन्द्र खोल गए; और

(ग) 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने इन केन्द्रों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 31.12.94 को तमिलनाडु में 1436 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उत्तर प्रदेश में 3750 प्राथमिक केन्द्र हैं। 30.10.94 को इन राज्यों में परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है:

	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
जिला स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्रों की स्थापना	32	72
उप जिला स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्रों की संख्या	87	147
शहरी परिवार कल्याण केंद्रों की संख्या	65	81
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या	383	907

(ख) 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्यारह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए जबकि इसी अवधि के दौरान तमिलनाडु में कोई प्रार्थमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया। 1994-95 के दौरान इन राज्यों में कोई परिवार नियोजन केन्द्र नहीं खोला गया।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को राज्य क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के परिव्ययों (जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र और उप केन्द्रों का निर्माण भी शामिल है) का ब्यौरा इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
1993-94	2448.00	3142.00
1994-95	2679.00	4295.00

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए आबंटन इस प्रकार हैं:-

(लाख रुपये में)

	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
जिला स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्र		
1993-94	117.00	245.00
1994-95	118.00	242.00
उप जिला स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्र		
1993-94	256.00	533.00
1994-95	258.00	433.00
शहरी परिवार कल्याण केन्द्र		
1993-94	188.00	172.16
1994-95	55.50	157.00
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र		
1993-94	1070.00	25.55
1994-95	927.00	2196.00

ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र

3420. श्री एन. डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय देश में कितने ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) 1995-96 और चालू योजना की शेष अवधि के दौरान ऐसे कितने स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का विचार है; और

(ग) इन स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 31.12.1994 को देश में उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या नीचे दी गई है:-

उपकेन्द्र	1,31,476
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	21,254
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	2,328

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए नए उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए लक्ष्य योजना आयोग द्वारा नियत किए जाने हैं।

(ग) उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए लक्ष्य और सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्रों म सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करना 8वीं योजना का लक्ष्य है। राज्य सरकारों को चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कार्मिकों के सभी रिक्त पदों को भरने तथा इन केन्द्रों में औषधियों की आपूर्तियों में सुधार करने के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती है।

नाड़ी ज्ञान

3421. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाड़ी ज्ञान के अंतर्गत देश में बहुत कम चिकित्सक हैं,

(ख) यदि हां, तो देश में वर्तमान में इस चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत कितने चिकित्सक पंजीकृत हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नाड़ी ज्ञान आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). भारतीय चिकित्साा पद्धति में आयुर्वेद,

युनानी और सिख चिकित्सा प्रणालियां आती है और यह रोग-निदान में शामिल है, जो कि अध्ययन पाठ्यक्रम का एक विषय है। नाड़ी-ज्ञान के चिकित्सकों का पंजीकरण नहीं किया जाता है न ही उनका अलग से कोई रिकार्ड रखा जाता है।

(ग) और (घ). नाड़ी-ज्ञान को आयुर्वेदाचार्य की पाठ्यचर्या में शामिल करने के पहले ही बढ़ावा दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

इन्सेट-2बी

3422. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन्सेट-2बी के करिक्षण के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसका प्रक्षेपण कब किया जाएगा,

(ग) क्या दूरसंचार और दूरदर्शन को इसकी सेवाएं प्राप्त होंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरक्षि विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). इन्सेट-2बी उपग्रह को जुलाई 1993 में प्रमोचित किया गया था और कक्षा में जांच करके इसे अगस्त 1993 में प्रचालनात्मक सेवा में लाया गया।

(ग) दूरदर्शन और दूरसंचार विभाग इन्सेट-2बी उपग्रह का व्यापक रूप में उपयोग कर रहे हैं।

(घ) दूरर्शन इन्सेट-2बीं उपग्रह के माध्यंम से इस समय 12 टी. वी. चैनल प्रदान कर रहा है। दूरसंचार विभाग सुदूर क्षेत्र संचार तथा व्यावसायिक संचार के लिए इन्सेट-2बी उपग्रह का उपयोग कर रहा है।

[अनुवाद]

कैंसर नियंत्रण

3423. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन् : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान अमला कैसर रिसर्च सैंटर, त्रिपुर, केरल के लिए अनुदान सहायता योजना को जारी रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). वर्ष 1995-95 दौरान अमला कैसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र त्रिपूर, केरल को 5.00 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। योजना के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा तथा कैसर का शुरू में ही पता लगाने के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाता है।

महामारी पर नियंत्रण

3424. श्री तारा सिंह :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1995 के 'हिन्दुस्तान टाईम्स' में 'ग्लोबल नेटवर्क आन डिजीज सौट' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने देश में सम्भावित रूप से फैलने वाली महामारियों पर नियंत्रण की आवश्यकता पर हाल ही में जोर दिया है; और

(घ) किसी भी बीमारी के फैलने की स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). सरकार ने जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने, स्वच्छता में सुधार करने, पेय जल की आपूर्ति और स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करने पर जोर दिया है। राज्यों को रोग-निगरानी में सुधार और रोग की रोकथाम के लिए शुरू में ही चेतावनी देने के लिए प्रणाली स्थापित करने के लिए कदम उठाने का परामर्श दिया गया है।

स्वास्थ्य देखभाल के लिए जर्मनी की सहायता

3425. श्री अमर पाल सिंह :

डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने/उन्हें सुदृढ़ करने हेतु चिकित्सा उपस्करों की खरीद के लिए जर्मनी से कोई अनुदान मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राजयों में धन का वितरण हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवारिक कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). जी हां। क्रेडिटनस्टाल्ट-फर-विडेराउफबियु (के. एफ. डब्ल्यू.) और भारत सरकार के बीच एक वित्तीय करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अंतर्गत के. ए. डब्ल्यू. 48,800,000 ड्यूश मार्क (डी. एम.) का वित्तीय अंशदान देने को सहमत हुआ है।

(ग) से (ङ). केन्द्रीय संस्थानों और राज्य सरकारों को आवंटित धनराशि इस प्रकार है:-

अस्पताल/संस्था का नाम	करोड़ रुपये
1	2
सफदरजंग अस्पताल	4.00
डॉ. राममनोहर लाहिया अस्पताल	3.00
अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बम्बई	4.00
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल	6.00
जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	3.00

1	2
राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली	2.00
केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	4.00
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	10.00
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	10.00
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली	18.00
जिला स्तर के अस्पतालों को सुदृढ़ करने के लिए परिवार कल्याण विभाग को	18.00
राज्यों के नाम	
असम	2.00
अरूणाचल प्रदेश	1.00
नागालैंड	1.00
मणिपुर	1.00
मिजोरम	1.00
त्रिपुरा	1.00
मेघालय	1.00
सिक्किम	1.00
जम्मू और कश्मीर	2.00

आबंटन केन्द्रीय संस्थाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम राज्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किए गए हैं।

सीमेंट संयंत्र

3426. श्री प्रबीन डेका :

श्री पीटर जी. मरबनियांग :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम और मेघालय में बड़े, मध्यम और लघु सीमेंट की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक संयंत्र में गत तीन वर्षों के दौरान सीमेंट का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) इन राज्यों में प्रति वर्ष सीमेंट की कुल कितनी मांग है;

(घ) क्या सीमेंट उत्पादन हेतु राज्य आत्मनिर्भर है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सीमेंट की मांग किस प्रकार पूरी की जायेगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख). असम और मेघालय में एक-एक बड़ा संयंत्र है। इनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

संयंत्र का नाम	राज्य	उत्पादन (लाख मी.टन)		
		1992-93	1993-94	1994-95
1. सी.सी.आई.—बोकाजन	असम	1.13	1.48	1.54
2. मामलुह चेरा	मेघालय	0.98	1.12	1.43

मिनी सीमेंट संयंत्रों के बारे में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ). राज्यवार मांग संबंधी मूल्यांकन नहीं किया जाता है। किंतु कमी वाले राज्यों की मांग जिन राज्यों में सीमेंट का ज्यादा उत्पादन है, उनसे पूरी की जाती है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान की जेलों में बंद प्रतिरक्षा कार्मिकों के आश्रितों को सहायता

3427. श्री प्रेम चन्द राम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान की जेलों में बंद प्रतिरक्ष कार्मिकों के आश्रितों को वित्तीय और कोई अन्य सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्मिकों के आश्रितों को कितनी सहायता दी गई/दी जा रही है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग). उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस समय जो 54 रक्षा कार्मिक गुम है उनके संबंध में ऐसा माना जाता है कि वे पाकिस्तान की हिरासत में है। गुम हुए कार्मिकों को मारे गए कार्मिक माना जाता है और उनके परिवारों को उदारीकृत पेंशन संबंधी लाभ दिए जाते हैं जिनमें उदारीकृत परिवार पेंशन,परिवार उपदान, संतान भत्ता तथा संतान शिक्षा भत्ता शामिल है।

[अनुवाद]

एलजाईमर्स

3428. श्री पी.सी. थामस: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एलजाईमर्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं;

(ख) इस रोग से रोकथाम एवं उपचार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस रोग के उपचार में कौन-कौन से स्वैच्छिक संगठन कार्यरत हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा): (क) इस विवरण का समर्थन अथवा खंडन करने के लिए कोई प्रामाणिक आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). एलजाईमर्स रोग एक अपकर्षक रोग है और यह उपचार योग्य नहीं है। एलजाईमर्स रोग से पीड़ित रोगियों के पुनर्वास के लिए काम करने वाले कुछ स्वैच्छिक संगठन इस प्रकार हैं:

1. हैल्पेज इंडिया, नई दिल्ली
2. भारतीय एलजाईमर्स और संबंधित विकास समिति, कोचिन।

आरक्षण नीति

3429. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सेना मुख्यालय कैन्टीन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण नीति नियुक्ति के समय लागू की जाती है अथवा पदोन्नति के समय लागू की

जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए/किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग). सेना मुख्यालय कैंटीन एक इकाई संचालित कैंटीन (यूनिट रन कैंटीन) है। यह कैंटीन सेना मुख्यालय में क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा की देख-रेख में कार्य करती है। यही कैंटीन पूरी तरह से निजी व्यवस्था के अंतर्गत है और गैर-सार्वजनिक निधियों से संचालित की जाती है। अतः कैंटीन के कर्मचारियों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बनी आरक्षण नीति लागू नहीं होती है।

[हिन्दी]

पेटेंट अधिकार

3430. श्री रामेश्वर पाटीदार :

डॉ. जी.एल.कनौजिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आनुवांशिकी इंजीनियरी द्वारा बिनौले विकसित किए जाने के बारे में अमेरिका एग्रो केमीकल कारपोरेशन, अग्रासेद्स इनकापोरेटेड को फरवरी 1994 के दौरान दिए गए पेटेंट अधिकार को वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को कार्यान्वित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयासों और अनुसंधान को निष्फल बनाने के लिए किए जा रहे षडयंत्र से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग). उक्त पेटेंट 24 अक्तूबर, 1994 को निरस्त कर दिया गया था।

(घ) सरकार ने टिसु कल्चर तकनीक से कपास की किस्मों का विकास करने के लिए केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए हैं।

[अनुवाद]

बालासौर में परीक्षण स्थल

3431. डॉ. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के बालासौर जिले में चांदीपुर स्थित अस्थाई परीक्षण स्थल को स्थाई परीक्षण स्थल में बदलने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो अधिग्रहण की गई/अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भू-स्वामियों ने उनकी भूमि का कम मुआवजा निश्चित करने पर शिकायतें दर्ज की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो मुआवजा राशि बढ़ाये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) उड़ीसा में चांदीपुर स्थित 'अस्थाई परीक्षण स्थल' अब नियमित परीक्षण स्थल के रूप में कार्य कर रहा है जहां से देश में विकसित राकेट, प्रक्षेपास्त्र और इसी तरह की प्रणालियों का उड़ान परीक्षण किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(I) वर्ष 1984 में 93.21 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। और 5.27 एकड़ राज्य सरकार की भूमि अधिकार में ले ली गई।

(II) वर्ष 1994 में 321.06 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(III) वर्ष 1995-1996 के दौरान उड़ीसा सरकार से लगभग 190 एकड़ वर्ष राज्य सरकार की भूमि का अधिग्रहण किए जाने की आशा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में कलक्टर/जिला न्यायालयों द्वारा अधिनियम में निर्धारित सिद्धांतों पर विचार करने के पश्चात् अर्जित की गई भूमि के लिए मुआवजा निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। केन्द्र सरकार को मुआवजे की राशि निर्धारित करने या उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभावित भू:स्वामियों को यह अधिकार है कि वे अपनी भूमि के मुआवजे का निर्धारण न्यायालय द्वारा कराए जाने के लिए अपना लिखित आवेदन-पत्र कलक्टर को प्रस्तुत करें। भूमि संबंधी मामलों में दिए गए न्यायालय के आदेश उच्चतर न्यायालयों में की जाने वाली न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। कानून के प्रावधानों के अनुरूप बढ़ायी गई मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सकता है, यदि न्यायालया ने ऐसा निर्णय दिया हो।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में सैनिक विद्यालय

3432. श्री बीर सिंह महतो : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कुल कितने सैनिक विद्यालय हैं और वे कहां-कहां है;

(ख) इन विद्यालयों में प्रवेश पाने के क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इन विद्यालयों में प्रवेश के समय स्थानीय विद्यालयों और विस्थापित परिवारों के विद्यार्थियों को कोई छूट दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) पुरूलिया (पश्चिम बंगाल) में एक सैनिक स्कूल है।

(ख) सैनिक स्कूल, अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छठी और नौवीं कक्षाओं में लड़कों को दाखिला देते हैं।

संबंधित वर्ष की पहली जुलाई को 10 से 11 वर्ष और 13 से 14 वर्ष की आयु वाले लड़के क्रमशः छठी और नौवीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र होते हैं। प्रवेश पूर्णतया योग्यता क्रम के आधार पर और शरीरिक रूप से स्वस्थ पाए जाने पर ही दिया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

3433. डॉ. के.वी.आर. चौधरी :

श्री दत्ता मेघे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने वाले दम्पत्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) वर्ष 1995-96 के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के बारे में क्या कोई विश्लेषण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष	व्यय (लाख रुपये)
1993-94	1,19,040.00
1994-95	1,52,262.00
1995-96	1,85,500.00

(ग) वर्ष 1995-96 के लक्षणों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) और (ङ). परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता जन्म दर और मृत्यु दर जैसे सूचकों में कमी पर निर्भर करती है। जन्म दर 1951-61 में 41.7 से कम होकर 1993 में 28.7 तथा मृत्यु दर इसी अवधि में 146 घटकर 74 हुई है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल, 94 से फरवरी, 95) के दौरान कल्याण परिवार तरीकों को अपनाने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य/एजेंसी	1992-93	1993-94*	1994-95** (अप्रैल, 94 से फरवरी, 95)
1	2	3	4	5
I. बड़े राज्य (एक करोड़ या अधिक जनसंख्या)				
1.	आंध्र प्रदेश	1840609	2275210	2282968
2.	असम	99984	102859	104499
3.	बिहार	630393	714005	381217
4.	गुजरात	1445520	1938410	2143063
5.	हरियाणा	689780	840833	792971 ***
6.	कर्नाटक	9159959	1054979	1137805
7.	केरल	583268	477769	520083
8.	मध्य प्रदेश	1965864	3028783	3445871
9.	महाराष्ट्र	2401895	2686730	2598752
10.	उड़ीसा	579107	725027	833192
11.	पंजाब	1044362	1379112	1242145
12.	राजस्थान	815274	942508	861546
13.	तमिलनाडु	1099970	1165037	1138041
14.	उत्तर प्रदेश	3671427	5074784	5079551
15.	पश्चिम बंगाल	1019942	1148204	963042

1	2	3	4	5
II. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
1.	हिमाचल प्रदेश	191069	1878812	177869
2.	जम्मू व कश्मीर	46915	49966	59342
3.	मणिपुर	9192	15314	13265 $
4.	मेघालय	4749	3516	5535 *
5.	मेघालय?	3626	2090	4041 ***
6.	सिक्किम	4822	3961@	3403++
7.	त्रिपुरा	15290	22948	39348
8.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	6283	6644	6504
9.	अरूणाचल प्रदेश	6214	6118	4862 @
10.	चण्डीगढ़	21368	20983	17949
11.	दादरा व नगर हवेली	1207	1680	1607
12.	दिल्ली	541200	548274	518085
13.	गोवा	24356	26789	28927
14.	दमण व द्वीप	1818	2735	2541
15.	लक्षद्वीप	331	450	413+
16.	मिजोरम	8525	10607	9413$
17.	पांडिचेरी	22540	25038	25620
III. अन्य एजेंसियां				
1.	रक्षा मंत्रालय	78845	76902	66203
2.	रेल मंत्रालय	372813	365090	309050
3.	वाणिज्यिक वितरण	6862511	6999852	2359886 +
	अखिल भारत	27027028	31931019	27178609

* फरवरी, 94 तक की उपलब्धि

@ दिसम्बर, 93 तक की उपलब्धि

*** जनवरी, 95 तक की उपलब्धि

** आकंड़े अनन्तिम

$ जनवरी, 95 तक की उपलब्धि

\+ दिसम्बर, 94 तक की उपलब्धि

++ अक्तूबर, 94 तक की उपलब्धि

मलेरिया के मामले

3434. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय, मलेरिया, कुष्ठ और कालाजार जैसे रोगों के काफी अधिक मामले देखने में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन रोगों के कम से कम मामले सामने आयें इस हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). जी हां। वर्ष 1994-95 के दौरान हुई इन रोगों की घटनाएं इस प्रकार है:-

(i) क्षयरोग	11.24 लाख
(ii) मलेरिया	प्रति 1000 जनसंख्या पर 2.6 रोगी
(iii) कुष्ठ	0.75 मिलियन
(iv) कालाजार	0.24 लाख

(ग) इन रोगों की घटना-दर को कम से कम करने के लिए निम्नलिखित, जैसा कि प्रत्येक के सामने उल्लेख किया गया है, कदम उठाए गए हैं।

(i) क्षय रोग : सरकार देश में केन्द्र और राज्यों के बीच 50.50 की भागीदारी के आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विद्मान सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में नि:शुल्क निवासस्थानीय उपचार प्रदान किया जाता है।

(ii) मलेरिया : उन चुने हुए स्थानों पर उपयुक्त कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है जहां मरीजों की संख्या एक हजार की जनसंख्या में 2 से अधिक हैं। प्रत्येक गांव में औषधि उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं समुदाय की भागीदारी हेतु भी कदम उठाए गए हैं।

(iii) कुष्ठ : कुष्ठ रोगियों के मुफ्त उपचार के लिए देश के सभी जिलों में एमडीटी योजना मंजूर की गई है। पता लगाए गए जिलों के लिए चल कुष्ठ उपचार एकक प्रदान किए गए हैं। सभी रोगियों के लिए बहुऔषधीय उपचार बताया गया है। सर्वेक्षण, शिक्षा एवं उपचार कार्यकलापों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी जा रही है।

(iv) कालाजार : प्रभावित क्षेत्र में वेक्टर नियंत्रण के द्वारा रोग को फैलने से रोका जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से शीघ्र जांच एवं पूरा उपचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

लम्बित मामले

3435. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों में 31 मार्च, 1995 तक कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों और अन्य जातियों से सम्बन्धित मामलों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ग) उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है;

(घ) 31 मार्च, 1995 तक कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से न्यायाधीशों के पदों हेतु आवेदकों की कोई सूची प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने हेतु इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (छ). इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 70 हैं। 31 मार्च, 1995 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के 4 पद रिक्त थे। किन्तु इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सभी 70 स्थायी न्यायाधीश पदासीन हैं और न्यायाधीश का कोई पद रिक्त नहीं है। फिर भी, सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों के 7 नए पद सृजित करने के लिए सहमत हो गई है। इन पदों की मंजूरी, नियुक्तियां किए जाने के समय दी जा सकेगी। अपर न्यायाधीशों के 7 नए पदों को भरे जाने के संबंध में संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया चल रही है। नए पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरे जाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि

3436. श्री राम निहोर राय :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री एस.एम.लालजान बाशा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सेवानिवृत्ति आयु सीमा में वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आयु सीमा को बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यदि सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की जाती है तो इसका लाखों शिक्षित युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो रोजगार हेतु प्रतीक्षा में हैं; और

(घ) क्या सरकार और अधिक रोजगारोन्मुखी योजनाएं/परियोजनाएं तैयार करने हेतु स्पष्ट नीति तैयार करेगी जो रोजगार की प्रतीक्षा में बैठे बेरोजगारों की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होंगी?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार की विद्यमान योजनाओं तथा कार्यक्रमों में बेरोजगारों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने का प्रावधान पहले से ही है।

लद्दाख के लिए पर्वतीय परिषद

3437. श्री बीर सिंह महतो :

श्री गोपीनाथ गजपति :

मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूरी :

कुमारी सुशीला तिरिया :

डा. मुमताज अंसारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लद्दाख के लिए एक स्वायत्त पर्वतीय परिषद बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). लद्दाख के लिए स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषद की स्थापना के बारे में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार और लद्दाख क्षेत्र के प्रतिनिधियों की भारत सरकार के स्तर पर हुए अनेक विचार-विमर्श के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने इस प्रकार की परिषद स्थापित करने के लिए विधेयक लाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनः चालू करना

3438. श्री वी. श्री निवास प्रसाद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ प्रमुख उपक्रमों, जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बड़ी संख्या में लोग रोजगार में लगे हुए थे, को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के निर्णय के परिणामस्वरूप बन्द किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें शीघ्र पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों को बन्द करने के लिए सम्बन्धित उच्च न्यायालयों को सिफारिश की है :—

(1) नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड

(2) एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड

(3) कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड

(4) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड

(5) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड

2. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का निर्णय परिचालन अभिकरण द्वारा तैयार की गई पुनर्वास योजना पर आधारित होता है जिसमें व्यवहार्यता को ध्यान में रखा जाता है चाहे इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में काम करने वाले कर्मचारियों की जाति कोई भी हो। पुनरुद्धार योजना अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

कम्प्यूटर रख-रखाव निगम

3439. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर रख-रखाव निगम दीन अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कम्प्यूटर रख-रखाव निगम की दशा सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). जी नहीं। लेकिन, यद्यपि वर्ष 1993-94 के दौरान सीएमसी लिमिटेड को घाटा हुआ था तथापि वर्ष 1994-95 के दौरान कम्पनी के कारोबार में काफी सुधार होने की संभावना है। घाटा होने का मुख्य कारण निजी क्षेत्र से कम्पनियों से बड़ी संख्या में प्रतिस्पर्द्धा करना और कम्पनी पर ब्याज का बोझ रहना था। कम्पनी के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) अपने कार्यकलापों में विविधता लाना और अधिक लाभ की गुंजाइश वाले व्यापार पर ध्यान केन्द्रित करना।

(2) विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम के लिए भारतीय/विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग करना।

(3) लाभ में हिस्सेदारी प्रोत्साहन योजना शुरू करना।

(4) ब्याज के बोझ को कम करने के लिए वित्तीय पुनर्निर्धारण।

सरकारी कार्यालयों में भर्ती

3440. **कुमारी सुशीला तिरिया :**

श्री गुरूदास कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के कार्यालयों में भर्ती हेतु लगे प्रतिबन्ध को उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के अधिकांश कार्यालयों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख). सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किए हैं।

(ग) और (घ). इस समय पांच मंत्रालयों/विभागों के 101 कर्मचारी सरकार के अधिशेष सैल की रोल पर हैं।

ऋण लाइसेंस योजना

3441. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण लाइसेंस योजना बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त योजना कुछ क्षेत्रों में अभी भी चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अंतर्गत औषधों की बिक्री हेतु निर्माताओं को ऋण लाइसेंस दिए जाते हैं।

एड्स का आयुर्वेदिक उपचार

3442. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1995 के दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'आयुर्वेदिक क्योर फॉर एड्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को जड़ी-बूटी विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जड़ी-बूटी यौगिकों का वैज्ञानिक ढंग से आकलन करने तथा इस दिशा में और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु निर्देश देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ). एच. आई. वी./एड्स के उपचार पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा किए गए सभी दावों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार किए गए प्रोटोकोल के अनुसार विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। डा. मजीद ने अपने दावे को जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को प्रस्तुत नहीं किया है।

पूरक दवाएं

3443. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में पूरक दवाओं का 33वां विश्व कांग्रेस हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राष्ट्रों ने कांग्रेस में भाग लिया;

(घ) कांग्रेस में क्या सिफारिशें की गईं; और

(ङ) उस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया

3444. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के सीमेंट एककों के उत्पादन में लगातार गिरावट हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादन में कमी आने के क्या कारण हैं और इसमें सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी नहीं। परन्तु पिछले 3 वर्षों में सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (सी.सी.आई.) की कुछ इकाइयों में उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 (अनंतिम) में सी.सी.आई. की अलग-अलग इकाइयों के उत्पादन ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) उत्पादन में कमी मुख्यत: बिजली और कार्यशील पूंजी की कमी के कारण हुई है। कुछ इकाइयों में बिजली की कमी को दूर करने के लिए डी.जी.सेटों की खरीद हेतु, हाल ही में सरकार ने सी.सी.आई. को 25 करोड़ रुपये की राशि दी है।

विवरण

इकाई का नाम	1992-93	1993-94 (लाख मीट्रिक टन)	1994-95 (अनंतिम)
मांढर	2.39	1.11	0.49
कुर्कुटा	1.70	1.49	1.54
बोकाजान	1.13	1.48	1.54
राजबन	1.64	1.68	1.75
नयागांव	1.30	3.32	3.11
अकलतरा	2.45	2.01	1.36
येरागुंटला	3.07	2.96	2.51
चर्खी दादरी	1.37	1.15	0.87
आदिलाबाद	3.74	2.92	2.00
तांडूर	6.69	6.43	4.79
दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट	4.15	3.54	1.92
योग	29.63	28.09	21.88

[अनुवाद]

कृत्रिम दूध

3445. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार डेयरी उद्योग द्वारा नई तकनीकी से उत्पादित किए जा रहे कृत्रिम दूध के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव हैं;

(ख) यदि हां, तो कृत्रिम दूध के उत्पादन में प्रयोग होने वाले घटकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कृत्रिम दूध की बिक्री पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). यद्यपि दूध तथा शिशु आहारों में खाद्य संदूषकों की निगरानी पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन एक बहुकेन्द्रिक नैदानिक कार्य दल अध्ययन किया गया था लेकिन तैयार की गई रिपोर्टें विश्लेषण, प्रतिपादन तथा निकाले गए निष्कर्ष और रिपोर्टिंग विधि सही नहीं पाई गई और इसलिए 1994 में इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(ग) दूध में न पाए जाने वाले पदार्थों से युक्त दूध अथवा दुग्ध उत्पाद की बिक्री, नियमों में की गई व्यवस्था को छोड़कर, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत पहले ही निषिद्ध है।

भारतीय फर्में

3446. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय फर्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से विलय एवं अधिग्रहण को आसान बनाने हेतु मानदंडों को उदार बनाने, तकनीकी शिक्षा का उन्नयन करने, औद्योगिक डिजाइन संस्थानों की स्थापना करने और विशेष प्रयासों/कोषों के माध्यम से अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अधिक निवेश को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकलेंगे?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). नई औद्योगिक नीति 1991 के अधीन लाइसेंसीकरण के मानदंडों को उदार बनाने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान और विकास सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं ताकि भारतीय फर्मों को विश्व में प्रतियोगी बनाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप निवेश प्रस्तावों में वृद्धि हुई है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

ओवरसीज डवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सहायता

3447. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ चुने हुए पिछड़े जिलों में ओवरसीज डवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से स्वास्थ्य सुरक्षा सेवा योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात और हरियाणा में ओवरसीज डवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किसी जिले का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) तथा (ख). उड़ीसा के पांच जिलों : सम्भलपुर, क्योंझर, मयूरभंज, सुन्दरगढ़ और ढेनकनाल जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ओवरसीज डवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यू.के.) की सहायता से 65.66 करोड़ रुपये की कुल लागत की एक केन्द्रीय परियोजना 1 नवम्बर, 1989 से 30 जून, 1995 तक कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मतदाता सूची से नामों का हटाया जाना

3448. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, मुंबई और दिल्ली में पहचान-पत्र तैयार करते समय हजारों मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों की मतदाता सूचियों से अब तक ऐसे कितने नाम हटाए गए हैं; और

(ग) इन लोगों को किस आधार पर विदेशी नागरिक समझा गया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) निर्वाचन आयोग ने सुचित किया है कि असम, मुंबई और दिल्ली में फोटो पहचानपत्र तैयार करते समय मतदाता सूची से किसी का नाम नहीं निकाला गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

तकनीकी और वित्तीय क्षेत्रों में सहयोग प्रस्ताव

3449. श्रीमती शीला गौतम :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान तकनीकी और वित्तीय क्षेत्रों में सहयोग के कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई;

(ख) उनमें से उपभोक्ता उत्पादों के क्षेत्र में कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). 1992, 1993 और 1994 के वर्षों में अनुमोदित विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के विवरण इस प्रकार हैं :

वर्ष	विदेशी सहयोग के अनुमोदनों की कुल संख्या	तकनीकी	वित्तीय
1992	1520	828	692
1993	1476	691	785
1994	1854	792	1062

अनुमोदित विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के क्षेत्रवार ब्यौरे, जिसमें उपभोक्ता क्षेत्र भी शामिल है, दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

अनुमोदित व्यक्तिगत प्रस्तावों के विवरण जिनमें भारतीय कम्पनी का नाम विदेशी सहयोगकर्ता का नाम और संबंधित देश का नाम, प्रत्येक प्रस्ताव में विनिर्माण की मद का उल्लेख होता है, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक 'न्यूजलैटर' के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं। उक्त 'न्यूजलैटर' की प्रतियां संसद पुस्कालय में नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

विवरण

1992, 1993 और 1994 में सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग के मामलों का उद्योगवार ब्यौरा

क्र.सं.	उद्योग का नाम	1992		1993		1994	
		कुल	वित्तीय	कुल	वित्तीय	कुल	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	धातुकर्मी उद्योग	80	33	70	33	67	27
2.	ईंधन	33	19	35	20	32	27
3.	बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	8	1	10	6	11	4
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जनित्रण के अलावा)	—	—	1	0	8	2
5.	विद्युत उपकरण	285	126	255	140	320	180
6.	दूरसंचार	39	16	17	5	16	6
7.	परिवहन	71	24	65	24	69	33
8.	औद्योगिक मशीनरी	156	44	154	45	138	49

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	मशीनी औजार	21	7	14	8	24	10
10.	कृषि मशीनरी	7	3	6	0	5	1
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	9	4	9	2	11	4
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	71	26	57	29	54	36
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	15	6	15	6	5	5
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	8	5	7	5	4	2
15.	औद्योगिक उपकरण	24	10	13	4	14	5
16.	वैज्ञानिक उपकरण	17	12	1	1	2	1
17.	गणितीय, सर्वेक्षण और ड्राइंग उपकरण	—	—	—	—	—	—
18.	उर्वरक	3	—	8	1	8	1
19.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	232	70	153	65	182	84
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	3	1	3	2	2	1
21.	रंजक सामग्री	1	1	2	2	4	2
22.	औषध और भेषज	25	10	34	17	48	22
23.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित अथवा अन्यथा प्रक्रियागत वस्त्रों को छोड़कर)	42	29	62	41	84	66
24.	कागज तथा लुगदी— कागज सहित उत्पाद	18	5	12	5	23	16
25.	चीनी	—	—	2	2	0	0
26.	फर्मेंटेशन उद्योग	9	6	12	11	8	4
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	89	56	108	86	130	101
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	7	6	4	4	8	8
29.	साबुन, कास्मेटिक तथा टायलेट प्रिपरेशन	2	2	5	3	11	8
30.	रबड़ की वस्तुएं	16	3	24	11	22	10
31.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक	17	12	25	15	34	30
32.	ग्लू तथा जिलेटिन	—	—	—	—	—	—
33.	कांच	5	1	6	2	7	6
34.	सिरेमिक्स	29	18	34	24	26	17
35.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	11	4	8	2	10	9
36.	टिम्बर उत्पाद	1	—	1	1	0	0
37.	सुरक्षा उद्योग	—	—	1	0	1	0
38.	परामर्शदायी सेवाएं	27	19	20	14	38	31
39.	सेवा उद्योग	32	24	50	50	101	100
40.	होटल तथा पर्यटन	17	13	31	17	36	26
41.	ट्रेडिंग कम्पनी	43	43	30	30	38	38
42.	विविध उद्योग	67	33	112	52	253	90
	योग	1520	692	1476	785	1854	1062

पुंछ जिले में पाकिस्तान द्वारा आक्रमण

3450. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हाल ही में सीमावर्ती जिला पुंछ के नागरिक क्षेत्रों पर राकेटों से हमला किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आक्रमणों में कितने नागरिक घायल हुए तथा कितने नागरिकों की मृत्यु हुई;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). जी हां। पाकिस्तानी सैनिकों/आतंकवादियें द्वारा पुंछ सीमावर्ती जिले के नागरिक क्षेत्रों पर राकेटों से कुछ हमले किए गए जिनके परिणामस्वरूप हमारे कुछ सैनिक घायल हुए तथा नागरिकों के मकान क्षतिग्रस्त हुए।

(घ) और (ङ). इस प्रकार के मुद्दों को पाकिस्तान प्राधिकारियों के साथ घटनाओं की गम्भीरता के आधार पर दोनों देशों के सैन्य संक्रिया महानिदेशकों के बीच टेलीफोन पर होने वाली साप्ताहिक बातचीत तथा स्थानीय स्तर पर होने वाली ध्वज बैठकों के दौरान उठाया जाता है।

[अनुवाद]

रक्षा प्राधिकारियों द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालय

3451. **श्री प्रेमचन्द राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आर्मी पब्लिक स्कूलों/आर्मी स्कूलों का संचालन रक्षा प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी स्कूलों में फीस का ढांचा, प्रवेश और सिक्यूरिटी शुल्क एक समान है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ). आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 का 21) के अन्तर्गत पंजीकृत है, 92 आर्मी स्कूल और 5 आर्मी पब्लिक स्कूल जो मिलिट्री कैंट में स्थित हैं, संचालित करता है। दिन में चलने वाले आर्मी स्कूलों का फी-ढांचा एक समान है। आर्मी पब्लिक स्कूल आवासीय स्कूल हैं तथा इनका फी-ढांचा अलग-अलग स्कूलों में उन स्कूलों में प्रदत्त सुविधाओं तथा संबंधित स्थानों के जीवन-स्तर के अनुसार अलग-अलग है। इन स्कूलों का वित्त पोषण सेना के नियंत्रणाधीन गैर-सरकारी कल्याण निधि में से किया जाता है।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग अस्पताल

3452. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में किन-किन स्थानों पर कुष्ठ रोग अस्पताल खोल गए हैं;

(ख) क्या इन अस्पतालों को कोई विदेशी सहायता उपलब्ध कराई जाती है; और

(ग) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन अस्पतालों को कितनी सहायता दी गयी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ अस्पताल खोलने की कोई योजना नहीं है क्योंकि घर पर ही उपचार करने पर जोर दिया गया है। फिर भी एक क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में की गई है जिसमें कुष्ठ रोगियों के लिए 75 पलंगों वाला अस्पताल भी शामिल है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों में पारिवारिक पेंशन योजना

3453. **श्री भेरूलाल मीणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में पारिवारिक पेंशन योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के क्या नाम हैं तथा इनमें उक्त योजना कब से शुरू की गई है;

(ग) क्या कुछ उपक्रमों में पेंशन सम्बन्धी मामले संदित पड़े हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इन मामलों का निपटारा कब तक किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रिक्त पद

3454. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1991, 1992, 1993, 1994 और 1995 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार सभी मंत्रालयों, विभागों और सचिवालयों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार भरे जाने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) सरकार ने इन पदों को भरने हेतु क्या विशेष उपाय किये हैं; और

(ग) इस वर्ष के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क)

से (ग). विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियों का आरक्षण नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा रखे गए आरक्षण रोस्टरों के माध्यम से दर्शाये अनुसार निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार होगा। इस आशय के लिए कोई अन्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार के तहत विभिन्न कार्यालयों में भरी जाने वाली ऐसी रिक्तियों की संख्या केन्द्रीकृत रूप से एकत्रित तथा रखी नहीं जाती है। बकाया रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से 1989, 1990-91, 1991-92 तथा 1993-94 में विशेष भर्ती अभियान चलाये गये थे। चालू वर्ष में भी 1 जून, 1995 से एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा।

मतदाता सूचियां

3455. **डा.साक्षीजी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों से नामों के हटाए जाने के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). निर्वाचक नामावलियों से नाम हटाने के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को शिकायतें किया जाना न तो अपेक्षित है न ही वह इस विषय में कोई कार्रवाई करने में सक्षम है क्योंकि निर्वाचक नामावलियां तैयार करने की बाबत अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण आयोग में निहित है।

[अनुवाद]

जनसंख्या वृद्धि दर

3456. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-80, 1981-85, 1985-90 और 1990-95 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर के तुलनात्मक आंकड़ो का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1975 के पश्चात् के दो दशकों के दौरान योजना और कार्यक्रमों से कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई परिणामोन्मुखी योजना तैयार की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) नमूना पंजीयन पद्धति से प्राप्त जनसंख्या की सहज वृद्धि दर के अनुमान 1975-80, 1981-85, 1985-1990 और 1990-93 की अवधि में औसत जन्म और मृत्यु दरों की भिन्नता क्रमशः 1.97%, 2.15%, 2.09% और 1.97% हैं।

(ख) जी नहीं। नमूना पंजीयन प्रणाली के अनुमानों के अनुसार मुख्य रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभाव के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर में 1975 में 35.2 से 1993 में 28.7 तक कमी आई है।

(ग) और (घ). राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के परामर्श से एक परिणामोन्मुखी कार्य योजना प्रतिपादित की गई है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में गुणवत्ता में सुधार तथा सेवाओं को दूर-दराज तक पहुंचाना, युवा आयु के दम्पत्तियों में जन्म में अन्तर रखने के उपायों को बढ़ावा देना, 90 पिछड़े जिलों में उनके जनांकिकीय पैरामीदरों को सुधारने तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ाने के प्रयासों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठनों को मिलाना शामिल है।

परमाणु ऊर्जा अधिनियम

3457. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित परमाणु ईंधन परिसर पर परमाणु ऊर्जा अधिनियम लागू होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत कई धाराएं हैं जो परमाणु ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि यूरेनियम अथवा थोरियम की खोज के बारे में बताने, खनन अथवा यूरेनियम-युक्त पदार्थों के सांद्रण पर नियंत्रण रखने, यूरेनियम का निपटान करने, रेडियो-सक्रिय पदार्थों पर नियंत्रण रखने, संरक्षा के बारे में विशेष प्रावधान करने, निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश को रोकने आदि से संबंधित हैं। नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में कई संयंत्र हैं। इस अधिनियम के उपबन्ध उन संयंत्रों पर लागू होते हैं जहां उन क्षेत्रों से संबंधित कार्य किए जाते हैं जिनका उल्लेख पहले किया गया है।

एच.आई.वी. प्रभावित मामले

3458. **श्री पी.कुमारासामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में एच.आई.वी. प्रभावित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त राज्य को 1993-94 और 1994-95 के दौरान एड्स नियंत्रण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु को विदेशी सहायता राशि भी दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) 2,766

(ख) से (ङ). (I) विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :

1993-94	153.25 लाख रुपए
1994-95	277.44 लाख रुपए

(II) यू.एस. एड से सहायता प्राप्त एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत :

1994-95	150.00 लाख रुपए

आतंकवाद में पाकिस्तान का संलिप्त होना

3459. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंटरनेशनल रिलेशंस एण्ड ह्यूमन राइट्स रिसर्च सेंटर ब्रुसेल्स के एक संगठन द्वारा हाल ही में तैयार 'कश्मीर ऑन द चेसबोर्ड आफ साउथ एशिया' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. को आतंकवादी एवं जम्मू एवं कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में विखंडनकारी गतिविधियों में कहां तक संलिप्त पाया गया है; और

(ग) देश में घुसपैठियों/भाड़े के सैनिकों/हथियारों के प्रवेश को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार को पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा जम्मू कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में आतंकवाद और तोड़-फोड़ करने वाली गतिविधियां लगातार भड़काने और उसमें लिप्त होने के बारे में जानकारी है। ऐसी गतिविधियों को काबू में रखने तथा सीमा/नियंत्रण रेखा से आतंकवादियों और शस्त्रों की घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में आसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय बनाना, केन्द्र और राज्य एजेन्सियों के बीच तालमेल बढ़ाना, सुरक्षा बलों की तैनाती और उसके अभियानों को मजबूत करना और उन्हें सुचारू बनाना, संवेदनशील क्षेत्रों में जम्मू व कश्मीर में सीमा/नियंत्रण रेखा पर गश्त गहन करना, तथा राज्य में भारत-पाक सीमा के साथ-साथ कांटेदार बाड़ और फ्लड लाईट लगाना, शामिल है। पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर गलत सूचनाएं फैलाने और इसके द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार का मुकाबला करने तथा उपर्युक्त हरकतों से पाकिस्तान को दूर रहने की सलाह देने के लिए राजनयिक स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने को बेनकाब किया जा सके। सरकार की मंशा इन प्रयासों को सघन रूप से तथा अनवरत रखने की है।

निर्वाचन क्षेत्रों का पुन: परिसीमन

3460. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया** :

श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुन: परिसीमन हेतु कोई परिसीमन आयोग गठित किया गया है अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई विधान लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक विधेयक पुर: स्थापित किए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ङ). संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1994, जो विभिन्न राज्यों को आबंटित किए गए स्थानों की विद्यमान संख्या को प्रभावित किए बिना 1991 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन किए जाने की बाबत उपबंध करने के लिए है, लोक सभा द्वारा विचार किए जाने के लिए लंबित है। उक्त विधेयक के अधिनियम बनने के पश्चात ही इस संबंध में आगे कार्रवाई की जा सकती है।

लेजर शल्य चिकित्सा

3461. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पूर्ण रूप से सुसज्जित लेजर शल्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह चिकित्सा सुविधा किन-किन स्थानों पर उपलब्ध है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली जैसे केन्द्रीय सरकारी अस्पताल लेजर शल्य चिकित्सा सुविधाओं से सज्जित हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा केन्द्र

3462. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

खादी ग्रामोद्योग आयोग

3463. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाये जा रहे/प्रायोजित औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितने सहकारी और निजी एककों को सहायता प्रदान की गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

परमाणु अपशिष्ट

3464. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1995 के इंडियन एक्सप्रेस में 'शिप कैरींग जापान्स न्यूक्लियर वेस्ट लीव्स फ्रांस टूडे' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है कि परमाणु अपशिष्ट के संभावित व्ययन से भारत के निकटवर्ती समुद्रों का पानी प्रभावित न हो?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). सरकार ने समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार को देखा है। इस मामले में समाचार पत्रों में बाद में छपी रिपोर्टों से यह पता चलता है कि इस पोत का मार्ग दक्षिणी अमरीका के ऊपरी सिरे के आस-पास से और प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

डेनमार्क द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं

3465. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेनमार्क के सहयोग से पूरी की गई/निर्माणाधीन प्रमुख परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की हाल ही में समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कुछ निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के परियोजना-वार कारण क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :(क) से (घ). नई नीति की अवधि अर्थात् अगस्त, 1991 से 1995 (फरवरी तक) के दौरान डेनमार्क को फर्मों के साथ स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य स्तरीय अनुमोदनों और फलन अवधि जैसे कारकों पर निर्भर करता है जो एक परियोजना से दूसरी परियोजना में भिन्न-भिन्न होती है।

विवरण

अगस्त, 1991 से फरवरी, 1995 तक सभी वर्गों द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहयोग के मामलों की सूची

क्र.सं. अनु.सं./ अनु. ता. टाइप/एजेंसी	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	राशि (% इक्विटी) (लाख रु.)
1	2	3	4
1.	श्री सीमेंट लि. 8, लाइंस रेंज, पहली मंजिल, कलकत्ता-1	एफ.एल. स्मिथ एंड कं. ए.एस. डेनमार्क	625.00 (17.86%)
मद का विवरण : अन्य पोर्टलैंड सीमेंट डेनमार्क स्थापना-स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			
2.	लक्षद्वीप शिल्पी एक्वाकल्चर लि. 40/3170ए-लिजी रोड, कोचीन-18	मै. ओपल मेरिन लि., डेनमार्क	50.00 (26.00%)
मद का विवरण : मेरिन फिस (सी बास एंड डि-सेंटोकस लेब्रास) डेनमार्क स्थापना-स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			
3.	श्री गनेश आनन्द पेट्रो-केमिकल्स प्रथम तल, अरुणदीप कंपार्टमेंट, सामने भेल एक्न., आभा रोड सिकन्द्राबाद-3	हल्दोर टोप्सो, डेनमार्क एनोनिया डी	700.00 (9.92%)
मद का विवरण : वैदरली इन्क. यू.एस.ए नाइट्रिक एसिड डेनमार्क स्थापना-स्थल : उत्तर प्रदेश			

1	2	3	4
4.	लार्सन एंण्ड टुर्बो लि. एल एण्ड टी हाउस, नरोत्तम मोरारजी मार्ग, वेलार्ड एस्टेट, बम्बई-38	नीरो एटोनाइजर ए. एस. नीरो. डेनमार्क	60.00 (40.00%)
मद का विवरण : विद्युत उत्पादन/प्रसंस्करण संयंत्र डेनमार्क स्थापना-स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			
5.	योगेश मेहरा, मार्फत मीनाक्षी इन. कं. मेहरा एस्टेट, एलबीएस मार्ग बम्बई	विंड वर्ड ए. एस. डेनमार्क मिनेशोटा, विंडवावर	107.97 (8.33%)
मद का विवरण : वैद्युत उपकरण डेनमार्क स्थापना स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			
6.	के.जी. मिश्र, झांसी	इंग्सको डेनमार्क	20.13 (51.00%)
मद का विवरण : मोल्डेड मैक. उपकरण डेनमार्क स्थापना-स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			
7.	लाइरिड्स नूसेन मैस्किम फेब्रिक इं. लि., पुणे	लाइरिड्स नूसेन मैस्किम फैब्रिक, डेन	503.86 (51.00%)
मद का विवरण : पंप टैप डेनमार्क स्थापना-स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			
8.	एल एंड टी नीरो लि. बम्बई	नीरो एयर्स, डेनमार्क	0.00 (50.00%)
मद का विवरण : द्रव्य तथा पावडर प्रसंस्करण संयंत्र डेनमार्क स्थापना-स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			
9.	हिल्टन रबड़ लि. नई दिल्ली	रोलैंड्स फैबरकर हेस्टाहेवन डी.के. डेनमार्क	201.30 (50.00%)
मद का विवरण : कन्सट्रक्शन बैटिंग नट्स स्थापना-स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			
10.	श्री एस. श्रीनिवासन 10 मेन रोड, कस्तूरबा नगर अदियार, मद्रास	कंप्यूटर रिसोरसेज इंटरनेशनल डेनमार्क	240.00 (66.67%)
मद का विवरण : कंप्यूटर साफ्टवेयर स्थापना स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			
11.	संजय जैन, ए-47 गुलमोहर पार्क नई दिल्ली	डैनब्यू, डेनमार्क	50.00 (3.00%)
मद का विवरण : बारले माल्ट और माल्ट का निर्यात		स्थापना स्थल : राजस्थान	
12.	विजय बुबरीज प्रा. लि. माया प्रेस बिल्डिंग 281, मोथीगंज, इलाहाबाद	कार्ल्स बर्ग इंटरनेशनल	130.00 (26.00%)
मद का विवरण : बीयर डेनमार्क स्थापना स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			

1	2	3	4
13.	रोन मेरीटाइप लि. पहली मंजिल, लक्ष्मी हाऊस, परूमानूर जेती रोड विलिंगडन आइलैंड, कोचीन	मै. मिको इंजी. इंटरनेशनल	70.00 (70.00%)
मद का विवरण : डीप सी फिसिंग डेनमार्क स्थापना स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			
14.	सैब्रोस इंडिया प्रा. लि. 312, अन्ना मलाई, मद्रास-600010	सैब्रोस रेफ्रीजेरेशन ए/एस, डेनमार्क 201, सी.एच.आर.पी.बी.सं.1010 डी.के.8270	75.64 (51.00%)
मद का विवरण : इंडस्ट्रीयल ट्रांसपोर्टेशन रेफ्रीजेरेशन डेनमार्क स्थापना-स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			
15.	वेस्टास आर.आर.बी. इंडिया लि., 161, सुखदेव विहार, नई दिल्ली-110025	वेस्टास विंड सिस्टम ए/एस डेनमार्क, स्मेद हंसेन्स वेज, 27 डी.के.-6940, लेन,	241.26 (25.00%)
मद का विवरण : विंड इलेक्ट्रिक जेनरेटर्स डेनमार्क स्थापना-स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			
16.	बालाजी फुड्स एंड फीड्स लि. वेंकटेश्वर हाउस, 3-5-808 और 808/1, हैदरगुडा, हैदराबाद-500029	अवोटी इंटरनेशनल डेनमार्क	80.00 (8.00%)
मद का विवरण : के.जी.जी. पाउडर डेनमार्क स्थापना स्थल : महबूब नगर (आंध्र प्रदेश)			
17.	डी.डी.ई.ओ.आर.जी. सिस्टम्स लि. वाडी वाडी, बड़ोदा	मैसर्स डान्स्क डाटा इलेक्ट्रोनिक्स ए.सी.	252.09 (50.00%)
मद का विवरण : आटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन डेनमार्क स्थापना स्थल : बड़ोदड़ा (गुजरात)			
18.	यू.सी. गैस इंजीनियरिंग प्रा. लि. 19 फ्लोर, अम्बा दीप बिल्डिंग, 14, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001	यूनियन कंस्ट्रक्शन ए.एस. 27,एस.एन.ए.एम.ओ.एस. इवेज, डी 700 फ्रेडर्सिया डेनमार्क	5.00 (50.00%)
मद का विवरण : रसायन, भेषजों को बनाने के लिए रासायनिक संयंत्र और अन्य मशीनरियां डेनमार्क स्थापना स्थल : दिल्ली			
19.	ट्रिपल ए.ओवरसीज लि. 48,मित्तल चैम्बरस 228, बी.बी.आर. नरीमन पोस्ट आफिस बम्बई-400021	हेल्ज फ्लेसर ए/एस. डेनमार्क	20.00 (5.00%)
मद का विवरण : टेक्सटाइल मेड-अप्स		डेनमार्क	स्थापना-स्थल : खरगांव (प.निमार) (मध्य प्रदेश)
20.	करन सिमेंट लि. डी विकास सेन्टर, 206 रोड सांताक्रूज, बम्बई-400055	एफ.एल.स्मीड एंड कं. ए./एस 77 विगरस्लेव एली डीके 2500 वा । बी कॉपेनहेगन	2520.00 (12.00%)
मद का विवरण : सफेद सिमेंट को छोड़कर पोर्टलेण्ड सीमेंट की सभी किस्में		डेनमार्क	स्थापना-स्थल : सतना (मध्य प्रदेश)

1	2	3	4
21.	त्रिमुर्ति मशीन्स लि. ऑप पोलीस लाइन्स सिविल लाइन्स लुधियाना	एनओआरडी-केएनजी, डेनमार्क गुंडीवेज 55 केडीस्लेव डीके-8362 होर्ननींग डेनमार्क	5.40 (0.00%)
मद का विवरण : मशीन टूल्स डेनमार्क स्थापना-स्थल : लुधियाना (पंजाब)			
22.	गुजरात सिधी सिमेंट लि. सिधीग्राम जूनागढ़	एफएल स्मिद एंड कं. डीके-2500 व्हॅली कॉपिनहेगन डेनमार्क	1250.00 (0.00%)
मद का विवरण : सिमेंट उत्पाद डेनमार्क स्थापना-स्थल : जूनागढ़ (गुजरात)			
23.	डी एल एफ सिमेंट लि. 1-के, झंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली-110055	द इण्डस्ट्रीलाइजेशन फंड फॉर डी (आईएफयू), 4, बरमहोल डीके-1069 कॉपिनहेगन के डेनमार्क	1843.00 (12.20%)
मद का विवरण : साधारण पोर्टलेण्ड सिमेंट पोजोलाना सिमेंट डेनमार्क स्थापना स्थल : पाली (राजस्थान)			
24.		बाल्टीक कंट्रोल्स लि. सीन्डाल्व्हेज 428, पीओ बॉक्स 2199 8240 बिस्कोव्ह, डेनमार्क	1.50 (100.00%)
मद का विवरण : सर्वेक्षण और निरीक्षण गतिविधियों के लिए भारत में सहायकों की स्थापना करना जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कारगो अधीक्षक, तकनीकी निरीक्षण, सर्वेक्षण, विश्लेषणात्मक परीक्षण, उपभोक्ता सामान, निरीक्षण और सामान्यतया सर्वेक्षण, निरीक्षण तथा प्रमाणकर्ता। स्थापना स्थल : ग्रेटर बम्बई (महाराष्ट्र)			
25.	एनकेटी इलेक्ट्रानिक ए./एस. डेनमार्क एनकेटी इंडिया ऑफिस बाराखम्बा रोड नई दिल्ली-110001	एनकेटी इलेक्ट्रानिक ए./एस. एनकेटी एली 85 डीके 2605 ब्रांडबि डेनमार्क	690.00 (60.00%)
मद का विवरण : फाईबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन सिस्टम-पीडीएच तथा एसडीएच, डिजीटल मल्टीप्लेक्सर्स और नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। स्थापना स्थल : गुड़गांव (हरियाणा)			
26.	महिन्द्रा और महिन्द्रा लिमिटेड बम्बई	द इस्ट एशियाटिक कं. लि. 2, होल्बरगेस्गेड डीके-1099 कॉपिनहेगन के डेनमार्क	180.00 (60.00%)
मद का विवरण : मार्केटिंग्स, सेलिंग और सर्विसिंग सॉफीस्टीकेटेड ग्राफिक आर्टस मशीनरी, डेनमार्क एक्ससेरिज एंड स्पेअर पार्टस स्थापना स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			

1	2	3	4
27.	बीकेडी इण्डस्ट्रिज लि. बासप्पा काम्पलेक्स 40/1ए लेवली रोड बंगलौर	डीआइएसए-डीएएनएसके इण्डस्ट्री सिंडीकेट ए./एस. 17 हरलीव हावेडग्रेड डीके 2730 हरलीव डेनमार्क	1141.58 (51.00%)
मद का विवरण : औद्योगिक मशीनरी		डेनमार्क स्थापना स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)	
28.	सोलीडरी आईएनटीएल मार्केटिंग सर्विस 10, प्रथम मेन कज रोड, गांधी नगर, अदयार मद्रास	आरकॉन ए./एस. ऑस्टेरबर्ग लेण्डकीव्ज 7 डीके-6400 सुन्दरबर्ग डेनमार्क	98.00 (49.00%)
मद का विवरण : बिजली उपकरण डेनमार्क स्थापना स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)			
29.	ब्रस्टलर्स सी./ओ.एस.बी. बाटलीबाय एंड कं. हिमालय हाउस 7वां तल, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली-110001	ब्रस्टलर्स ए./एस. डेनमार्क	126.20 (100.00%)
मद का विवरण : निर्यात के लिए गारमेंट, गारमेंट सहायक सामान, एंटीक आदि सहित व्यापक किस्म के सामान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 100% स्वामित्व वाली सबसिडरी की स्थापना		डेनमार्क स्थापना स्थल : अन्य (उपलब्ध नहीं)	
30.	एलएस ग्लासफाइबर इंडिया लि. सी./ओ. आनन्दी के.सेठी 14-एफ बसन्त लोक वसन्त विहार नई दिल्ली-110057	एल.एम. ग्लासफाइबर ए./एस. बोलर्स मोलीव्हज, डीके-6640 लण्डरस्कोव्ह डेनमार्क	946.00 (75.00%)
मद का विवरण : एफबीपी रोटर ब्लेडस फार वाईंड टरबाईन जनरेटर्स डेनमार्क स्थापना स्थल : बंगलौर (शहरी) (कर्नाटक)			
31.	काम्पसेक इंडिया प्रा.लि. 8, हंसलाया बाराखम्बा रोड नई दिल्ली-110001	काम्पसेक डेनमार्क	51.00 (51.00%)
मद का विवरण : भारत में एक वाणिज्यिक स्वरूप की आधारभूत सुविधा विकास परियोजना के लिए मूल तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन इंजिनियरिंग और कन्सलटेन्सी की स्थापना करना		डेनमार्क स्थापना-स्थल : दिल्ली	

अवकाश नगदीकरण

3466. **मेजर डी.डी.खनोरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1.1.1986 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए और उसी पद पर पुनर्नियुक्त हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अपनी पुनर्नियुक्ति के दौरान अर्जित अवकाश हेतु जो अधिकतम 240 दिनों तक के अन्तर के बराबर है, के नगदीकरण का प्रावधान है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख). केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली के नियम 39 (6) (क) (111) के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी,जो सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्त होता है, उसकी पुनर्नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति के समापन की तारीख को उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में समतुल्य नकद राशि मंजूर की जाए बशर्ते कि सेवा निवृत्ति के समय मंजूर किए गए नकदीकरण की अवधि सहित यह अधिकतम 240 दिन (1.7.86 से पूर्व 180 दिन) हो।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार सृजन

3467. **श्री बालिन कुली** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1993 से 1995 की अवधि के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार पैदा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) पूर्वोत्तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदात्री संगठन लिमिटेड द्वारा आयोजित विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के माध्यम से कितनी नौकरियां सृजित की गई और इन कार्यक्रमों को आयोजित करने संबंधी विधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी कार्यक्रमों में किन-किन विभागों ने भाग लिया और ये कार्यक्रम किन-किन स्थानों पर आयोजित किए गये और उनके क्या परिणाम निकले हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) 1993-95 की अवधि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश भर में 15,000 रोजगार सृजित करने का लक्ष्य था।

(ख) प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक नीटको, गुवाहाटी ने 1990-91 से 1994-95 की अवधि में 1723 रोजगार मुहैया कराये। कार्यक्रम चलाने के लिए नीटको द्वारा निम्नलिखित पद्धति प्रयोग में लाई जा रही है :—

(1) क्षेत्र एवं उसके आस-पास के इलाकों में रोजगार के अवसर का आकलन।

(2) प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचों का तय किया जाना।

(3) व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों तथा दक्ष दस्तकारों एवं एक्सपर्टों/विशेषज्ञों की सेवाओं का अभिनिर्धारण एवं स्रोतीकरण।

(4) प्रस्तावित व्यापारी के लिए युवाओं का उनकी रुचि, वैयक्तिक विशेषताओं एवं गुणों के आधार पर चयन।

(5) नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण देना।

(6) प्रशिक्षार्थियों को ट्रेनिंग पश्चात् अनुवर्ती सहायता उपलब्ध कराना।

(ग) मेगसेट कार्यक्रमों का आयोजन देश के कई भागों में किया गया था। जहां भी संभव हों पाया विद्यमान सरकारी स्कीमों के साथ इस कार्यक्रम को एकीकृत करने के प्रयास किए गये। प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता की दर 50 से 100% तक रही।

पोलियो टीका

3468. **श्री पी. कुमारासामी** :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में पोलियो तथा खसरा के टीके लगाए जाने के पश्चात् कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या उक्त टीके की कलकत्ता के बागबाजार मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा आपूर्ति की गई थी;

(ग) क्या टीके संदुषित पाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी; और

(!) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) नाडिया जिले में खसरे का वैकसीन लगाने के पश्चात् तीन बच्चे मर गए।

(ख) जी हां।

(ग) खसरे के वैकसीन का संबंधित बैच मानक गुणवत्ता का था और उपयोग के लिए नियुक्त किए जाने से पहले उसका परीक्षण किया गया। टीकाकरण सत्र में प्रयोग किया गया वायल वापिस नहीं मिला।

(घ) इस घटना की जांच पड़ताल पूरी होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) राज्य सरकारों को टीकाकरण (मौतों सहित) टीकाकरण के पश्चात् गम्भीर प्रतिकूल घटनाओं की जांच करना अपेक्षित होता है। इस प्रयोजन के लिए उन्हें टीकाकरण के क्षेत्र में विशेषज्ञों की स्थाई समितियां स्थापित करने के लिए परामर्श दिया गया है। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक दोष निवारक और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

संसद सदस्यों के पत्र

3469. **श्री हाराधन राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार उनके मंत्रालय में संसद सदस्यों के कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में विलम्ब न होने देने के लिए क्या कदम उठाए

जाएंगे?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). 1 अप्रैल, 1992 से लेकर 31 मार्च, 1995 तक की अवधि के दौरान संसद सदस्यों से प्रधान मंत्री को संबोधित 29494 पत्र प्रधान मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुए हैं। उनका वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1.4.92 से 31.3.93 तक	10622
1.4.93 से 31.3.94 तक	9393
1.4.94 से 31.3.95 तक	9479

संसद सदस्यों से प्राप्त होने वाले पत्र विभिन्न श्रेणियों के होते हैं। अधिकांश पत्रों पर कार्रवाई केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों, जैसा भी मामला हो, द्वारा की जानी होती है। ऐसे पत्रों की पावती प्रधान मंत्री द्वारा भेजी जाती है तथा उन्हें केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों अथवा राज्य सरकारों को उन पत्रों में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने तथा संसद सदस्यों को समुचित उत्तर देने के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है। जहां कहीं प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित होती है, ऐसे पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है। इस पर आप अति शीघ्र चर्चा करना चाहते हैं। अत: मैं केवल एक या दो सदस्य को ही संक्षेप में मुद्दे उठाने की अनुमति दूंगा और उसके बाद हम ध्यानाकर्षण पर चर्चा करेंगे। अब, श्री शहाबुद्दीन जी।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं सभा को 24 अप्रैल, 1955 के बांडुंग, इंडोनेशिया में हुए ऐतिहासिक द्वितीय एशियाई सम्मेलन की 40वीं वर्षगांठ की याद दिलाना चाहता हूं। यह दूसरा एशियाई सम्मेलन था क्योंकि पहला सम्मेलन 1946 में— हमारी स्वतंत्रता के अवसर पर— हुआ था जिसे पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रायोजित किया गया था और जिसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। पहले की तरह इस सम्मेलन ने भी एशिया की पहचान करने तथा इसकी प्रगति के लिए योगदान दिया था। वह लक्ष्य हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। परन्तु 1955 में बांडुंग में हुए इस ऐतिहासिक सम्मेलन का स्मरण करके हम एशिया की एकता और अखण्डता का हितसाधन करेंगे। एशिया में सभ्यता, धर्म और संस्कृति पनपी है। इसलिये विश्व शान्ति को बढ़ावा देने तथा एक नई विश्व-व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एशिया को एक महान भूमिका निभानी है।

महोदय, बांडुंग सम्मेलन इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि यहां शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के उन दस सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया गया था जिन पर पिछले 40 वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध टिके हैं और जिन्हें संयुक्त राष्ट्र तथा सम्भवत: सभी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सभी सदस्यों द्वारा सर्वत्र स्वीकार किया गया है। महोदय, मैं शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के इन दस सिद्धान्तों को पढ़कर नहीं सुनाऊंगा परन्तु इन्हें हमारे देश ने स्वीकारा है और उन पर अमल किया है और हम जिस नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने की उम्मीद कर रहे हैं वह भी इन्हीं दस सिद्धान्तों पर आधारित होगी।

अन्तत:, इस सम्मेलन में बहुत से एशियाई देश अपनी-अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पहली बार इकट्ठा हुए थे। मेरे विचार में अब समय आ गया है जब एशियाई देशों को फिर से अपना सम्मेलन बुलाना चाहिए और इन पिछले दोनों सम्मेलनों की याद ताजा करनी चाहिए और इनसे प्रेरणा लेकर एशिया की एकता और अखण्डता की मजबूत आधारशिला रखनी चाहिए।

श्री सुधीर गिरि (किन्टाई) : महोदय, केन्द्रीय सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि पश्चिम बंगाल ने कृषि और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सभी राज्यों से आगे है। इस समय पश्चिम बंगाल ने 50 लाख टन आलू का उत्पादन किया है जबकि 1974-75 में आलू का उत्पादन केवल 27 लाख टन था। 1959 में बिजनबाड़ी क्षेत्र में, जो कि दार्जिलिंग का एक छोटा-सा भाग है, आलू में 'वार्ट' नामक बीमारी हो गई थी जिसके कारण आलू का आकार ही विकृत हो गया था। यह बीमारी अब उस क्षेत्र में नहीं है। इसका बहुत पहले उन्मूलन कर दिया गया था। इस बीमारी के कारण केन्द्रीय सरकार ने यहां के आलू को विदेशों में और अपने ही देश के अन्य राज्यों में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यद्यपि बीमारी को जड़ से समाप्त कर दिया गया है तथापि यह प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है। यदि यह प्रतिबंध हटा दिया जाये, तो पश्चिम बंगाल प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेगा।

अत:, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उस बीमारी के कारणों की जांच करें। मेरा विश्वास है कि सरकार जान जायेगी कि इस बीमारी के कारणों को समूल नष्ट कर दिया गया है। इसलिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह प्रतिबंध हटा दे ताकि पश्चिम बंगाल के किसान आलू का उत्पादन बढ़ा सकें और इसका विदेशों को निर्यात कर सके।

इसके अलावा, इस वर्ष मिदनापुर जिले में आलू का उत्पादन इतना अधिक हुआ है कि वहां के किसानों के पास इसे शीतागार में रखने के लिए जगह नहीं है। यदि उन्हें आलू का निर्यात करने की अनुमति दे दी जाती है, तो पश्चिम बंगाल के किसानों का बहुत लाभ होगा। इसलिये, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ताकि सरकार को यह प्रतिबंध तुरन्त हटाने के लिए राजी किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : आशा है कि सुधीर गिरी द्वारा उठाये गये मुद्दे पर मंत्री महोदय व्याख्या देंगे।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : दे देंगे।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि सदन का वातावरण कुछ हल्का हुआ है क्योंकि यदि वसुदेव से शिव नाराज हो जाएंगे तो पता नहीं संसार का क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि वसुदेव से आप खुश हैं तो जो करना चाहें कर लीजिए।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब वसुदेव से शिव नाराज हो जाएंगे तो संसार बर्बाद हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बात नाराजगी की नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कल दिल्ली में बड़े पैमाने पर बिजली के उत्पादन और उसकी आपूर्ति में बाधा आई। संयोग की बात है

कि दोपहर में जब इस सदन में हम दूसरी चर्चा कर रहे थे और हमारे भाजपा के साथी वाकआउट कर रहे थे, उस समय अंधकार हो गया था। जब इस सदन में कठिनाई आ सकती है, दिल्ली के अभिजात्य वर्ग के लोगों को कठिनाई आ सकती है। तो जो लोग झुग्गी-झोंपड़ी और देहाती इलाकों में रहते हैं, उनका क्या हाल होगा। मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या कठिनाई है, यह क्यों हो रहा है? लोगों को आशंका है कि दिल्ली की सरकार और भारत की सरकार में कुछ ऐसी सांठ-गांठ है कि वे विद्युत सप्लाई और डेसू का निजीकरण करना चाहते हैं और इसी की वजह से ख्वामख्वाह गड़बड़ी पैदा हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि दिल्ली और भारत की सरकार में कुछ ऐसा आंतरिक समझौता हुआ है जिससे डेसू को बदनाम कर उसका निजीकरण कर दिया जाए।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की गाढ़ी कमाई का अरबों रुपया गन्ना मिलों के जिम्मे बकाया पड़ा हुआ है। पडरौना जनपद की कठकुइयां और पडरौना शुगर फैक्टरी, जो भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अधीन है, के ऊपर ही इन दो शुगर फैक्ट्री के जिम्मे गन्ना किसानों का 10 करोड़ रुपया बकाया है। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में और हमारे जनपद में चीनी निगम की जो फैक्ट्रीज हैं, उनमें भी प्रत्येक फैक्ट्री के जिम्मे करोड़ों रुपया गन्ना किसानों का बकाया पड़ा हुआ है। किसान कराह रहा है और शादी-विवाह तथा निजी खर्चे के लिए उसके पास कुछ नहीं है। स्थिति इतनी भयावह है कि गन्ना पर्चियों को कोई भी व्यापारी गिरवी तक रखने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, गन्ना किसानों के हित के लिए जो गन्ना सहकारी समितियां बनाई गई थी, उसके जिम्मे भी मिलों द्वारा जो गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है, उस मूल्य को भी गन्ना समितियों ने अपने खर्चे में खर्च कर दिया है और प्रत्येक गन्ना समिति के जिम्मे 50 लाख रुपये से लेकर करोड़ों रुपया बकाया पड़ा हुआ है। अब स्थिति यह है कि खेतों का गन्ना सूख रहा है। गन्ना समितियों में भ्रष्टाचार इस कद्र फैला हुआ है कि गन्ना किसानों को गन्ना गिराने के लिए 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक गन्ने की पर्ची खरीदनी पड़ रही है। इस तरह की दयनीय स्थिति कभी भी हमारे प्रदेश में नहीं रही है।

ऐसी दशा में मैं सरकार से चाहूंगा कि वह अविलंब ऐसी व्यवस्था करे जिससे गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान हो सके और गन्ना समितियों में फैली हुई धांधली और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। यदि ऐसा नहीं होगा तो भविष्य में इसके भयावह परिणाम होंगे। इसके अतिरिक्त वह फैक्ट्री भी बी.आई.एफ.आर. में चली गई और बिक गई। किसानों का 10 करोड़ रुपया बकाया है। उनको ऐसी आशंका है कि फैक्ट्री बिक जाने पर वह रुपया मिलेगा या नहीं। मैं चाहूंगा भारत सरकार आश्वासन दे कि किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान होगा और फैक्ट्री बिकने पर भी उनका पुराना बकाया दिया जाएगा।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : फैक्ट्री बिक गई है या बिकने वाली है?

श्री राम नगीना मिश्र : बिक गई है, लेकिन अभी पोजेशन नहीं दिया है। ऐसी भयावह स्थिति हमारे क्षेत्र में है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि मंत्री महोदय से बयान दिलवाइये, जिससे गन्ना किसानों का जो बकाया पैसा है, वह गन्ने का पैसा मिल जाय। दस करोड़ रुपया दो फैक्ट्रियों पर होना साधारण बात नहीं है, आप किसी को भेजकर पता लगा लीजिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से बयान चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इस मुद्दे पर भी, मैं वक्तव्य चाहता हूं।

[हिन्दी]

सरकारी गन्ना फैक्टरी ने ही दस करोड़ रुपया लोगों को नहीं दिया है, इस पर मुझे स्टेटमेंट चाहिए।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मध्य प्रदेश में भी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। इसके कारण परेशानी है, मिलें बन्द हो रही हैं।

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : मैं आपके माध्यम से इस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं। कानपुर शुगर वर्क्स, जो मैसर्स ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन द्वारा संचालित एक सहायक कम्पनी है, जिसके तहत चार चीनी मिलें हैं, पडरौना, कटकुहमी, गौरीबाजार और मदौरा...

अध्यक्ष महोदय : यह किसकी मिलें हैं?

श्री हरि केवल प्रसाद : यह केन्द्र सरकार से संचालित होती हैं। एक डिस्टीलरी फैक्टरी भी है, जो देश के सर्वाधिक पिछड़े अंचल में है। इन मिलों के पास 400 एकड़ भूमि शहरी और 1000 एकड़ कृषि भूमि का फार्म है, जिसको बड़े उद्योगपति और कारपोरेशन के चेयरमैन ने मिलकर मार्च के महीने में मात्र 25 करोड़ रुपये में बेच दिया। 200 करोड़े रुपये की सम्पत्ति 25 करोड़ रुपये में बेची। मैंने 15 मार्च को भारत सरकार के कपड़ा मंत्री को एक पत्र लिखा कि जो गन्ना किसानों के गन्ने का दाम बकाया है, जो मिलों के अन्दर काम करने वाले श्रमिक हैं, उनका भविष्य अन्धकार में पड़ गया है, 25 करोड़ में यह सौदा किया गया है, इसको तत्काल रोक दिया जाए।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो स्थानान्तरण अभी नहीं हुआ है, उसे रोक दिया जाए और गन्ना किसानों को गन्ने के बकाया दाम दिलवाने और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का काम सरकार करे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह एक चिन्ता का विषय है कि मलेरिया का प्रकोप फिर बढ़ गया है। कुछ राज्यों में विशेष रूप से असम में मलेरिया ने महामारी का रूप धारण कर लिया है जिसके कारण लोग भारी संख्या में मर रहे हैं। 120 से अधिक मौतें हो चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह वक्तव्य आपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दे रहे हैं या ऐसे ही दे रहे हैं? यदि आप संसद में इस प्रकार वक्तव्य देंगे, तो इससे देश में बहुत आतंक फैल जायेगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर वक्तव्य दे। यह एक गम्भीर मामला है। इसकी खबरें असम से ही नहीं, कुछ अन्य पिछड़े क्षेत्रों से भी आई है।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : पश्चिम बंगाल के कुछ भागों से मलेरिया के कारण हुई मौतों की खबरें आई हैं। मलेरिया कुछ अन्य क्षेत्रों में भी फिर से फैल रहा है। इसीलिये मैं माननीय मंत्री से वक्तव्य चाहता हूं। पता चला है कि माननीय स्वास्थ्य उप-मंत्री ने भी असम के कुछ क्षेत्रों का दौरा किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस संबंध में वक्तव्य दें। इससे देश के कुछ भागों में आतंक फैल रहा है। ऐसी भी खबरे हैं कि दवाओं का असर नहीं हो रहा है। आवश्यक औषधियों की उपलब्धता की क्या स्थिति है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मारुति लिमिटेड में सरकार की इक्विटी कम हो रही है। इसको लेकर मजदूरों में क्षोभ व्याप्त है और वे हड़ताल करने वाले हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह एक गम्भीर मामला है। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके बारे में प्रश्न पूछिये। उत्तर के लिए बहुत समय है।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, प्रगति मैदान से गुड़गांव बहुत अधिक दूर नहीं है। भारतीय उद्योग के दिग्गज भी प्रच्छन्न रूप से भारत के मजदूरों का आह्वान कर रहे हैं कि वे भारतीय उद्योगों के साथ मिलकर उन्हें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुकाबले में अधिक प्रतिस्पर्धी बनायें क्योंकि इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सरकार की नई औद्योगिक नीति के कारण अधिक अवसर मिल रहे हैं। मारूति उद्योग लिमिटेड के मामले में क्या हो रहा है?

सरकार का निवेश तो कम होता जा रहा है। सरकार द्वारा अपने शेयरों को बेचकर अपना निवेश वापस लेने से जो धनराशि प्राप्त होगी उसे एक ऐसे संयंत्र में लगा दिया जायेगा जिसका स्वामी सुजुकी लिमिटेड ही होगी और सरकार को कोई लाभ नहीं होगा। मजदूर मांग कर रहे हैं कि इक्विटी का एक भाग उन्हें भी दिया जाना चाहिए। परन्तु वह उन्हें नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देकर उनसे ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है क्योंकि ऐसे निवेश का लाभ न तो मारूति उद्योग लिमिटेड को होगा और भारत सरकार को। यह निजीकरण के विरुद्ध डलास सीमेन्ट के मजदूरों की हड़ताल की तरह है। मजदूर कल से हड़ताल पर हैं। उनकी हड़ताल आज भी जारी है। कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। मजदूर इसे अधिक सहन नहीं करेंगे। वे सरकार की दलील को नहीं मान रहे हैं। यह कुछ लोगों की इस लाभ कमाने वाली इकाई को बेचने की साजिश है। इसने इन वर्षों में काफी लाभ कमाया है। पिछले वर्ष ही इसने दो लाख से अधिक अतिरिक्त कारों का उत्पादन किया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस लाभ कमाने वाली इकाई की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करें।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत धन्यवाद! आज, सौभाग्य से हमारे पास नियमित मामला था। मेरे विचार में हमें इस नियमित मामले को अधिक समय देना चाहिए।

अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

12.16 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 और पेटेंट अधिनियम 1970 के अन्तर्गत पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या-एल.टी. 7427/95]

(2) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल.टी. 7428/75]

हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब संबंधी विवरण आदि।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7429/95]

(2) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7430/95]

(4) (एक) जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान, अरू के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान, अरू के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7431/95]

(6) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत जारी जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ग्रुप 'सी' एण्ड ग्रुप 'डी' रिक्रूटमेंट (चौथा संशोधन) नियम, 1994, जो 7 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 10 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7432/95]

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य तथा खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्रीमती मारग्रेट आल्वा की ओर से प्रशासनिक

अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(1) पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994, जो 21 दिसम्बर 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 875 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994, जो 21 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 876 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1995, जो 20 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 39 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7433/95]

वर्ष 1995-96 के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों का शुद्धि-पत्र

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य तथा खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री एस.कृष्ण कुमार की ओर से वर्ष 1995-96 के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों के शुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पलट पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल.टी. संख्या 7434/95]

शिक्षा (संशोधन) विनियम, 1994

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत शिक्षा (संशोधन) विनियम, 1994, जो 9 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-55/93 (भाग-1)/पीसीआई/2447-2981 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7435/95]

12.18 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 115 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 25 अप्रैल, 1995 को हुई अपनी बैठक में कपास परिवहन निरसन विधेयक, 1994 में लोक सभा द्वारा 30 मार्च, 1995 को हुई अपनी बैठक में किये गये निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई :—

अधिनियमन सूत्र

(1) पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

'पैंतालीस' **के स्थान पर** 'छियालीस' **प्रतिस्थापित** किया जाये।

(2) पृष्ठ 1, पंक्ति 3

'1994' **के स्थान पर** '1995' **प्रतिस्थापित** किया जाये।

12.18½ म.प.

प्राक्कलन समिति

पचासवां और इक्यावनवां प्रतिवेदन

डा. कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)— राष्ट्रीय बैंकों में धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पचासवां प्रतिवेदन।

(2) विदेश मंत्रालय— विदेश स्थित मिशन के संबंध में समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में इक्यावनवां प्रतिवेदन।

12.18¾ म. प.

लोक लेखा समीति

अठानवेवां और निन्यानवेवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क — मुख्य लेखा कार्यालयों के कार्यकरण में पद्धति दोष के सम्बन्ध में 98वां प्रतिवेदन।

(2) भारतीय रेलवे द्वारा विपणन के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के छियासठवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में 99वां प्रतिवेदन।

12.19 म. प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

इकतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय मै सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के चौतीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का इकतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.19¼ म. प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दौरो के प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों

की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दल-एक के जुलाई, 1994 के दौरान पुणे, मुम्बई, गोवा, उदयपुर और जयपुर के अध्ययन दौरे के संबंध में प्रतिवेदन।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दल-एक के सितम्बर-अक्तूबर, 1994 के दौरान कलकत्ता, पटना, रांची, राउरकेला और भुवनेश्वर के अध्यन दौरे के संबंध में प्रतिवेदन।

(3) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दल-दो के सितम्बर-अक्तूबर, 1994 के दौरान बंगलौर, मैसूर, त्रिवेन्द्रम और मद्रास के अध्ययन दौरे के संबंध में प्रतिवेदन।

12.19½ म. प.

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

सोलहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री दलबीर सिंह (शाहडोल) : महोदय मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (दसवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन।

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (1994-95) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (दसवीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन।

12.19¾ म. प.

रेल संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां और चौदहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति (1995-96) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) रेल मंत्रालय— अनुदानों की मांगों (1994-95) के संबंध में समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।

(2) रेल मंत्रालय— अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में चौदहवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

12.20 म. प.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापटनम) : महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अनुदानो की मांगों (1995-96) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.21 म. प.

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट) : महोदय, मैं पर्यटन विभाग की अनुदानों की मांगों 1995-96 के संबंध में परिवहन और पर्यटन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का चौदहवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.21½ म. प.

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

पंद्रहवां प्रतिवेदन

श्री एस.एम. लालजान बाशा (गुन्टूर) : महोदय, मैं नागर विमानन विभाग की अनुदानों की मांगो, 1995-96 के संबंध में परिवहन और पर्यटन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.22 म. प.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

27 अप्रैल, 1995 को पूरे देश में समाचार पत्रों के प्रस्तावित बंद के कारण उत्पन्न स्थिति

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वाणिज्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"अखबारी कागज पर से नियंत्रण समाप्त करने तथा आयातित अखबारी कागज और स्वदेशी अखबारी कागज की खरीद संबंधी प्रतिबंध हटाने के लिए 27 अप्रैल, 1995 को पूरे देश में समाचार पत्रों के प्रस्तावित बंद और उसके पश्चात अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी के कारण उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आई.एन.एस.) ने अपनी मांगें मनवाने के लिए 27.4.1995 को पूरे देश में अखबार बन्द करने और तत्पश्चात् अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का आह्वान किया है। आयातित अखबारी कागज के मूल्य जून, 1994 तक स्थिर रहे लेकिन बाद में उनके मूल्यों में वृद्धि का रुख रहा। वर्ष के अन्त तक इसके मूल्य इतने अधिक बढ़ गये कि आयातित अखबारी कागज के मूल्य जून, 1994 के 400 मिलियन अमरीकी डालर प्रति मिट्रिक टन की तुलना में मार्च-अप्रैल 1995 में लगभग 1000 मिलियन अमरीकी डालर प्रति

मिट्रिक टन हो गए। साथ ही साथ इसी समसामयिक अवधि के दौरान घरेलू समाचार-पत्रों की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज हुई। जुलाई- सितम्बर, 1994 की तिमाही के दौरान 20,014 रुपये प्रति मिट्रिक टन औसत मूल्य की तुलना में घरेलू अखबारी कागज का औसत मूल्य फिलहाल 26,387 रु. तक पहुंच गया। आई.एन.एस. आयातित अखबारी कागज एवं स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्यों की तीव्र वृद्धि का विरोध करते हुए अखबारी कागज पर से नियंत्रण समाप्त करने का आग्रह करता रहा है।

मौजूदा नीति के अनुसार न्यूजप्रिंट (अखबारी कागज) के आयात पर आंशिक नियंत्रण रहता है। 200 मिट्रिक टन वार्षिक अथवा कम की पात्रता पाने वाले समाचार पत्र न्यूजप्रिंट का मुक्त रूप से आयात कर सकते हैं। लेकिन 200 मिट्रिक टन वार्षिक से अधिक की पात्रता वाले बड़े अखबारों को एक यूनिट न्यूज प्रिंट का आयात करने से पहले दो यूनिट घरेलू अखबारी कागज उठाना पड़ेगा। यह अनुपात घरेलू अखबारी कागज उद्योग को आंशिक संरक्षण देने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है जिसे आयातित न्यूज प्रिंट के मूल्यों में बार-बार उतार-चढ़ाव की समस्या झेलनी पड़ती है। जून, 1994 तक आयातित अखबारी कागज का मूल्य घरेलू अखबारी कागज के मूल्य से 3,000 रुपये से 4,000 रुपये कम पड़ता था। घरेलू न्यूज प्रिंट मिलों को अपने उत्पादों को बिना लाभ के बेचना पड़ा और कुछ मिलों को तो लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर अपना उत्पाद बेचना पड़ा ताकि वे आयातित अखबारी कागज की स्पर्धा में बने रह सकें। इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी इस अनुपात के विरोध में अपनी शिकायतें व्यक्त करती रही है, क्योंकि घरेलू उत्पादन भारतीय अखबारों की मांग को पूरी तरह से पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। उनकी लगभग एक-तिहाई जरूरत आयातित अखबारी कागज से पूरी की जा रही है।

सरकार ने सभी संबंधित पक्षों के परामर्श से मामले पर विचार किया है। समाचार पत्रों के विभिन्न संगठनों द्वारा उठाए गये मुद्दों तथा घरेलू विनिर्माताओं एवं लघु और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों के हित-संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(1) न्यूज प्रिंट को सामान्य खुला लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत लाया जाये और मात्रा संबंधी नियंत्रण प्रतिबंधों (घरेलू खरीद और आयात का 2:1 का अनुपात) को समाप्त किया जाए। चूंकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घरेलू कीमतों की तुलना में अधिक हैं इसलिए न्यूज प्रिंट के आयात पर मौजूदा "शून्य" शुल्क जारी रहेगा।

(2) उपभोक्ता तथा उद्योग दोनों के हित में यह समझा गया है कि स्थानीय उद्योग रुग्ण नहीं होने चाहिएं। स्थानीय उद्योग के पुनरूद्धार के लिए जब कभी भी आवश्यक होगा टैरिफ समायोजन के रूप में सुधारात्मक उपाय किए जायेंगे। तथापि, आवश्यकता पड़ने पर उद्योग को टैरिफ. संरक्षण की अपनी मांग को न्यायसंगत सिद्ध करना होगा।

(3) छोटे समाचार-पत्रों को संरक्षण की जरूरत है और उनकी मांग की आपूर्ति घरेलू स्रोतों से सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस समय प्रत्येक समाचार-पत्र बिना किसी प्रतिबंध के 200 मि. टन तक आयात कर सकता है। क्योंकि न्यूज प्रिंट को ओ.जी.एल. के अंतर्गत लाया जा रहा है इसलिए यदि छोटे अखबार आयात करना चाहें तो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। घरेलू मिलों से आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक छोटे समाचार-पत्र को घरेलू विनिर्माताओं के आरक्षण के रूप में 200 मि. टन तक कागज उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योग मंत्रालय इसे लागू करने की समुचित क्रिया विधि तैयार करेगा और इस बात पर नजर रखेगा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें इस वचनबद्धता को पूरा करें।

महोदय, इसके साथ ही मैं दो स्पष्टीकरण और जोड़ना चाहूंगा।

पहला तो यह कि लघु समाचार-पत्र के उल्लेख में लघु और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्र शामिल हैं। उन्हें भी वही लाभ मिलेगा। दूसरे, चूंकि न्यूजप्रिंट को शून्य शुल्क पर ओ.जी.एल. के अंतर्गत लाकर आई.एन.एस. की मुख्य मांगें स्वीकार कर ली गई हैं, मैं आई.एन.एस. और उसका समर्थन करने वाले अन्य संगठनों से अपील करूंगा कि वे कल प्रस्तावित हड़ताल पर न जायें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्र उद्योग ने मुख्य रूप से दो मांगे रखी थीं। पहला, अखबारी कागज पर से नियंत्रण हटाना। दूसरा, यदि विदेश से आयातित कागज उपयोग में लाया जाता है और अगर उसकी मात्रा एक टन है तो देश के भीतर बने हुए स्वदेशी कागज का दो टन अनिवार्य रूप में उपयोग में लाने की शर्त हटाना। काफी समय तक समस्या लटकी रही, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जैसे हर मामले में होता है, इस मामले में भी उपेक्षा की गई। आखिर कल समाचार-पत्र उद्योग को सारे अखबार बंद करने की धमकी देनी पड़ी। सचमुच में जो लिब्रलाइजेशन की नीति अपनाई गई है उसके बाद इस तरह की कठिनाई समाचार पत्रों के समाने नहीं आनी चाहिए थी और धमकी की नौबत तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। अब जब धमकी दे दी गई और 27 तारीख निकट आ गई तो 26 तारीख को मंत्री महोदय वक्तव्य लेकर आए हैं। ख़ैर, मैं उन्हें बधाई देता हूं। "देर आयद, दुरुस्त आयद", अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वह पूरी तरह घर में नहीं आए हैं, थोड़ा-सा घर से बाहर रुक गए हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि समस्या केवल अखबारी कागज की नहीं है। सवाल साधारण कागज का भी है, सफेद कागज का भी है। सवाल उस कागज का भी है जिसमें किताबें छपती हैं, जिसमें बच्चों के लिए नोट बुक बनती हैं। इनके अनाप-शनाप दाम हो गए हैं। आम आदमी की पहुंच से बाहर किताबों को खरीदना होता जा रहा है। शिक्षा पहले से ही मंहगी हो गई है। उसमें मंहगी किताबें और भी वृद्धि कर रही हैं। तो यह दोनों समस्याएं एक तरह से जुड़ी हुई हैं। मैं आशा करता था कि मंत्री महोदय इस पर भी प्रकाश डालेंगे। मैं उनके ध्यान में ये बातें लाना चाहता हूं कि जो एजुकेशनल पब्लिशर्स हैं उनकी कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को भी हल करने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वे चाहते हैं कि व्हाईट-पेपर पर जो इम्पोर्ट-डयूटी है वह खत्म होनी चाहिए और पेपर को भी एक आवश्यक वस्तु डिक्लेयर करना चाहिए। यह न्यूजप्रिंट के लिए भी है और व्हाईट-पेपर के लिए भी है।

अखबार पढ़े बिना कोई रह नहीं सकता। किताबें बहुत जरूरी हैं। अब अगर इन्हें मुनाफे का साधन बनाया जाए तो फिर उस पर भी सरकार का अंकुश होना चाहिए। कहीं-न-कहीं प्राइस की मॉनिटरिंग होनी जरूरी है। मैं नहीं जानता कि शासन में ऐसी व्यवस्था है या नहीं। अगर होती तो कीमतें इतनी बढ़ती जा रही हैं और सरकार के ध्यान में न आती, और समाचार-पत्र उद्योग को धमकी देनी पड़ती, इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय यह जो व्हाईट-पेपर का मामला है उसके बारे में भी थोड़ा-सा विचार करें। उन्होंने छोटे समाचार-पत्रों के बारे में आश्वासन दिया है, अच्छी बात है। छोटे पत्रों को संरक्षण की जरूरत है, सहायता की जरूरत है। उन्हें उचित दर पर और पर्याप्त कागज मिले, इसकी आवश्यकता है। मगर इसकी भी आवश्यकता है कि उन्हें विज्ञापन देते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाए। मैं जानता हूं कि कामर्स-मंत्री कहेंगे कि विज्ञापन से मैं डील नहीं करता, विज्ञापन देना सूचना और प्रसारण मंत्रालय का काम है। छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन ठीक-ठीक मिलें इसका प्रबंध नहीं है। बड़े-बड़े अखबार विज्ञापन का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। अखबार चलाकार उद्योगपति धन कमा रहे हैं। लेकिन छोटे अखबार जो गांवों में जाते हैं, जो दुकानों में पढ़े जाते हैं, ये अखबार

अगर उपेक्षित रहे तो इन अखबारों का जैसा स्तर होना चाहिए, वैसा स्तर नहीं हो सकेगा। विज्ञापन देने में छोटे अखबारों की तरफ थोड़ा और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि कल हड़ताल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम जो यहां बोल रहे हैं वह हमें अखबारों में पढ़ने को मिलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी! आप इस विषय पर दूसरी बार बोल रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, इस विषय पर मेरे विचार में समाचार-पत्र संघ को यह निर्णय लेने पर बाध्य होना पड़ा है क्योंकि सरकार ने इस मामले पर समुचित ढंग से विचार नहीं किया है। चूंकि हम अखबारी कागज के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हैं इसलिये सरकार को कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा माननीय मंत्री ने कहा, अखबारी कागज का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 400 डालर प्रति मिट्रिक टन से बढ़कर 1000 डॉलर हो गया। हमें पता नहीं कि घरेलू अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि इसी कारण हुई है। हमें पता नहीं कि यह वृद्धि अचानक क्यों हुई। हम नहीं जानते कि यह वृद्धि हमारे आयात शुल्क और हमारी आयात नीति के कारण हुई है। दूसरी बात यह है कि जब आयातित कागज की कीमतें घरेलू कागज की अपेक्षा कम हो रही थीं, तो उस समय सरकार को कुछ उपचारात्मक उपाय करने चाहिए थे। माननीय मंत्री ने जिस अवधि का जिक्र किया, जब आयातित कागज की कीमत घरेलू कागज की तुलना में कम थी, तभी सरकार को कुछ सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए थे। अतः स्पष्ट है कि सरकार ने समय पर सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की।

तीसरी बात जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह यह है कि घरेलू कागज के मूल्य कैसे निर्धारित किये जाते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित अखबारी कागज के मूल्यों में अकस्मात् 47 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इसका क्या कारण है? क्या यह वृद्धि इस उद्योग के लाभ कमाने के उद्देश्य के कारण हुई?

सरकार को तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए था। परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया। नई आर्थिक नीति की घोषणा के बाद तो सरकार को अवश्य ही हस्तक्षेप करना चाहिए था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उदारीकरण देश को सभी क्षेत्रों में महंगा पड़ेगा। समाचार-पत्रों जैसे क्षेत्रों में कतिपय नियंत्रण होने चाहिएं क्योंकि हम आत्म-निर्भर नहीं हैं। यदि ये नियंत्रण काम नहीं करते तो आपको इस मामले को बाजार पर छोड़ देना होगा। वहां जो होगा सो होगा। इसका परिणाम वही होगा जो आज हुआ है। समाचार-पत्रों को हड़ताल करनी पड़ रही है। इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। इसीलिये सरकार ने वादा किया है कि वह अखबारी कागज पर आयात शुल्क 'शून्य' कर देगी क्योंकि अखबारी कागज का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम है। इससे कुछ राहत मिलेगी परन्तु हम नहीं जानते कि इसका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्या असर होगा। इसलिये सरकार को यह वादा भी करना चाहिए कि वह ऐसी व्यवस्था करेगी जिसके रहते ऐसी स्थिति दुबारा उत्पन्न नहीं होगी।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि, जैसा श्री वाजपेयी ने कहा, इससे समाचार-पत्र ही प्रभावित नहीं होंगे। पाठ्य-पुस्तकों के मूल्य भी बढ़ जायेंगे। इसलिये सरकार को इस क्षेत्र में कुछ नियंत्रण रखना चाहिए ताकि अखबारी कागज और दूसरा कागज उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सके।

श्री पी. चिदम्बरम : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता, श्री वाजपेयी और श्री लोकनाथ चौधरी का उनकी टिप्पणियों के लिए और समाचार उद्योग को मेरे इस अनुरोध का समर्थन करने के लिए कि चूंकि उनकी अधिकतर मांगें मान ली गई हैं, उन्हें कल हड़ताल पर जाने का कोई कारण नहीं है, आभारी हूं।

महोदय, जो मुद्दे उठाये गये हैं, उनके बारे में मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। घरेलू अखबारी कागज के मूल्यों में और आयातित अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि के कारण एक जैसे नहीं हैं। वे सर्वथा भिन्न हैं। घरेलू उद्योग में मूल्य वृद्धि का कारण आदानों तथा कच्चे माल, विशेषकर लुगदी और कुछ अन्य रसायनों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि है। आयातित अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि समूचे विश्व में इसकी बढ़ती हुई मांग के कारण हुई है और विदेशी उत्पादक विश्व में बढ़ती हुई इसकी मांग का लाभ उठा रहे हैं और मूल्य बढ़ा रहे हैं। अखबारी कागज जैसी वस्तु के मामले में, जिसका पूरे विश्व में व्यापार होता है, यदि हम अपनी एक-तिहाई आवश्यकता के लिये आयातित अखबारी कागज पर निर्भर हैं, तो हमें यह वास्तविकता स्वीकार ही करनी होगी कि यदि हम स्वदेशी अखबारी कागज का उत्पादन नहीं बढ़ाते, तो इस मूल्य वृद्धि का असर हमारे देश में भी होगा। इसके लिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और यदि आवश्यक हुआ तो मैं उन आंकड़ों को प्रस्तुत कर दूंगा। बहुत से औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दर्ज किये गये हैं। वास्तव में, तीन इकाइयां निर्माणाधीन हैं। उनमें से एक है हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, जहां वे उत्पादन क्षमता को 80,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 100,000 टन प्रति वर्ष करना चाहते हैं। दूसरी तमिलनाडु न्यूजप्रिंट लिमिटेड है जहां वे क्षमता को 50,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 100,000 टन प्रति वर्ष करना चाहते हैं। इसका उत्पादन जुलाई, 1995 में आरम्भ होगा। तीसरी है रामा न्यूजप्रिंट्स एण्ड पेपर्स लिमिटेड जिसकी क्षमता 66,000 टन प्रति वर्ष है और यहां भी उत्पादन जुलाई, 1995 में आरम्भ होने की आशा है।

श्री मुरली देवरा : शिलान्यास और उत्पादन एक दूसरे से भिन्न हैं। उत्पादन आरम्भ करने में कई वर्ष लगेंगे।...**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : मैं माननीय सदस्य की इस टिप्पणी से सहमत नहीं हूं कि पिछले वर्ष कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किये गये। वास्तव में, उद्योग को इस मामले में मेरे विचारों का पता है और जिस तरह हमने यह नीति बनाई है, इसके बारे में भी उद्योग को कोई शिकायत नहीं है और न ही हमें भी 27 तारीख को हड़ताल करने के सम्बन्ध में उद्योग से कोई शिकायत है। 31.3.1992 को, जब हमने इस नीति की घोषणा की थी, तो हमने सन्तुलन बनाने की घोषणा की थी और जो नियंत्रण हमने 31.3.92 को लगाये थे, वे भी माननीय सदस्य के सुझाव पर लगाये गये थे, अर्थात् यदि आप दो टन स्वदेशी अखबारी कागज उठायेंगे तो आप एक टन अखबारी कागज विदेशों से आयात कर सकेंगे। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को संरक्षण देना था। परन्तु चूंकि घरेलू उद्योग अपनी लाइसेंस क्षमता के अनुसार उत्पादन करने में असफल रहा और इससे मांग और पूर्ति में बहुत बड़ा अन्तर आ गया तथा समाचारपत्र उद्योग को लगा कि वह अपनी जरूरतों को स्वदेशी इकाईयों से पूरा नहीं कर पायेगा और उसे आयात करना ही होगा। और यह 2:1 अनुपात उनके हितों के विरुद्ध है। वे अक्सर दो मिट्रिक टन नहीं उठा सके जिसकी वजह से वे एक मिट्रिक टन का आयात नहीं कर सके। इस पर बहस हो चुकी है और मेरे सरकार में आने के बाद मुझे समाचार उद्योग का एक प्रतिनिधिमण्डल मिला था। उससे मैंने कहा, "हां, मुझे इसका पता है, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और 1 अप्रैल, 1995 को मैं एक नई नीति लाना चाहता हूं और हम निर्यात-आयात नीति में भी संशोधन करेंगे।" वे 29 मार्च को मेरे पास संकल्प लेकर आये थे जिसमें कहा गया था कि सीमाशुल्क को अभी शून्य पर रखा जाये और यदि स्वदेशी उद्योग को भविष्य में टैरिफ संरक्षण की आवश्यकता होगी, तो वे वह संरक्षण देने के लिए थोड़े से सीमा-शुल्क की परवाह नहीं करेंगे। वह संकल्प मेरे पास 29 मार्च को आया था। मैंने उन्हें बताया कि 1 अप्रैल तक तो कुछ कहना सम्भव नहीं होगा, परन्तु शीघ्र ही कुछ कार्यवाही करेंगे। यह विलम्ब जानबूझ कर नहीं हुआ है और आज यह वक्तव्य भी इसलिये नहीं दिया जा रहा है कि कल हड़ताल है। मुझे खुशी है कि श्री वाजपेयी, श्री चौधरी और अन्य सदस्यों को भी इस नीति का श्रेय

प्राप्त है। चूंकि आपने मेरा ध्यान दिलाया, इसलिये मैंने यह नीति बनाई है और यह समस्या हम सभी के सहयोग से हल हुई है। हमें खुशी है कि हम इसे ओ.जी.एल. के अन्तर्गत ले आये हैं और हमने 2:1 का नियंत्रण हटा दिया है तथा वे इस बात से भी सहमत हैं कि यदि स्वदेशी उद्योग को भविष्य में शुल्क संरक्षण की जरूरत होगी तो वह भी उन्हें दे दिया जायेगा परन्तु यह निर्णय इसके फायदे और नुकसान पर सोच-विचार करने के बाद ही लिया जायेगा। इस उद्योग को उदार बनाने की जरूरत है। आज इस पर से नियंत्रण हटाने की जरूरत है और वही हमने किया है और मुझे खुशी है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि 1992 में हमने जो थोड़ा नियंत्रण लगाया था हमने उसे 1995 में हटाकर सही काम किया है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी अखबारी कागज पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे विचार में लोकतंत्र के लिए यह जरूरी भी है कि अखबारी कागज मांग करने पर मिलना ही चाहिए ताकि कोई भी अखबार इसे जब चाहे, जहां चाहे खरीद सके। हां, इसके लिए स्वदेशी उद्योग को यदि आवश्यक हुआ तो भविष्य की किसी तारीख से शुल्क संरक्षण देना पड़ सकता है।

महोदय, सफेद कागज और प्रिंटिंग कागज के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। मैं सदस्यों को बता दूं कि हमने कागज तथा कागज-उत्पादों को स्वतंत्र आयात सूची में रखा है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इससे कागज की कीमत एकदम नीचे आ जायेगी। जैसा कि मैंने कहा, कागज की कीमतों के बढ़ने का कारण लुगदी की कीमतों में भारी वृद्धि होना है। चूंकि लुगदी कागज के लिए मुख्य आदान है, इसलिये इसकी कीमतों में वृद्धि होने के कारण कागज की कीमतों में भी वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ, अप्रैल, 1994 में लुगदी का मूल्य 380 अमरीकी डालर था और जनवरी, 1995 में यह 1200 अमरीकी डालर था। रद्दी कागज मूल्य— जो दूसरा आदान है— अप्रैल, 1994 में 17 अमरीकी डालर था और जनवरी, 1995 में 300 अमरीकी डालर था। एक कारण यह है कि भारत में इसकी मांग बहुत बढ़ी है तथा देश में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इस समस्या का हमें सामना करना होगा।

परन्तु महोदय, कागज पर एक विशेष ध्यानाकर्षण आपके विचाराधीन है। यदि इस सभा में दुबारा मौका मिला या राज्य सभा में वक्तव्य देने का मौका मिला तो मेरे माननीय सहयोगी कागज के मूल्यों के संबंध में वक्तव्य देंगे।

इस समय हम सही निष्कर्ष पर पहुंच गये हैं और मैं सदस्यों को इस नीति की घोषणा करने में सरकार का समर्थन करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेते हैं।

12.47 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अनिवासी भारतीयों द्वारा विशेषकर हिमाचल प्रदेश में स्थापित किये जा रहे उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की नयी आर्थिक नीति के अनुसार अप्रवासी भारतीय देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बिजली परियोजनाओं का विस्तार करने हेतु पूंजी निवेश कर भागीदारी निभाने के लिए कृत-संकल्प हैं। मैं यहां मांग करना चाहूंगा कि जिस तरह भी देश में बिजली योजनाओं में भागीदारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन सभी पर जो भी कार्रवाई हुई है एवं उसमें जो भी योजनाएं ऐसे अप्रवासियों के लिए कार्य करने हेतु दी गई है, उसमें वहां के स्थानीय निवासियों के नवयुवकों तथा युवतियों के लिए रोजगार का प्रावधान किया जाए। अगर उस क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त नवयुवक एवं युवतियां नहीं हों तो उन्हें प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया जाए और जितने भी प्रोजेक्ट राज्य सरकार के हैं, उनमें भी राज्य के लोगों को ही रोजगार दिलाया जाए। अक्सर यह देखा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उनमें स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया जाता है। लेशमात्र लोगों को रोजगार दिया जाता है तथा बाकी बाहर के राज्यों से भर्ती की जाती है, जिससे उस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों में भारी असन्तोष पैदा होता है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि उक्त विषय पर तुरन्त ध्यान देकर इसे कार्यान्वित किया जाए।

(दो) खेल विद्यालयों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहनलाल झिकराम (मांडला) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में क्रीड़ा परिसर में रहने वाले अनुसुचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ी छात्र को 150 रुपए और छात्रा को 160 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। मॉडल स्कूलों में इन्हीं वर्गों के छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 150 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में विद्याध्ययन करने वाले छात्रों को मात्र 115 रुपए से लेकर 175 रुपए की राशि प्रतिमाह केन्द्र शासन द्वारा दी जा रही है, जबकि वर्तमान में वस्तुओं की कीमत आसमान को छू रही है। इस जमाने में इतनी कम राशि केन्द्र शासन द्वारा दिया जाना चिन्तनीय तो है ही, उनके प्रति उपेक्षा का भाव भी प्रदर्शित करता है, जबकि इसी मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन्हीं आदिवासी छात्र-छात्राओं को दिसम्बर 1973 से प्रतिमाह 250 रुपए छात्र को और 260 रुपए छात्रा को दिए जा रहे हैं। केन्द्र द्वारा प्रदत्त राशि बहुत ही कम है। छात्रगण कैसे अपना खान-पान एवं विद्याध्ययन आदि का खर्च पूरा करते होंगे।

अतः केन्द्र शासन के माननीय कल्याण मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इनकी दयनीय दशा को देखते हुए छात्रवृत्ति की राशि 300 रुपए प्रतिमाह करने का आदेश देकर उनको राहत प्रदान करने की कृपा करें।

(तीन) महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और चन्द्रपुर जिलों में बेहतर दूर-संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री शांताराम पोतदुखे (चन्द्रपुर): महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तथा चन्द्रपुर जिले विदर्भ क्षेत्र के जनजाति-क्षेत्र हैं। वहां पर दूरसंचार की सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण उस क्षेत्र में प्रशासनिक, विकास तथा जनकल्याण के कार्यों में रुकावट आ रही है। यह नक्सलवादी-प्रभावित क्षेत्र एक घने जंगल के मध्य स्थित हैं जहां आबादी बहुत कम है और गांवों के बीच की दूरियां काफी लम्बी हैं।

महाराष्ट्र के दूरसंचार विभाग ने सिरोंचा, अहेरी, एटापल्ली, अल्लापल्ली तथा आस-पास के क्षेत्रों में दूर-संचार सेवा उपलब्ध कराने की सिफारिश की है ताकि विकास और प्रशासनिक कार्य चल सकें। यह सुविधा मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र तथा आन्ध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले तथा आस-पास के क्षेत्र के लिए भी उपयोगी होगी।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस क्षेत्र में दूरसंचार के लिए

शीघ्र उपग्रह सुविधा उपलब्ध करायें। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जनजाति जिले में अहोरी जैसे तालुका स्थानों पर भी एस.टी.डी. की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाये।

(चार) स्वतंत्रता आन्दोलन के शहीदों की याद में स्मारक सिक्के जारी करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने देश के महापुरुषों के चित्र मुद्रा पर अंकित किये हैं जो कि एक सराहनीय कार्य है। परन्तु देश के कुछ शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को आजादी के इतने वर्ष बाद भी वह सम्मान आज तक नहीं मिल पाया है, जैसे नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, शहीद भगत सिंह, चन्द्र शेखर आजाद, राजगुरू तथा सुखदेव इन शहीदों की देश के लिए कुर्बानी अन्य शहीदों से कम नहीं है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में चलने वाली मुद्राओं पर इन पांचों शहीदों के चित्र छापें तथा एक हजार रुपये के नोट छापकर उन पर भी इन पांचों शहीदों के चित्र छापें।

(पांच) बिहार में जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक संख्या में रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोलने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमारे जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जहानाबाद जिले के अतिरिक्त पटना जिले का क्षेत्र भी आता है लेकिन संपूर्ण जिले में मात्र एक एल.पी.जी. वितरक है, जिसके कारण रसोई गैस उपभोक्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहानाबाद में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के कारण वितरक की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा है।

जहानाबाद जिले के कई प्रखंड हैं जहां शहरी आबादी है, उपभोक्ताओं को जहानाबाद से रसोई गैस लाने में काफी कठिनाई होती है। यद्यपि मसौदी पटना अनुमंडल को कई वर्ष पूर्व रौलिंग विपणन योजना में शामिल कर लिया गया है लेकिन आज तक रसोई गैस वितरक की नियुक्ति नहीं हो सकी है।

अखल अनुमंडल है एवं इस शहर की घनी आबादी है लेकिन यहां एल.पी.जी. वितरक नहीं है। इसी प्रकार जहानाबाद जिले का घोषी, कुर्था, मखदूमपुर एवं काको प्रखंड एल.पी.जी. वितरक की नियुक्ति हेतु उपयुक्त हैं, लेकिन उस क्षेत्र को विपणन योजना में भी शामिल नहीं किया गया है।

अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मसौदी अनुमंडल (पटना) में एल.पी.जी. वितरक की नियुक्ति शीघ्रातिशीघ्र की जाये। साथ ही साथ जहानाबाद शहर में एल.पी.जी. वितरक की संख्या बढ़ायी जाये। साथ ही साथ अखल, घोषी मखदूमपुर, कुर्था एवं काको में रसोई गैस वितरक की नियुक्ति करने की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र शुरू की जाये।

(छ:) हथकरघा कामगारों के हितों की विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में रक्षा करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : सारे देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा मजदूरों की हालत बहुत दयनीय है। केन्द्र सरकार द्वारा सन् 1991 में शुरू किये गये नये आर्थिक सुधारों से हथकरघा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। धागा और रंग जैसे कच्चे माल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। 1991 में ही धागे के मूल्य में 35.73 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि तैयार माल के मूल्य केवल 5.43 प्रतिशत बढ़े हैं। इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे हथकरघा मजदूर बेरोजगार हो गये हैं तथा भूखे मर रहे हैं। आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति के कारण बेरोजगार हो रहे लोगों को 'राष्ट्रीय नवीकरण निधि' का कोई लाभ नहीं दिया गया। हथकरघा क्षेत्र के लिए धागा आरक्षित नहीं किया जा रहा है, हथकरघा क्षेत्र में निर्मित किये जाने के लिए आरक्षित कपड़े की 22 किस्मों और जनता कपड़े को हथकरघा क्षेत्र में नहीं बनाया जा रहा है। यह योजना हथकरघा क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी वस्त्र नीति की समीक्षा करे तथा रियायती दरों पर धागा और रंग सप्लाई करके, आबिद हुसैन समिति की सिफारिशें लागू करके, हथकरघा क्षेत्र के लिए 22 किस्में आरक्षित करके जनता कपड़ा योजना जारी रखकर हथकरघा मजदूरों को उपभोग तथा उत्पादन दोनों के लिए उदार शर्तों पर ऋण देकर तथा हथकरघा उद्योग के विभिन्न पहलुओं की निगरानी के लिए हथकरघा निगम भी स्थापित करके हथकरघा मजदूरों के हितों की रक्षा करे।

(सात) तमिलनाडु में एस.आई.पी.सी.ओ.टी. औद्योगिक परिसर, कुड्डालोर में प्रदूषण से हो रही क्षति का आकलन करने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता

श्री पी.पी. कालियापेरुमल (कुड्डालोर) : तमिलनाडु में सिपकोट औद्योगिक क्षेत्र कुड्डालोर में कई रसायनिक उद्योग हैं जैसे शासुन कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बानाविल डाईस एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, तमिलनाडु फ्लोराइड एण्ड एलाइड कैमिकल्स लिमिटेड, उशता-टे-बायोटेक इंडस्ट्रीज, आदि।

इस औद्योगिक क्षेत्र के चारों ओर बहुत बड़ी खेती योग्य भूमि है तथा काडीकाडु, करायकाडु इत्यादि कई गांव हैं। यह कुड्डालोर-चिदम्बरम स्टेट हाइवे के पूर्व में, उप्पानर नदी के पश्चिम में पुराने कुड्डालोर शहर के दक्षिण में और पुंडीयनकुप्पम गांव के उत्तर में स्थित है।

इस औद्योगिक क्षेत्र के रासायनिक उद्योग इस क्षेत्र की सभी जगहों, नदी, भूमि, वातावरण, समुद्र तथा भूमिगत पानी को प्रदूषित करते हैं इन उद्योगों का कचरा सीधे उप्पाकर नदी में डाला जाता है जिससे नदी में कई पौधों तथा जन्तुओं की जातियां समाप्त हो गई हैं। इसके कारण मछली मारने का धन्धा बुरी तरह प्रभावित हो गया है।

ये उद्योग वातावरण को प्रदूषित करते हैं और वातावरण में घिनौनी बदबू पैदा करते हैं जिसके कारण वहां रहने वाले लोगों को सांस की बीमारियां हो गई हैं।

इन उद्योगों के कचरे के कारण हवा और पानी प्रदूषित होने से इसके आसपास की खेती योग्य भूमि अब खेती योग्य नहीं रह गई है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भूमिगत जल प्रदूषित हो गया है। इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर हुआ है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह पर्यावरण विशेषज्ञों और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का एक दल उस औद्योगिक क्षेत्र में वातावरण सम्बन्धी समस्याओं का जायजा लेने तथा उचित उपचारात्मक उपायों से हल करने के लिए भेजे तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

(आठ) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में घाघरा नदी द्वारा किए जा रहे भूमिक्षरण को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए केन्द्रीय दल द्वारा सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) : अध्यक्ष जी, मैं नियम

377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में तीन मुख्य नदियां घाघरा, सरयू, राप्ती निकलती हैं। इन नदियों का जल डैम बनाकर शारदा कैनाल, सरजू कैनाल आदि बड़ी-बड़ी नहरें निकाली गयी हैं, जिसके कारण घाघरा नदी जल की कमी एवं धीमे प्रवाह के कारण धीरे-धीरे पट गयी और उसकी गहराई कम हो गई। इसी के साथ ही साथ बाढ़ से बचाव हेतु घाघरा नदी के तटबंधी इलाकों को बचाने के उद्देश्य से एक बड़ा बांध इमामगंज से जरवल तक बना दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष डैम का पानी छोड़ने पर घाघरा नदी में उफान-बाढ़ आ जाती है और भारी स्तर पर कृषि, भूमि, गांवों का कटाव हो रहा है और नदी एक निश्चित दिशा की तरफ कटाव कर रही है। इसके कारण अब तक लाखों एकड़ कृषि भूमि के साथ सैंकड़ों ग्राम कट चुके हैं। इसके स्थाई हल हेतु घाघरा नदी का दिशा परिवर्तन कराना आवश्यक है। इस हेतु घाघरा नदी पर जनपद बहराइच में तहसील महसी परिक्षेत्र में चहलारीघाट एवं मुन्सारी ग्राम के मध्य एक बड़ा पुल तथा गाइड बंध एवं ठोकर का निर्माण केन्द्र सरकार के स्तर से धनराशि देकर तुरन्त बनाया जाना सुनिश्चित कराया जाये ताकि इस क्षेत्र के कृषकों की रक्षा के साथ ही साथ जनपद बहराइच एवं सीतापुर दोनों की दूरी 150 कि.मी. कम होकर क्षेत्र का विकास हो सके और इस हेतु केन्द्रीय दल द्वारा तुरन्त सर्वेक्षण कराया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म.प. पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.00 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.08 म.प.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.08 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव— जारी

सभापति महोदय : श्री सुलतानपुरी अब अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, कल मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रहा था। आज फिर मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रपति जी ने जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के बारे में सोचा है, वह बहुत ही सराहनीय है। हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था वहां के लोगों की बहुत सी समस्यायें हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश का जो हैडक्वार्टर है, वह लखनऊ में है और वहां के लोगों को उससे कोई लाभ नहीं पहुंचता है। पहाड़ी क्षेत्र में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वह काम नहीं करता। जो हिली एरियाज हैं, उनके लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्वाइंट आठ पर कहा गया है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से वहां की समस्या को हल करने जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ बहुत से क्षेत्र जैसे ट्रांस गिरी, शिलाई, रोहडू, जुब्बल, चौपाल, राजगढ़ व रेणुका आदि क्षेत्र उत्तर प्रदेश के जौसांर बाबर से लगते हैं जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित हैं वहां के लोगों के आपस में रिश्तेदारी है। ट्रांस गिरी क्षेत्र के लोगों ने हाटी नाम की एक सभा बनाई है। जिसका डेपुटेशन मुझे आज मिला था। मैं उनके साथ आज सीताराम केसरी, कल्याण मंत्री से मिला था। वह चाहते हैं कि उस क्षेत्र को भी ट्राइब्ल एरिया घोषित किया जाये। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत अच्छा कहा गया है कि वे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील हैं। मैं चाहूंगा कि जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के लोगों को न्याय देने के लिए उस इलाके को जौसांर बाबर की तरह ट्राईबल घोषित किया जाए। साथ ही बागवानी, मत्स्य क्षेत्र के लिए जो एक हजार करोड़ रुपया रखा गया है, उसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। पिछली पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 24 करोड़ रुपया रखा था लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में इसको एक हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है जो कि सराहनीय कार्य है। बी.जे.पी. सरकार ने पहले सेब के ग्रोअर्स के साथ ज्यादती की थी, उन पर लाठीचार्ज किया था लेकिन भारत सरकार ने यह निर्णय लेकर साबित कर दिया है कि वह एग्रीकल्चर में लगे हुए लोगों के लिए प्रावधान करती है। आज हमारे पास अनाज का जितना भंडार है, उतना पहले कभी नहीं था।

जहां तक फैमिली प्लानिंग की बात है, आज सुबह भी प्रश्नकाल के दौरान बात चल रही थी कि आपने इतने सालों में क्या किया। मैं कहना चाहता हूं कि फैमिली प्लानिंग का मसला राष्ट्रीय मसला है और इसे राष्ट्रीय तरीके से ही हल किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी पार्टी के सदस्यों को सोचना चाहिए।

लोग मांग करते हैं कि गन्ने का मूल्य इतना होना चाहिए, चावल का मूल्य इतना होना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि इनका मूल्य बढ़ना चाहिए लेकिन यह कहां का न्याय है कि एक तरफ तो आप मूल्य की बात करते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि मंहगाई बढ़ रही है। आपको एक ही बोली में बोलना चाहिए। विपक्ष का हमेशा ही ऐसा हाल रहा है। वी.पी. सिंह की सरकार आई, उनका प्रचण्ड बहुमत था लेकिन फिर भी ढाई साल से ज्यादा राज नहीं कर सकी। ये तो ढाइयां हैं, उसके बाद छुट्टी करके अपने घर चले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि राष्ट्र को मजबूत करना है तो हमें सोचना होगा कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार कई सालों से चल रही है जो भी सरकार आई, हमने उसे पूरा सहयोग देने की कोशिश की लेकिन फिर भी वह चली गई। हमारे ताऊ देवीलाल आए और लड़कर चले गए। उन्होंने स्पीच दी कि मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा, मैंने इसे सोने की पगड़ी पहनाई। सदस्य जानते हैं कि देवीलाल ने क्या किया। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, उसे इस तरह से जलील नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि राष्ट्रव्यापी कार्यों के लिए कम्युनिस्ट भाईयों को भी समझना चाहिए, दूसरे प्रोग्रैसिव लोगों को भी समझना चाहिए। बी.जे.पी. तो शोषावाद पार्टी है, यह वह पार्टी है जो लोगों को इन्साफ तो दे नहीं सकती लेकिन उनका बेड़ा गरक कर सकती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पंजाब में जो हालात ठीक हुए, वह बेअन्त सिंह जी की वजह से ठीक हुए। जब वहां बरनाला थे तब भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ समझौता किया...

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हुआ।

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : जब वहां प्रकाश सिंह बादल थे तो इन्होंने उनके साथ समझौता किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर काम करती है। आज मुझे खुशी है कि यहां पर बहुमत के साथ पंजाब से कांग्रेस के लोग चुनकर आये हैं। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, फिर 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश

में कांग्रेस की सरकार है और देश की जो असली सरकार है, वह दिल्ली में बैठी हुई है। आप कहां बैठे हुए हैं? आपको यह सोचना चाहिए कि हमको राष्ट्र को चलाना है, इसलिए सरकार को सहयोग दें। नरसिंह राव जी आज तगड़े हैं, वह इस देश को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, आपको भी उनको काम करने में सहयोग देना चाहिए।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। टाइम तो बहुत थोड़ा था लेकिन चलो, मैं दूसरे सदस्यों के टाइम का भी ख्याल रखना चाहता हूं। मैं यहां पर यही बात कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र पर कृपा रखना और जो 1000 करोड़ रुपये की बात हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कही है, उसमें से ज्यादा से ज्यादा हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल के इलाकों को, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें बागवानी के लिए मिलना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मेरी स्पीच में कोई टीका-टिप्पणी नहीं की। लेकिन मैं जानता हूं कि यह चुप इसलिए रहते हैं, क्योंकि सच्ची बात बोलने वाले यहां बैठे हुए हैं और जो कड़वी बातें बोलने वाले हैं, वह बाहर चले गये हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, यद्यपि राष्ट्रपति जी के प्रति हमारे मन में बहुत आदर है, तथापि श्री मणिशंकर अय्यर जो प्रस्ताव लाये हैं उसका हम समर्थन नहीं कर सकते उसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति जी के प्रति हमारे मन में किसी प्रकार की निरादर की भावना है।

महोदय, प्रस्ताव के गुणावगुणों पर अपने विचार व्यक्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बड़े दुःख कि बात है की अभिभाषण दिए जाने के लगभग ढाई महीने बाद हम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। हमने स्थायी सीमितियों को अपना कार्य करने के लिए पिछले वर्ष बजट सत्र के दो चरणों में बांटा था और इसे वर्ष हमें तीन चरणों में बांटा गया है। क्योंकि सरकार एक ऐसे संवैधानिक प्राधिकारी को नाराज नहीं करना चाहती जो अपनी असंवैधानिक शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग पर तुला है।

महोदय, मेरे विचार में अब समय आ गया है कि हम गत दो वर्षों के स्थायी सीमितियों के कार्य-निष्पादन के अपने अनुभव के आधार पर शीघ्र ही समीक्षा करें क्योंकि सरकार तो रिपोर्टों पर कोई ध्यान नहीं देती और उन पर अमल नहीं करती।

सभापति महोदय, आज दो मुख्य भाषण हुए हैं। एक तो सत्तारूढ़ दल की ओर से हुआ है क्योंकि उस दल का आस्तित्व खतरे में है और दूसरा विभाजन, मनमुटाव, फूट और आपसी टकराव का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियों की ओर से हुआ है। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी को ऐसी गलत बातें बोलनी पड़ती हैं जो उस अभिभाषण में हैं जिसे एक ऐसी सरकार ने बनाया है कि जिसका लोगों से कोई सरोकार नहीं है और जो कोई काम नहीं कर रही है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की वर्तमान वास्तविक स्थिति के बारे में गुमराह करने की कोशिश की गई है और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है जिन्हें प्रकाश में लाना चाहिए था। सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को धोखा देना है।

अभिभाषण के आरम्भ में आशावादिता और आत्म-विश्वास की बात कही गई है परंतु किसकी आशावादिता और किसका आत्मविश्वास— इसका कोई उल्लेख नहीं है।

महोदय, अभिभाषण में प्रगति का उल्लेख किया गया है। परंतु यह नहीं बताया कि किस दिशा में प्रगति हुई है। अभिभाषण में लोगों की दयनीय दशा तथा निरन्तर हो रही मूल्य वृद्धि और देश में बेरोजगारों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि और देश के राजनैतिक माहौल में जो तनाव है उसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें आत्म-निर्भर बनने के हमारे सिद्धांत का जो गला घोंटा गया है और हमारी अर्थव्यवस्था में विदेशी घुसपैठ की जो अनुमति दी गई है, उसकी भी कोई चर्चा नहीं की गई है।

निःसन्देह, अभिभाषण में कहा गया है कि लोगों ने पुनः भारी संख्या के सामाजिक स्थिरता में अपना विश्वास व्यक्त करके बहुत अच्छा उत्तर दिया है। मैं मानता हूं कि लोगों ने लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी का सफाया करके बहुत अच्छा उत्तर दिया है।

महोदय, यह अभिभाषण उस सरकार की उपज है जिसकी पहचान है अस्थिरता पैदा करना, कोई कार्य नहीं करना, मतभेद पैदा करना, राष्ट्रहितों को न्योछावर करना तथा साम्प्रदायिक और कट्टरपंथी ताकतों से समझौता करना है। साथ ही, इस सदन में जो मुख्य विपक्षी दल है वह देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नष्ट करना चाहता है और लोगों को धर्म के आधार पर बांटना चाहता है। बाबरी मस्जिद के गिराये जाने की उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं। तथाकथित बहुमत को खतरे में बताकर यह राजनीतिक सत्ता हड़पना चाहता है और इसके लिए हमने देश के टुकड़े-टुकड़े करने का एक नया ही तरीका अपनाया है। यह अब चुनाव जीतने के लिए उग्र राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खुल्लमखुल्ला मिल गया है। कल मैंने श्री वाजपेयी को 'रिमोट कन्ट्रोल' द्वारा गैरसंवैधानिक प्राधिकारी के कार्य कर समर्थन करते सुना क्योंकि उनके अनुसार संजय गांधी ने भी ऐसा ही किया था। अतः अब भाजपा के आदर्श संजय गांधी और बाल ठाकरे हैं। महोदय, इस देश की एकता और अखण्डता का क्या होगा जब विदेशी नागरिकों की पहचान करने के नाम पर लोगों को किसी निश्चित स्थान पर ठहरने या किसी विशेष राज्य या शहर में प्रवेश करने के लिए परमिट लेना होगा। माफिया गिरोह को छूट दे दी जायेगी कि वह निर्दोष भारतीय नागरिकों की पहचान का कोई कानूनी या सभ्य तरीका अपनाये बिना किसी भी राज्य से निकाल दे। यदि वे विदेशी हैं, तो क्या आप उन्हें दूसरे राज्य में धकेल सकते हैं? और उसका खुलेआम समर्थन किया जा रहा है।

लेकिन महोदय, अब समय आ गया है कि यह ससंद स्पष्ट रूप से बता दे कि इस स्थिति को बहुत दिन तक सहन नहीं किया जायेगा। हमे देश के टुकड़े करने की इस नापाक कोशिश का डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि किसी विशेष समुदाय के या कोई विशेष भाषा बोलने वाले लोगों को किसी एक राज्य में नहीं रहने दिया गया तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में देश की एकता और अखण्डता कहां रहेगी और क्या देश का पूर्ण विघटन नहीं हो जायेगा?

सभापति महोदय, अब देश जिस गम्भीर स्थिति का सामना कर रहा है, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। यह इस स्थिति को कितना गम्भीर समझती है। महोदय, अब कांग्रेस पार्टी केवल इतिहास के पन्नों तथा कुछ साइनबोर्डों तक ही सीमित रह जायेगी। यह बात एकदम स्पष्ट है जिसे सभी देख सकते हैं। परंतु अभी दुर्भाग्यवश देश का प्रशासन केन्द्र में इसी दल के हाथों में है। इसलिए यह अपने दायित्व से नहीं बच सकती। यह सरकार देश की एकता और अखण्डता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। इसे विघटनकारी शक्तियों को हावी होने से रोकना होगा। देश की एकता और अखण्डता उन लोगों की दया पर नहीं रह सकती जो देश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं। परंतु इस सरकार से कोई उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना है। इसमें न तो कार्य करने की क्षमता है और न ही *इच्छा* । यह तो अगले चुनावों में अपने पूरे सफाये का इंतजार कर रही है।

महोदय, फिर दूसरी और, मुख्य विपक्षी दल अपनी वर्तमान अस्थायी सफलताओं पर खुश हो रहा है। देश की जनता को अपनी पूरी शक्ति से

इसका विरोध करना होगा और अब तो उन्हें भी यह अहसास होने लगा है कि लोगों को अधिक समय तक धोखा नहीं दिया जा सकता. जैसा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए स्थानीय निकायों के चुनावों से स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणामों पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है। कब उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी की मांग की थी जोकि एक अलोकतांत्रतिक और संवैधानिक मांग थी। वे हमारे संवैधानिक ढांचे देश के संघीय ढांचे के प्रति पूरी तरह उदासीन है और जो उन्हें ठीक नहीं लगता उसे वे नष्ट कर देते है।

अतः महोदय, हम इन दो खतरों को बीच घिरे है। एक निष्क्रिय जन विरोधी दल है जो अभी भी केन्द्र में सत्ता हथियाये हुए हैं और दूसरी तरफ दूसरा दल है जो केन्द्र में सत्ता में आने के सपने देख रहा है। हम वामंपथी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों के सहयोग से एक विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि इन दोनों ही बुरी ताकतों का सफाया करके जनता के हितों की रक्षा की जा सके और उन्हें आगे बढ़ाया जा सके।

महोदय, यह तीसरा विकल्प चुनावी विकल्प नहीं होगा बल्कि एक ऐसा विकल्प होगा जो समाज में चमत्कारी परिवर्तन लायेगा और जो समाज के सभी काम करने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा।

महोदय, यह सभी सही दिशा में सोचने वाले लोगों का प्रयास होना चाहिए वरना हमें विघटनकारी, सांप्रदायिक और कट्टरपथी शक्तियां घेर लेंगी।

महोदय, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 47 वर्षों से अधिक समय से देश पर राज किया है जिससे इस देश के लोगों का भारी नुकसान हुआ है जो परिणाम है वह हम सभी के सामने है।

अभी भी देश की आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ रही है। काफी बड़ी संख्या में लोग निरक्षर हैं। राष्ट्रीय एकता और अखण्डता पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के सामने सरकार ने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं और इस तरह राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता के साथ समझौता किया है।

हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरामन, जिनकी देशभक्ति, विद्वाता और कांग्रेस दल के साथ उनके लम्बे अर्से से चले आ रहे सम्बन्धों के बारे में किसी को कोई सन्देह नहीं है, को यह कहने पर बाध्य होना पड़ा कि कांग्रेस (इ) ने अपने घोषित उद्देश्यों का परित्याग कर दिया है और वह गरीबी और शोषण समाप्त करने के अपने वायदों से मुकर गई है।

इस सरकार के कार्यों का यह परिणाम हुआ है कि अब अमीरों और गरीबों के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई है और इसके कार्यों का लाभ कुछ मुट्ठीभर लोगों को ही मिल रहा है तथा बाकी लोग दरिद्रता और मुसीबतों की चक्की में पिस रहे हैं। भ्रष्टाचार पूरे जोरों पर है और कांग्रेस दल का पर्याय बन गया है।

सयुंक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर अमल होना बाकी है। यह एक सर्वसम्मत रिपोर्ट है। मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं कि की गई-कार्यवाही रिपोर्ट सयुंक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर अमल न करने का केवल बहाना है। सभा के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति जिन मंत्रियों और सरकार के लोगों के विरुद्ध सर्वसम्मत निष्कर्षों पर पहुंची, उनसे छुटकारा पाने में सप्ताह और महीने ही नहीं बल्कि कई वर्ष लगे। परंतु प्रधान मंत्री ने उस समय तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जब तक कि हालात बहुत ही नहीं बिगड़ गये।

हमें बताया जा रहा है कि देश में एक आर्थिक चमत्कार हुआ है। परंतु हमारी नीति का जो आधार था और जो किसी भी आत्मसम्मान रखने वाले स्वतंत्र देश की नीति का आधार होना चाहिए, अर्थात् आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, उसे तिलांजलि दे ही गई है और उसे दफना दिया गया है।

आज औद्योगिक रुग्णता के कारण सारी तथा कथित प्रगति धुंधली पड़ गई है। 30 हजार से अधिक औद्योगिक इकाईयां रुग्ण है। और ये रुग्ण इकाईयां पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं हैं। आपके राज्य में और अधिक इकाईयां रुग्ण हैं। आपको उस राज्य से सम्बंधित होने का सम्मान प्राप्त है जहां सबसे अधिक संख्या में इकाईयां रुग्ण हैं।

बंगाल पोटरीज एक संस्था जैसी थी। मैं कई बार अपने प्रधान मंत्री से मिला और उन्होंने बताया कि उनके घरों में बंगाल पाटरीज की क्राकरी है। इस कंपनी के पास तीन् वर्षों तक के लिए आर्डर थे। परंतु फिर भी इसे बंद कर दिया गया। बिना किसी नोटिस के ताला लगा दिया गया और 3000 से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गये।

जब हम न्यायालय में गये और रोकादेश प्राप्त किया तो भारत सरकार ने मजदूरों को बिना कोई काम कराये 26 करोड़ रुपये का भगुतान कर दिया। मजदूर काम मांग रहे थे और टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज ने रिपोर्ट दी कि इस इकाई को फिर से चलाने के लिए 10 करोड़ रुपये चाहिए। परंतु 10 करोड़ रुपये खर्च न करके 26 करोड़ रुपये मजदूरों को निष्कार्य बैठने के लिए दे दिए गये। अन्ततः हमारे प्रधान मंत्री ने निर्णय लिया कि बहुत हो गया और हमें उनसे पूरी तरह छुटकारा पाना चाहिए। उन्हें उनकी उपदान भविष्य निधि आदि का भुगतान करने के लिए 17 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार 10 करोड़ की बजाय 43 करोड़ रुपये खर्च किये गये। यह इस सरकार की नीति है। श्री सिंधिया, आप हर बगांल पोटरी के मामले को नोट कर लें। हमारे इस्पात मंत्री अधिक मजबूत नजर आते हैं। परंतु इस देश की सबसे बड़ी इकाईयों में से एक इकाई के साथ क्या हो रहा है। सभी कठिनाईयों के बावजूद यह लाभ कमा रही है। भारत सरकार इसे फिर से चालू करने के लिए 6000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने में असमर्थ है। 3000 लोग अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित है। इस इकाई के बंद होने की पूर्ण सम्भावना है।

जेसोप, ब्रेथवाइट, बर्न स्टेंडर्ड— में किस-किस के नाम गिनाऊं। ये सभी केन्द्रीय क्षेत्र में हैं। ये देश के सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक उपक्रम रहें हैं। ये सभी भारत सरकार द्वारा संचालित हैं और उसी के स्वामित्व में हैं। परंतु ये सभी रुग्ण पड़े हैं और उनके पुनरूद्धार के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं। वे लंगडा रहे हैं और बी.आई. एफ. आर. उन्हें रुग्ण घोषित करके बंद करा देगा। इस ब्यूरों की क्या भूमिका है। मजदूरों का वहां भविष्य क्या है? उनका क्या दोष है। यह औद्योगिक नीति क्या है जो उन एककों को फिर से चालू नहीं कराती, जो मजदूरों के भविष्य के बारे में नहीं सोचती। इस देश में सामाजिक सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। श्रमिकों के लिए कोई वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो वे क्या करें? इसका कोई उत्तर नहीं है। यह रुग्णता औद्योगिक संबंधों की समस्याओं के कारण नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिक से अधिक दो प्रतिशत मामलों में कुछ औद्योगिक समस्यायें हो सकती है। परंतु अधिकतर में प्रबन्ध प्रौद्योगिकी और धनराशि की समस्यायें हैं। जब यह सरकार बनी थी तो इसने पहला काम यह किया था कि इसने एक पुस्तिका निकाली थी जिसमें ऐसे 43 औद्योगिक उपक्रमों के नाम दिये गये हैं जो बंद होने के कागार पर थे। हम कह रहे हैं कि ये आकंड़े ठीक नहीं है और खुशी की बात यह है कि उनमें से कुछ को जैसे बंगाल कैमिकल्स को, उस सूची में से निकाल दिया गया है। इसी प्रकार बगांल इम्युनिटी, स्मिथ स्टानीस्ट्रीट और बीको लारी को रुग्ण उद्योगों की उस सूची में से निकाल दिया गया है और ये एकक भलीभांति चल रहे हैं। थोड़ी सी पूंजी बढ़ाकर थोड़ा सा प्रबंध अच्छा करके, उनकी ओर थोड़ा अधिक ध्यान देकर उन्हें खूब अच्छी तरह चलाया जा रहा है और वे लाभ कमा रहे हैं। मजदूरों को काम मिल रहा है। यह सर्वविदित है कि हमारे श्रमिक कठिनाइयों और समस्याओं के

बावजूद पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। कई एककों में जब मजदूरों ने यह समझ लिया कि थोड़ी सख्ती से एकक को चालू रखा जा सकता है तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और एकक चल रहे हैं और श्रमिक वर्ग को काम मिलता रहा है। परंतु ऐसी अपेक्षा इस सरकार से नहीं की जा सकती। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है क्योंकि सरकार विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इशारों पर काम कर रही है। आप देश की आर्थिक संप्रभुता भारतीय श्रमिकों के परिश्रम अथवा भारतीय लोगों के प्रयत्नों पर निर्भर नहीं है बल्कि श्री कामडेसस अथवा श्री प्रेसटन की मुस्कान पर निर्भर है। आज देश की यह हालत है। वे हमारे भाग्य का निर्णय लेने वाले बन गये हैं। यदि वे खुश हैं तो हम जिन्दा हैं।

हम यह स्थिति स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ विपक्ष के लोग भी इसी नीति का खुल्लमखुल्ला समर्थन कर रहे हैं। परंतु अपना मतभेद दिखाने के लिए उन्होंने हमें धोखा देने के लिए स्वदेशी का जिक्र करना शुरू कर दिया है।

इस सन्दर्भ में जब मेरा नाम भी इस औद्योगिक नीति के एक बड़े समर्थक के रूप में लिया जाता है तो हमें बड़ी हंसी आती है। श्री मणि शंकर अय्यर ने अपने भाषण में मेरा और मेरे दल का कई बार उल्लेख किया। उन्होंने मेरे दल के लिए एक नये नाम का सुझाव दिया है। यह जानबूझकर अपमान करना है और मैं इन आरोपों का जोरदार खंडन करता हूं क्योंकि ये आरोप सोद्देश्य लगाये गये हैं। यदि दुबारा नाम रखना है तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस का नाम "कांग्रेस (असमर्थ)" या "कांग्रेस" (लुप्त) रखा जाना चाहिए...**(व्यवधान)**

श्री पी.सी. चाक्को (भित्तचुर): सी.पी.एम. तो पहले ही लुप्त हो गई है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: दुबारा नाम रखना, जैसा कि मैंने बताया अधिक उपयुक्त होगा उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि डॉ. मनमोहन सिंह को सयुंक्त राष्ट्र के कार्य के लिए भेजा जाता है तो मुझे इस देश का वित्त मंत्री बनाया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यदि मैं वित्त मंत्री होता,तो देश की यह दशा नहीं होती। इस देश के श्रमिक-वर्ग के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं होती और देश की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं किया जाता जैसा कि अब हो रहा है। परंतु मैं ऐसी नाक-रगड़ने वाली सरकार का वित्त मंत्री या अन्य कोई मंत्री कभी भी नहीं होऊंगा...**(व्यवधान)** परंतु आपने मेरे बारे में विचार किया है...**(व्यवधान)** मेरा दल इस देश की आम संघर्षरत जनता का प्रतिनिधित्व करता है। हम श्री मणि शंकर अय्यर के दल की तरह करोड़पतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। जब प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और श्री मणी शंकर अय्यर जैसे प्रतिष्ठित सदस्य यह कहते हैं कि पश्चिम बगांल की वामपंथी सरकार केन्द्र सरकार की ही औद्योगिक नीति का अनुसरण कर रही है, तो मुझे हंसी आती है। स्पष्टतः, उनकी मंशा अपनी नीतियों के लिए और अधिक विश्वसनीयता हासिल करना है। वे यह दिखाना चाहते हैं कि उनकी नीतियां तथा कार्यक्रम भी प्रगतिवादी हैं। पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे की सरकार को अपना समर्थक बताकर वे विश्वसनीयता प्राप्त करना चाहते हैं। वे भारत के सबसे बड़े राजनीतिक नेता, श्री ज्योति बसु और उसके दल को जनता का जो भारी समर्थन प्राप्त है, उसका लाभ उठाना चाहते हैं।

पश्चिम बंगाल कोई स्वंतत्र राज्य नहीं है और न ही उसे संवैधानिक दृष्टि से अपने लिए पृथक आर्थिक और औद्योगिक नीति अपनाने की अनुमति है। हम देश की आर्थिक या औद्योगिक नीति का फैसला नहीं करते। हमें अपनी आयात-निर्यात नीति, बैंकिंग नीति, ऋण संबंधी नीति, मुद्रा नीति तथा सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। जब तक हमारा इन पर नियंत्रण नहीं होता है, तब तक हम पृथक स्वंतत्र औद्योगिक और आर्थिक नीति कैसे बना सकते हैं? देश की जो भी औद्योगिक नीति होती है, वही हम पर थोप दी जाती है। हम इस नीति के जन-विरोधी पहलुओं को उजागर करने और उनका विरोध करने में सबसे आगे रहे हैं। और इस सभा में कोई भी यह सिद्ध नहीं कर सकता कि पश्चिम बगांल में पिछले तीन वर्षों में कोई भी ऐसा काम हुआ है, जो हमारी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रतिकूल है।

सभापति महोदय, मेरे राज्य के साथ सबसे अधिक भेदभाव बरता गया है। पिछले कई दशकों से मेरा राज्य इस भेदभाव का शिकार रहा है। इस देश में लाइसेंसिंग नीति के दुरुपयोग के कारण खुलेआम जितना भेदभाव पश्चिम बंगाल के साथ हुआ है, उतना कभी किसी अन्य राज्य के साथ नहीं हुआ है। चूंकि हम भारत की एकता और संतुलित विकास में विश्वास करते हैं, मेरे दल ने भाड़ा समानीकरण नीति अथवा लाइसेंसिंग नीति पर कभी भी आपत्ति नहीं की। परंतु जब पता चला कि ये नीतियां वर्षों तक इसलिए जारी रखी जा रही हैं ताकि पश्चिम बंगाल को ही नहीं बल्कि समूचे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत को उनके वैध अधिकारों से वंचित रखा जा सके, तो हमें आपत्ति करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल विधान सभा ने सर्वसम्मिति से एक संकल्प पास करके केन्द्रीय सरकार से कहा कि वह भाड़ा समानीकरण नीति को वापस ले लें जिसका श्री मणि शंकर अय्यर की पार्टी समर्थन कर रही है। हमने लाइसेंसिंग नीति को वापस लेने के लिए भी कहा था क्योंकि इसका आज क्या परिणाम निकला है, आप देख ही रहे हैं। यदि आप भारत के औद्योगिक मानचित्र को देखें, तो आप ऐसा असंतुलित विकास शायद ही किसी अन्य देश में पायेंगे। आज पूर्वोत्तर भारत क्यों चिल्ला रहा है? उनका रहन-सहन का क्या स्तर है? देश के दूसरे भागों की तुलना में उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। असम, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है? पश्चिम बंगाल एक समय भारत के औद्योगिक मानचित्र में सबसे ऊपर था। हमारी वह स्थिति अब क्यों नहीं रही? वह हमारी स्वाभाविक स्थिति थी।

महोदय, आज स्थिति एकदम साफ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव में आकर लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त की गई है, पश्चिम बंगाल विधान सभा के संकल्प के आधार पर नहीं।

महोदय, कृपया मुझे बोलने दें। हमें बहुत बुरा-भला कहा गया और मुझे उसका उत्तर देना है।

सभापति महोदय : आपके दल को केवल 38 मिनट दिये गये थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी: परंतु अब बहुत वक्त नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : मेरा अनुरोध है कि उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। हमें वैकल्पिक वित्त मंत्री के विचार सुनने चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपके वित्त मंत्री के विचारों के बारे में बोलना चाहता हूं।

उत्पीड़न के हम और कितने उदाहरण दे सकते हैं? हल्दिया पेट्रोकेमिकल परियोजना पश्चिम बंगाल की वामपंथी मोर्चे की सरकार द्वारा बनाई गई थी। इसे 1978 में दिल्ली अनुमोदनार्थ भेजा गया। इसमें 11 वर्ष लगे, तब राजीव गांधी चुनाव से पहले शिलान्यास करना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनके दल को मदद मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर लाइसेंस नहीं दिया गया। वह तभी मिला जब जनता दल की सरकार यहां बनी। केवल एक आशय-पत्र जारी किया गया। अन्यथा वह शिलान्यास करने नहीं जाते। बोकारेश्वर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त करने में 12 वर्ष लगे। ये ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें गिन्नीस

बुक आफ वर्ल्ड रिकार्डस में तुरंत शामिल कराया जाना चाहिए।

इस देश की वित्तीय संस्थानों ने पूर्वी भारत में कितना पूंजी निवेश किया है। इस देश के विभिन्न राज्यों में ऋण जमा अनुपात क्या है? इस देश में संतुलित विकास क्या है? लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को कौन चला रहा था? देश में बैंकों के कार्यों पर किसका नियंत्रण था। वे चयन कर रहे थे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पारम्पारिक उद्योग जैसे इंजीनियरी, पटसन, चाय आदि पश्चिम बंगाल में थे। परंतु सारा लाभ कहीं और भेजा जा रहा था और मैं उन क्षेत्रों के नाम बता सकता हूं जहां निवेशकों को पूंजीनिवेश करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उद्योगपति जानता है कि उसे लाइसेंसों के लिए और अन्य कामों के लिए सरकार के पास जाना पड़ता है। कोई भी उद्योगपति सरकार को नाराज नहीं करेगा। मैं उन उद्योगपतियों के नाम बता सकता हूं जिनसे कहा गया कि वे पश्चिम बंगाल,बिहार, उड़ीसा या असम क्यों जाते हैं। अब असम के बारे में इसलिए सोचा जा रहा है कि वह अब डॉ. मनमोहन सिंह का निवास स्थान है। तो इस प्रकार आप देश चला रहे हैं। अब क्या हो गया है? अब लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई है। जैसा मैंने बताया, यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव में आकर किया गया है, इसलिए नहीं किया गया कि हम इसकी समाप्ति चाहते हैं या सभी दलों ने कोई संकल्प पारित किया था। अब उद्यमियों को मंजूरी के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। वे चालाक लोग हैं। वे जानते हैं कि उनके उद्योग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान कौन सा होगा। मैं उनसे कहता हूं, "अब तो आप आजाद हो गये। खुद फैसला करो। परंतु पश्चिम बांगल की तरफ भी देख लो।"

मैं नम्रतापूर्वक यह अवश्य कहूंगा कि आज पश्चिम बंगाल समूचे देश में बिजली उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। हम उड़ीसा और बिहार को बिजली दे रहे हैं जब हम बिजली उत्पादन की समस्याओं से जूझ रहे थे तो हमारी हंसी उड़ाई गई। अब हमने बिजली उत्पादन बढ़ा दिया है क्योंकि हमने उसमें धन लगाया है।

चूंकि दिल्ली में बिजली नहीं है, इसलिए संसद कार्य नहीं कर सकती। मेरी पुत्री ग्रेटर कैलाश में है। वहां भी बिजली हर रोज तीन से चार घंटे तक नहीं आती। परंतु इसका राष्ट्रीय समाचारों में जिक्र नहीं होता। हां जब हमारे यहां बिजली की समस्या थी, तो इसका उल्लेख राष्ट्रीय प्रसारण में अवश्य होता था।

हमारे यहां चावल की पैदावार देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा होती है। आपको यह सुनकर खुशी होगी क्योंकि आप भी देश की एकता और अखण्डता में विश्वास रखते हैं परंतु आप गलत सोहबत में हैं। पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न उत्पादन की वार्षिक वृद्धि-दर सबसे अधिक है। यह 5.9 प्रतिशत है जबकि अखिल भारतीय दर केवल 2.8 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण लोगों की क्रय-शक्ति सबसे अधिक है। हमने भूमि सुधार लागू कर दिये हैं और लोग अपने हिसाब से उत्पादन कर रहे हैं। हम भारत सरकार से कमीशन ले रहे हैं। हमारे राज्य में लघु उद्योग सबसे अधिक हैं। कुटीर उद्योग, हथ करघा उद्योग और मछली उत्पादन में हमें पिछले आठ वर्षों में पुरस्कार मिल रहे हैं। महिला साक्षरता हमारे यहां सबसे ज्यादा है। इसीलिए युनेस्को ने हमें पुरस्कार दिया है। हमने पंचायत प्रणाली लागू कर दी है। हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रशासन उत्साहवर्धक है। सभी जानते हैं कि कुशल श्रमिक सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में हैं। वे हमारे राज्य को बुरा-भला कहते हैं। हमारा राज्य वर्षों भेदभाव में पीड़ित रहने के बाद अपने ही बलबूते पर भारत के औद्योगिक मानचित्र पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। और आप हमारी उपलब्धियों को कम आंकते हैं। आप पश्चिम बंगाल के लोगों की तारीफ करने के बजाय अपने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य के लिए उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस संसद में कोई साबित तो करके दिखाये कि हमने कैसे अपना आत्मनिर्भता का सिद्धांत त्याग दिया है। मुझे खुशी है कि सिंगापुर में एक बार ही जाकर मैं समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कराने में सफल हो सका जबकि आपके अध्यक्ष मंत्री यह नहीं कर सके। अब मेरे राज्य में अनिवासी भारतीय ढांचागत विकास में धन लगा रहे हैं। क्या हम उनको भगा दें?

श्री पी.सी.चाको : नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या श्री चन्दन बसु विदेशी है? तभी आपके सामने ऐसी समस्या है।

इसलिए मैं यहां चुनौती देता हूँ पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय रुग्ण उद्योग समेत प्रत्येक रुग्ण उद्योग को फिर से चालू करने के लिए एक कार्य-दल बनाया है। हम अपने राज्य में उद्योगों को बंद करना नहीं चाहते। हम उनके पुनरुद्धार के लिए श्रमिकों से, उनकी यूनियनों से तथा कुछ उद्यमियों से भी बातचीत कर रहे हैं। हमने स्पष्ट कर दिया है कि इस समय हम पुरानी प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं रह सकते। प्रौद्योगिक का विकास हो रहा है। हमारे राज्य में कागज उद्योग की दशा बहुत खराब है। यह उद्योग 60 साल पुराना है और इसकी मशीनें भी इतनी ही पुरानी है। अब हम आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद ले रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति आधुनिक प्रौद्योगिकी लेकर इस उद्योग को बहाल करने के लिए यहां आता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। 3.00 म.प. साठ साल पुरानी मशीनों से हम कागज उद्योग नहीं चला सकते। पश्चिम बंगाल सरकार ने टमाटर कैचअप, आलू के चिप्स आदि जैसी उपभोकता वस्तुओं के लिए एकक स्थापित करने के लिए कोई सहायता नहीं की है। आप उन्हें भारत में प्रवेश करने दे रहे हैं। हम उन्हें नहीं रोक सकते । पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें कोई सुविधा नहीं दे रही है। फिर भी आप कह रहे हैं, कि "कोका-कोला पश्चिम बंगाल चला गया और इसलिए मैं आपकी नीति पर चल रहा हूं।" मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं? क्या मैं उन्हें पीट कर भाग सकता हूं? आप उन्हें इजाजत दे रहे हैं। 20 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार क्या है। पोर्टफोलियो निवेश कितना प्रतिशत है? श्री मणि शंकर अय्यर स्वयं कहा है कि 10,000 करोड़ रुपये से कम एफ.डी.आई. है। तो क्या यह हमारी नीति है? क्या एक राज्य सरकार इस नीति के बारे में फैसला कर सकती है? लोग पश्चिम बंगाल में पूंजी निवेश क्यों करें? आपने उन्हें सुविधायें नहीं दी हैं। आप नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक रूप से समृद्ध हो। अत: मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार का पूरी तरह भण्डाफोड़ हो गया है और यह लोगों से दूर हो गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार— सभी जगह लोगों ने दिखा दिया है कि यह सरकार जनता से दूर चली गई है। उन्होंने आपको अपनी जगह दिखा दी है। अब तो अन्तयेष्टि होनी बाकी है। आप हमें हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बारे में बता रहे है। आप हमें आत्मनिर्भरता के सिद्धांत की शिक्षा दे रहे हैं। आप एक बात कह रहे हैं कि हम श्रमिक वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित करा रहे हैं। हममें श्रमिक वर्ग को नौकरी से हटाने की नीति का विरोध किया है और अब भी कर रहे हैं।

3.03 म.प.

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई)

इसलिये झूठा रोब जमाने की इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए।

महोदया,बजट पेश किये जाने के बाद एक विदेशी पत्रकार ने मुझे फोन किया और कहा! "मैं आपसे बात करना चाहता हूं।" मैंने पूछा,"क्यों मैं आपको नहीं जानता। " उन्होंने कहा, "वित मंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने प्रधान मंत्री के प्रति अपना श्रद्धा-भाव व्यक्त करने के अलावा केवल आपका ही नाम लिया है।" यह एक मजाक बन गया है परंतु यदि आप प्रगतिवादी होने का श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा अनुसरण कीजिए

परंतु देश को नुकसान पहुंचाकर प्रगतिवादी कहलवाना ठीक नहीं।

महोदया, जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, हम अपने सीमित साधनों को सेवा क्षेत्र या पोर्टफोलियो निवेश में नहीं लगाना चाहते। हम जो मांग कर रहे हैं, वह है कि हमें विदेशी पूंजीनिवेशकों से यह कहना चाहिए कि वे हमारे आधारभूत ढांचे में और अति आधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश करें ताकि हमारे देश का सर्वांगीण विकास हो सके। परेशानी यह है कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत का भाग नहीं है और पश्चिम बंगाल का विकास भारत का विकास नहीं है। हम इस तरह नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि महाराष्ट्र का विकास हमारे देश का विकास है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे विदेश जाने का अवसर मिला। इस विदेश यात्रा के लिए मैंने कोशिश नहीं की थी। मुझे आमंत्रित किया गया था क्योंकि वे जानना चाहते थे कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है।

हनोवर मेला सबसे बड़ा औद्योगिक मेला है। उन्होंने मुझे वहां पश्चिम बंगाल की क्षमता और सामर्थ्य पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था। वहां मैंने लोगों को बताया कि पश्चिम बंगाल क्या है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को वहां एक स्टॉल लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की क्षमता और सामर्थ्य को पहचाना। आपको डाह क्यों हो रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (करवा) : उन्होंने सोचा कि पश्चिम बंगाल पश्चिम में है। ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए कुछ सप्ताह पहले मुझे रिर्वज बैंक के गवर्नर को बताना पड़ा कि कुछ लोग सोचते हैं कि महाराष्ट्र की पूर्वी सीमा देश की पूर्वी सीमा है। इसी कारण हमारी अर्थव्यवस्था में असतुंलन है। हम चाहते हैं कि सभी खुश हों। यदि पश्चिम बंगाल का औद्योगिक विकास होता है, तो प्रत्येक सच्चे भारतीय को प्रसन्न होना चाहिए। हमने अपने किसी भी सिद्धांत अथवा नीति का परित्याग नहीं किया है। यदि किसी ने हमारे यहां पूंजीनिवेश किया है तो हम आम आदमी के हितों को नहीं भूले हैं। आज जब मैं अखबारी कागज की कमी के बारे में कह रहा था, तो मैं सोच रहा था कि सभी खुश होंगे। अगली 3 जून को हमारे मुख्य मंत्री एक अति आधुनिक अखबारी कागज के कारखाने का शिलान्यास करेंगे। यह कारखाना एक अनिवासी भारतीय द्वारा लगाया जा रहा है। आप इसे पसन्द करें या नहीं, यह कारखाना पश्चिम बंगाल में लगाया जा रहा है।

अब, उद्यमी इसके बारे में निर्णय लेने के लिए स्वंतत्र हैं। अब वे आपके चगुंल से निकल रहे हैं। वे होशियार लोग है और जानते हैं कि उन्हें कहां काम करना चाहिए, कुशल श्रमिक कहां पर हैं, बिजली कहां उपलब्ध है, जिम्मेदार मजदूर संघ कहां हैं, राजनीतिक प्रशासन में स्थिरता कहां है। वहां मुख्य मंत्री आये दिन नहीं बदलते। इसलिए वे आ रहे हैं। वे हमारी आन्तरिक सुदृढ़ता को समझते हैं।

मेरा सौभाग्य है कि अपने सहयोगियों और मित्रों के साथ इस सम्बंध में एक तुच्छ सी भूमिका निभाने में सफल हुआ हूं। आप हमें कितना ही बुरा-भला कहें या मेरा नाम अपने बदनाम वित्त मंत्री के साथ जोड़ने की कोशिश करें, परंतु आपको इस देश में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में वोट नहीं मिलेंगे।

मेरे दल के कई सदस्यों को बोलना है। इसलिए मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। लोगों को जान लेना चाहिए कि हम यहां चुपचाप सभी कुछ सहने के लिए नहीं आते।

यह सरकार अपनी तथाकथित शानदार आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन यह बताना आवश्यक है कि देश का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हम इस जनविरोधी नीति के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। अब देश की जनता अपना निर्णय देने वाली है और इस सरकार का और इस विपक्ष का पूरी तरह सफाया हो जाना चाहिए और अब भविष्य में आने वाले वामपंथी, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष दल का है। इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, मैं उन्हें बधाई देता हूं यह बहुत बढ़िया भाषण था। उनके विरुद्ध कोई भी नहीं है। उन्होंने शानदार कार्य किया है। यह उनका बिदाई भाषण था क्योंकि पोलित ब्यूरो का यह निर्णय है कि किसी भी सदस्य को दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं भेजा जायेगा। यह उनका अंतिम भाषण था। इसलिए उन्हें आगे भी बोलना चाहिए। यह पोलित ब्यूरों की नीति है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : सभापति महोदया, मैं आपकी अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के प्रति अत्यधिक सम्मान व्यक्त करते हुए भी मैं कहना चाहती हूं कि राष्ट्रपति महोदया द्वारा दिया गया जो अभिभाषण हमने सुना, उनका हम घोर विरोध करना चाहते हैं क्योंकि उसे सुनने से ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़े असत्य का पुलिन्दा हो या किसी बन्द आंखों का सुनहरा ख्वाब हो या फिर नई आर्थिक व्यवस्था की मार से चीत्कार करते हुए गरीब, भूखे और मेहनतकश लोगों के क्रंदन का मजाक उड़ाने वाला कोई सरकारी दस्तावेज हो। मैं समझ नहीं पाती हूं कि राष्ट्रपति महोदय को मुखारविन्द से इतना बड़ा असत्य क्यों कहलाया जाता है। इसके अभिभाषण के द्वारा सरकार ने अपनी गलत नीतियों की एक सुनहरी तस्वीर देश के सामने पेश की है और वाहवाही लूटने की कोशिश की है लेकिन इस तरह की तस्वीर पेश करने से किसी गरीब के बच्चे का भूख से बिलबिलाना बन्द नहीं हो सकता। लच्छेदार भाषा से सजाकर असत्य पेश करने से मंहगाई की मार से परेशान गृहणी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती और तपते हुए खेत में काम करने वाले किसान को कोई सुकून नहीं मिल सकता। इस असत्य के पुलिन्दे के पीछे तमाम अव्यवस्थाओं से पीड़ित देशवासियों का हाहाकार छिपा हुआ है जिसे यह अभिभाषण छिपा नहीं पाया है। जिस प्रकार से किसी कीचड़ से भरे या दलदल भरे स्थान पर कितना ही सुन्दर मखमली कालीन क्यों न बिछा दें, उस पर सैंट का कितना ही छिड़काव क्यों न कर दें, परंतु कुछ देर बाद सैंट की खुशबू उड़ जाती है और बदबू ऊपर चढ़कर महकने लगती है, कालीन के भारी दबाव होने के बावजूद कीचड़ अगल-बगल से निकालकर बहने लगता है। इस प्रकार से यह जो सरकारी दस्तावेज है, जिसमें लोगों की तकलीफों पर, देश की अव्यवस्थाओं पर, देश के आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ते हुए कदम पर भ्रष्टाचार और असत्य का जो कालीन बिछाने का प्रयास किया गया है, उसे यह अभिभाषण छिपा नहीं पाया है, सारी बातें देश के सामने जाहिर है और यही वजह है जिससे आज कांग्रेस को हर जगह अपने मतदाताओं का क्रोध झेलना पड़ रहा है...**(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या असत्य शब्द का इस्तेमाल यहां पर हो सकता है?

सभापति महोदय : असत्य शब्द तो ठीक है।

श्रीमती सरोज दुबे : इस प्रकार से अभिभाषण के द्वारा सरकार की चाहे जितनी उपलब्धियां गिनाई गई हों, चाहे जितने आर्थिक सुधारों का ब्यौरा दिया गया हो लेकिन मंहगाई, परेशानी, बेरोजगारी से तड़पते हुए लागों के दिलों के हाहाकार ने उस सुनहरे पर्दे को तार-तार कर दिया है। आज देश से तथा दोनों सदनों के सदस्यों से वास्तविकता छिप नहीं पा रही है। नए आर्थिक सुधारों के नाम पर आर्थिक गुलामी का जो बढ़ता हुआ पंजा है, उसने पूरे देश को झकझोर दिया है और देश की अधिकांश जनता इसीलिए इन नेताओं को नकार रही है। एक-एक करके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमाम प्रदेशों की भूमि कांग्रेस के पैरों के नीचे से खिसकती जा रही है, लेकिन उनको अपने बारे में सोचने का या अपनी

गलतियों का अहसास करने का या उसने आत्मचिंतन करने की कोई कोशिश ही नहीं की है। यह सरकार दोहरे नशे से पीड़ित है। एक तो सत्ता के नशे में मदहोश है, दूसरे भ्रष्टाचार का भी इनके ऊपर मद छाया हुआ है। एक तो करेला कड़वा और दूसरे उसके ऊपर नीम चढ़ा. जब डबल नशा हो गया तो फिर इनको होश में आने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार से चल रहे हैं जैसे नशे में धुत होकर एक शराबी लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता जाता है, उसे न तो पीछे देखने की फुरसत होती है न उसे आगे की जानकारी होती है। वह नहीं जानता है कि आगे उसके कदम कहां बढ़ रहे हैं और अंत में उसी मद में लड़खड़ाता हुआ वह किसी कूड़ेदान या किसी नाली के पास गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि वह बहुत बड़ी चोट खा चुका है। यही हाल इस समय वर्तमान सरकार का है। यह भ्रष्टाचार और सत्ता के मद में इतनी मदहोश हो चुकी है कि इसको न तो गरीबों का क्रन्दन सुनाई देता है, न देश की आर्थिक आजादी पर जो हमला होने वाला है, वह दिखाई देता है न इनको यह दिखाई देता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण देश किस दुर्दशा की ओर पहुंच रहा है और ये इस देश को कैसे पतन की ओर ले जा रहे हैं, कहां और किस दिशा में ले जाकर छोड़ रहे हैं. यह सारी बातें सोचने का इनको समय ही नहीं मिल रहा है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो एक बात और कही गई है कि "हमारी समस्त परिकल्पनाऐं सत्य हुई है," तो अगर आपकी यही परिकल्पनाएं हैं कि देश में भ्रष्टाचार बढे, देश का किसान हाहाकार करे, गरीब के बच्चे को रोटी न मिले, महिलाओं पर अत्याचार हों, बेरोजगारी के कारण नौजवान या तो इस देश को छोड़ जायें, या गलत रास्ता अख्तियार कर लें या आतंकवाद की ओर बढ़ जायें तो इस प्रकार की परिकल्पनाओं को सार्थक करने की कोशिश न करें। आप अपनी परिकल्पनाओं के बार में फिर से सोचें और एक बार देश को फिर से सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें।

अयोध्या के मसले पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है कि इसको ऐसा-ऐसा कर दिया गया है। उसका विवरण बताकर हम समय खराब नहीं करना चाहते, परंतु वास्तविकता यह है कि अयोध्या का जो मंदिर मस्जिद विवाद है, इसका सरकार कोई हल अभी नहीं खोज पाई। यह बहुत बड़ी राजनैतिक असफलता है। मंदिर मस्जिद का मसला एक राख में छिपी हुई चिंगारी की तरह से सुलग रहा है। प्रधान मंत्री जी द्वारा टाल देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि मौका पाकर कभी भीषण विस्फोट हो सकता है। विस्फोट का पुराना अनुभव हमारे साथ है। जो हमेशा चेतावनी देता रहता है कि किसी प्रकार की लापरवाही कभी भी देश में खून की नदियां खेत खलिहानों में बह सकती है इस मामले को कभी कोर्ट के बहाने से, कभी किसी बहाने से बार-बार टालने की कोशिश की जा रही है और यह एक बहुत बड़ी जो गम्भीर समस्या है, उसको बार-बार टालने की कोशिश की जा रही है। इस पर कोई भी ऐसा सुझाव नहीं दिया गया, जिससे यह समझ में आये कि आज मंदिर मस्जिद के नाम पर जो इस देश में दूषित भावनाऐं पनप रही हैं, जो साम्प्रदायिकता को शह, हवा देने वाली बात है, उसका कैसे खत्म किया जायेगा, इसके बारे में कभी सोचने की कोशिश नहीं की गई।

कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि जुलाई तक चुनाव करवा दिये जायेंगे। परंतु मैं जानना चाहती हूं कि कौन सी राजनैतिक प्रक्रिया वहां पर प्रारम्भ की गई है? बार-बार जिक्र आता है, लेकिन क्या सरकार ने वहां पर राजनैतिक प्रक्रिया के लिए जमीन तैयार की है? क्या वहां की जनता को विश्वास में लेने की कोशिश की गई है? जब-जब आप वहां राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने की बात करते हैं, वहां आतंकवादी गतिविधियां तेज हो जाती है और जो बाहर से सहायता मिलने वाली बात है, वह तेज हो जाती हैं। वहां जो सुरक्षा बल और आतंकवादी है, उनके बीच में कश्मीर की जनता जिस तरह से पिस रही है, क्या कभी उसके दर्द के बारे में सोचने की कोशिश की गई है? केवल टामटोल की भावना, केवल हर बात पर मौन साध लेने की भावना से किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। आपको सबसे पहले कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि कभी कोई मिनिस्टर वहां इंचार्ज बना दिया, तो कभी कोई दूसरा। दोनों ही मंत्री इंचार्ज आपस में लड़कर इतना आतंक पैदा कर देते हैं कि जनता फिर से अपने को असुरक्षित समझने लगती है। जो वहां के सुधार करने वाले हैं, उनको ही अपने झगड़ों से फुरसत नहीं है। ऐसे में वे कश्मीर का क्या ख्याल करेंगे? देश का वह हिस्सा जो कि स्वर्ग और जन्नत कहा जाता था! आज उसकी समस्यायें हल करने के बारे में कोई गम्भीरता से विचार नहीं कर रहा है। उसको आतंकवाद से मुक्त करने के बारे में कोई प्रयास नहीं कर रहा है। वहां के धार्मिक स्थल चरारेशरीफ में जो कुछ चल रहा है आज उस पर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या आपको यह अंदाज नहीं है कि वहां के लोग भयभीत होकर फिर से पलायन शुरू कर देंगे? ऐसे में आपको कौन वोट देगा और कौन सा चुनाव होगा? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप समस्त दलों के नेताओं की बैठक बुला कर और इसे राष्ट्रीय समस्या मान कर, वहां से आतंकवाद समाप्त करे, वहां की जनता का विश्वास जीत कर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक जमीन तैयार करें। तभी वहां चुनाव हो सकते हैं और वहां की जनता में आत्मविश्वास आ सकता है।

साईंस और टैक्नॉलोजी के विकास के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी-बड़ी उपलब्धियां भी हुई हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं इस क्षेत्र में जो ऐक्चुअल मनी ऐलोकेशन होती रहती थी उसको क्यों बार-बार घटाया जाता है। अगर आपको विश्व की विकास की दौड़ में शामिल होना है तो इस क्षेत्र में रखी गई राशि को बार-बार नहीं घटाना चाहिए। एक तरफ विश्व की प्रतियोगिता मे शामिल होने के लिए आप गैट पर दस्तखत करते हैं और मल्टी नैशनल को अपने साथ लेते हैं और दूसरी तरफ साईंस और टैक्नॉलोजी के जो विकास के मुख्य आधार हैं, उनके लिए आपके पास धन नहीं है। आप वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप वैज्ञानिकों की दर्द भरी दास्तान सुन कर देखें तो आपको उनके बारे में सब पता चल जायेगा। वैज्ञानिक नई-नई खोज करके देश का गौरव बढ़ाते हैं। क्या यह उपेक्षा का विषय है? प्रधान मंत्री जी के पास समय नहीं है। पिछले प्रधानमंत्रियों को याद करें जो कि वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देते थे। इस तरह से उपेक्षा करना अच्छी बात नहीं है।

आर्थिक नीतियों की सफलता की बार-बार घोषणा की जाती है और कहा जाता है कि जब हमारी सरकार आई तो दो हफ्ते का हमारे पास फॉरेन ऐक्सचेंज था। हम मानते हैं कि अपने फॉरेन ऐक्सचेंज बढ़ा लिया है। मुद्रास्फीति के कम होने की बार-बार बात की जाती है और कहा जाता है कि वह 10% से 7% हो गई और फिर 7% से 6% हो गई। आप प्रतिशत बढ़ाने-घटाने की बात करते हैं। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी बाजार में जाकर देखें? उन्हें पता चल जायेगा कि मुद्रास्फीति की क्या वास्तविक स्थिति है। जिस चीज के दाम एक बार बढ़ जाते हैं तो वे कभी घटते नहीं हैं। महंगाई की मार से परेशान जनता को देखें। जो रोज कमाने वाला है, उनसे महंगाई के बारे में जाकर पूछिए। उनके घर की थालियों में रोटियों की संख्या कम हो गई है। उसे दाल खाये महीनों गुजर जाते हैं। वे कभी-कभी थोड़ा बहुत स्वाद बदलने के लिए दाल खा लेते हैं उनके बच्चों को खाने के लिए सब्जी व पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। यही आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अगर यही आर्थिक सुधार है तो क्या देश ऐसे में तरक्की करेगा? मुद्रास्फीति की दर कम नहीं हो रही है। आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने यहां बुला रहे हैं। आप कहते हैं कि हम बेरोजगार को रोजगार देंगे। यहां कंप्यूटर आ रहा है। मल्टी नैशनल हमारे यहां उत्पादन कर हमारी मदद नहीं करना चाहते हैं बल्कि उनको व्यापार के लिए बाजार चाहिए। लेकिन हमें तो देश के बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहिए।

आप कहते हैं कि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। परंतु रोजगार की क्या व्यवस्था है? आप सिक इंडस्ट्रीज से काम पर लगे लोगों को निकाल रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां लघु उद्योगों, हस्त कलाओं और परम्परागत शिल्प कलाओं को नष्ट कर रही है। एक तरफ आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो रोजगार में है, उनको निकाल रहे हैं। कैसे इस देश का काम चलेगा? आप विदेशी ताकतों के इशारे पर और वर्ल्ड बैंक के इशारे पर कितना चलना चाहते हैं? आपके सामने सबसे पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपके देश के नौजवानों का मनोबल न गिरे और देश के नौजवानों का मनोबल तब नहीं गिरेगा, जब आप उनको रोजगार देंगे और उनके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और जब तक आप उनकी प्रतिभा का सही मायने में उपयोग करके देश की सेवा में उनके योगदान को भागीदार नहीं बनायेंगे, तब तक युवा शक्ति को मजबूत नहीं बना पायेंगे।

कल मणिशंकर अय्यर जी ने अपने भाषण में स्वावलम्बन और आत्म-निरभर्ता की बहुत बातें कहीं। मैं पूछती हूं, कहां की आत्म-निरभर्ता और कहां का स्वावलम्बन? गांधी जी का आप लोग नाम लेते हैं और गांधी जी का सपना साकार करने की बात करते हैं, डॉ. अम्बेडकर जी के सपने को साकार करने की बात कहते हैं, लेकिन कहां और किस प्रकार यह सपना साकार हो रहा है, इस बात को हम जैसे मोटी बुद्धि वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कौन सा ऐसा आप रोजगार ला रहे हैं, कौन सी आप जॉब-औरिएन्टेड शिक्षा दे रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा।

आपने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही है और कहा कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना में एक लाख या जितना भी पैसा होगा, स्वरोजगार के लिए दिया जायेगा। क्या इस योजना के तहत किसी नौजवान को रोजगार मिल रहा है? इसके साथ उसका माल अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले कौन खरीदेगा? हमारे देश का नौजवान रोजगार के लिए कोई साबुन बनाता था, कोई क्रीम बनाता था; कुम्हार मिट्टी की चीजें बनाता था, नट मूर्तियां बनाता था, डलिया बिनी जाती थीं, सुतली से काम किया जाता था, इन हस्तकलाओं को सम्मान के साथ लोग खरीदते थे, लेकिन जब से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ जायेंगी, तो इनका माल कौन खरीदेगा। इन्हें बाजार कहां से मिलेगा और ये अपनी रोजी-रोटी कैसे चलायेंगे? आप कहते हैं कि बैंकों के द्वारा सहायता देना शुरू कर दिया है और प्रधान मंत्री रोजगार योजना में ऋण की व्यवस्था की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अविवाहित लड़कियों को बैंक से लोन नहीं मिलता है। बैंक वाले कहते हैं कि हम अविवाहित लड़कियों को ऋण नहीं देंगे। आप समानता की बात कहते हैं, लेकिन अविवाहित लड़कियों को बैंक से लोन नहीं दिया जाता है। वे अविवाहित लड़कियां जिनकी दहेज के कारण या अन्य किसी कारण या विकलांगता के कारण शादी नहीं हो पा रही है, उनको बैंकों के द्वारा लोन नहीं दिया जा रहा है। आप इस योजना के संबंध में लाल-किले से घोषणा करते हैं और वाह-वाही लूटते हैं, लेकिन मैं पूछती हूं कि इसका व्यावहारिक रूप क्या है और इसको आप देखने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। जब तक उसका व्यावहारिक रूप सही नहीं होगा, आप लाख विभिन्न योजनाओं की घोषणा करते चले जायें, किसी को कोई लाभ नहीं हो सकता है। आप जानते हैं, आज बैंको से लोन लेना कितना कठिन काम है और हमारे देश के गरीब आशिक्षित किसानों को पता ही नहीं चलता है कि उनके नाम से लोन ले लिया गया है। उनके नाम पर लोन लिया जाता है और दूसरे लोग खा जाते हैं, बैंक के कर्मचारी बीच में हड़प कर जाते हैं।

किसान को तो तब पता चलता है, जब उसके घर कुर्की आ जाती है। इसलिए मैंने कहा, जब तक आप इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप जो भी योजनायें चला रहे हैं, यदि उनका क्रियान्वयन सही नहीं हो जाता तो वे सब फाइलों में ही दबी रह जायेंगी और अखबारों में ही दिखेंगी। लेकिन जिसके नाम पर योजना चल रही है, उसको मिलने वाला लाभ कहीं पर भी नजर नहीं आयेगा।

भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया गया है। हर जगह भ्रष्टाचार विद्यमान है, विनम्र हो कर चले जाइए, उसकी जेब में या मेज के नीचे कुछ माल पानी रख दीजिए और आपका काम आराम से हो जायेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप चाहे कितने ही काबिल क्यों न हो, कितने ही जरूरतमंद हो, आपका काम नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब तक आप मूलभूत बुराइयों को दूर नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे इन योजनाओं को लेकर कितनी ही अपनी पीठ थपथ्यायें, लेकिन उससे गरीबों के आंसू नहीं पोंछ सकते हैं। गरीबों के आंसू पोंछने के लिए आपको खेत-खलिहानों में जाना होगा और गांव की ओर जाना होगा तथा गांव की वास्तविकता को समझना होगा। गांव के लोगों के बीच में जाकर उनके हमदर्द बन कर उनकी कठिनाइयों को दूर करना होगा।

तमाम सार्वजनिक उपक्रम रुग्ण घोषित हो गये हैं, बीमार घोषित हो गए हैं और उनको बी.आई.एफ.आर. को रैफर कर दिया गया। बी.आई.एफ.आर. की कोई ऑपरेटिंग एजेंसी है, वह रिपोर्ट देती है कि बीमार उद्योग का रिवाइवल हो सकता है। बीमार उद्योग अपना पुनरुद्धार पैकेज भी जमा कर देते हैं। मगर उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है। हमारे इलाहाबाद में एक 'भारत पम्प्स एंड कम्प्रैशर, तथा 'त्रिवेणी स्ट्रकचरल लि.' अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है। इसका जो भी उत्पादन विदेशों में गया, उसकी बहुत सराहना की गई और यही वजह है कि दो साल से सिक होने के बावजूद भी उनको दो-दो करोड़ रुपये के आर्डर बाहर से मिल रहे हैं। उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। इस बारे में अगर उद्योग मंत्री से बात करते हैं, तो वे कहते हैं कि क्या करें मनमोहन सिंह ही नहीं मानते हैं। मनमोहन सिंह जी से बात करो तो कहते हैं कि मैं तो 14 दिन के अंदर फाइल वापस कर देता हूं, मैं तो कोई फाइल ही नहीं रखता हूं। कॉमर्स मिनिस्टर से बात करो तो कहतें हैं कि इंडस्ट्री मिनिस्टर के पास जाओ। अजीब जाल बना रखा है, यहां काई सुनने वाला नहीं है। हम लोग तीनों मंत्रालयों के बीच में ऐसे ही घूमते रहते हैं और पता लगा कि हमारी कंपनियां हाथ से निकलती जा रही है। वालंटरी रिटायरमेंट की योजना लागू होती जा रही है वर्करों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है। जब आपके देश के बीमार उद्योगों ने विदेशों से आर्डर प्राप्त कर रखा है उसके बावजूद भी अगर आप उसको वर्किंग केपिटल नहीं देते तो उसे बंद हो जाना ही पड़ेगा। आप अपना सिस्टम तो ठीक करिए। बीमार उद्योग के पास आर्डर है, परंतु उसके पास विर्किंग केपिटल नहीं हैं तो आप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपका जो एक दोषपूर्ण सिस्टम बना हुआ है उससे आप हट नहीं सकते हैं तो वे जो बीमार कंपनियां विदेशों से दो करोड़ का आर्डर लेकर बैठी हुई हैं और वह आपकी मदद के इंतजार में हैं। जब तब तक उसका रिवाइवल पैकेज लागू करेंगे तब तक तो वह वैसे ही खत्म हो जाएगी क्योंकि धनाभाव में उत्पादन नहीं कर पायेंगी इसलिए आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं आप तो उसके ताबूत पर चार कील और ठोकने का काम कर रहे हैं। वह बीमार इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। परंतु आप अपने उपेक्षापूर्ण रवैये से उसे बार-बार गिराने की कोशिश कर रहे हैं।

सभापति महोदया,मैंने देखा है कि बीमार उद्योगों की यूनियन के प्रबंधक, वर्कर्स सारे लोग एकजुट होकर कंपनी को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसे तो अपने घिसे-पिटे सिस्टम से ही काम करना है। जब ये कम्पनियां बंद हो जायेंगी तो बेरोजगारों का एक तांता लगा जायेगा। इलाहाबाद तो एक नमूने के तौर पर बसाया है बाकी पूरे देश में भी इसी प्रकार की बात चल रही है। चाहे स्वदेशी कॉटन मिल हो, चाहे कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग हो, सब जगह यही हाल चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि कुछ व्यांवहारिकता की ओर आईए, केवल हवाई बातों से काम नहीं चलने

वाला है क्योंकि आपके पैरों के नीचे से इतनी धरती निकल चुकी है और आप जिस बालू के ढेर पर खड़े हैं वह कभी भी धंस सकता है। इससे पहले कि वह बालू का ढेर आपके पैरों के नीचे से निकल जाए आप जनता की समस्याओं को समझ लीजिए और इस देश को आर्थिक गुलामी से बचाने के लिए हर उपाय अपना लीजिए, नहीं तो जिस तरह से आप दक्षिण भारत से और हर जगह से नकार दिए गए हैं तो वह दिन भी दूर नहीं है कि जब आपको पूरे देश की जनता भी पूरे तौर पर नकार देगी। केवल इसी संसद भवन के अंदर आप सरकार के रूप में हैं, आपको इस संसद भवन के बाहर हर तरफ से जनता ने नकार दिया है। उसके बावजूद आप सोचने की कोशिश नहीं करते हैं और खुले आम विगत चुनाओं में आपने अपनी आर्थिक नीतियों पर भी मत मांगा था और जनता ने नकार दिया, फिर भी आप सोचने को तैयार नहीं हैं।

आप मंहगाई की मार देख लें, दिन दूने दाम बढ़ते चले जा रहे हैं तो किस तरफ से आप जनता को रिलीफ देना चाहते हैं। आप किसानों की बात करते हैं। हमारे कृषि मंत्री जी बड़े जोर-शोर से कह रहे थे किसानों की फसल की उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु वास्तविकता ये है कि किसान बेचारा कि खाद के लिए परेशान है, उसको खाद सही दाम पर नहीं मिलती। बाढ़ आ जाती है तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है और केन्द्र सरकार कहती है कि हमने तो प्रदेश सरकार को मदद भेज दी है। प्रदेश सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है और किसान की सारी सुनहरी फसल कभी ओले, कभी बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती है। मगर कोई उसका पुरसाहाल नहीं होता है। मगर दावा किया जाता है कि हम किसान के मददगार हैं, क्यों नहीं कृषि नीति लाई जाती? अगर कृषि नीति टेबल पर पड़ी है तो उस पर विचार क्यों नहीं किया जाता। क्यों नहीं किसानों के बारे में सोचने की कोशिश की जाती? सभी परेशान हैं। किसानों को अगर कोई लोन मिलता है तो वह भी समय पर नहीं मिलता है। अगर बीज उसको फसल के समय चाहिए तो वह उसको चार महीने के बाद मिलेगी। ये सारी व्यवस्थायें आपके द्वारा चलाई जा रही हैं।

सभापति महोदया, इस देश में सबसे महत्वपूर्ण बात जनसंख्या पर नियंत्रण की है, उसकी कहीं पर चर्चा नहीं है। हमारा सारा विकास जनसंख्या की अधिकता के कारण ठप्प हो जाता है। भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ा कारण है मगर वह जनसंख्या की समस्या सबके ऊपर है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कोई बात ही नहीं की गई। आज हम सवेरे प्रश्नोत्तर काल में देख रहे थे, जब जनसंख्या के संबंध में प्रश्न का उत्तर चल रहा था तो हमारे सरकारी पक्ष के लोग ठहाके लगा रहे थे। मैंने खुद देखा। इतने गंभीर मसले पर जब सरकार गंभीर नही है तो उस बारे में न लिखने की कोई बात ही नहीं है। कभी कोई बात आएगी तो महिलाओं के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी जायेगी। जनसंख्या नियंत्रण के सारे एक्सपेरीमेंट उनके ऊपर किये जायेंगे, जैसे वे ही जनसंख्या नियंत्रण की ठेकेदार हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर कोई चर्चा नहीं की गई। सन् 2000 तक हम करोड़ों की सीमा को पार कर जाएंगे तब हम देखेंगे कि आप कहां से इस पर नियंत्रण कर लेंगे। समस्याओं को टालने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इस बारे में सरकार को अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए।

स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है कि सबको स्वास्थ्य की सुविधा दी जायेगी लेकिन आप देखें कि गांवों के अस्पताल में या तो डाक्टर नहीं है यदि डाक्टर है तो दवा नहीं है। जिन गांवों में लिंक रोड नहीं है वहां मरीज दवा के अभाव में दम तोड़ देता है। आपके डाक्टर्स भी गांवो में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। केवल कागजों पर बना हुआ लुभावना कार्यक्रम है कि जगह-जगह पर डाक्टर्स हैं, अस्पताल है और सुविधाएं हैं। सारी सुविधाएं समाज के मजबूत वर्ग के लिए आपने बना दी है लेकिन जो देश के असली नागरिक हैं, किसान हैं उनके बारे में आपने सोचा नहीं है। इसी की वजह से सारी बुराइयां हैं। आप कहते हैं कि मलेरिया उन्मूलन हो गया लेकिन मलेरिया भयंकर रूप से देश में फैला हुआ है।

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : गुजरात में फैला हुआ है।

श्रीमती सरोज दुबे : वह भी हमारे देश का एक हिस्सा है और आपकी यही भावना है जिसके कारण कश्मीर की समस्या पर कोई विचार नहीं किया जा सका है। सरकार तो प्रजातंत्र में किसी की भी बन सकती है। आप जैसे जिम्मेदार सस्दय को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। गांवों में पौष्टिक आहार के नाम पर कार्यक्रम चल रहे हैं।

बाल-विकास कार्यक्रम चलता है वह बहुत अच्छी योजना है, आंगनवाड़ी बहुत अच्छी योजना है। परंतु अधूरी सी योजना है बच्चों को पौष्टिक आहार के नाम पर दलिया देंगे लेकिन उसे पकाने के लिए ईंधन नहीं देंगे। नतीजतन अब वह दलिया सेंटर में सड़ता रहता है। एक कोई अमरीकन पंजीरी आती है बच्चों को वह खिलाने के लिए है। मगर उसके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है।

लेकिन बच्चे उस पंजीरी को खाते नहीं है। वह पंजीरी या तो भैंस का चारा बन जाती है या बाजार में बेच दी जाती है। व्यापारी उसका रसगुल्ला बना कर पैसा कमाता है। अगर हम राष्ट्र के नौनिहालों के बचपन के बारे में नहीं साचेंगे तो वह बड़े होकर कैसे काम करेंगे? कैसे देश के स्वस्थ नागरिक बनेंगे।

इस कार्यक्रम के तहत गांव में पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, टिटनैस के टीके दिये जाते हैं। आपको मालूम है कि इनको रखने के लिए एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन उनके रखरखाव के लिए कोई फ्रिज वगैरहं नहीं दिया जाता है। इसलिए वे टीके खराब हो जाते हैं और जब खराब टीके लगा दिये जाते हैं तो उनका असर उल्टा हो जाता है और बहुत से बच्चे जान से हाथ धो बैठते हैं।

'सब के लिए शिक्षा' का नारा जोरों से बुलंद किया जाता है। लेकिन प्रत्येक गांव में आप एक स्कूल तो दिखा दीजिए। मेरा आपसे कहना है कि आप व्यावहारिकता की ओर अपने विकास की धनराशि को गावों की ओर मोड़ दें ताकि देश के असली निवासी उसका लाभ उठा सके।

महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं अगर वे मैं इस सदन को सुनाने लगूं तो यह सदन आंसूओं में डूब जायेगा।

जब किसी महिला का उत्पीड़न होता है तो सरकार पचास हजार रुपये देकर उसकी इज्जत की कीमत चुका देती है। आज हमारी गरीब मजूदर श्रमिक बहनें अपने दुधमुंहे बच्चे को खटोले से या पेड़ से बांध देती हैं और फिर मजदूरी करने जाती है। गर्भावस्था में भी वे काम करती है। काम करते-करते सड़क के किनारे पर गिट्टयों पर वे बच्चे को जन्म देती हैं और दो-तीन घंटे के बाद पुनः काम पर चली जाती है। और बोझा ढोने लगती है क्योंकि अगर काम पर न जायें तो उनका बच्चा और परिवार भूख से बिलबिलाता रह जायेगा और आप बड़ी-बड़ी बातें करतें हैं कि हमने महिलाओं की सुविधाओं के लिए यह काम किया, वह काम किया। उनके लिए मेटरनिटी की सुविधा उपलब्ध कराई, उनके बच्चों के कल्याण के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन ये सब कागजों की बातें हैं। आज आप देखिये बड़े घरानों को, वहां पर बाथरूम में भी कारपेट बिछे हैं, महंगी टाइल्स लगी है। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है कि उनके बाथरूम में क्यों कारपेट बिछे हैं। लेकिन इस पर एतराज है कि शहरों के स्लम और गांवों में रहने वाली बहनों के स्नान इत्यादि के लिए पर्दे की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है.और न सुलभ शौचालयों की व्यवस्था है। शहर में स्लम एरिया में रहने वाली महिलायें आज भी निवृत्त होने के लिए रात होने का इंजतार करती है। जब रात को वे सड़क के किनारे निवृत्त होने जाती है तो गाड़ियों की लाइट उन पर पड़ती है तो वे मुंह फेर कर खड़े होने को मजबूर हो जाती है। अत्याचार यहां भी समाप्त नहीं होता है।

इसके आगे भी नगरपालिका वाले उनकों पकड़ कर ले जाते हैं। शौचालय आप बनायेंगे नहीं और किसी प्रकार से यदि महिलाएं नित्य क्रिया से निवृत्त होने मैदान में जायेंगी तो नगरपालिका की गाडी उन्हें पकड़ ले जाती है। क्या यही आपका महिला विकास कार्यक्रम है।

दहेज विरोधी अधिनियम बना है, लेकिन थोड़े से पैसों के लिए आज भी लड़कियों को जला कर मारा जा रहा है। एक महिला आयोग बनाया गया, लेकिन उसको भी सरकार ने अपने उत्पीड़न का शिकार बना रखा है। क्यों नहीं उसको पूरे अधिकार दिए जाते, जिससे वह महिलाओं के बारे में सोचे। बीजिंग में महिलाओं पर विश्व कांफ्रेंस होने जा रही है। क्या हम वहां यहीं बतायेंगे कि आज हमारे भी देश में सड़क के किनारे गिट्टियों पर श्रमिक महिलाएं बच्चों को जन्म देती है और उनके लिए स्नान, शौचालय की व्यवस्था नहीं है?

गरीब महिलाओं को रोजी-रोटी नहीं मिलती है तो वे देह व्यापार करने पर मजबूर हो जाती हैं। जब जरूरत मंद महिला किसी पूंजीपति के पास नौकरी के लिए जाये तो वह उसके हाथों को काम नहीं देता बल्कि उसके शरीर का विज्ञापन में इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को ऊंची कीमत पर बेचने का काम करता है। ऐसे ही किसान दिन-रात खटता है, गरीब महिलाएं दिन-रात खटती है, कपड़ा मिलों में काम करती हैं, मकानों का निर्माण कराती है, लेकिन उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, न ही उनके पास रहने के लिए कोई मकान है। यह हालत आज हमारे देश की है जो देश गांवों में रहता है। कम से कम उस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दिये जायें। आज हमें आजाद हुए 47 साल हो गयें हैं। केवल चुनावों के समय बड़ी-बड़ी घोषणायें कर दी जाती हैं।

यह कोई नई बात नहीं है।

महिलाओं के लिए बहुत से कार्यक्रम बनाएं गये हैं। बताया गया है कि एक महिला समृद्धि योजना है। हमें एक सुंदर आंकड़ा दिया गया है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि महिला समृद्धि योजना कहां लागू हो रही है? हालांकि हम लोग भी दिन-रात गांवों में घूमते हैं, लेकिन यह योजना कहां चल रही है, यह हमें भी नहीं पता है। महिलाओं को सामूहिक रूप से लोन देने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि यह योजना किन गांवों में चल रही है। जब हमने यह जानने का प्रयास किया तो बताया कि कार्यक्रम तभी से चल रहा है लेकिन कहां चल रहा है, यह पता नहीं है।

सरकार ने आरक्षण दिया, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अच्छी घोषणा की। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि अल्पसंख्यक आयोग के लिए कोई भी बजट पूरे तौर पर स्वीकृत नहीं किया गया है। केवल घोषणा कर दी गई। ऐसे ही हमारे बुनकर हैं, उनकी स्थिति में आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है। वे भुखमरी के कंगार पर खड़े हैं। सरकार को इतनी फुर्सत नहीं कि वह उनकी हालत को देखें। हमारे यहां पर बाल श्रमिकों का शोषण हो रहा है। यहां पर 6-7 साल का बच्चा कालीन उद्योग में काम कर रहा है या किसी दूसरे उद्योग में काम कर रहा है यदि उसको बाल श्रमिक होने के कारण निकाल देंगे तो उसका परिवार भूखा मर जायेगा। ये इस देश की विडम्बना है।

सभापति महोदया, यह देश का दुर्भाग्य है कि एक 6 साल का बच्चा घर का खर्चा चलाता है। मैंने एक जगह जाकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा काम कर रहा था तब मैंने उस लड़के से पूछा कि इन पैसों का क्या करोगे? उसने कहा कि उसका बाप बीमार है, मां मजदूरी करने के लिए बाहर गयी है। मगर उसको काम नहीं मिलता है। इन पैसों से बाप के लिए दवा लाऊंगा और परिवार का खर्च चलाऊंगा। तो यह हमारे देश के बचपन की तस्वीर है। क्या पता सरकार का दिल इससे पसीजता है या नहीं? मेरा तो पसीजता है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि इस देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई दूर होगी या नहीं? महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी होगी या नहीं? इनको पुंरुषों के समान अधिकार प्राप्त होगा या नहीं।

सभापति महोदया, राष्ट्रपति के अभिभाषण के अत्यंत मोहक दस्तावेज होने के बाद भी मैं इस अभिभाषण का समर्थन नहीं कर पा रही हूं। इस अभिभाषण में कई भ्रामक और निराधार बयान दिये गये हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस प्रकार के भ्रामक बयान देने से सरकार की छवि सुन्दर बनने वाली नहीं है। आप एक बार तो आत्ममंथन करें और यह समझने की कोशिश करें तथा देखें कि कहां आपने गलतियां की हैं, आप कितने जुल्म कर रहे हैं? जो आदमी गरीबी में पल रहा है, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। दलित और गरीब को उपेक्षित किया जा रहा है। यदि आप समय रहते नहीं सम्भले तो गरीबों का आंसू तेजाब बनकर आपके सिंहासन को जला देगा। और इस देश की जनता बार-बार आपसे हिसाब मांगेगी क्योंकि आप देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। बड़ी कुर्बानियों के बाद यह देश आजाद हुआ है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आज देश की जनता आपको नकार रही है और आप खरीद-फरोख्त करके अपनी सरकार को बचा रहे हैं। आप इस प्रकार से ज्यादा दिन तक देश की जनता पर शासन नहीं कर सकते हैं। अतः यह भ्रामक सुधार की बात छोड़कर देश की जनता के बारे में सोचिए। आप मुद्रास्फीति, विश्व बैंक, आई. एम.एफ. के चंगुल से निकलकर देश के बोर में सोचिए, तभी यह देश प्रगति की ओर जायेगा। तभी देश के किसानों, महिलाओं और नौजवानों के चहेरे पर मुस्कराहट आ पायेगी। देश में जो अशांति, आंतक फैला हुआ है, राजनीति से ऊपर उठकर उसके बारे में विचार करें तभी यह देश उठ पायेगा। मैं बी.जे.पी. के माननीय सदस्यों से एक बात कहना चाहूंगी कि धर्म के आधार पर इस देश को बांटने की कोशिश न करें वह देशहित में नहीं है। मंदिर और मस्जिद का मामला इन्सान से ऊपर नहीं है। आपने जो बारूद लगा रखा है, वह देश हित में नहीं है। **[व्यवधान]...**

श्री मणि शंकर अय्यर: यह गलत बात है, एक सदस्य बोल रही है और आप उसे रोक रहे हैं। आप उनको बोलने दीजिए।

श्रीमती सरोज दुबे : सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह देश ही सबसे बड़ा मंदिर है और भारत माता के सभी पुजारी है आप लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों के दिलों को तोड़ने की कोशिश मत करें। यहां हर आदमी अपने धर्म को मानने को स्वतंत्र है। अतः आप मंदिरों में घंटियां बजने दें मस्जिदों में आजान होने दें तभी यह देश खुशहाल होगा, मजबूत होगा। आप किसानों और गरीबों के चेहरे पर मुस्कराहट आने दीजिए तभी यह देश आगे बढ़ सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए उनके अभिभाषण पर अपना विरोध प्रकट करती हूं और अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): सभापति महोदया, मैं श्रीमती सरोज दुबे को उनके भाषण के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और महिलाओं की दशा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलू प्रस्तुत किये है। मेरे मतानुसार हम मूल रूप से नारी स्वातंत्र्य-विरोधी समाज में रह रहे हैं।

सभापाति महोदय : धन्यवाद, महोदय।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मुख्य रूप से वित्त मंत्री की नई आर्थिक नीति के कारण नहीं है। यह एक सामाजिक समस्या है जो श्री मनमोहन सिंह के आगमन से बहुत पहले से विद्यमान है और लम्बे अर्से तक रहेगी। फिर भी मुझे उम्मीद है, यद्यपि हो सकता है मैं इसे देखने के लिए जीवित

न रहूं, कि नई पंचायती राज प्रणाली के अन्तर्गत— जब यह प्रणाली वास्तव में पूरी तरह अपनी जड़ें जमा लेंगी और सभी जगह काम करने लगेंगी,— जो प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को पंचायत के एक तिहाई पद और सीटें दी जायेंगी उसका मैं बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वह प्रावधान हमारे समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लायेगा। लेकिन आज देश में गरीब महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। यदि वे पंचायतों में बड़ी संख्या में आ जाती है, जिसका कि पुरुष विरोध करेंगे, तो वे अपना अधिकार जमा सकेंगी। मुझे याद है अपने कई भाषणों में चौधरी चरण सिंह ने — मैं उनके सिद्धांतों से पूर्णत: सहमत नहीं हूं एक बात बार-बार दोहराई कि 'आप बड़ी-बड़ी परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं' परंतु क्या आप यह नहीं कर सकते कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक स्थान ऐसा अलग बना दें। जहां थोड़ा पर्दा हो और जहां महिलाएं जाकर यह शौचादि से निवृत्ति हो सकें और उन्हें सड़क के किनारे न बैठना पड़े जहां पर भी उन्हें अंधेरा होने तक इंतजार करना पड़ता है। यह सबसे अधिक अपमानजनक और शर्मनाक बात है। इतने वर्षों के बाद भी वह व्यवस्था नहीं कर सके।

महोदय, राष्ट्रपति जी का यह अभिभाषण 13 फरवरी को हुआ था। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत आदर करता हूं। आज 26 अप्रैल है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव मेरे मित्र श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा पेश किया गया है। अभिभाषण में जो लिखा है उससे राष्ट्रपति को कुछ लेना-देना नहीं है। प्रति वर्ष यह उन उपलब्धियों का लेखा-जोखा होता है जिन पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। परंतु हर वर्ष 13 फरवरी तक जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, विधान सभा चुनावों के सभी परिणाम नहीं आये वे थोड़ा बाद में आये। यदि अभिभाषण बाद में होता, तो इसमें इस बात का उल्लेख करना पड़ जाता कि इन चुनावों में जो सबसे बड़ा एकमात्र पहलू उजागर हुआ है वह यह है कि एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में कांग्रेस की हार हुई। अब वह देश के 11 राज्यों में सत्ता में नहीं है। परंतु यह मुख्य बात नहीं है। बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसे दो या तीन पहलू कौन से हैं जिनके कारण लोगों ने इतनी भारी संख्या में कांग्रेस दल के खिलाफ मत दिये। ऐसा उन नई आर्थिक नीति की जटिलताओं के कारण हुआ जो इस देश के अधिकांश लोगों की समझ से बाहर है, जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है और जिनका उनके लिये बहुत महत्व नहीं है। उनके लिए महत्व इसी बात का है कि मुद्रास्फीति का प्रश्न न केवल गरीब लोगों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है। बल्कि यहां तक कि आम मध्यम वर्ग के लिए भी अब जीवनयापन करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी हम यह कहा करते थे कि गरीब भले ही अन्य चीजों से वंचित हो जायें परंतु उन्हें दाल-रोटी अवश्य मिलती रहेगी। जिस भाग से मैं आता हूं वहां हम कहते हैं कि दाल-भात, दाल-रोटी हमेशा मिलती रहेगी। यह तो हमेशा उपलब्ध रहती थी। परंतु अब साधारण दाल भी 26,28 और 30 रुपये प्रति किलो मिल रही है। गरीब आदमी कैसे जिन्दा रहे? साधारण मध्यम वर्ग के लोग कैसे जिन्दा रहें? और मैं खाद्याय तेल,चीनी का और अन्य आवश्यक वस्तुओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दिये जाने वाले गेंहू और चावल का मूल्य लगभग खुले बाजार के मूल्यों के बराबर हो गया है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बेचा जाने वाला माल घटिया किस्म का है और खुले बाजार में मिलने वाले माल से कम कीमत का नहीं है। लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आटा नहीं खरीदते। प्रति व्यक्ति खपत कम हो रही है। भारतीय खाद्यय निगम के पास काफी स्टाक जमा हो गया है। उसके पास लगभग 30 मिलियन टन खाद्यान्न बिना बेचे जमा पड़ा है और गरीब आदमी राशन की दुकानों से खरीदने का समर्थन नहीं रखता। क्या यह खाद्यान्न सुरक्षा का गम्भीर संकट नहीं है? अत: मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार वह भी बड़े पैमाने पर होने के कारण कांग्रेस पार्टी की स्थिति टूटने जैसी हो गई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में इसे लेकर लड़ाई हो रही है। यदि कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य यह कहता है कि पार्टी में चुनावों के कारणों पर चर्चा होनी चाहिए। तो हम पर भौंहे क्यों तानी जाती हैं। उसका उत्पीड़न क्यों किया जाता है। यह तथाकथित अभिभाषण वास्तविकता से कितना दूर है। उस पर इतने विस्तार से चर्चा नहीं की जानी चाहिए जितना कि कुछ सदस्य कर रहे हैं। कम से कम मैं तो नहीं करूंगा।

4.00 म.प.

अफसोस है परंतु बुरा मत मानिये अगर मैं कहूं कि संसद के स्तर में काफी गिरावट आई है। इसके बारे में मैंने अन्यत्र भी कहा है। मैं यहां बहुत समय से हूं। मैं ससंदीय सिद्धांतों और स्तरों में स्पष्ट गिरावट देख सकता हूं। इन खाली बेंचों की कतारों को देखिये। हम चार बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। इस समय सबसे अधिक उपस्थिति होनी चाहिए और सभा का यह हाल है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : इस समय अनुपस्थिति रहने तथा प्रस्ताव पर मतदान के समय उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसकी तुलना में सेन्ट्रल हाल की हालत देखिये और जब बजट पर चर्चा होती है या किसी महत्वपूर्ण नीति पर चर्चा होती है। तब भी यही हाल होता है। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है और यह हाल दूरदर्शन पर भी बाहर लोगों को दिखाया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (दार्जिलिंग): मेरे विचार में आज इसका सीधा प्रसारण नही हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं, नहीं हो रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आशा करता हूं यह नहीं दिखाया जा रहा होगा? इस संस्थान की विश्वसनीयता का क्या होगा? अध्यक्ष महोदय ने सोचा तो ठीक था कि यहां जो होता है उसे लोगों को घर बैठे टेलीविजन पर दिखाने से उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वे सोचेंगे कि यह एक महान संस्था है। परंतु टेलीविजन पर यहां के कुछ दृश्यों को देखकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जायेंगे।

यह एक दु:खदायी गिरावट है। मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि हमारे इस महान देश में जहां भिन्न-भिन्न क्षेत्र हैं, भाषायें हैं, संस्कृतियां हैं, जातियां हैं, धर्म आदि हैं, यह संसदीय संस्था सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है जो सभी क्षेत्रों के लोगों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे आकर बोल सकते हैं, भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। परंतु यदि इस संस्था की विश्वसनीयता समाप्त हो जायेगी तो यह हमारा सामूहिक आत्मदाह होगा और इसके लिए हम किसी अन्य को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे। अब सभी को चिंता है कि अगले वर्ष क्या होगा सभी इसकी चर्चा कर रहे हैं।

आप केन्द्र को राज्य की तरह नहीं चला सकते। राज्य में आप विभिन्न दलों की मिली जुली सरकार बना सकते हैं या किसी प्रादेशिक दल को सत्ता में ला सकते हैं और फिर उसकी जगह कोई और दल ला सकते हैं। वहां बार-बार राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। परंतु यहां ऐसा नहीं हो सकता। केन्द्र में सदैव एक सरकार बनी रहनी चाहिए। यह देश का संविधान है। यहां आप राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते और यदि केन्द्र में आप मिली जुली सरकार की बात सोचेंगे तो लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे और कहेंगे कि मिली जुली सरकारें ठीक नहीं होती, वे चलती नहीं, स्थिर नहीं होती और जल्द ही गिर जाती है।

इसलिए यदि आप इस संस्था को बचाना चाहते हैं और सामूहिक आत्मदाह से बचना चाहते हैं जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना होगा और चर्चा करनी होगी।

अभी मैं नहीं कह सकता कि एक वर्ष बाद क्या होगा। कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। परंतु हमें कुछ आधारभूत सिद्धांतों और मूल्यों पर एक साथ खड़ा रहना पड़ेगा जिसके बिना इस देश का अस्तित्व ही नहीं रहेगा परंतु अब इन सिद्धांतों की आलोचना की जा रही है। उनका अभिभाषण में सरसरी तौर पर जिक्र किया गया है। मैं केवल साम्प्रदायिकता दंगों, या बाबरी मस्जिद या किसी और स्थान के गिराये जाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस दर्शन या सिद्धांत की बात कर रहा हूं जिसने हमारी संस्कृति, राष्ट्रीय एकता और हमारे बहुबाड़ी समाज जो हमारी विरासत है और इतिहास है, चुनौती दी है। हमारा राष्ट्र इस विरासत संस्कृति को और बहुबाड़ी समाज के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता हमें इसका मुकावला करना होगा। अपने आधारभूत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखने वाले लोग ही इन शक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं।

मैं एक मुद्दे के बारे में मुख्य रूप से कहना चाहूंगा। मैं आर्थिक नीतियों में नहीं जाना चाहता। जब नई आर्थिक नीति शुरू की गई तो बड़ी चर्चा हुई और कहा गया कि यदि विदेशी पूंजी को आने की इजाजत दी जाती है, तो हमें कम से कम यह तो सोच लेना चाहिए कि उन विदेशी कंपनियों की क्या स्थिति होगी और वे कहां-कहां अधिक इक्विटी भागीदारी रखेंगी। अब ये सभी चीजें वास्तविक नहीं रही हैं। आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि कल वित्त मंत्री ने कहीं यह घोषणा की है कि यदि अमरीकी कंपनियां शत-प्रतिशत इक्विटी चाहती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने शत-प्रतिशत इक्विटी की बात कही है, 51 प्रतिशत की नहीं। यह सभी अखबारों में छपा है। यह बात उन्होंने उस समय कही जब वह भारत आये एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ बातचीत कर रहे थे। अत: इस में बहस की कोई गुंजाईश नहीं है।

यदि हम अपनी पूरी कंपनियों को और पूरे उद्योग को बेचना चाहते हैं, तो हमें भी अपनी दुकान बंद करके घर जाना पड़ेगा। हमारा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। हमारे मित्र कहते हैं कि वे नरसिंह राव की इस आर्थिक नीति का समर्थन करते हैं। कभी वे स्वदेशी की बात करते हैं, कभी उदारीकरण की, कभी गैर सरकारीकरण की और कभी इस आर्थिक नीति के इन सभी मूलभूत सिद्धांतों की। वे सरकारी उपक्रमों के अपने शेयरों को बेचकर धन एकत्र करने के विचार की बात करते हैं। इस प्रकार सरकारी पूंजीनिवेश से करोड़ों रुपये निकाले जा रहे हैं। यह भी एक तरह का गैर-सरकारीकरण है। सरकारी उपक्रमों से मिलने वाली यह धनराशि कहां जा रही है? यदि इसका उपयोग उद्योगों के कार्यकरण उत्पादन आदि में सुधार करने के लिए किया जाता है, तो कुछ बात समझ में आती, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। इसका उपयोग मनमोहन सिंह के बजट के घाटे को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

मैंने 1991, 1992, 1993 और 1994 में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषणों को पढ़ा। मैं यह देखना चाहता था कि इन वर्षों में कश्मीर की समस्या के बारे में हर बार क्या कहा गया है। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि सरकार कश्मीर की समस्या के बारे में गम्भीर नहीं है। दूसरी ओर हम महसूस करते हैं कि यह सबसे अधिक गम्भीर समस्या है। यह भारत के शरीर पर एक नासूर की तरह है। मैं नहीं जानता कि अभी कितना रक्तपात और होगा। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। वे विदेशी नहीं हैं। कश्मीर के लोग हमारे अपने भाई और बहन हैं। वे हमारी सुरक्षा सेनाओं के जवान हैं। इसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। यह सच है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है, उन्हे हथियार दे रहा है। और प्रशिक्षण भी दे रहा है। इस बात को वे अभिभाषणों में अवश्य स्थान देते हैं। परंतु हम इनसे अपने देश में और अपने ही लोगों के साथ कैसे निबट रहे हैं? हमारी सशस्त्र सेनाओं का सिवलियन लोगों के साथ टकराव हो रहा है। यह हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए अच्छा नहीं है। यह उनका काम नहीं है। उनका काम तो हमारी सीमाओं की रक्षा करना है। परंतु हर बार उन्हें कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, घर-घर तलाशियां लेने के कामों पर लगा दिया जाता है। और इस प्रकार सिविलियन लोगों का टकराव हो जाता है। यह हमारे सुरक्षा बलों के अनुशासन के लिए सबसे अधिक खराब बात है। बहुत सी बातें हो रही है। जिनकी सुचना समूचे विश्व को दी जाती है। जो कि यह हमारे पक्ष में नहीं है। मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सभी अंतर्राष्ट्रीय निकाय और संगठन हमारे खुन के प्यासे हो रहे हैं। वे कहते हैं कि हमारे लोग वहां लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें गोली से उड़ा रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं आदि।

वहां बहुत धन खर्च किया जा रहा है, महोदया, एमनेस्टी इन्टरनेशल से आपको भी पुस्तकें मिल रही होंगी जिनमें सभी तरह की रिपोर्टें हैं और उनमें तारीखें तथा धार्मिक लोगों के नाम भी दिये गये हैं। यदि आप उन सब पुस्तकों को पढ़ेंगी तो दंग रह जायेंगी।

हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं को जितना जल्दी हो सके वापस बुलाकर उनके मूल कार्य पर लगाना चाहिए। सिविलियन लोगों के साथ उनका यह टकराव इतने दिन नहीं चलना चाहिए। यह उनका काम नहीं है। इस के रहते हमारे जवानों में अनुशासन नहीं रहेगा और लोगों का उत्पीड़न समाप्त नहीं हो सकेगा।

अब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे बताया गया है कि जुलाई में राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त हो रही है। इसकी सही तारीख हमें विधि मंत्री बता सकते हैं। मेरे विचार में यह 17 जुलाई है। तब संसद का सत्र नहीं होगा। उस समय आपको निर्णय करना होगा कि आप राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ायेंगे या नहीं। इसके लिए इस बार सभा में एक प्रस्ताव लाना काफी नहीं होगा। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अन्यथा आप राष्ट्रपति शासन की अवधि और नहीं बढ़ा सकते। और या आप कोई ऐसा काम करें जिसकी और सरकार हर रोज इशारा कर रही है। इस बार तो हम चुनाव ही करायेंगे। इस वर्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण में पहली बार कहा गया है कि लोकतांत्रिक प्रकिया को पुन: स्थापित करने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों में संशोधन करने का काम किया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा भी है कि कश्मीर में चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। और कहा जा रहा है कि वहां शीघ्र ही चुनाव होंगे।

एक और महत्वपूर्ण बात यह हो रही है कि प्रधान मंत्री के आधीन एक पृथक जम्मू और कश्मीर के मामलों से संबंधित विभाग स्थापित किया गया है। इससे पहले एक या दो गृहमंत्री जम्मू और कश्मीर के मामलों को देख रहे थे। परंतु उसका लाभ नहीं हुआ। परंतु अब सारा कार्य श्री नरसिंह राव को सौंपा जा रहा है। और मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद क्या सुधार हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्य जब स्वयं प्रधान मंत्री संभाल रहे हैं, तो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी और दी भी जानी चाहिए।

मुझे राष्ट्रपति शासन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम वहां 4 या 5 बार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा चुके हैं। परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। इससे उल्टा नुकसान हुआ है। और कोई सुधार नहीं हुआ है। हमें हर बार कहा जाता है कि इस बार भारी सुधार होगा। वहां के लोग नाराज हो रहे हैं और हिंसा जारी है। गणतंत्र के अवसर पर वहां के राज्यपाल को लगभग बम से उड़ा ही दिया गया था। वहां हमारी क्या सुरक्षा है? इस पर हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। इस मंच पर खड़े होकर राज्यपाल को भाषण देना था। मंच के नीचे भारी बम लगाकर उसे उड़ा दिया गया। यह क्या सुरक्षा है? जनरल कृष्णराव वहां बाल-बाल बच गये। आज के समाचारपत्र में यह खबर छपी है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों को घुसपैठियों के साथ सांठ-गांठ करने के आरोप में गिरफ्तार करने के परिणामस्वरूप कल पूरी घाटी में हड़ताल रही और वहां कामकाज बिल्कुल ढप्प हो गया। इसलिए जब आप कहते हैं कि वहां स्थिति सामान्य हो रही

है तो इस बात पर कौन विश्वास करेगा? क्या आप सरकारी कर्मचारियों की सहायता के बिना वहां चुनाव करा सकते हैं? आप मतदान अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी कहां से लायेंगे? आपके मतदान केन्द्रों पर कौन काम करेगा? आप कहते तो हैं कि हम शीघ्र चुनाव करवायेंगे। यदि इन चुनावों में अधिकांश लोग मतदान करते हैं, तो हम इन चुनावों का स्वागत करेंगे। परंतु यदि अधिकांश लोग चुनावों का बहिष्कार करते हैं तो चुनाव एक मजाक बनकर रह जायेंगे और हम सब मूर्ख लगेंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि आप जुलाई के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। मैं इसके पक्ष में नही हूं। यदि चुनाव कराना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए गम्भीरता के साथ तैयारी करनी होगी ताकि वहां मतदाताओं में विश्वास पैदा किया जा सके। क्या भारत सरकार तथा सभी प्रमुख राजनीतिक दल मिलकर कश्मीर के लोगों को सार्वजनिक रूप से यह गांरटी दे सकते हैं कि वहां चुनावों में धांधली नहीं होगी और चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। हमें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करनी चाहिए। क्या हम इस पर अमल कर सकते हैं।

दूसरे, आपको लोगों से बातचीत करनी होगी। वर्तमान राज्यपाल की मुख्य आलोचना इस बात के लिए की जा रही है कि वे लोगों से मिलते नहीं हैं और उनसे बातचीत नहीं करते। घाटी में कई नई ताकतें उभर कर सामने आई हैं। यदि आप केवल श्री फारूख अबदुल्ला के नाम की रट लगाते रहेंगे तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। वह मेरे मित्र हैं? परंतु क्या उनके अलावा घाटी में अन्य कोई शक्ति नहीं है। घाटी में बहुत सी नई शक्तियां पैदा हो गई हैं। जो जेल से बाहर आने के बाद खुलेआम कह रही है कि इस समस्या का समाधान बंदूक की नोक पर नहीं हो सकता. इसे विचार-विमर्श करके ही हल करना होगा। जब ये लोग जेल से आये, तो उनका भारी स्वागत किया गया। इतने स्वागत की उम्मीद स्वयं फारूख अब्दुल्ला भी अपने लिए नहीं कर सकते। मैं शबीर शाह और यासीन मालिक जैसे लोगों के बारे में कह रहा हूं। वे थोड़े दिन पहले दिल्ली आये थे और उन्होंने लोगों से बातचीत की थी। मैं गृहमंत्री से पूछता हूं "क्या आपने उनसे कोई बात करने का कष्ट उठाया है? कम से कम उनसे बात तो करें और पता लगायें कि वे क्या चाहते हैं और इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है।" मुझे पता चला है कि गृह मंत्री ने उसे मिलने का कष्ट नहीं किया।

यदि आप ऐसा करते रहे, तो जुलाई में आपको भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि तब तक राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त हो चुकी होगी। आप संविधान में संशोधन किये बिना इस अवधि को नहीं बढ़ा सकेंगे। संसद का सत्र नहीं होगा। आप चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। यदि वहां राज्य विधान मण्डल और यहां लोक सभा के चुनाव हो सकते हैं और लोग अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं तो मैं व्यक्तिगत रुप से इसका स्वागत करूंगा। परंतु आप यह सुनिश्चित कैसे करेंगे कि वे इन चुनावों में भाग लेंगे। चुनाव हमारे लिए बड़ा राजनीतिक खेल होगा क्योंकि पाकिस्तान और अन्य विदेशी ताकतें हमेशा से कह रही हैं कि भारत में घाटी के लोगों की राय लेने का साहस अथवा ईमानदारी नहीं है। हमें उन्हें यह बता देना चाहिए कि हम इसके लिए तैयार हैं और हम केवल सेना और बंदूक पर निर्भर नहीं करते। हमें पाकिस्तान के मुजाहिदिनों तथा अमरीका द्वारा हथियारों के विरूद्ध एक छद्म युद्ध में धकेल दिया है। यह मुजाहिदिन केवल पाकिस्तानी नहीं है बल्कि विश्व के अन्य भागों से लाये गये हैं। यदि यह सब चलता रहा तो हम बड़ी भारी मुसीबत में फंस जायेंगे। मेरे विचार में कश्मीर में चुनाव की प्रकिया आरम्भ करना राष्ट्र के हित में होगा। कश्मीर के लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। परंतु इसके लिए आपको विश्वास का वातावरण बनाना होगा। उसके बिना यदि आपने चुनाव करवाये, तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

अनुच्छेद 370 का महत्व घट गया है। यहां तो ये लोग अनुच्छेद 370 के बिल्कुल खिलाफ हैं। वे इसे समाप्त कराना चाहते हैं। हमारे विचार में अनुछेद 370 कश्मीर और भारत के बीच एक सेतु है। इसे सेतु के बिना वे कभी भारत नहीं आ सकते थे। परंतु यदि आप अब संविधान का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि इन वर्षों में अनुच्छेद 370 की स्थिति अनुच्छेद 249 लागू करने के बाद बहुत घट गई है। विधि मंत्री हमें बतायें कि क्या अनुछेद 249, जैसी कि सरकार द्वारा उसकी व्याख्या की गई है। और अनुच्छेद 370 एक साथ रह सकते हैं। क्या अनुच्छेद 370 का महत्व घट नहीं गया है? कश्मीर के लोग यही महसूस कर रहे हैं कि डॉ. फारूख अब्दुल्ला भी हर समय इसी की बात करते हैं। इसलिए हमें इसके लिए कुछ करना होगा। यह बातें बन्दूकों और गोलियों से सच नहीं होती। इसके लिए हमें गोल मेज पर आना होगा और यह फैसला करना होगा कि हम अनुच्छेद 370 के महत्व को कम होने से कैसे रोक सकते हैं।

दूसरे, जैसा मैंने कहा, सरकार और सभी प्रमुख दलों को मिलकर लोगों को यह गांरटी देनी चाहिए कि चुनावों में धांधली नहीं होगी और वे स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे।

तीसरी बात यह है कि आपको जम्मू और कश्मीर को कुछ न कुछ स्वायत्ता तो प्रदान करनी ही पड़ेगी। कितनी स्वायत्ता देनी होगी, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इसके लिए हमें चर्चा करनी होगी और सर्व सम्मत्ति से कुछ तय करना होगा। कुछ समय पहले प्रधान मंत्री ने हमें बताया कि वह सभी राजनीतिक दलों की जो राज्य के है और यहां केन्द्र में हैं, एक बैठक बुलायेंगे और इन बातों पर चर्चा करेंगे परंतु अभी तक कोई बात नहीं हुई। कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ दिया गया या वे स्वयं भाग गये। हमें ऐसे हालात पैदा करने होंगे जिनमें वे वापस अपने घरों को जा सकें। अन्यथा एक नई विचारधारा उत्पन्न हो रही है। अर्थात हिन्दू और मुस्लमान एक साथ नहीं रह सकते। यह बहुत खतरनाक विचारधारा है। सभी जानते हैं कि कश्मीर एक ऐसी मिली-जुली संस्कृति है जहां हिन्दू अथवा मुसलमान होना कोई मायने नहीं रखता। उस कश्मीरियत को नष्ट किया जा रहा है।

*** नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : वहां बौद्ध भी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निःसन्देह ,बौद्ध भी हैं। अतः लदाख, जम्मू और कश्मीर घाटी के लोग हमारे भाई बहन हैं। वे विदेशी नहीं हैं। हम उनकी हत्या जारी नहीं रख सकते। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें कश्मीर समस्या पर विचार-विमर्श या इस समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए सरकार को हमें इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। अब प्रधान मंत्री स्वयं इसके प्रभारी हैं और वे ही इस चर्चा का उत्तर देंगे। हम चाहते हैं कि वह कश्मीर के लोगों के पास कोई अच्छा संदेश भेजें। क्या वह संदेश इस आशय का होगा कि हम फिर चुनावों में गड़बडियां करायेंगे और वहां आपके सर पर सेना बिठायेंगे। इस प्रकार का कोई संदेश नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि इसका पाकिस्तान को ही लाभ होगा। हम नहीं चाहते कि ये तथाकथित मानव अधिकार संगठन भारत के विरुद्ध विश्व भर में प्रचार करें। हमें इसमें एक ठोस भूमिका निभानी होगी। किन्हीं मामलों में पहल करनी होगी। मेरे दल का यही दृष्टिकोण है। मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरा भाषण मुख्यतः इसी मुद्दे तक सीमित रहा है। और भी अन्य कई मुद्दे हैं। आपको भी मुझसे इस धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मत देने की आशा नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह अभिभाषण बहुत निराशाजनक है। इससे देश में वास्तविकता परिलीक्षत नहीं होती। इसलिए हमें इसका विरोध करना होगा परंतु राष्ट्रपति जी के लिए जिन्होंने ढाई महीनें पहलें यह अभिभाषण दिया था, हमे खेद है उनका इसमें कोई दोष नहीं है। उनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर और सम्मान है। इस समय मैं केवल इतना ही

कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति जी, मैं उन सभी माननीय सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने इस बात पर बल दिया है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो आज धरातल पर वास्तविकता, है जमीन पर जो सच्चाई है, उसकी कोई अभिव्यक्ति दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि सरकार सच्चाई का सामना करने में साहस नहीं जुटा पर रही है और लोगों को भुलभलैय्या में डालने का एक जाल बुनने की कोशिश कर रही है।

इस वर्ष के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का महत्व और भी बढ़ जाता है, इसलिए कि इस देश की आजादी के लगभग 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं। कोई भी गम्भीर राष्ट्र और किसी भी देश की कोई भी गम्भीर सरकार क्या गम्भीरता से इन बातों पर चिंतन करेगी कि इतने लम्बे समय के बीच में देश की समस्याओं का निदान क्यों नहीं हुआ? क्या वजह है कि आज दुनिया के सबसे गरीब, सबसे अधिक बेरोजगार, सबसे अधिक अशिक्षित, सबसे अधिकार बीमार इस देश में रह रहे हैं और उनकी कोई चिंता नहीं की जा रही है। सरकार एक बार चिंतन, मनन करने के बाद सोचती कि आखिर हम कहां जा रहे हैं? क्यों कश्मीर के लोगों में विद्रोह की भावना है, क्यों सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों में असंतोष की ज्वाला भड़कती जा रही है? क्या वजह है कि आज लोगों के मन में ईमानदारी से इस बात का डर पैदा हो गया है। एक राजनैतिक अस्थिरता की तरफ देश तेजी से बढ़ रहा है? क्या वजह है कि हमारे देश के लोगों के मन में गम्भीर खतरा पैदा हो गया है कि हमारे देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को गिरवी रखा जा रहा है? आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भेड़ियों के सामने मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के गरीबों को उन भेड़ियों के सामने डालने का प्रयास हो रहा है। क्या ठंडे दिमाग से दिल पर हाथ रख कर सरकार सोचने की कोशिश कर रही है? असफलता एक तरफ से नहीं है, चारों तरफ से है।

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में संकट और राष्ट्र की एकता को खतरा क्यों पैदा हो गया है? सरकारी पक्ष के नेताओं से आज एक पिटा-पिटाया बातों का टेप रिकॉर्ड सुनने को मिल जाता है कि देश को सांप्रदायिकता और जातिवाद से खतरा है। परंतु इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आप इस खतरे को महसूस करते हैं तो कभी आपने सोचा है कि साम्प्रदायिक ताकतें क्यों बढ़ रही है। जातिवाद के खतरे के बारें मैं बहुत साफ जानता हूं, सामाजिक न्याय के संघर्ष जन चेतना, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को सत्ता दल के नेता जातिवादी खतरा देखते हैं।

इनको यह समझ में नहीं आता कि इस देश का गरीब हजारों सालों से केवल शोषित ही नहीं था बल्कि अपमानित भी था। उनके पास धरती नहीं, धन नहीं, सम्मान भी नहीं और दौलत पैदा करने वालों को इस समाज में अछूत बनाकर रखा गया। आज प्रजातंत्र ने उसको एक अवसर प्रदान किया है। और आज वह अपने सम्मान की लड़ाई, बराबरी की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और अपने अपमान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है तो उसको जातिवाद कहा जा रहा है। सभापति जी, मैं कांग्रेस पार्टी में भी रहा हूं। लेकिन मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि मजबूत कांग्रेस पार्टी गरीबों के खिलाफ और कमजोर कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो जाती है। इन पचास सालों में उसने गरीबों का वोट लेकर अमीरों का राज कायम किया है। उसके खिलाफ जो विद्रोह है उसको जातिवादी मत कहिए। मंडल आयोग और आरक्षण के सवाल को आप कभी ठंडे दिल से सोचें। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं पहला संशोधन इस देश के विधान में प्रस्तुत किया था वह आरक्षण के प्रश्न पर ही हुआ था। आरक्षण को सुप्रीम-कोर्ट ने एक अपने निर्णय में कहा था कि यह हमारे मूल सिद्धांतों के खिलाफ है तो उसका जमकर विरोध हुआ था। लोगों ने कहा था कि अंग्रेजों ने हमें जो आरक्षण दिया था स्वतंत्र भारत में वह छीना जा रहा है। आप चालीस साल तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। आयोगों की रिपोर्टों की उपेक्षा होती रही। जब तक लोगों ने उसके खिलाफ बगावत नहीं की तब तक लोगों ने आपको सत्ता से हटाने का निर्णय नहीं किया। आपकी नींद नहीं टूटी। पिछले 40-42 सालों में यह कहा गया है कि इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े लोग, इस देश के अल्पसंख्यकों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है। अगर गया होता तो जो गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मणिशंकर अय्यर कहेंगे कि यह तो सारी दुनिया में मंहगाई बढ़ रही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वहां के लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, खाली महंगाई ही नहीं बढ़ रही है। चार सौ डॉलर भी प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष की हमारी आमदनी नहीं है। कहां जाना चाहते हैं आप? किस बात को दर्शाना चाहते हैं आप? आप इन सारी बातों पर गंभीर नहीं हैं। इन पर कोई नीति, कार्यक्रम, दिशा आप अपनी बनाना नहीं चाहते हैं। यह अभिभाषण भी पिटी-पिटाई लकीर सी दिखाई देता है। सरकार अभिभाषण लिखकर देती है और उसको पढ़ भर दिया जाता है। इसमें जो विवेचन सरकार की नीतियों का राष्ट्रीय समस्याओं का होना चाहिए था वह परिलक्षित नहीं होता है। उसमें टोटल दिशाहीनता है। मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के इतने दिनों बाद निहित-स्वार्थ का शिकजा हमारे समाज पर दिनोंदिन और मजबूज होता जा रहा है।

वह ढीला नहीं हो रहा है। उसके खिलाफ एक बगावत की तस्वीर उभर रही है। यह एक अच्छी बात है। सरकार कई बार कहती है कि देश संकट में है, राष्ट्रीय सहमति चाहिए। राष्ट्रीय सहमति हो सकती है देश की सुरक्षा के प्रश्न पर। आप राष्ट्रीय सहमति का प्रयास करते हैं जो कि एक नाटक बनकर रह जाता है। इतने दिनों से कश्मीर के सवाल पर राष्ट्रीय सहमति की बात हो रही है। मीटिंग बुलाई जाती है, फिर सरकार चुप बैठ जाती है। क्या करना है कुछ नहीं होता है। चुनाव सुधार के बारे में कितनी बैठकें हुई, कितनी बार इस सदन में वादा किया गया और राष्ट्रीय सहमति निकालने के प्रयास हुए। हमने आपकी बात सुनी और आपने हमारी बात सुनी, लेकिन फिर सरकार कानों में तेल डालकर सो गई। पेटेंट बिल पर चार मीटिंग हुई। हमने एक राय से सुझाव दिया कि आप संशोधन मांग रहे हैं, ठीक है, संसदीय समिति में इसको भेज दीजिए, लोग संशोधन देंगे। उन पर आप विचार कर लीजिए। हमने कहा कि कुछ दिनों में, इसी सत्र में विचार होकर सामने आ जायेगा, लेकिन इस पर फिर कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रीय सहमति का नाम एक मजाक बन गया है। सरकार गम्भीर नहीं है। राष्ट्रीय सहमति सरकार नहीं चाहती है और उसका प्रयास भी नहीं करती हैं। केवल नाटक खेला जाता है। अगर आप राष्ट्रीय सहमति ऐसे प्रश्नों पर चाहते हैं जिनके बारे में आपके और हमारे बीच मौलिक मतभेद हैं तो उन पर भी हम चर्चा करने को हैं। परंतु नई आर्थिक नीति पर क्या हमारी राष्ट्रीय सहमति चाहेंगे? उस पर राष्ट्रीय सहमति नहीं हो सकती है।

मणि शंकर जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है। मैं गांधी जी की एक बात जो उन्होंने 1933 में कही थी, उसको सुनाना चाहता हूं। वे दूरदर्शी नेता थे, हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, मगर वे युग पुरुष भी थे। उन्होंने खतरों को देखा था, अपने आसपास की चीजों को देखते थे। उन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे, उसको मैं कोट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

"अमरीका विश्व में सबसे बड़ा औद्योगिक देश था। तब भी उसने लोगों की गरीबी और दयनीय दशा समाप्त नहीं की। इसका कारण यह था कि उसने सर्वसुलभ मानव शक्ति की उपेक्षा की और शक्ति को कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रीत कर दिया जिन्होंने अन्य लोगों की परवाह किये बिना धन एकत्र कर लिया। परिणाम यह हुआ कि इसका औद्योगिकरण

इसके गरीबों और शेष विश्व के लिए अभिशाप बन गया। मेरी राय में यह अमरीका के गरीबों के लिए ही नहीं बल्कि शेष सारे विश्व के लिए भी था।''

''यदि भारत को हमें विनाश से बचाना है। इसे अमरीका और पश्चिम देशों में जो सर्वोत्तम है उसे अपनाना होगा और इनकी आकर्षक लगने वाली परंतु विनाशकारी आर्थिक नीतियों का परित्याग करना होगा।''

[हिन्दी]

मैं कहता हूं कि गांधीजी का कथन हमारी आज की परिस्थिति में और दुनिया की परिस्थिति में मार्गदर्शन है। इसको ध्यान में रखिये। इस रास्ते से मत हटिये। देश के लोगों को आप बहुराष्ट्रीय कम्पनीज के सामने डालने का काम कर रह हैं इसको रोकिये। आज पैप्सी कोला, कोका कोला आ गई है और थम्स अप, लिम्का, सेवन अप सब खत्म हो गई हैं। उनके कारखाने ले लिए, मजदूर ले लिए, उनकी एजेंसीज ले ली और उनको समाप्त कर दिया।

अभी इंद्रजीतजी गुप्त ने कहा कि मेरी पत्नी कल बाजार से आई, हम दोनों रात को साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अरहर की दाल 28 रुपये किलो खरीद कर लाई हूं।

पिछले साल यह 18 रुपये किला थी। हो सकता है अब कहीं 40 रुपये किलो भी हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। शाहजहां जब कैद में था तो औरंगजेब ने इन्हें केवल एक पुस्तक पढ़ने के लिए, एक आदमी खिदमत के लिए और एक आनाज खाने के लिए दिया। तो शाहजहां ने सेवा के लिए अपनी बेटी को, पुस्तक कुरान और खाने के लिए चना लिया। क्योंकि उसने सोचा कि चना ऐसा भोजन है जिसे कई तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है और थोड़ा शक्तिवर्द्धक भी है। लेकिन आज गरीब तो क्या मध्यम वर्ग के लिए चना उसकी पहुंच के बाहर हो गया है। आप इस देश को कहां और किस ओर ले जा रहे हैं?

सभापति महोदय, यहां पर आंकड़े दिये गये हैं। हमारे मंत्री लोग भी देते रहे हैं। सदन में श्री मणिशंकर जी ने भी दिये और उससे बढ़कर तो हमारे सोनकर जी ने दिये। मैं यह मानता हूं कि आंकड़ों का सच्चाई से कोई तालमेल नहीं है। आप कहते हैं कि इतनी पूंजी आ रही है, इतना विकास उद्योग में हो रहा है, विकास दर निरंतर बढ़ रही है, मुद्रास्फीति को हमने नियंत्रित कर लिया है। और गावों के विकास के लिए इतना रुपया जा रहा है। जहां इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इनका वास्तविकता से कोई तालमेल नहीं है, मैं भी गांवों से होकर आता हूं और गरीब लोगों को जानता हूं। प्रधान मंत्री जी कहते नहीं थकते है कि लाखों-करोड़ों रुपया गांवों के विकास के लिए जा रहा है लेकिन वह है कहां?

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : आप हमारे साथ गांव में चलिए तो आपको दिखायें।

श्री चन्द्रजीत यादव : सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि गांव में एक खड़ंजा लगाने के लिए भी रुपये नहीं है। आप तो गांवों को उजाड़ रहे हैं।

गांव में न सड़क है, न बिजली, न पानी और न स्कूल और अस्पताल। रहने के लिए मकान नहीं हैं, बीमार लोगों के लिए दवा की कोई व्यवस्था नहीं है और रोजगार का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

एक माननीय सदस्य : 70 प्रतिशत गांव की यही स्थिति है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह तो सारे देश के स्थिति है। आप तो वास्तविकता से मुंह फेर लेते हैं आंख बंदकर लेते हैं। आपको सच्चाई तो दिखलाई नहीं पड़ती है। आप देश के भविष्य को खतरे में मत डालिये इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश की 48 वर्ष की आजादी के बाद भी मुझे खुशी होती यदि गरीब के जीवन में प्रगति होती। आज जब लोगों में नयी सामाजिक परिवर्तन की भूख जागी है। लोग उसके आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। सभापति महोदय, मुझे इस लोक सभा में एक वरिष्ठ सदस्य माना जाता है। वर्तमान लोक सभा ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। मैंने अपने इलाके के हजारों गरीब लोगों को नौकरी दिलाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया है। मंत्री के दफ्तर में नहीं गया। उनके लिए फोन कर देता हूं और बात करके कोशिश करता हूं कि उनको नौकरी मिल जाये। मैं उन नौजवानों में से केवल चार लड़कों को सफाई कर्मचारी के पद पर नौकरी दिलाने में कामयाब रहा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : आपने बहुत बड़ा काम किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : आज की स्थिति में उन चार लड़कों में से एक ने कलकत्ता से मुझे लिखा कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने नौकरी दिलायी। मैं सफाई कर्मचारी के साथ गंदें कपड़े पहनकर सफाई का काम करता हूं और मुझे 1100 रुपये महीना पगार मिलता है लेकिन न रहने के लिए मकान है और न अपने मां-बाप को रुपया भेज सकता हूं। आप इतनी मेहरबानी कर दीजीए कि कलकत्ता से मुझे बनारस या मुगलसराय की तरफ ट्रांसफर करवा दें। यह स्थिति है इस पर पर्दा मत डालिए। सच्चाई को देखिए।

विस्फोटक स्थिति पैदा मत करने दीजिए और इसका हल ये मत निकालिये कि आप विदेशों में जाएंगे और मल्टीनेशनल कार्पोरेशंस के सामने भीख मांगेंगे, हाथ पसारेंगे और उनको इस देश में हर तरह की मुनाफा कमाने की छूट देंगे। कौन विरोध करता है कि भारत में पूंजी निवेश न आये। भारत इतना बड़ा देश है, लेकिन आपने तो फ्लडगेट खोल दिया है। और कोई शर्त नहीं, कोई नियम नहीं। उनको पूरी छूट है कि आओ, खुला लूटना हो तो लूटो और तबाह करो। आप गांधी जी की चेतावनी याद रखिये। मैं आशा करता हूं कि कांग्रेसजनों की आत्माओं को गांधी जी के शब्द झकझोरने की कोशिश करेंगे कि हम किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं।

सभापति जी, आज सारी दुनिया में उपनिवेशवाद, आर्थिक साम्रज्यवाद अपनी फौज लेकर नहीं आ सकता। आप भारत को राजनैतिक गुलाम नहीं बना सकते। लेकिन आर्थिक गुलाम बनाने के लिए उनकी तरफ से पूरा प्रयास है। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर हार गये हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद कोई समता, न्याय और किसी नियम के अनुसार कोई व्यवस्था बनाने के लिए तैयार नहीं है। वह अपनी शर्तो पर इस देश को लूटने के लिए आना चाहता है, इसलिए मैं सरकार को आपको इस खतरे की तरफ से आगाह करना चाहता हूं।

सभापति जी, आज सवेरे अटल जी ने समाचार-पत्रों का प्रश्न उठाया है। पिछले दिनों में कागज के दाम 46 प्रतिशत तक बढ़ गये। नजीता यह है कि अखबार का उद्योग तबाह हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में हिन्दी के अखबारों की कीमत दो रुपये से तीन रुपये हो गई है। पिछले डेढ़ महीने से हाकर्स ने वहां हड़ताल की हुई है। वहां एक भी अखबार पढ़ने को नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि आपने 50 प्रतिशत दाम बढ़ा दिये इसलिए हमारा कमीशन भी बढ़ाइये। अखबार वाले कहते हैं कि कागज के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हमको इतने में भी पूरा नहीं पड़ता, आपका कमीशन बढ़ा देंगे तो हम कहां जायेंगे? दवा के दाम मनमाने हैं। सब्जी के दाम मनमाने हैं। किस गरीब आदमी के बस की बात है कि सब्जी,दाल-रोटी खरीद सके। क्या इसके बारे में कोई चिंता आपको हुई है? ठीक इसके खिलाफ आप खुले बाजार की नीति चला रहे हैं। जब हम यह बात कहेंगे तो आप हमें रूस और चीन का उदाहरण देंगे। हम रूस और चीन को नहीं

देखना चाहते हैं। हम भारत को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा देश और हमारी जनता इस गलत चक्रव्यूह में न फंसायी जाए। सभापति जी, मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है। कुछ भी कहें लेकिन असर नहीं पड़ता है। उसको टालने की कोशिश की जाती है। अभी इन्द्रजीत जी कह रहे थे कि क्या वजह है कि ये सब हो रहा है। इसकी वजह यह है कि इनके दिल में दर्द नहीं है। अगर गरीब के लिए, देश के लिए दिल में दर्द होता तो सोचते कि आज देश में यह सबसे बड़ी समस्या है और इसके लिए हमें कुछ करना है। हमारे गांव की स्त्रियां चाहे सुबह खेतों पर जायें या दिन ढलने का इंतजार करें, हमारे गरीब चाहे भटका करें, कुछ नहीं मिलता हैं। नौजवानों का मनोबल टूट जाए और वह चाहे ड्रग्ज का शिकार हो जाएं, चाहे वह किसी व्यथा का शिकार हो जाएं, इसकी किसको परवाह है। मैं एक खतरे की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं और मैं उसे राष्ट्रीय समस्या समझता हूं। इस गरीबी की स्थिति से, बेरोजगारी और महंगाई की स्थिति से इतने लंबे काल के बाद गरीब को जो मिलना चाहिए था, जिन्दगी चलाने के लिए जो बुनियादी चीजें उसको मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल रही हैं। उसके सब्र का बांध टूट रहा है और उसकी निराशा बढ़ रही है।

इस निराशा का लाभ कौन उठायेगा? जब गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, मन टूटता है तो ऐसे में लोग अटल बिहारी जी की तरफ जायें तो कोई बात नहीं थी लेकिन दुर्भाग्य से लोग बी.जे.पी. की तरफ जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए साम्प्रदायिकता का खतरा पहले इतना कभी नहीं था जितना आज हमारे देश के सामने उपस्थित हो गया है। और इस खतरे के लिए कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है। साम्प्रदायिकता के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं, कोई लड़ाई नहीं। बाबरी मस्जिद की बार-बार चर्चा इसलिए की जाती है कि वह एक ऐतिहासिक घटना बन गयी है। सरकार के पास दर्जनों प्रकार की फोर्स थी, पुलिस थी किंतु सरकार के पास उसकी रक्षा के लिए वह दिल नहीं था। कभी-कभी लोगों के मन में ऐसा संदेह होता है कि शायद प्रधान मंत्री उसमें मिले हुए थे।

इसलिए उन्होंने मस्जिद तुड़वा दी। मैं ऐसा नहीं मानता लेकिन मैं जानता हूं कि प्रधान मंत्री के जो निकटतम सलाहकार हैं उन्होंने सलाह दी होगी और प्रधान मंत्री ने मान लिया होगा कि मस्जिद टूट जाने दो ताकि हमेशा के लिए झगड़ा समाप्त हो जाए।

श्री मणि शंकर अय्यर : उस समय उनके सलाहकारों में कुमारमंगलम् जी जो मंत्री थे उनके इर्द-गिर्द थे।

श्री चन्द्रजीत यादव : वह आपका घरेलू मामला हैं। आप जानें आप यह हमको मत बताइये।

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं आपकी बात का सपष्टीकरण दे रहा था कि उस समय उनके इर्द-गिर्द कुमारमंगलम् जी थे।

श्री चन्द्रजीत यादव : सभापति जी, मैं कह रहा था आज शासन व प्रशासन दोनों में भ्रष्टाचार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है मणिशंकर जी, आप राजीव जी के बड़े प्रशंसक ही नहीं बल्कि उनके भक्त भी हैं और यह बुरी बात भी नहीं है। आप ईमानदारी से उनके योगदान को स्वीकार करते हैं। मैं आपको याद दिलाने के लिए कहता हूं कि आठ साल पहले जब राजीव जी प्रधान मंत्री थे तो अपने क्षेत्र में उन्होंने कहा था कि एक रुपया जो विकास के लिए मैं भेजता हूं उसमें गरीबों के पास महज 10 या 15 पैसा पहुंचता है और 85 या 90 पैसा बीच के दलाल खा जाते हैं। आपको यह भी याद होगा कि उन्होंने बम्बई में कहा था कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, दलालों के खिलाफ और ठेकेदारों के खिलाफ अभियान छेड़ेगी। वे प्रधान मंत्री थे और उनके बाद आज की कांग्रेस कहां पहुंची? देश में भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं उनका भक्त था, भक्त हूं और भक्त रहूंगा, लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं जो बहुत जरुरी है। राजीव जी ने कहा था कि एक रुपए में 85 पैसा गरीबों के पास नहीं पहुंचता है। उन्होंने यह बात प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट के आधार पर कही थी जिसमें लिखा था कि प्रशासन का जो खर्चा है उसमें 85 पैसा खर्च हो जाता है। और भ्रष्टाचार उस 15 पैसे से ही निकाला जाता है। आपको गलतफहमी रही है इसलिए मैंने समझा कि इसके बारे में स्पष्टीकरण दूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय, चर्चा समाप्त हो चुकी है अब आप समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं किसी डिबेट में नहीं फंसता। सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि शासन व प्रशासन का भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है यह इस देश के लोगों का सबसे बड़ा दर्द है। जब राजीव जी ने भी कहा था तो उसके बाद आपने क्या किया। देश में इतने बडे-बडे कांड हुए, बैंको का घोटाला हुआ, चीनी का घोटाला हुआ और पता नहीं कितने घोटाले पर्दे के पीछे हुए मगर उसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार ने कोई सबक सीखा, आप लगातार कोई सबक सीखने से इंकार करते रहे हैं।

आज राजनीति का भी अपराधीकरण हो रहा है जो हमारे लिए बहुत चिंता का कारण है। आप एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी हैं और देश का शासन चला रहे हैं, इसकी चिंता आपको भी होगी। यदि आपको चिंता है तो फिर देश में टाडा जैसे काला कानून क्यों बना रखा है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मानवाधिकार आयोग का कहना है जो आयोग इस सरकार के द्वारा बनाया गया है और जिसके शीर्ष पद पर आपने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को बिठाया है। उन्होंने हर सांसद को पत्र लिखकर कहा है कि यह काला कानून है और साथ ही यह रिक्वैस्ट भी की है कि मई के बाद आप इसे अपना समर्थन मत दीजिये क्योंकि यह काला कानून है। इसके बावजूद आप बराबर उसकी व्याख्या करते जा रहे हैं। और हजारों निर्दोष लोगों को आपने जेल में डाल दिया है, एक सम्प्रदाय विशेष के लोगों को जेल में डाल दिया है। अटल जी ने यहां ठीक ही कहा, उसमें वास्तविकता है, उन्होंने कुछ जातियों का नाम लिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों के खिलाफ आप टाडा कानून का जान-बुझकार, एक हथियार बनाकर, इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने इस बारे में कई मुख्यमंत्रियों से कहा कि निर्दोष लोगों के खिलाफ इसका प्रयोग मत कीजिए, इसको हटाईये लेकिन बराबर वायदा करने के बावजूद कि निर्दोष लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, वही काम हो रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप इस कानून को खत्म कीजिए, कोई बहाना मत कीजिए बल्कि लॉक, स्टाक एण्ड बैरल इसे खत्म कर दीजिए। आप कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। मैं नहीं कहता कि देशद्रोह का काम यदि कोई करता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए, मगर कोई दूसरा कानून लाइये क्योंकि यह कानून काफी बदनाम हो चुका है और यह लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर रहा है। मेहरबानी करके, कम से कम इतना सबक तो सीखने की कोशिश कीजिए।

सभापति जी, आज देश में महगाई, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक खतरे हमारे सामने और है जो नौजवानों में बेरोजगारी के कारण बढ़ते हुए असंतोष को लेकर है और जो एक विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है। इस प्रस्ताव के मूवर शायद जानते होंगे कि यूरोप में जब अन-एम्पलायमेंट बढ़कर 11 परसेंट पर पहुंच गया तो यूरोपियन यूनियन को काफी चिंता हुई और उन्होंने उसके कारणों की जांच के लिए एक आयोग बना लिया। उस आयोग की रिपोर्ट आज से 6 महीने पहले आ चुकी है जिसमें कहा गया है कि मौजूदा आर्थिक नीतियां केवल बड़े

उद्योगों और मल्टी-नेशनल्स को ही मजबूत कर रही हैं और बेराजगारी बढ़ने का एकमात्र यही कारण है। आयोग का कहना है कि रोजगार पैदा करने वाले उद्योग-धंधे तबाह हो चुके हैं और मल्टी-नेशनल कार्पोरेशन्स से देश की दौलत तो बढ़ती है मगर वह सिर्फ अमीर लोगों के हाथों में केन्द्रीत होकर रह जाती है और वे उन लोगों को ही ज्यादा पैसा देते हैं जो पहले से काम में लगे हुए हैं, उनकी ही तनख्वाह बढ़ाई जाती है, उन्हे ही दूसरी सुविधाएं और भत्ते दिये जाते हैं जिससे रोजगार पैदा नहीं होता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन के अनुभव से हम कोई सबक क्यों नहीं लेना चाहते हैं और अपनी गलती को सुधारने के प्रयास नहीं करते। आप तो आंख मूंदकर उसी रास्ते पर देश को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप देश में कोई विस्फोटक स्थिति मत पैदा कीजिए वरना नौजवानों में बेरोजगारी और समाज में अशांति पैदा होगी, जिससे गलत ताकतें मजबूत होंगी और देश को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारे देश की राष्ट्रीय एकता को भी उससे खतरा पैदा होगा।

कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उसका एक कारण यही है कि वहां के नौजवानों में असंतोष विस्फोटक स्थिति तक जा पहुंचा है, करप्शन बढ़ गया है, बेराजगारी बढ़ी है, दस्तकारों की वहां कोई परवाह नहीं की जाती, शासन को मनमाने ढंग से काम करने दिया गया और हमने दिल्ली में बैठकर सोचा कि फौज के बल पर, सिपाहियों के बल पर सब कुछ कर लेंगे मगर आपने वहां के लोगों के दिल को तोड़ दिया और वे अपने रास्ते से भटक गये। देश के खिलाफ बगावत के कारण नौजवानों में भटकाव है। इसमें एक स्थिति वह भी आती है कि जब कोई आदमी खुदकशी या आत्महत्या तक कर लेता है। मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्र को आत्महत्या मत करने दीजिए, मुल्क को खुदकशी के रास्ते पर मत डालिए। यदि लोगों का मनोबल टूट जायेगा तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन बातों पर आप गम्भीरतापूर्वक ध्यान दीजिए। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता मगर मैं चाहता हूं कि जो दल सत्ता में है, प्रजातंत्र में लोगों ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं। आप उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको निभाइये, देश के लिए निभाइये, देश के भविष्य के लिए निभाइये। इस पर एक चिंतन और मनन गंभीरता से करिये। हम लोग यहां सारी बातें खाली आलोचना करने की दृष्टि से नहीं करते। हम आलोचना कर रहे हैं इसलिए करते हैं।

मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि यह देश सामाजिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। देश एक नये युग में प्रवेश कर गया है। सामाजिक न्याय की लड़ाई जातिवाद की लड़ाई नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई इस देश की आजादी की अधूरी लड़ाई को पूरा करने की लड़ाई है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी तब सच्ची आजादी होगी जब इस आजाद मुल्क में किसी की भी आंखों में गरीबी और अभाव के आंसू नहीं रहेंगे। आज इस देश के तीन-चौथाई लोगों की आंखों में गरीबी और अभाव के आंसू हैं उसको आप पोंछने का प्रयास करिये। वही इस देश के मालिक है, वही एक देश है। हिन्दुस्तान खाली मिट्टी का, पहाड़ का, जमीन का या समुद्र का देश नहीं है। इस देश में जो लोग रहने वाले हैं, वे ही भारत है। इसलिए आप उनकी तरफ ध्यान दीजिये। इस जिम्मेदारी को निभाइये। मैं अटल जी से भी यही कहना चाहता हूं क्योंकि आप विरोधी दल के नेता हैं। आपने यहां कहा कि कई बातों के ऊपर हमारी और आपकी सहमति हो सकती है। आप बोलते हैं कि बैठकर बात करिये। राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास करिये। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ चीजों पर सहमति नहीं हो सकती। साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ने में सहमति नहीं हो सकती।

अटल जी कहते हैं कि कांग्रेस का दोष है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से हाथ मिलाया है तो हम शिवसेना से हाथ मिलायेंगे। अगर कांग्रेस ने एक अपराध किया है तो क्या आप दूसरा अपराध करेंगे? क्या यह राष्ट्रीय हित की बात है? क्या आप इस देश को धार्मिक उन्माद में नहीं फंसायेंगे? आप धार्मिक उन्माद के रास्ते पर इसे मत ले जाइये। बी.जे.पी. आज इस देश में एक संगठित नीति के मातहात धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है। इससे यह देश टूट जायेगा और कमजोर हो जायेगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल): जातिवाद नहीं फैलेगा।

श्री चंद्रजीत यादव : हम इस देश में जातिवाद को तोड़ रहे हैं। स्वामी श्री राम कृष्ण परमहंस ने कहा था। अटल जी आप भी सुन लीजिये। आप बहुत जातिवाद की बात करते हैं। भगवान राम कृष्ण परमहंस ने कहा था कि जब एक पैर में छोटा सा कांटा गढ़ जाता है तो उसको निकालने के लिए बड़े कांटे की जरूरत होती है। इस देश में हजारों साल से जातिवाद है। उस जातिवाद ने, जिसने मेहनत करने वालों को गरीब, अछूत नीच व शूद्र बनाकर रखा था। वही कांटा आज भारत माता के दिल में गढ़ा हुआ है। आज 85 फीसदी लोग दलित, पिछले वर्ग के, अल्पसंख्यक व उपेक्षित हैं। वह बड़े कांटे के समान हैं। वही जातिवाद के कांटे को निकाल देंगे तो सब कांटे फेंक दिये जायेंगे। और जातिवाद समाप्त हो जायेगा और तब भारत मजबूत होगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. के. वी. थामस (एरणाकुलम) : महोदय, आम तौर पर दोपहर बाद सभा में उपस्थिति बहुत कम होती है और भारी भोजन करने के बाद सदस्यों को नींद आने लगती है। परन्तु सौभाग्य से आज हमने श्री सोमनाथ चटर्जी से लेकर चन्द्रजीत यादव तक के शानदार भाषण सुने हैं।

महोदय, इन भाषणों में ऐसे संदेश थे जो हमारे राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा के लिए भविष्य में पथप्रदर्शक का काम करेंगे।

महोदय, जब मैंने बैरिस्टर कामरेड श्री सोमनाथ चटर्जी के विद्वतापूर्ण भाषण को सुना, तो मैंने दो बातें पायीं अर्थात् (एक) वकील की विद्वता और (दो) साम्यवादियों का कांग्रेस के विरुद्ध रवैया। आजादी के 48 वर्ष बाद और केन्द्र तथा राज्यों में कई प्रयोगों के बाद मेरे विचार में सभी राजनीतिक दलों को इस देश के भविष्य के बारे में एक जैसा सोचना चाहिए। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने आशंका व्यक्त की है कि अगले आम चुनाव में क्या होगा।

महोदय, कांग्रेस एक जन आंदोलन है जो पिछले 110 वर्षों से इस देश के लोगों के साथ है और जिसने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं। परन्तु समय ने हमेशा यह सिद्ध किया है कि कांग्रेस ही एक ऐसा आंदोलन है जो देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है।

महोदय, मुझे बहुत दुःख हुआ जब श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि कुछ वर्षों के बाद कांग्रेस दल केवल साइनबोर्डों पर ही नजर आयेगा। परन्तु मैं श्री सोमनाथ चटर्जी और अन्य कामरेडों को यह बताना चाहूंगा कि अविभाजित साम्यवाद और आज के विभाजित साम्यवाद की जड़ें केवल केरल और पश्चिम बंगाल में ही हैं। यदि हमारे कम्युनिस्ट मित्र कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करें तो केरल के बाद यदि वे कोई लाल झंडा पायें तो वह केवल आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के रेलवे प्लेटफार्मों पर ही मिलेगा और उसके बाद वह कलकत्ता में मिलेगा। इसलिये कांग्रेस को समाप्त करने की उनकी आशंका केवल एक मजाक ही है। मुझे इस बात का भी खेद है कि मेरे कम्युनिस्ट मित्र देश में राजनीतिक स्थिति की वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं। आमतौर पर

उन्हें यह बात बहुत देर से समझ आती है।

5.14 म.प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

जब मैं मछुआरों के एक छोटे गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, तब 15 अगस्त को हमने राष्ट्रध्वज फहराया था। हमने तिरंगे झंडे लेकर बड़ी रैलियों का आयोजन किया। उन दिनों मैंने देखा कि कम्युनिस्ट काले झंडे फहरा रहे थे। उन्हें यह बात स्वीकार करने में 10 वर्ष लगे अर्थात् सन् 1957 में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि राष्ट्र अब स्वतंत्र हो गया है।

आज श्री सोमनाथ चटर्जी ने बंगाल में हुए विकास के बारे में बताया है। हमें इस बात की खुशी है कि पश्चिम बंगाल आगे बढ़ रहा है। यह इस देश का एक भाग है। परन्तु देश में प्रगति के लिये कोई कदम उठाया जाता है तो मेरे कम्युनिस्ट मित्र इसका विरोध करते हैं।

10 वर्ष पहले मेरे गांव में दो किसानों की निर्मम हत्या की गई क्योंकि उन्होंने खेती के लिए मशीनें शुरू की थीं। उस समय उन्होंने खेती के लिए मशीनों का प्रयोग किया था। बाद में 35 वर्ष बाद जब मैं कालेज का छात्र था तब मैंने देखा कि मेरे प्रोफेसर आदमियों द्वारा चलाये जाने वाले रिक्शाओं में बैठकर आ रहे थे। और एक या दो साल बाद कालेज में मैंने देखा कि मेरे प्रोफेसर साईकिल रिक्शा में आ रहे थे। बाद में साईकिल रिक्शाओं का स्थान ऑटो रिक्शाओं ने ले लिया। इस दौरान हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने रिक्शाओं का स्थान साईकिल रिक्शाओं द्वारा और साइकिल रिक्शाओं का स्थान ऑटो रिक्शाओं द्वारा लिये जाने के विरुद्ध आंदोलन किये। हाल ही में मैंने देखा कि जब कम्प्यूटर आया तो कम्प्यूटर के प्रयोग के विरुद्ध कड़ा विरोध किया गया और केरल में हमारे कम्युनिस्ट भाईयों ने कम्प्यूटर के लगाये जाने का विरोध किया। परन्तु उन्होंने ए.के.जी. केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में एक कम्प्यूटर लगाया और इसी तरह एर्नाकुलम लेनिन केन्द्र में उन्होंने एक कम्प्यूटर लगाया। इसलिये हमारे कम्युनिस्ट मित्र इस बात को नहीं समझ सकते कि उनके आस-पास क्या हो रहा है। वे इस बात को 10 या 15 साल के बाद समझ सकते हैं। अब पश्चिम बंगाल सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित कर रही है। वे बड़े औद्योगिक गृहों को आमंत्रित कर रही है। परन्तु अपनी युवावस्था में मैंने अपने गांव में देखा था कि हमारे कम्युनिस्ट मित्र टाटा और बिरला के विरुद्ध नारे लगा रहे थे और रैलियों का आयोजन कर रहे थे। अब टाटा और बिरला महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्हें कई कम्युनिस्ट कार्यालयों में आमंत्रित किया जाता है। मुझे खुशी है कि उन्होंने अपना रवैया बदल दिया है।

महोदय, इस देश में वास्तविक राजनैतिक स्थिति क्या है? इन्द्रजीत जी ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण 13 फरवरी को हुआ था। उन्होंने पूछा कि यदि अभिभाषण एक महीने बाद होता, तो इसके कारण क्या परिवर्तन होता। हमें इस पर गहराई से सोचना होगा। कांग्रेस आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों में चुनाव हार गई है। परन्तु कांग्रेस के अलावा सत्ता में कौन आया है? देश में साम्प्रदायिक और विघटनकारी प्रवृतियों के विरुद्ध हमारे कम्युनिस्ट मित्रों ने त्रिवेन्द्रम से कासरगोड़ तक मानव जंजीर बनाकर विरोध प्रकट किया। जब कांग्रेस पार्टी विभिन्न राज्यों में चुनाव में हारती है तो समाजवादी पार्टियां सत्ता में नहीं आतीं बल्कि साम्प्रदायिक शक्तियां सत्ता में आती हैं। मुझे यह जानकर खेद हुआ कि मार्क्सवादी पार्टी ने अपने पंजाब अधिवेशन में घोषणा की है कि वे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विरुद्ध साथ-साथ लड़ेंगे। क्या वे इतने शक्तिशाली हैं? क्या वे एक साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ सकते हैं? यदि वे कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वे भारतीय जनता पार्टी की सहायता कर रहे हैं। उन्हें यह घोषणा करनी चाहिए कि वे भारतीय जनता पार्टी की सहायता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी सहयोग नहीं करेगी। हम चाहे और भी चुनाव हार जायें, परन्तु हम हमेशा साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। आखिरकार लोगों को एहसास होगा कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। बाबरी मस्जिद में क्या हुआ? बाबरी मस्जिद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे श्री नरसिंह राव ने किसी विशेष तारीख को बनाया था। यह हमें विरासत में मिली है। पिछले कई सालों से बाबरी मस्जिद की समस्या बनी हुई है। यह पंडित जी के समय शुरू हुई थी। उसके बाद इंदिरा जी आईं, राजीव जी आये और उसके बाद नरसिंह राव आये। इसलिये कुछ ऐसी बात हुई जिस पर हम सभी को दुःख हुआ। परन्तु इसका किसने लाभ उठाया? क्या कांग्रेस ने इसका लाभ उठाया या कम्युनिस्टों ने इसका लाभ उठाया? इसका लाभ उन्हीं लोगों ने उठाया है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। केरल में एक ओर कांग्रेस है और दूसरी ओर कम्युनिस्ट हैं। हम उनके विरुद्ध लड़ तो रहे हैं परन्तु लोकतांत्रिक तरीके से और लोकतांत्रिक मानदण्डों के आधार पर। बिहार के चुनाव में क्या हुआ? क्या आप बाहुबल के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं? मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की इस बात से सहमत हूं कि अब समय आ गया है कि लोकतांत्रिक शक्तियों को एक होकर देश की समस्याओं के साथ जूझना है। समस्यायें क्या हैं? कुछ मित्रों ने कहा कि इस ओर बैठे सदस्य जो सरकार का समर्थन करते हैं घिसे-पिटे भाषण देते हैं। जब हम बोलते हैं तो कुछ वास्तविकतायें होती हैं जिन्हें हमें दोहराना पड़ता है। जब जून, 1991 में यह सरकार सत्ता में आई तो इस सभा की क्या स्थिति थी? इस सभा में कांग्रेस यद्यपि बहुमत की पार्टी थी परन्तु इसके पास बहुमत नहीं था। इस सरकार की क्या समस्यायें हैं। श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को सभा में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, परन्तु हमारे पास जनमत था कि कांग्रेस को देश में शासन करना है क्योंकि हमने 1989 में चुनाव करवाये थे। हमने 4 वर्ष पूरे कर लिये हैं और हम अगले आम चुनाव के लिए तैयार हैं। इन 4 वर्षों में क्या कोई कह सकता है कि कांग्रेस ने राज्यों में चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया। आन्ध्र प्रदेश में चुनाव हो गये हैं। कांग्रेस केन्द्र में सत्ता में है। कांग्रेस उस समय भी सत्ता में थी। परन्तु हमने राज्य की सत्ता का प्रयोग नहीं किया। कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में थी। परन्तु हमने कर्नाटक में सत्ता प्राप्त करने के लिए दिल्ली में और बंगलौर में भी सत्ता का प्रयोग नहीं किया। अतः इन सभी राज्यों में जहां चुनाव हुए कांग्रेस ने लोकतांत्रिक ढंग से मतदान कराया। परन्तु बिहार में क्या हुआ? वहां जो हुआ, उस पर सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। जो बिहार में हुआ क्या वह केरल में दोहराया जाये? एक साल के अन्दर चुनाव होंगे। क्या जो बिहार में हुआ है उसे 1996 में आम चुनावों में सारे देश में दोहराया जाये? इसलिये कांग्रेस में जो भी कमियां हैं, वह एक जन-आन्दोलन है जिसने देश में लोकतांत्रिक सिद्धान्त स्थापित किये हैं। इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और कम से कम इसके लिए तो दूसरी ओर के हमारे मित्रों को हमें बधाई देनी चाहिए।

महोदय, सरकार की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए मुझे यह कहना है कि यद्यपि हमारा उत्तर घिसा-पिटा हो, फिर भी कुछ वास्तविकताएं हैं। आर्थिक स्थिति क्या थी? हम जानते हैं कि हम ऋण से दबे हुए थे। हमारे पास विदेशी मुद्रा का इतना भण्डार भी नहीं था कि विदेशियों से 15 दिन के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें। हमें मजबूर होकर सोना बेचना पड़ा और हमने सोना गिरवी भी रखा है। उस खराब राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से हम निकल चुके हैं। इस वर्ष हमारे पास खाद्यान्न का बहुत बड़ा भण्डार है। पिछले 2-3 वर्षों में इतना खाद्यान्न उत्पादन नहीं हुआ। आज हमें विश्वास है कि हम किसी प्राकृतिक आपदा में भी अपने लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं। मैं अपने 11 वर्षों के संसदीय जीवन के अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं। इस सभा में हमने कई बार सूखे

और बाढ़ पर चर्चा की है। परन्तु अब हमें विश्वास है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हम अपने लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकेंगे। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से सामान नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? केरल में देश की सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य कर रही है। वहां भी लोग इन दुकानों पर नहीं जाते। इसका कारण यह है कि वे खुले बाजार में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं कम कीमत पर खरीद सकते हैं। क्योंकि सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। वहां क्षेत्रीय प्रणाली समाप्त कर दी गई है। पाबन्दी उठा ली गई है और अब किसान अपने खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना रोक-टोक के ले जा सकते हैं। पहले आन्ध्र और तमिलनाडु में पाबन्दी थी। इसलिए खाद्यान्न का लाना-ले जाना कठिन था। अब सरकार नें सभी पाबन्दियां हटा दी हैं और आज हम केरल में देखते हैं कि यद्यपि लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर नहीं जाते, वहां सभी प्रकार के खाद्यान्न चावल, गेहूं और सभी चीजें खुले बाजार में मिलती हैं। यह स्थिति है।

दूसरे, हमें मूलभूत समस्याओं पर गहराई से विचार करना होगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारी जनसंख्या 400 मिलियन थी। और अब यह 960 मिलियन हो गई है। यह दुगनी हो गई है। यद्यपि हमारा उत्पादन तिगुना हो गया है, फिर भी हम बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। बेरोजगारी फैली हुई है और हमें इसका हल ढूंढना होगा। कांग्रेस पार्टी यहां 45 वर्षों से सत्ता में है। परन्तु राज्यों में क्या हुआ है? विभिन्न राज्यों में दूसरे दल सत्ता में थे। उन्होंने बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम करने के लिए क्या किया? हमें वास्तविक स्थिति को देखना होगा। प्रत्येक कमी के लिए कांग्रेस पार्टी को दोष देने की बजाय हमें इस लोकतांत्रिक संगठन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। हम कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हैं जहां लोगों को पता ही न चले कि पार्टी में क्या हो रहा है। हमारे दल में जो भी विचार-विमर्श होता है, उसका सभी को पता चल जाता है। हमारी बहुत सी बैठकें तो समाचार पत्रों के संवाददाताओं की उपस्थिति में होती हैं। हम उन्हें पार्टी की बैठकों से बाहर जाने के लिए नहीं कहते। कांग्रेस दल एक खुला संगठन है।

हमने जो साहसिक निर्णय लिए हैं उनके बारे में मुझे यह कहना है कि जब हमने औद्योगिक नीति को उदार बनाया था तो क्या शंका थी। यह शंका व्यक्त की गई थी कि विदेशी उद्योग भारतीय बाजार पर कब्जा कर लेंगे। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं। परन्तु 2-3 बार का मेरा अपना निजी अनुभव है।

लगभग एक महीने पहले कुछ सांसद स्पेन गये थे। जब हमने यात्रा की तो हमें अपने दैनिक व्यय के लिए लगभग चालीस से पचास डालर मिले। उन डालरों से फ्रेंकफर्ट हवाई-अड्डे पर मैंने एक पेन मांगा। मैंने पाया कि वहां पेन की कीमत दिल्ली के मुकाबले बहुत अधिक थी। इसी तरह चश्मे की कीमत भी वहां बहुत अधिक थी। मैंने फिर कपड़ा मांगा। परन्तु मैंने कपड़ा या पैन्ट नहीं खरीदी क्योंकि मैंने पाया कि दिल्ली में इसकी कीमत बहुत कम है। हमने अपनी जेब से एक डालर भी खर्च नहीं किया क्योंकि यहां पर हर वस्तु उपलब्ध है। हमारे बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम कीमत पर मिलती हैं।

हमें किस बात का डर है? 5 साल पहले उद्योग भवन के गलियारे लाइसेंसों के गलियारे कहलाते थे। तब वहां पर लाइसेंस और परमिट राज था। मैं 2500 मील दूर केरल से आता हूं। मेरे राज्य से लोग परमिट या लाइसेंसों के लिए यहां आते हैं। लोगों को बेकार यहां आना पड़ता था। आज यहां न कोई लाइसेंस है और न ही परमिट है। इससे भारी प्रगति हुई है। हमें स्वीकार करना होगा। हमारी कुछ कमजोरियां भी हैं। हमारे दल का बहुमत है। हम बहुत से निर्णय सर्वसम्मति से लेते हैं। जब ये सरकार सत्ता में आई, तो उस समय मण्डल आयोग की समस्या, मुख्य समस्या थी। मैं पिछड़ी जाति का हूं। मण्डल आयोग की सिफारिशों में मेरा अपना हित-निहित है। परन्तु सरकार ने अन्य समुदायों में किसी प्रकार का भय उत्पन्न किए बिना मण्डल आयोग की सिफारिशों को पूर्णत: स्वीकार कर लिया। उनके बीच समझौता हो गया। श्री वी.पी. सिंह के शासन-काल में दिल्ली में बहुत शोरगुल हो रहा था। उन्होंने क्या किया? हम जानते हैं। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को यहां कैसे लागू किया। उस समय जो राजनैतिक वातावरण था, उसका भी हमने मुकाबला किया। अब मण्डल आयोग की सिफारिशों की कोई बात नहीं करता।

अत:, एक बुनियादी परिवर्तन आया है। बाबरी मस्जिद के मामले को ही ले लीजिए। मैंने शुरू में ही बताया था कि यह श्री नरसिंहराव की उपज नहीं है। यह समस्या पहले भी थी। परन्तु इस बार दुर्भाग्य से बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। हमें इसका दु:ख है। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ करना होगा। जब तक बाबरी मस्जिद की समस्या को सुलझा नहीं लिया जाता, तब तक इस देश में कोई पार्टी नहीं चल सकती। यह अकेले कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्टों या भारतीय जनता पार्टी का सिर-दर्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों पर कब्जा जमाने के बाद यह सोच रही है कि वह 1996 में केन्द्र में भी सत्ता में आ जाएगी। यदि लोग चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है। परन्तु वे बाबरी मस्जिद के मामले को हल किए बिना इस देश पर राज नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस देश की ज्वलंत समस्या का समाधान खोजना होगा। यह समस्या किसी राजनैतिक उद्देश्य को लेकर हल नहीं की जा सकती। हमें इस पर खुले दिमाग से विचार करना होगा। देश की बहुत सी सामाजिक समस्याओं को हल करने में कम्युनिस्टों ने जो योगदान दिया है मैं उसकी सराहना करता हूं। मैं केरला से आता हूं। पंजाब की समस्या को हल करने में उन्होंने जो भूमिका निभाई है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। बहुत से कम्युनिस्ट भाइयों ने पंजाब में अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। केरल में बहुत से सामाजिक मुद्दों को तय करने के लिए कम्युनिस्टों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरे विचार में कम्युनिस्टों को अब भी योगदान देना होगा। अब समय आ गया है, जब उन्हें यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या वे कांग्रेस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी और अन्य साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई करेंगे या वे वही पुराना नारा दोहरायेंगे कि वे कांग्रेस और साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। कम्युनिस्टों से मेरा अनुरोध है कि वे इस बारे में विचार करें।

प्रो. रासा सिंह रावत : क्या आप उनकी मित्रता चाहते हैं?

प्रो. के. वी. थामस : यह मित्रता या शत्रुता का प्रश्न नहीं है। यह तो राजनैतिक वास्तविकता का प्रश्न है। यदि उन्हें साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है तो यह लड़ाई सभी लोकतांत्रिक शक्तियों को इकट्ठा मिलकर लड़नी होगी। इस देश के लोग बड़े ही समझदार हैं। सभी चुनावों में जनता का निर्णय ही सदैव यही रहा है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है। 1996 में हमें चुनावों का सामना करना होगा। अब कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों को लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए प्रयास करने चाहिएं।

हम इन साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे और देश को बचाएंगे।

मुझे अपने प्रधान मंत्री पर गर्व है कि उन्होंने पिछले चार वर्षों में राजनैतिक और आर्थिक उथल-पुथल के समय में इस देश का नेतृत्व किया है। उनकी चाहे कोई भी सीमाएं रही हों, उन्होंने इस देश को एक सफलता से दूसरी सफलता की ओर बढ़ाया है। यदि आप विभिन्न मंत्रालयों जैसे गृह, कृषि आदि की उपलब्धियों पर दृष्टिपात करें, तो आप कह सकते हैं कि यह एक घिसा-पिटा उत्तर है, परन्तु यह नि:सन्देह

उपलब्धियां हैं।

अतः, मैं अपने मित्र श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : सभापति महोदय, हमको जो काम फरवरी में करना चाहिए था...**(व्यवधान)** इस सरकार की अनेक उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यह भी है कि वह हम आज अप्रैल के अंत में कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : यह तो इन्होंने रोक रखा था...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी जो भी हो...**(व्यवधान)** इस सरकार ने जो ''कीर्तिमान'' ''उपलब्धियां'' पिछले चार सालों की है उसका असर इस देश को भविष्य में काफी लम्बे समय तक भुगतना पड़ेगा। भविष्य में ये बातें कोट की जाएंगी कि इस प्रकार की चीजें भी हुआ करती थे। चाहे हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद दे रहे हैं, चाहे भष्टाचार हो, प्रशासनिक अकर्मण्यता हो, इन्होंने जो कीर्तिमान बनाए हैं ये इतने बड़े है कि इन्होंने भविष्य मे कम से कम अपना एक इतिहास, अपना नाम इस प्राकार से रिकार्डों में रख दिया है।

मणि शंकर अय्यर जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस सरकार की तारीफ के पुल बांधने की कोशिश की। वह बहुत ज्ञानवान है, अच्छा बोलते हैं लेकिन इस समय मुझे लगा कि उन का मन इसमें नहीं था जो वह बोल रहे थे। मेरा उनसे निवेदन है कि यह दोबार से अपनी कैसेट को देखें और पुरानी बातों से तुलना करें।

[अनुवाद]

तब वह पाएंगे कि उनका मन उसमें नहीं था जो वह बोल रहे थे। यह लगा कि वास्तव में आप समझते हैं कि आप उसका पक्ष ले रहे हैं जो इस योग्य नहीं हैं।

[हिन्दी]

मणि शंकर जी आपने इस सरकार को बहुत अच्छा, शक्तिशाली दिखाने की कोशिश की लेकिन वास्तविकता यह है कि जो सरकार हमारे सामने है यह एक कमजोर, अव्यवस्थित सरकार है।

आज अपनी आंतरिक कलह की वजह से इसकी खोखली बुनियाद भी खत्म हो चुकी है और इस सरकार का अंतिम संस्कार करना शेष रहता है। माननीय सभापति जी, इसकी असफलताएं राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तो बहुत हैं लेकिन व्यक्तिगतरूप से मुझे जिस बात पर दुःख होता है वह यह है कि राष्ट्रीय चरित्र के बारे में इस पार्टी को जो करना चाहिए था। उसके उलटे ही काम इस पार्टी ने किए हैं। वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति ओर कुर्सी का मोह इस पर इतना रहा कि जनता की भलाई की बात इसके ध्यान मे बिल्कुल भी नहीं आई और पिछले चार सालों में इसने उस पर विचार करने की जरूरत नहीं समझी।

मैं उत्तर प्रदेश और उतराखण्ड के बारे में बाद में बोलूंगा लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर कुछ बोलना जरुरी है। आज हमारे नेता की छवि विदेशों में क्या है? अभी प्रो. थामस ने कहा कि 47 में से 44 साल हमने राज्य किया है। ठीक है, लेकिन इस देश के अंदर जो गलत चीजें हुई हैं और जो इस देश की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की स्थिति आज तक भिखमंगे के समान है, कमजोर देश के जैसी है, घुटने टेकने वाले देश के जैसी है जो सबकी बात मानने के लिए विवश है चाहे वर्ल्ड-बैंक हो, आई.एम. एफ. हो। आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी को केले का पेड़ बना दिया है। माननीय अय्यर जी ने इस पर बड़े आंकडे दिए हैं, जिसके बारे में चन्द्रजीत यादव जी ने भी कहा था कि वे एक अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति है और उन्हें आंकडों को तोड़-मरोड़कर पेश करना अच्छी तरह से आता है।

[अनुवाद]

आंकड़े बिजली के खम्बे की तरह होते हैं या तो आप उसका सहारा ले लें और उसे ठीक साबित करने की कोशिश करें या उसकी रोशनी से लोगों को ज्ञान दें। आपने पहला काम किया है जबकि मैं आपसे उम्मीद करता था कि आप दूसरा काम करेंगे।

[हिन्दी]

इसलिए आपने जो आंकड़े दिए हैं उससे कुछ नहीं होता। आप कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है? महंगाई का हाल ऐसा क्यों है? आपके काम करने के तरीके में अगर कमी है तो उसे सुधारने के बजाए आप अपनी तारीफ करते रहेंगे तो सुधार होने वाला नहीं है। जहां तक राष्ट्रीय मामलों की बात है तो मैं फिर यह दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार भारत की खराब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के लिए जिम्मेदार है। सुरक्षा की दिशा में अगर छोटे-छोटे देश भी हमें आंखे दिखाने की हिम्मत करते हैं तो यह आपकी उपलब्धि है।

यह क्यों है? आप इस पर विचार करें, विवेचना करें तो आप कुछ नतीजे पर पहुंचेंगे, लेकिन आपकी यह आदत नहीं है। दूसरों पर ही आप जिम्मेदारी डाल देते है। आपको और कुछ नहीं मिलता तो हर तीन मिनट के बाद बाबरी मस्जिद का नाम लेकर देश को बहका देते हैं। अभी प्रोफेसर थामस कह रहे थे कि राज्यों में हम इतने समय तक नहीं रहे इसलिए आर्थिक सुधार इतनी जल्दी सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप 48 साल में से तक 44 साल राज्य सेंटर में सत्ता में रहे, प्रदेशों में भी आप काफी समय रहे। बिहार के बारे में आपने लम्बी-चौड़ी बात कही। आप कितने दिन वहां रहे? आज बिहार की हालत ऐसी क्यो हैं? इस पर आप गौर नहीं करेंगे। आपकी प्रवृत्ति बन गई है तुष्टिकरण की, वोट बैंक बनाने की आप भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके है कि और चीजें आपको दिखाई नहीं देतीं। चाहे वह राष्ट्र का हित हो या अहित इससे आपको कुछ मतलब नहीं है।

आपकी तरफ से लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक है। यहां तक कि चन्द्रजीत जी भी जाते-जाते हमें कह गये कि आप यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि साम्प्रदायिकता का जिम्मेदार कौन है? किसने यह फैलाई है? आज क्यों लोग बी. जे. पी. की तरफ जा रहे हैं और आपसे क्यों क्षुब्ध हो रहे हैं, क्या आपने कभी इस पर सोचा है? सौ साल वाली पार्टी, देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी के गुनाह हम गिनायें तो पता चलेगा, मैं पहले भी गिना चुका हूं। आप मिजोरम में जाते हैं तो क्रिश्चियन्स की बात करते हैं। अपने घोषणा पत्र में उनके बारे मे लिखते हैं और अपने हाथ में क्रास बनाकर दिखाते हैं। केरल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हैं, यहां पर आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। मुसलमानों को खुश करने लिए वहां आप शुक्रवार को अवकाश घोषित करते है। भिंडरावाले को किसने पैदा किया था? आपके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने उसको संत कहा था। बाद में आपने उसे देशद्रोही करार दिया था। स्वर्गीय राजीव गांधी जब अयोध्या गये तो उन्होंने वहां राम राज्य दिलायेंगें, यह कहा। अगर आप ऐसी बात कहें तो धर्म-निरपेक्षता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह कहे तो वह साम्प्रदायिक कहलाती है। यह कैसी परिभाषा है? आप कैसे देश को ऊपर उठायेंगे, कैसे देश को एक करेंगे? कुछ तो अपने लिए मानदंड बनाइयें, कुछ तो देशहित की बात सोचिये। दूसरों पर ही जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलेगा। देश में इतनी सारी समस्यायें हैं, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, प्रशासनिक समस्या हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो। यह

इस पर मुनस्सर करेगा कि आप कितनी निष्पक्षता से, कितनी राष्ट्रवादिता से और कितनी राष्ट्रहित के अंदर बात करने वाले हैं।

मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हम सबमें कोई ऐसा नहीं है जो राष्ट्रहित नहीं चाहता हो। लेकिन जो सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन चला रही है। उसका दायित्व बनता है। मानमीय मणि शंकर ने अपने भाषण में आंकड़े दिये कि हमने यह कर दिया और उसकी तुलना वी.पी. सिंह तथा चन्द्रशेखर की सरकारों के साथ की। ये सरकारें अच्छी नहीं थीं तभी तो जनता ने आपको यहां दुबारा कुर्सी पर बिठाया है। आपके ऊपर पांच साल के लिए जिम्मेदारी डाली है। आपने पिछले चार सालों से क्या किया है, यह बतायें। आप कहते हैं कि मुझ से पहले वाले खराब थे इसलिए मैं अच्छा हूं, तो यह कोई तर्क नहीं है। आपको ठोस काम करना है, वास्तविक काम करना है। सिर्फ यह कहना कि मुझ से पहले वाला खराब है और मैं उतना खराब नहीं हूं, इससे काम नहीं चलेगा। आप रचनात्मक कार्य करें। आपकी इन बातों से देश को भला होने वाला नहीं है। आप अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, आप राज कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर जितने भी अच्छे तत्व हैं चाहे किसी भी दल के हों आप उनको इकट्ठा करके देश की शक्ति और उन्नति के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। बजाय इसके आप केवल तोड़-मरोड़ करने में ही लगे रहे और भ्रष्टाचार में ही डूबे रहते हैं। तथा कुर्सी के लिए ही सारा काम करते हैं। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। आप समस्याओं का समाधान करें और राष्ट्रहित के बारे में सोचें। कश्मीर के बारे में बात हुई। आंकड़ों के हिसाब से वहां स्थिति अच्छी है। माननीय अय्यर जी ने जो आंकड़े दिए उससे लगता है कि वहां शांति है और तरक्की हो गई है।

तरक्की यह है कि चार साल से बराबर आप इलेक्शन्स टाल रहे हैं। जिस दिन आप इलेक्शन्स की बात करते हैं तो दूसरे दिन यह बात शुरू हो जाती है कि टेरेरिस्ट्स इलेक्शन्स नहीं होने देंगे। भारत इतना बड़ा देश है और आप एक प्रदेश पर काबू नहीं पा सकते हैं?

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा): कश्मीर के बारे में जरा सुझाव दीजिए कि क्या किया जाये?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मैंने पहले भी सुझाव दिये हैं और आज भी दूंगा। मैं आपको एक उदाहरण तो यह दूंगा कि आज चरार-ए-शरीफ में आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है यह सब सरकार की कमजोर नीति के कारण हुआ है हम अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। मैंने जम्मू कश्मीर के मामले पर जो बातें कहीं है उनको फिर से दोहरा रहा हूं कि सरकार की कमजोर नीति के कारण पिछले चार साल में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सके हैं और न किसी समस्या का समाधान ही कर पाये हैं। जब तक पाकिस्तान को यह संदेश नहीं देंगे कि जब तक यह भारत के साथ छद्म युद्ध करता है उसके साथ वही बर्ताव किया जायेगा। जब तक आप अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान आपकी बात समझने वाला नहीं है। मैं तो एक फौजी हूं और मैं गलत बात करता हूं तो चार साल की उपलब्धियां गिना दें कि आपने इस मामले में क्या तरक्की की है? कितने दिन इस मामले को खीचेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक आपकी इस प्रकार की नीति नहीं होगी और गुनहगारों को जब तक सजा नहीं देंगे या तुष्टिकरण की नीति खत्म नहीं करेंगे या जब तक अपनी नीति स्पष्ट नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। आप कभी कहते है कि जुलाई में चुनाव करायेंगे पर फिर बाद में इसे और आगे ले जायेंगे। तो जब तक आप कनविंस नहीं करेंगे, इससे चलने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, जहां तक पृथ्वी, अग्नि और एन.पी.टी.की बात कही गयी है, इसकी क्या स्थिति है? श्री अय्यर इस बात को जस्टीफाई कर रहे थे कि इसको हम एक जानी-मानी रणनीति के अंदर कर रहे हैं लेकिन मैं कहता हूं कि यह सच नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री पृथ्वी के बारे में यहां पर कुछ कहते हैं और विदेशों में जाकर कुछ और कहते हैं। हम विदेशियों के ऊपर इतने निर्भर हो गये हैं कि जैसा वे कहते हैं हम वैसा ही सिर झुका देते हैं। हमें इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिएं। पृथ्वी की जरुरत थी, वह कितनी थी, कहां थी, इसके बारे में शक नहीं है लेकिन पता नहीं चलता है कि यह कब आयेगी? अग्नि के बारे में कह दिया कि ये सिर्फ टैक्नालाजी बढ़ाने के लिए है। आगे करने वाले नहीं हैं। राजीव गांधी को कोट किया गया है। हो सकता है कि उस समय की स्थिति के अनुसार वह ठीक होगा। मैं नहीं जानता क्योंकि उसके बाद बहुत सी बातें कही गयी हैं, सच्ची कही गयी हैं या प्लानिंग की गयी है, उसके लिए पृथ्वी, अग्नि और एन.पी.टी. की गोलमोल दुल-मुल नीति रही है। हम अपनी पोजिशन विदेशी दबाब में शिफ्ट कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि यह देश के हित में नहीं है। एक मजाक सा बन गया है।

राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में जिस प्रकार का ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया जाता है। सरकार को लम्बे समय तक के लिए ठोस रणनीति बनानी चाहिए थी। आज प्रशासनिक क्षेत्र में 85 प्रतिशत खर्च हो रहा है हर साल यही बात आती है,क्या रणनीति आपने बनाई है? हर साल यही बात आती है कि हमने थोड़ा बढ़ा दिया है लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें मुद्रस्फीति की कीमत शामिल नहीं होती है। आपने बढ़ा दिया 6-8-10 प्रतिशत, लेकिन मुद्रास्फीति है 12 प्रतिशत तो उससे क्या हुआ? इतने सारे भूतपूर्व सैनिक हर साल रिटायर हो जाते हैं। अपने बजट पर भारी प्रभाव पड़ता है। कभी इसके बारे में सोचा आपने? क्या कोई रणनीति नहीं है?

भ्रष्टाचार के बारे में केवल यही कहूंगा कि आपके पूर्व वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि पिछले चार सालों में 80 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हो गया है। इससे बढ़कर आप क्या उपलब्धियां बतायेंगे?

सभापति महोदय, अंतिम बात यह है कि महाराष्ट्र के लिए रिमोट कंट्रोल की बात कही जा रही है। इस संबंध में श्री मणि शंकर जी और अन्य संसद सदस्यों ने कहा कि महाराष्ट्र में यह हो रहा है। आप तो रिमोट कंट्रोल के पुराने आदी हैं और आपने यह प्रथा इस देश में चलायी है।

आप भूल गये स्वर्गीय संजय गांधी को और आप भूल गये कि आज भी 10 नंबर में आपका रिमोट कंट्रोल है। क्यों दूसरों पर लांछन लगा रहे हैं? आप शीशे के घरों में रहते हैं।

हमारा तो छोटा सा शीशे का घर है। आप हम पर पत्थर फेंकेगे तो आपको ज्यादा नुकसान होगा।

अंत में, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आज जो स्थिति है और केन्द्र जिस प्रकार उसके लिए जिम्मेदार है और जिन वजहों से केन्द्र उत्तर प्रदेश में अपनी नीति चला रहा है, यह बहुत दुखदायी और चिंताजनक है। निहित और निम्न कोटि के स्वार्थों के लिए आज उत्तर प्रदेश की सरकार को इस प्रकार का समर्थन आपके द्वारा दिया जा रहा है कि भविष्य में आपको अकेले इस गुनाह के लिए कि आपने प्रदेश में पिछले एक साल से सरकार चलायी है और खासकर इस अकेले काम के लिए आपकी पार्टी का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है यह मेरे और साथी बताएँगे। वहां पर भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार, लोगों के मकान पर कब्जा करना आम बात हो गई है और ज्यूडीशरी, लेजिस्लेशन और पत्रकारिता सब खत्म कर दी गयी है और आपकी सरकार उसको कंधे पर उठाकर चल रही है। उत्तरांचल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने वहां क्या किया है। सी.बी.आई. की रिपोर्ट आ गई है। इसमें क्या लिखा है यह आपको पढ़ना चाहिए। आपकी सरकार में ज़रा भी शर्म और नैतिकता है तो बताऐं कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों चल रही है। सी.बी.आई. की रिपोर्ट की

कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि 'मुजफ्फरनगर में जो अंदोलनकारियों को रोका गया वह असंवैधानिक तरीके से रोका गया है।'

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, कल जब मैंने न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट से एक उदाहरण देना चाहा, तो मुझे मेजर जनरल खण्डूरी के एक सहयोगी ने ऐसा करने से रोक दिया। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जिन रिपोर्टें को सभा पटल पर नहीं रखा जाता है, उनके उद्धरण दिए जाने के भी पूर्वोदाहरण हैं। मुझे उसके द्वारा उद्धरण देने पर कोई आपत्ति नहीं है परंतु मेरा सुझाव है कि उनके दल के मुख्य सचेतक और अन्य सदस्यों के बीच तालमेल होना चाहिए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : श्री मणि शंकर अय्यर ने मुझे जो जानकारी दी, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। ऐसी बात नहीं है। 31 मार्च को केन्द्रीय जांच ब्यूरों की रिपोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है। परंतु मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूं। मैं केवल यह बता रहा हूं कि उसमें क्या लिखा है। ये दो बातें एकदम भिन्न हैं। हमारे बीच बहुत अच्छा तालमेल है।

[हिन्दी]

उसमें ये लिखा है कि मुजफ्फरनगर में जो बलात्कार हुए हैं। उनकी सूचना बराबर लखनऊ में थी और लखनऊ के आदेश के अनुसार यह किया गया है। सात महिलाओं का बलात्कार और 17 महिलाओं का मोलेस्टेशन सिर्फ मामूली कांस्टेबलों का काम नहीं है। वहां लखनऊ में मीटिंग हुई है और गृह सचिव व DGP लखनऊ को बराबर सूचित किया गया है और उनके निर्देश पर यह हुआ है। उसमें लिखा है कि भारी मात्रा में सरकारी डाक्यूमेंट्स और पुलिस के डाक्यूमेंट्स में फेरबदल किया गया है और कुछ पेज गायब किये गये हैं। उसमें लिखा है कि पुलिस ने जो बलात्कार किये है वह सड़कों पर ही नहीं किये हैं बल्कि जो महिलाएं बस में छिपी थीं उनके साथ भी बलात्कार किये गये हैं। 28 व्यक्ति मारे गये हैं और बहुत से लापता हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि किसी भी आंदोलनकारी के पास कोई हथियार नहीं पाया गया। इस प्रकार की अनेक घटनाएं इसमें लिखी हुई हैं जिनकी समय मिलने पर विस्तार से इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं कि केन्द्रीय सरकार का क्या दायित्व है? हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में उत्तरांचल के बारे में कहते हैं कि 'उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चल रहे आंदोलन से उभरे मसले पर सरकार सचेत है और उसका विश्वास है कि सभी संबंधित पक्षों द्वारा धैर्यपूर्वक और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से काम करने पर समस्या का सर्वमान्य हल निकाला जाएगा। यह केन्द्र सरकार क्या कर रही है? आप किस प्रकार मुलायम सिंह सरकार का जनाजा अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी को तो खत्म कर ही देगा लेकिन भविष्य में इतिहास भी आपको माफ नहीं करने वाला है। इसके आलावा आज केन्द्र सरकार क्या कर रही है? 12 अगस्त, 1991 को आपके पास प्रस्ताव आया, फिर 1994 में दुबारा प्रस्ताव आपके पास आया है। आपने किसी से बातचीत का डायलॉग या एक शब्द भी शुरू नहीं किया है। तीन साल से हम अनेक बार बातचीत कर चुके हैं अनेक बार यह सवाल उठा चुके हैं, साढ़े सात घण्टे की यहां बहस भी हो चुकी है और आपकी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी अपने दोस्तों को बुला लेते हैं और कहते हैं कि बात कर रहे हैं। यहां के जनप्रतिनिधियों से बात नहीं हुई, वहां के जानकार लोगों से बात नहीं हुई। आप पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को छोड़कर नॉन-पॉलिटिकल लोगों से बात कीजिए। उत्तरांचल के लोगों ने चारों सांसद यहां बी.जे.पी. के भेजे हैं और 19 में से 10 सदस्य विधान सभा में भेजे हैं। हम कहतें हैं कि आप 19 को बुलाइये, हमसे तो आप घबराते हैं लेकिन जनप्रतिनिधियों से आप बात तो करिये।

आपकी सरकार कुछ नहीं करती है और आप यहां पर बहुत तारीफ करते हैं। आप कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन क्या काम कर रही है? आप चाहते हैं कि उत्तरांचल एक और कश्मीर बने। आप देश में शांति की बात करते हैं आप एक क्षेत्र को और अशांत बनने के लिए उकसा रहे हैं। यह क्षेत्र सैनिक बाहुल्य है हर घर में एक नहीं, दो-तीन आदमी फौज, पैरामिलैट्री फोर्सेज में है, फौज से रिटायर्ड है। यह कैसी सरकार है? अतः सरकार से यह अपेक्षा है कि आप उत्तरांचल के मामले में कम से कम पहल तो कीजिए और आप में संवैधानिक क्षमता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग कीजिए और उत्तरांचल के बारे में पहल करके जल्दी से जल्दी कोई निर्णय कीजिए। अन्यथा आप एक और समस्या इस देश में पैदा कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है।

सभापति जी, मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। हम लोग नहीं चाहते कि उत्तंराचल में अशांति हो लेकिन आज विदेशी लोग और उनके एजेन्ट इस तरह की बात कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए दुःखदायी है। हमारे गृह मंत्री जी के पास अवश्य सूचना होगी कि वहां पर "पीकिंग पास, दिल्ली दूर" जैसे नारे लगाये जा रहे हैं। आप उस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा दें रहे हैं? कब तक आप उन लोगें पर अन्याय करेंगे, कब तक आप इस स्थिति से उनको भड़काने का प्रयास करेंगे? उत्तरांचल के बारे में इस केन्द्र सरकार पर मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ है और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है। यह राष्ट्रहित में नहीं है। आपको मुलायम सिंह के साथ दो-तीन सीटें और मिल जायेंगी, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन आप एक बहुत बड़े देशभक्त क्षेत्र को आंदोलित कर रहे हैं, आक्रोशित कर रहे हैं इसलिए मेरा कहना है कि राष्ट्रहित में आप कुछ करिये और मैं अक्सर यह बात कर चुका हूं और कहते-कहते मैं थक रहा हूं, वहां के लोग भी थक रहे हैं, कृपया हमको मजबूर मत करिये। अतः इन सब लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं असमर्थ हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन करूं।

[अनुवाद]

***श्री एम. आर कादम्बूर जनार्दनन** (तिरूनेलवेली) : सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यावाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे महान नेता पुराची थालैवी का अनुयायी होने के नाते और अखिल भारतीय अन्नाद्रविड़, मुनेत्रकड़घाम की ओर से मैं अपने विचार रखूंगा। हमारे राष्ट्रपति, श्री शंकर दयाल शर्मा गांधीवादी आदर्शों और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने अभिभाषण में उन्होंने स्वावलम्बन और आत्मविश्वास की बात कही। इसका आशय ठीक से नहीं समझ सका। मैं पिछले 10 वर्षों से इस सभा का सदस्य हूं। इन 10 वर्षों के दौरान मेरे सामने ऐसा मौका नहीं आया, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद पर चर्चा डेढ़ महीने बाद शुरू हुई हो।

एक माननीय सदस्य : यह डेढ़ महीने बाद नहीं ढाई महीने बाद शुरू हुई है।

6.00 म.प.

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : जहां तक इस 10वीं लोक सभा का सम्बंध है, इसने कई तरह से एक इतिहास बनाया है। यह पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा इतनी देर से शुरू की गई हो। मेरे माननीय सहयोगी, श्री मणिशंकर अय्यर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत इसी समय पेश किया

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

है। इसलिए यह 10वीं लोक सभा बेमिसाल है कि इसने इस प्रस्ताव पर चर्चा इतने विलम्ब से आरम्भ की। एक सांसद के नाते मैंने यह विलम्ब पहली बार देखा है। इसलिए 10वीं लोक सभा हर तरह से अद्वितीय है। यह स्वावलम्बन की बात उस व्यक्ति द्वारा कही गई है जो गांधी जी के साथ रहे और जिन्होंने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी। जब 1946-47 में मैं विद्यार्थी था तो सर्वत्र आत्म-निर्भरता की बात कही जाती थी। अब ऐसी बात नहीं है। अब आत्मविश्वास की बात कहने का फैशन है। कांग्रेस का अब यह हाल है। अतः अब पहले वाली कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस जीवित नहीं है. वह कांग्रेस समाप्त हो गई है। यह मेरा शब्द नहीं है। ये शब्द राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष दिए गए भाषण के पाठ से लिए गये हैं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : धन्यवाद। महोदय, मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11.00 म. पू. तक के लिए स्थगित होती है।

6.01 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार 27 अप्रैल, 1995/7 वैशाख, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।